VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

फरवरी - 2019

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) 6

1.1. राज्य सभा की उत्पादकता में ह्रास 6

1.2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 7

1.3. भारतीय दंड संहिता की धारा 124-A....9

1.4. न्यायाधीश एवं सेवानिवृत्ति-पश्चात का पद....11

2. अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध (International Relations) 13

2.1. भारत-सऊदी अरब सम्बन्ध 13

2.2. चाबहार बंदरगाह 14

2.3. जेनेवा कन्वेंशन 1949....16

2.4. मॉरीशस के विउपनिवेशीकरण पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का मत....17

2.5. इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि 19

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 21

3.1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) 21

3.2. वर्षा सिंचित कृषि के प्रति नीतिगत पूर्वाग्रह 23

3.3. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019....25

3.4. ड्राफ्ट ई-कॉमर्स नीति 26

3.5. सॉफ्टवेयर उत्पाद पर राष्ट्रीय नीति 28

3.6. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, 2019....30

3.7. भुगतान बैंक के रूप में भारतीय डाक बैंक की स्थापना....31

3.8. डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल (ओम्बड्समैन) योजना 33

3.9. राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 33

3.10. प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना (PMSYM) 35

3.11. NSSO का आवधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (PLFS) 36

3.12. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 36

3.13. उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT)....38

3.14. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का प्रारूप 38

3.15. नदी सूचना प्रणाली 41

3.16. नए एंजेल टैक्स नियम....42

3.17. FAME इंडिया चरण II....43

3.18. सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा घोषित किए गए मुद्रण प्रेस....44

VISION IAS

3.19. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 45
3.20. औषधियों की कीमत निर्धारण 45
3.21. रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार....49
3.22. वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 49
4. सुरक्षा (Security) 51
4.1. आतंकी गतिविधियां और भारत-पाकिस्तान संबंधों में परस्पर संशय की स्थिति 51
4.2. प्रोजेक्ट 75-I 53
5. पर्यावरण (Environment) 55
5.1. हिन्दुकुश हिमालय आकलन रिपोर्ट 55
5.2. ध्रुवीय भंवर....57
5.3. भारतीय सुंदरबन–अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि 58
5.4.केल्प वन....59
5.5. हाथियों और मनुष्यों के बीच टकराव को टालने के लिए परिदृश्य-स्तरीय दृष्टिकोण....60
5.6. भारतीय वन्य जीवन में चीता का पुनः प्रवेश....62
5.7. सिन्धु नदी डॉल्फिन 63
5.8. एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 63
5.9. नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन हेतु निम्न कार्बन रणनीति....64
5.10. महानगरों में वर्षा जल संचयन 65
5.11. प्रधानमंत्री JI-VAN (जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना....66
5.12. वनवासियों के निष्कासन का आदेश....67
5.13. पर्यावरणीय विधि का शासन 69
5.14. लघु अनुदान कार्यक्रम (SGP)....70
5.15. पालघर में भूकंप की पुनरावृत्ति 71
6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 73
6.1. अंतरिक्षीय मलबे की सफाई 73
6.2. भारत में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की प्रगति 74
6.3. सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट....76
6.4. परम शिवाय....77
6.5. खसरा-रूबेला....78
6.6. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 78
7. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 80

VISION IAS

7.1 भारत में अल्पसंख्यकों का निर्धारण 80
7.2. विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू समुदायों (DNCs) के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड 82
7.3. ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड....83
8. संस्कृति (Culture) 84
8.1. भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक....84
8.2. मैथिली भाषा....84
8.3. बगरू ठप्पा छपाई 85
9. नीतिशास्त्र (Ethics) 86
9.1. सामाजिक जवाबदेही 86
10. संक्षिप्त सुर्खियाँ (News In Short) 88
10.1. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग....88
10.2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 88
10.3. समाधान पोर्टल 88
10.4. न्याय बंधु....88
10.5. इन्स्टेक्स एस.ए.एस. 89
10.6. नॉर्थ मैसेडोनिया ने नाटो में शामिल होने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए 89
10.7. वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट....89
10.8. अबू धाबी में न्यायालय की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी....89
10.9. महिलाओं का वैश्विक विकास और समृद्धि (W-GDP) पहल 90
10.10. राष्ट्रीय आवास बैंक....90
10.11 कृषि-बाज़ार अवसंरचना कोष....90
10.12. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना....90
10.13. खादी एवं ग्रामोद्योगों हेतु नयी पहलें....91
10.15. महिला आजीविका बॉन्ड 91
10.16. ई-औषधि पोर्टल 91
10.17. सेला सुरंग....92
10.18. अरुण-3 जल विद्युत परियोजना 92
10.19. पेट्रोटेक-2019....92
10.20. सैन्य अभ्यास 92
10.21. मिलान-2T एंटी-टैंक मिसाइल 93
10.22. LCA तेजस 93

VISION IAS

10.23. आर्टिलरी गन 'धनुष' 93
10.24. चिनूक हेलीकॉप्टर 93
10.25. अपॉर्च्युनिटी रोवर मिशन 93
10.26. स्फेरेक्स 94
10.27. वरुण का चंद्रमा - हिप्पोकैम्प 94
10.28. भारतीय वायु सेना ने हाइपर स्पेक्ट्रल कार्यक्रम का शुभारंभ किया 94
10.29. आईप्रिज्म 95
10.30. समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019 95
10.31. डिजिटल स्वास्थ्य पर 'दिल्ली घोषणा-पत्र' 95
10.32. स्टार्स योजना 95
10.33. भारत का पहला ESG फंड 96
10.34. सुपर एफिशियंट एयर कंडीशनिंग कार्यक्रम 96
10.35. भारत की प्रथम जिला शीतलन प्रणाली 97
10.36. जैव-ऊर्जा पर प्रौद्योगिकी गठबंधन कार्यक्रम 97
10.37. ब्रम्बल केई मेलोमिस 97
10.38. वैलेस जायंट बी की पुनर्खोज 97
10.39. घुमोट: गोवा का धरोहर वाद्ययंत्र 97
10.40. अट्टुकल पोंगल 98
10.41. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद 98
10.42. सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम 98
10.43. भारत को जानो कार्यक्रम 98
10.44. स्वच्छ शक्ति-2019 कार्यक्रम 98
10.45. दरवाज़ा बंद अभियान 99
10.46. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना 99

11. सुर्खियों में रही सरकारी योजनाएं (Government Schemes in News) 100

11.1. मध्याह्न भोजन योजना 100
11.2. प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण 101
11.3. श्रेयस योजना 102
11.4. पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना 102
11.5. अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन- राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उपक्रम 103

VISION IAS

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. राज्य सभा की उत्पादकता में ह्रास

(Falling Productivity of Rajya Sabha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राज्य सभा के सभापति द्वारा "रिपोर्ट टू द पीपल" प्रस्तुत की गयी। इसके तहत उच्च सदन के सामान्य से भी निम्नस्तरीय प्रदर्शन के साथ-साथ सांसदों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को चिन्हित किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- जून, 2014 से अभी तक तक राज्य सभा के कुल 18 सत्र एवं 329 बैठकें आयोजित की गयीं, जिनमें **154 विधेयक (अर्थात दो बैठकों में एक विधेयक से भी कम) पारित** किए गए।
- राज्य सभा के **विधायी आउटपुट** में गिरावट आयी है। राज्य सभा में 2009 से 2014 के मध्य 188 विधेयक, जबकि 2004 से 2009 तक कुल 251 विधेयक पारित किए गए।
- वर्ष 2014 से उच्च सदन व्यवधानों के कारण कुल आवंटित समय के 40% समय कार्य करने में असमर्थ रहा है।
- बजट सत्र के कुल 48 घंटों में से सदन में केवल 8 घंटे ही कार्य किया जा सका।

राज्य सभा की निम्न उत्पादकता के कारण:

- सरकार और विपक्ष के मध्य विद्यमान **राजनीतिक संघर्ष** के कारण इसके कार्य संचालन में गतिरोध, स्थगन इत्यादि में वृद्धि हुई है।
- **सर्वसम्मति का अभाव:** निम्न उत्पादकता अनेक मुद्दों पर सर्वसम्मति के अभाव को भी प्रदर्शित करती है। सरकार ऐसे मुद्दों पर विपक्ष को विश्वास में लेने में असमर्थ सिद्ध हुई है।
- **राज्य सभा के राजनीतिकरण** के कारण लोक महत्व के विषयों पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले एक विचारशील निकाय के रूप में इसकी भूमिका बाधित हुई है।

राज्य सभा का औचित्य

- **स्थायी सदन:** राज्य सभा का कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। अतः यह लोक सभा की विघटन अवधि के दौरान भी राष्ट्र को नेतृत्व एवं स्थिरता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह निम्न सदन की संरचना में होने वाले आकस्मिक परिवर्तनों को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है।
- **लोकलुभावन उपायों के विरुद्ध संरक्षण:** यद्यपि लोकसभा लोकलुभावन घोषणाओं से उत्पन्न बाध्यताओं के तहत कार्य कर सकती है; परंतु राज्य सभा स्थायी एवं न्यून राजनीतिक सदन होने के कारण विभिन्न विधेयकों एवं मुद्दों पर गहन और गैर-लोकलुभावन पद्धति के तहत विचार करती है। यह राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए द्वितीय मत भी प्रदान करती है।
- **राज्यों का प्रतिनिधित्व:** राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए राज्यों के हितों को राज्य सभा द्वारा परिलक्षित और संरक्षित किया जाता है।
- **विशेषज्ञों के लिए अवसर:** राज्यसभा महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर अपना मत प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को अवसर प्रदान करती है।
- **विधायी भार को साझा करना:** संपूर्ण विश्व की विधायिकाएं नए विषयों पर विधि-निर्माण की बढ़ती मांगों का सामना कर रही हैं। ऐसे में उच्च सदन निम्न सदन के भार को साझा करने में अत्यधिक उपयोगी हो जाता है।

राज्य सभा की आलोचना

- **अल्प महत्व:** धन विधेयक एवं बजट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य सभा को अपना मत व्यक्त करने हेतु अत्यल्प अधिकार प्राप्त हैं, जो लोकसभा की तुलना में इसके महत्व को कम करता है।
- **राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाले व्यक्तियों के सदन के रूप में:** उच्च सदन राजनीतिक पार्टियों के फंड-रेजर (जो चुनाव हार गए हो), क्रोनी पूंजीवादियों, पत्रकारों, सेवानिवृत्त CEOs (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) तथा सिविल सेवकों के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु एक प्रमुख स्थान बन गया है।
- **त्वरित विधि निर्माण में अवरोध:** वर्तमान समय में मौजूदा प्रतिस्पर्द्धी राजनीति के कारण विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा त्वरित विधि निर्माण में अवरोध उत्पन्न करने हेतु राज्य सभा का उपयोग किया जा सकता है, जो राष्ट्र के विकास के लिए हानिकारक है।
- हाल के दिनों में **निरंतर उत्पन्न होने वाले व्यवधानों** के परिणामस्वरूप उच्च सदन के विमर्श एवं जवाबदेही से सम्बंधित कार्यों में ह्रास हुआ है।

VISION IAS

आगे की राह

- **वैधानिक उपाय:** संसद (उत्पादकता में वृद्धि) विधेयक, 2017 को पारित किया जाना चाहिए जिसका उद्देश्य संसद के दोनों सदनों के संचालन के दिनों की न्यूनतम संख्या (राज्यसभा के लिए 100 दिनों की अवधि) निर्धारित करना है।
    - संविधान की कार्य पद्धति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने लोक सभा एवं राज्यसभा हेतु कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्रमशः 120 और 100 निर्धारित करने की अनुशंसा की है।
- **प्रदर्शन-आधारित वेतन:** राज्यसभा के सदस्यों के वेतन को उनके प्रदर्शन एवं सदन में उनकी उपस्थिति के आधार पर निर्धारित करने की भी मांग की गई है।
- सदन के सदस्यों द्वारा असभ्य एवं अनुशासनहीन व्यवहार (जैसे चिल्लाना, नारेबाजी इत्यादि) से निपटने के लिए कठोर **प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों** को लागू किया जाना चाहिए, ताकि राज्यसभा का आवंटित समय व्यर्थ न हो सके।
- **दल-बदल विरोधी कानून की समीक्षा करना**, क्योंकि यह राजनीतिक दलों को व्यापक अधिकार प्रदान करता है। यदि कोई राजनीतिक दल संसदीय कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने का निर्णय लेता है, तो उस परिस्थिति में सांसद अपने दल के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते, भले ही उनका मत भिन्न हो।
- नागरिकों के दबाव समूहों को नियमित अंतराल पर **संसद एवं सांसदों के प्रदर्शन का सतत मूल्यांकन करना** चाहिए जिससे सांसदों पर स्वयं बेहतर प्रदर्शन करने और संसद पर अपने निर्दिष्ट कार्यों को सुचारू रूप से करने देने हेतु दबाव बनाया जा सके।

1.2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम

(National Security Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गौ हत्या के अपराधी तीन व्यक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) आरोपित किया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 से संबंधित तथ्य

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 23 सितंबर, 1980 को लागू किया गया था; इसका उद्देश्य "कुछ विशिष्ट मामलों तथा उनसे संबंधित मुद्दों में **निवारक निरोध को आरोपित करना** है।"
- **किसी व्यक्ति के निवारक निरोध के लिए निम्नलिखित आधार शामिल हैं:**
    - भारत के विदेशी सरकारों से संबंधों पर या भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने के आधार पर।
    - भारत में किसी भी विदेशी की निरंतर उपस्थिति को विनियमित करने या भारत से उसके निष्कासन की व्यवस्था के लिए।
    - व्यक्ति द्वारा राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने अथवा समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों एवं सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने के आधार पर।
- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी जांच के **तीन माह** तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में **छह माह** तक बंदी के रूप में रखा जा सकता है।
- **तीन व्यक्तियों वाले एक सलाहकार बोर्ड** का गठन किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। यह बोर्ड तीन माह से अधिक समय के लिए निर्दिष्ट किसी भी आदेश की वैधता को निर्धारित करता है। यदि यह बोर्ड अनुमोदन प्रदान कर दे तो व्यक्ति को **12 महीने तक** की न्यायेतर हिरासत में रखा जा सकता है। यदि सरकार को मामले से संबंधित नए साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो इस अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
- NSA के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में राज्य सरकार को सूचना देना आवश्यक है।
- **यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत के राज्यक्षेत्र में विस्तारित है।**

भारत में निवारक निरोध संबंधी कानूनों का इतिहास

- **स्वतंत्रता-पूर्व कानून-** 1818 का बंगाल विनियमन III; डिफेंस ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1915; रॉलेट एक्ट 1919
- **स्वातंत्र्योत्तर कानून-**
    - निवारक निरोध अधिनियम (1950-1969)
    - गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (1967)
    - आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम- MISA (1971- 1978)
    - विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (COFEPOSA)
    - राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (1980) - 1984, 1985 और 1988 में संशोधित

VISION IAS

- **हालिया मामले-**
    - उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुलंदशहर में कथित रूप से गौ-हत्या के एक मामले में NSA के तहत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।
    - मुख्यमंत्री पर कथित रूप से आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने के मामले में मणिपुर के एक पत्रकार को NSA के तहत 12 माह के लिए हिरासत में ले लिया गया था।

संबंधित चिंताएं

- अभियुक्त को सामान्य मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को उपलब्ध मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, जैसे-
    - **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अंतर्गत:**
        - गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार एवं जमानत के अधिकार से संबंधित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। परंतु NSA के तहत व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के संबंध में पांच दिनों तक कोई जानकारी प्रदान नहीं की जाती तथा असाधारण परिस्थितियों में यह अवधि 10 दिनों तक हो सकती है (इससे अधिक विस्तारित नहीं की जा सकती है)।
        - NSA के तहत गिरफ्तारी के कारण से संबंधित जानकारी प्रदान करने पर भी सरकार उन जानकारियों को प्रदान करने से मना कर सकती है, जिन्हें वह सार्वजनिक हित के विरुद्ध मानती है।
        - इसके अतिरिक्त CrPC के तहत गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
    - **संविधान का अनुच्छेद 22 (1)-** गिरफ़्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि वेत्ता से परामर्श करने और अपना पक्ष रखवाने अर्थात प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। NSA के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के समक्ष संचालित कार्यवाही से संबंधित किसी भी मामले में विधि वेत्ता से सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।
    - **कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन-** जैसे निर्दोषता की पूर्वधारणा का उल्लंघन
- **सरकारों का निवारक निरोध पर अत्यधिक आश्रित होना-** हालिया समय में विभिन्न राज्य सरकारों ने आपत्तिजनक मामलों के तहत नागरिकों को गिरफ्तार करने के लिए NSA के कठोर प्रावधानों को लागू किया है, जिसने इस विवादास्पद कानून के संभावित दुरुपयोग पर पुनः ध्यान केंद्रित किया है।
- **NSA के तहत निरुद्ध व्यक्तियों की सही संख्या के आंकड़ों का अभाव:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों में NSA के मामले शामिल नहीं हैं, क्योंकि इन मामलों की कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। NCRB देश में अपराध संबंधी डाटा का एकत्रण और विश्लेषण करता है।
- **संविधानवाद के विरुद्ध-** क्योंकि इस सन्दर्भ में सरकार की निरंकुशता को नियंत्रित नहीं किया गया है और इसका दुरुपयोग होता है।
- **राज्य द्वारा कानून के अन्य प्रावधानों से बचने के लिए उपयोग किया जा सकता है-** कई प्रावधानों, जैसे राज्य की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों को जोखिम में डालना जैसे कृत्य पहले से ही भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय हैं। NSA सरकार को ऐसे अपराधियों को बिना किसी दोषारोपण के हिरासत में रखने की अनुमति प्रदान करता है।

इस प्रकार के कानून के पक्ष में तर्क

- **राष्ट्र-विरोधी बलों की उपस्थिति-** इनके अंतर्गत आतकंवादी, चरमपंथी, कट्टरपंथी जैसे तत्व शामिल हैं, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं।
- **आसूचना का एकत्रण-** आतंकवादी कानून के अंतर्गत निर्दोषता के प्रावधानों का उपयोग कर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए तत्काल आवश्यक सूचनाओं से बच सकते हैं या उन्हें नष्ट कर सकते हैं।
- **दुरुपयोग निरसन का आधार नहीं -** केवल कुछ विशिष्ट मामलों में दुरुपयोग के आरोप अधिकांश मामलों में इसकी प्रभावकारिता को क्षीण नहीं करते हैं।
- **इसका अनुप्रयोग युक्तियुक्त निर्बंधनों का एक भाग है-** इन्हें अनुच्छेद 19 (2) के तहत प्रदान किया गया है।

आगे की राह

- राज्य की सुरक्षा एवं लोगों के अधिकारों की सुनिश्चितता के मध्य संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पर्याप्त रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए कि इस अधिनियम को किस संदर्भ में आरोपित किया जाना चाहिए और किसमें नहीं। मानक संचालन प्रक्रिया.को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि NSA का अनुचित प्रयोग न हो।

1.3. भारतीय दंड संहिता की धारा 124-A

(Section 124-A of The Indian Penal Code)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राजद्रोह कानून (Sedition law) {भारतीय दंड संहिता की धारा 124-A} के संदर्भ में विधि आयोग की एक रिपोर्ट पर केंद्र सरकार द्वारा वैधानिक मत की मांग की गई थी।

पृष्ठभूमि

- भारतीय दंड संहिता की धारा 124-A एक स्वतंत्रता-पूर्व प्रावधान है, जिसमें सरकार के विरुद्ध राजद्रोह से संबंधित आरोपों को शामिल किया गया है।
- भारतीय न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों ने संविधान के अनुच्छेद 19 के आलोक में 'राजद्रोह' कानून का पुनर्परीक्षण एवं पुनर्व्याख्या की है।
- संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति के अधिकार तथा राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित करने की शक्ति के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
- इन निर्णयों ने 'राजद्रोह' के दायरे को सीमित कर दिया, जिससे इसका अर्थ अधिक स्पष्ट, सटीक और सरल हो गया है।
- विगत वर्ष विधि आयोग ने केंद्र को एक **"परामर्श पत्र"** प्रस्तुत किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि देश इस प्रकार के कठोर कानूनों का उपयोग करने वाले एक उदाहरण के रूप में उद्धृत नहीं होना चाहता है।
- इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों से मतों की मांग गई है। इसकी समाप्ति की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित अधिकांश हितधारकों ने कानून को बिना परिवर्तन के बनाए रखने की आवश्यकता व्यक्त की है। इसलिए वर्तमान में मुख्य लक्ष्य इसके दुरुपयोग को रोकना हो जाता है।

धारा 124-A के पक्ष में तर्क

- **यह वस्तुतः एक औपनिवेशिक कानून नहीं रह गया है-** उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पश्चात इसके अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया है। अब इसे केवल न्यायालय द्वारा निर्धारित आधार पर ही आरोपित किया जा सकता है।
- **अनुप्रयोग युक्तियुक्त निर्बंधन का एक भाग है-** इसे अनुच्छेद 19 (2) के तहत प्रदान किया गया है।
- **वास्तविक रूप से वाक् की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता है:** कोई भी व्यक्ति सरकार की आलोचना करने के लिए किसी भी प्रकार की कठोर भाषा का प्रयोग कर सकता है। इसके लिए उस पर राजद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, इस प्रकार के विरोध को देश को तोड़ने वाले किसी आह्वान में परिवर्तित नहीं होना चाहिए।
- **देश की एकता एवं अखंडता को खतरा-** राष्ट्रविरोधी तत्वों और विभाजनकारी बलों, जैसे नक्सलियों, अलगाववादियों की मौजूदगी (जिन्हें देश के अंदर तथा बाहर से समर्थन प्राप्त होता है) के कारण मौजूद खतरे से निपटने के लिए यह आवश्यक है।
- **केवल दुरुपयोग को निरसन का आधार नहीं माना जा सकता -** हालाँकि ऐसे प्रावधानों का निर्माण किया जाना चाहिए जिनके माध्यम से इसके दुरुपयोग को समाप्त किया जा सके।

धारा 124-A

- भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code: IPC) की धारा 124-A के अनुसार, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, अथवा दृश्यरुपण या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करना, या उत्पन्न करने का प्रयत्न करना, या अप्रीति प्रदीप्त करना अथवा प्रदीप्त करने का प्रयास करना राजद्रोह है।
- इस धारा के अनुसार राजद्रोह के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास या तीन वर्ष तक के कारावास, जिसमें जुर्माना जोड़ा जाएगा, से दंडित किया जा सकता है।
- हालिया लोकप्रिय मामले जिनमें राजद्रोह कानून का उपयोग किया गया था:
  - डॉ. बिनायक सेन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य
  - कन्हैया कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)
  - वी.ए. पुगलेंथी बनाम राज्य (तमिलनाडु)

VISION IAS

उच्चतम न्यायालय के विचार

- वर्ष 1962 में **केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य** वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारा 124-A की यथास्थिति को बरकरार रखते हुए कहा कि इसने मूलभूत अधिकारों एवं लोक व्यवस्था के मध्य 'उचित संतुलन' को बनाए रखा है।
- न्यायालय ने राजद्रोह कानून के दायरे को केवल उन्हीं मामलों तक सीमित कर दिया है, जिनमें राज्य के पतन हेतु हिंसक भावनाओं को बढ़ावा देना शामिल है।
- इसके अतिरिक्त न्यायालय ने माना कि राजद्रोह केवल वर्तमान सरकार के विरुद्ध ही नहीं, अपितु संस्थानों (राज्य के प्रतीक के रूप में) के विरुद्ध भी होता है।
- रोमेश थापर, कन्हैया कुमार जैसे विभिन्न वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार एक राजद्रोही कृत्य को पुनः परिभाषित किया गया तथा उसमें निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को सम्मिलित किया गया:
  - लोक व्यवस्था का विघटन,
  - कानून का उल्लंघन कर विधिपूर्वक स्थापित सरकार के पतन का प्रयत्न करना,
  - राज्य या जन सामान्य की सुरक्षा को खतरा पहुँचाना

विधि आयोग के विचार

- हालांकि यह राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा हेतु अत्यावश्यक है, इसका उपयोग वाक् की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाले एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। जीवंत लोकतंत्र के भाग के रूप में असहमति एवं आलोचना नीतिगत मुद्दों पर सुदृढ़ सार्वजनिक बहस करने हेतु आवश्यक तत्व हैं।
- अतः धारा 124-A को केवल उन्हीं मामलों में आरोपित किया जाना चाहिए जिनमें किसी कृत्य का उद्देश्य लोक व्यवस्था को बाधित करना अथवा हिंसा एवं अवैध तरीकों के माध्यम से वैधानिक सरकार को पदच्युत करना हो।

धारा 124-A के विपक्ष में तर्क

- **लोकतांत्रिक मानदंडों के विरुद्ध-** यह सरकार की आलोचना करने संबंधी लोगों के लोकतांत्रिक एवं मूलभूत अधिकार को सीमित करता है।
- **राज्य तंत्र की अपर्याप्त क्षमता-** इस प्रकार के "कठोर" प्रावधान को आरोपित करने के परिणामों को समझने के लिए पुलिसकर्मियों को "अपेक्षित" प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है।
- **दुरुपयोग की संभावना-** लोगों में व्याप्त असंतोष को रोकने के लिए इसका प्रयोग स्वेच्छाचारिता से किया जा सकता है। कई मामलों में मुख्य रूप से राजनीतिक मत के विरोधियों अथवा ऐसे लेखकों, पत्रकारों या कार्यकर्ताओं को लक्षित किया जाता है जो सरकारी नीतियों एवं परियोजनाओं पर प्रश्न उठाते हैं।
- **कानून की कठोर प्रकृति-** राजद्रोह अपराध गैर-जमानती, गैर-संज्ञेय है तथा इससे संबंधित दंड आजीवन कारावास तक हो सकता है- इस प्रकार इसका उपयोग न किए जाने पर भी असहमति की अभिव्यक्ति पर इसका कठोर निवारक प्रभाव पड़ सकता है।
- **प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग करना-** प्रेस को संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि यह सरकार की गोपनीयता को प्रकट कर सके एवं लोगों को जागरुक कर सके। केवल एक स्वतंत्र और दबाव रहित प्रेस ही प्रभावी रूप से सरकार के कपटपूर्ण कृत्यों को उजागर कर सकता है।

आगे की राह

- IPC में संशोधन द्वारा धारा 124-A में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को समाविष्ट किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को समाप्त किया जा सके। इस धारा में संशोधन के लिए 2015 में एक निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया गया था। विधेयक में यह सुझाव दिया गया था कि केवल उन्हीं कृत्यों/शब्दों को राजद्रोह के अपराध के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए जिनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हिंसक गतिविधि की जा रही हो या हिंसा को बढ़ावा मिल रहा हो।
- राज्य पुलिस को इस संदर्भ में पर्याप्त रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए कि इस धारा का उपयोग कहाँ किया जाए और कहाँ नहीं।
- सरकार द्वारा इस धारा के दुरुपयोग की स्थिति में उसे दण्डित करने संबंधी प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि IPC की धारा 124-A के तहत राज्य की सुरक्षा एवं निर्बाध कार्यप्रणाली तथा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के मध्य एक संतुलन बना रहे।

VISION IAS

1.4. न्यायाधीश एवं सेवानिवृत्ति-पश्चात का पद

(Judges and Post Retirement Positions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सेवानिवृत्ति-पश्चात की नौकरी करने से इनकार कर दिया, जिस कारण विवाद उत्पन्न हो गया।

न्यायाधीश को सेवानिवृति के पश्चात नौकरी क्यों करनी चाहिए?

- **वैधानिक ज्ञान:** न्यायाधीशों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण अनुभव एवं अंतर्दृष्टि प्राप्त की जाती है, जिसे सेवानिवृत्ति के पश्चात व्यर्थ नहीं किया जा सकता।
- **कोई प्रतिबंध नहीं:** भारत का संविधान उन पर सेवानिवृत्ति-पश्चात के पदों को स्वीकार करने संबंधी प्रतिबंध आरोपित नहीं करता है।
- **विधानों द्वारा शर्तों को निर्धारित किया जाता है:** सामान्यतः ये पद संवैधानिक या अर्द्ध-न्यायिक निकायों के होते हैं, जिनके नियमों द्वारा प्रायः यह अधिदेशित किया गया होता है कि केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही इन पदों को धारण कर सकते हैं।

संबंधित जानकारी

- विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया कि उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त 100 में से 70 न्यायाधीशों द्वारा अधिकरणों एवं आयोगों में पद धारण किये गये।
  - 1950 से अब तक भारत में 44 मुख्य न्यायाधीशों द्वारा सेवानिवृत्ति-पश्चात की नौकरियों को स्वीकार किया गया है।
  - 30 से अधिक न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर ही किसी न किसी पद पर नियुक्त कर दिया गया था। जबकि लगभग 7 न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त होने से पूर्व ही नियुक्त कर दिया गया था।

न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के पश्चात पद क्यों नहीं धारण करना चाहिए?

- **शक्तियों का पृथक्करण एवं न्यायिक स्वतंत्रता:** न्याय केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं होना चाहिए बल्कि व्यावहारिक रूप से दिखना भी चाहिए। इस संदर्भ में, सेवानिवृत्ति -पश्चात नौकरियों को स्वीकार करना तथा उनकी पेशकश करना उस संवैधानिक दूरी को समाप्त करता है जिसे कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य होना आवश्यक है। इससे पूर्वाग्रह की संभावना उत्पन्न हो जाती है। न्यायाधीशों द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के कुछ समय बाद ही या सेवानिवृत्ति से पूर्व ही पद धारण करने से न्यायिक स्वतंत्रता बाधित होती है।
- **हितों का टकराव-** न्यायाधिकरणों तथा संवैधानिक निकायों में पदों को धारण करने से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अधिकांश मामलों के अंतर्गत सरकार स्वयं वादी एवं नियुक्ति प्राधिकरण, दोनों के रूप में कार्य करती है। एम. सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग ने अनुशंसा की थी कि उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी सरकारी नौकरी को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- **न्यायपालिका का राजनीतिकरण:** सेवानिवृत्ति-पश्चात नौकरियों को स्वीकार कर नव सेवानिवृत्त न्यायाधीश विपक्ष की राजनीतिक आलोचना के पात्र बन जाते हैं। विपक्ष इन नियुक्तियों का उपयोग न्यायालय, न्यायिक प्रणाली तथा न्यायाधीशों द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए निर्णयों एवं आदेशों पर दोषारोपण करने के लिए करता है।

विश्व भर में प्रचलित प्रथाएं

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** सरकार एवं न्यायपालिका के मध्य हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न होने से बचने हेतु न्यायाधीशों को आजीवन सेवानिवृत नहीं किया जाता है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। हालांकि यू.के. का संविधान न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति-पश्चात नौकरियों को प्राप्त करने से वंचित नहीं करता है, परंतु अभी तक किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा नौकरी प्राप्त नहीं की गई है।

संतुलन स्थापित करने हेतु कौन-से कदम उठाए जाने चाहिए?

- **कूलिंग ऑफ पीरियड (अन्तराल) :** अधिकांश हितधारकों ने सुझाव दिया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यूनतम 2 वर्ष का अंतराल होना चाहिए।
- **सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करना:** कई अन्य देशों के विपरीत भारत में उच्चतर न्यायपालिका का न्यायाधीश तुलनात्मक रूप से कम आयु में ही सेवानिवृत्त हो जाता है, हालांकि वह आगे कई वर्षों तक उत्पादक कार्य करने में सक्षम होता है।

VISION IAS

- एक **कानून का निर्माण कर** एक आयोग का गठन (जिसमें यदि सभी सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश न हों तो कम से कम उनका बहुमत अवश्य हो), जो विभिन्न अधिकरणों एवं न्यायिक निकायों में सक्षम सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्तियां कर सके। यह व्यवस्था होने तक न्यायाधीश स्वयं उपयुक्त निर्देश प्रदान कर विधान-संबंधी इस रिक्तता को भर सकते हैं।
- **उन मौजूदा कानूनों में संशोधन** जो विभिन्न अधिकरणों और अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकायों जैसे- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) इत्यादि में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाते हैं।
- **एक पारदर्शी प्रक्रिया की परिकल्पना करना:** पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा ने सुझाव दिया था कि एक न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने से पूर्व, सरकार द्वारा उसे पेंशनभोगी होने या उसके मौजूदा वेतन को जारी रखने का विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए। यदि वे पेंशन के विकल्प का चयन करते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरियों का विकल्प नहीं देना चाहिए, परंतु यदि वे पूर्ण वेतन का विकल्प चुनते हैं तो उनके नाम को एक पैनल में शामिल कर लिया जाना चाहिए। किसी भी निकाय में रिक्ति होने पर इन व्यक्तियों पर विचार किया जा सकता है और इस प्रकार यह प्रक्रिया तुष्टिकरण, पक्षपात आदि के आरोपों से मुक्त हो जाती है।
- **संविधान में संशोधन करना:** अनुच्छेद 148 (CAG को सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य नौकरी करने से प्रतिबंधित करना) या अनुच्छेद 319 (UPSC के सदस्यों के लिए इसी प्रकार के प्रावधान) के समान प्रावधान को अन्तर्निहित करना।

2. अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध (International Relations)

2.1. भारत-सऊदी अरब सम्बन्ध

(India-Saudi Arabia Relations)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 3 देशों (जिसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल थे) के अपने दौरे के एक भाग के रूप में भारत की यात्रा की।

सऊदी अरब का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा**
  - सऊदी अरब भारत के कच्चे तेल (कुल आयात का ~ 19%) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। भारत अपनी LPG आवश्यकताओं का भी लगभग 32% सऊदी अरब से प्राप्त करता है।
  - हाल ही में सऊदी अरब की मुख्य तेल कंपनी ARAMCO ने (संयुक्त अरब अमीरात की ADNOC के साथ) रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रो-केमिकल प्रोजेक्ट लिमिटेड (44 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का) के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाया है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त उद्यम माना जा रहा है।
- **द्विपक्षीय व्यापार और निवेश**
  - कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत सऊदी अरब का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और सऊदी निर्यात का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। इसके साथ ही दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के FDI में भी निवेश किया है।
  - दोनों देशों ने 2006 में द्विपक्षीय निवेश संरक्षण और संवर्द्धन समझौते तथा दोहरे कराधान से बचाव के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
- **भारतीय कामगारों के अधिकार**
  - पश्चिम एशिया में काम करने वाले 11 मिलियन भारतीयों में से लगभग 3 मिलियन सऊदी अरब में हैं।
  - भारत इस देश से विदेशी विप्रेषण (लगभग 11 बिलियन डॉलर वार्षिक) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
- **रणनीतिक सहयोग**
  - दिल्ली घोषणापत्र (2006) ने आतंकवाद पर सहयोग की आधारशिला रखी जबकि रियाद घोषणा (2010) ने रणनीतिक साझेदारी के स्तर को बढ़ावा दिया तथा अंतरिक्ष और ऊर्जा सहयोग को शामिल करने के लिए संबंधों को विविधता प्रदान की है।
  - हाल ही में वैश्विक मंदी के कारण तेल की कीमतों में गिरावट आई है और इसके परिणामस्वरूप, सऊदी घाटे को देखते हुए तेल से परे जाते हुए विविधीकरण और गतिविधियों की आवश्यकता है। इसने भारत के लिए सऊदी में अपनी रणनीतिक उपस्थिति और आउटरीच को सुदृढ़ करने के अवसर उत्पन्न किए हैं, जैसे- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग।
  - प्रमुख निवेशकों में से एक होने के कारण सऊदी अरब पाकिस्तान को अपनी भारत विरोधी विदेश नीति को त्यागने के लिए विवश कर सकता है।
- **सुरक्षा संबंध**
  - हाल के वर्षों में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक सुरक्षा आयाम भी जुड़ गया है और दोनों देश आतंकवाद-रोधी गतिविधियों तथा खूफिया सूचनाओं में सहयोग बढ़ाने की ओर आगे बढ़े हैं।
  - रियाद ने कई संदिग्ध आतंकी भारत को प्रत्यर्पित भी किए हैं।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध**
  - भारत में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या (इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद) निवास करती है। इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों (मक्का और मदीना) का संरक्षक होने के कारण सऊदी अरब भारत की रणनीतिक गणना में महत्वपूर्ण हो जाता है।
  - सऊदी अरब प्रत्येक वर्ष लगभग 1,75,000 से अधिक भारतीयों को हज यात्रा की सुविधा प्रदान करता है।

भारत-सऊदी अरब संबंधों में चुनौतियां

- **सऊदी - पाकिस्तान संबंध:** पाकिस्तान सऊदी अरब का एक "ऐतिहासिक सहयोगी" है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से स्वच्छंद सैन्य और राजनीतिक समर्थन से सऊदी अरब को लाभ प्राप्त होता है जबकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था में सऊदी अरब द्वारा दिए गए धन से लाभ प्राप्त करता है। साथ ही दोनों देशों के सम्बन्ध साझा धार्मिक जुड़ाव से भी प्रेरित हैं।
- **आतंकवाद को वैचारिक समर्थन:** सऊदी अरब के धन पर सम्पूर्ण विश्व में वहाबी इस्लामी समूहों के वित्तपोषण का आरोप लगाया जाता है। यह धन अंततः भारत और ईरान के विरुद्ध सक्रिय आतंकवादी समूहों को भी प्राप्त होता है। कई चरमपंथी संगठन इस्लाम की वहाबी शाखा से प्रेरित हैं।

VISION IAS

- **सऊदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता:** सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता पश्चिम एशिया को अस्थिर कर रही है और पश्चिम एशियाई भू-राजनीति को प्रभावित कर रही है। ईरान में अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारत को दोनों देशों के मध्य संबंधों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।
- **पश्चिम एशिया में सऊदी अरब की आक्रामक विदेश नीति:** यह क्षेत्रीय स्थिरता को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रही है, जो इस क्षेत्र में भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
  - सीरिया में विद्रोहियों के लिए सऊदी समर्थन ने शासन को अस्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे इस्लामिक स्टेट का उदय हुआ।
  - यमन में युद्ध ने अराजकता और एक मानवीय त्रासदी को उत्पन्न किया है, जिससे कट्टरपंथ के उदय की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- **द्विपक्षीय मुद्दे:** सऊदी अरब में भारतीय ब्लू कॉलर मजदूरों के लिए काम करने की स्थिति एक प्रमुख द्विपक्षीय चिंता का विषय रही है। प्रतिबंधित वीजा और भर्ती संबंधी नीतियां, कड़े श्रम कानून, मानवाधिकारों का अभाव और न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान न होने के कारण भारतीय श्रमिकों के शोषण के कई मामले सामने आए हैं।
  - 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, सऊदी अरब ने कई श्रम सुधारों की घोषणा की, जैसे- घरेलू कामगारों के लिए एक एकीकृत मानक अनुबंध, महिला घरेलू कामगारों के लिए दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, श्रम वर्गीकरण के लिए नया प्रारूप आदि।

आगे की राह

- चूंकि सऊदी अरब अपनी अतिरूढ़िवादी छवि से निकलने और अधिक खुली तथा उदारवादी अर्थव्यवस्था और समाज में समान रूप से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है अतः **भारत को इसके एक प्रमुख सहयोगी और बाजार के रूप में देखा जा रहा है।**
- सऊदी अरब ने भारत की पहचान उन आठ रणनीतिक साझेदारों में से एक के रूप में की है जिसके साथ वह राजनीतिक जुड़ाव, सुरक्षा, व्यापार और निवेश एवं संस्कृति के क्षेत्रों में साझेदारी को गहन बनाना चाहता है। इस संबंध के भाग के रूप में दोनों पक्ष मंत्रिस्तरीय स्तर पर एक **रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना** को अंतिम रूप प्रदान कर रहे हैं।
- **भारत को पश्चिम एशिया में संतुलनपूर्ण गतिविधियों को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता** है, जो इसके लिए सऊदी अरब, ईरान और इजरायल (इस क्षेत्र में शक्ति के तीन ध्रुव, जो लगातार एक दूसरे के साथ द्वंद्व की स्थिति में हैं) के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना संभव बनाती हैं।
- साथ ही साथ, **क्षेत्रीय अवरोधों और संघर्षों से दूरी बनाए रखने के माध्यम से भारत** इस क्षेत्र में अपने आर्थिक और भू-रणनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकेगा।

2.2. चाबहार बंदरगाह

(Chabahar Port)

सुर्खियों में क्यों?

अफगानिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत को निर्यात आरम्भ कर दिया है।

भारत-अफगानिस्तान संबंधों में चाबहार बंदरगाह की प्रासंगिकता

- **द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा:** ईरान में बंदरगाह एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम कर सकता है।
  - अफगानिस्तान से भारत को निर्यात किए जाने वाले शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों (जैसे फल और सब्जियां) और ड्राई फ्रूट्स को भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर **लंबे कस्टम क्लीयरेंस टाइम** का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान **अफगान ट्रकों को भारत से माल वापस ले जाने** की अनुमति प्रदान नहीं करता है। चाबहार बंदरगाह दोनों देशों को भूबद्ध व्यापार की इस सीमा से मुक्त होने में सहायता कर सकता है।
  - बंदरगाह पर लाए गए माल को सुगमता से अफगान सीमा तक पहुँचाया जा सकता है और **जरांज-डेलाराम राजमार्ग** के माध्यम से अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में वितरित किया जा सकता है।
  - भारत चाबहार बंदरगाह के **माध्यम से मध्य अफगानिस्तान** में **हाजीगक खानों** से निष्कर्षित लौह अयस्क का निर्यात कर सकता है।
- **पाकिस्तान के प्रभाव को कम करना:** अफगानिस्तान ऐतिहासिक रूप से अरब सागर से समुद्री व्यापार तक पहुंचने के लिए पाकिस्तानी क्षेत्र पर निर्भर रहा है, जो काबुल के साथ अधिकांश व्यापार पर इस्लामाबाद को एकाधिकार प्रदान करता है और अफगानिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। चाबहार बन्दरगाह, कराची बन्दरगाह पर अफगानिस्तान की निर्भरता को कम करता है और भारत को अफगानिस्तान में **पाकिस्तान के प्रभाव को नियंत्रित करने में सहायता कर सकता है।**
- **अफगानिस्तान का क्षेत्रीय एकीकरण:** भारत का मानना है कि क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि सभी हितधारकों को अफगानिस्तान को प्रतिस्पर्द्धा के बजाय सहयोग के क्षेत्र के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करेगी, परिणामस्वरूप अफगानिस्तान में स्थिरता को भी बढ़ावा मिल सकता है।

- **मध्य एशिया तक पहुंच:** भारत मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) के उत्तर में अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए एक आधार के रूप में अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति का उपयोग कर सकता है। उज्बेकिस्तान से जुड़ने के लिए जरांज-डेलाराम राजमार्ग का विस्तार करने की भारत की योजना को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

अफगानिस्तान के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए की गई अन्य पहलें

- **भारत-अफगानिस्तान हवाई गलियारा:**
    - विदेशी व्यापार के लिए कराची बंदरगाह पर निर्भरता को कम करने के लिए हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2016 में भारत और अफगानिस्तान के बीच रियायती एयर कार्गो सुविधाओं की घोषणा की गई।
    - किन्तु, यह व्यवस्था अभी भी लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना कर रही है जैसे - एयर कार्गो विमानों का अभाव आदि।
- **अफगानिस्तान-पाकिस्तान व्यापार और पारगमन समझौता (APTTA):**
    - इस समझौते के तहत अफगानिस्तान से आरंभ होने वाले माल को वाघा तक पारगमन की अनुमति दी जाएगी और बदले में अफगानिस्तान पाकिस्तान को मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) के लिए पारगमन मार्ग की अनुमति प्रदान करेगा।
    - किन्तु भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव और देशों द्वारा व्यक्तिगत वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रयासों के कारण APTTA पर प्रगति धीमी हो गई है-
        - भारत पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए चाबहार बंदरगाह पर काम कर रहा है।
        - एक बार CPEC गलियारे के तैयार होने के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र के माध्यम से पाकिस्तान चीन से जुड़ जाएगा।
        - चीन के यिकू को अफगानिस्तान में मजार-ए-शरीफ से जोड़ने वाली रेल के साथ चीन की OBOR पहल में अफगानिस्तान अपनी स्थिति को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सुदृढ़ कर रहा है।
- **अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):**
    - हालांकि अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं है किन्तु INSTC चाबहार से जरांज और डेलाराम के माध्यम से अफगानिस्तान के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।
    - हाल ही में भारत ने INSTC के तेजी से कार्यान्वयन के लिए रूस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। रूसी रेलवे लॉजिस्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (RZD) और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) ने INCS पर लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)

- यह एक मल्टी मोडल परिवहन गलियारा है जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में **संस्थापक सदस्यों के रूप में ईरान, रूस और भारत के हस्ताक्षर के साथ की गई थी।**
- इसका विस्तार करने के लिए इसमें 11 नए सदस्यों को शामिल किया गया, ये हैं: अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाखिस्तान, किर्गिस्तान,

ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और बुल्गारिया।

- इसका उद्देश्य **भारत को समुद्री मार्ग से ईरान से और फिर ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से होते हुए मध्य एशिया से जोड़ना है।**

2.3. जेनेवा कन्वेंशन 1949

(Geneva Convention 1949)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तान सरकार पर भारतीय वायु सेना के पायलट (जिसे मिग-21 फाइटर जेट के क्रैश हो जाने के बाद पाक-अधिकृत कश्मीर में हिरासत में ले लिया गया था) के साथ किए गये व्यवहार के लिए जेनेवा कन्वेंशन के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

जेनेवा कन्वेंशन क्या है?

- **जेनेवा कन्वेंशन और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल** आधुनिक अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों के आधार का निर्माण करते हैं। यह कन्वेंशन निर्धारित करता है कि युद्ध के दौरान सैनिकों और नागरिकों का उपचार किस प्रकार किया जाना चाहिए।
- यद्यपि इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए 1949 में अपनाया गया था तथापि **चारों जेनेवा कन्वेंशन** सशस्त्र संघर्षों पर आज भी लागू होते हैं।
- बाद में नियमों का विस्तार करने वाले **तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल** भी अपनाए गए।
- **सभी देशों द्वारा इन कन्वेंशनों की अभिपुष्टि की गई** है और ये सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं।
- कोई भी राष्ट्र जिसने जेनेवा कन्वेंशनों की अभिपुष्टि की है (किन्तु प्रोटोकॉल की नहीं) अभी भी कन्वेंशनों के सभी प्रावधानों से बंधा हुआ है।
- जेनेवा कन्वेंशन के प्रावधान **शांतिकाल, घोषित युद्ध और यहाँ तक कि उन सशस्त्र संघर्षों में भी लागू होते हैं** जिन्हें एक या अधिक पक्षों द्वारा युद्ध के रूप में मान्यता न दी गई हो।
- इनमें **"गंभीर उल्लंघनों" के लिए बनाए गए** कठोर नियम शामिल हैं।
- जेनेवा सम्मेलनों के तहत अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का अधिदेश अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) को प्रदान किया गया है।

जेनेवा कन्वेंशन

- **कन्वेंशन I:** यह कन्वेंशन घायल और संक्रमित सैनिकों की उत्पीड़न से रक्षा करता है। साथ ही सम्मेलन में अत्याचार, व्यक्तिगत गरिमा पर हमला और न्यायिक निर्णय के बिना दंड देने पर भी प्रतिबंध है। यह उचित चिकित्सा उपचार और देखभाल का अधिकार भी प्रदान करता है।
- **कन्वेंशन II:** इस समझौते द्वारा पहले सम्मेलन में वर्णित सुरक्षा उपायों को **जलपोत सैनिकों और अन्य नौसेना बलों तक** विस्तारित किया गया, साथ ही इसमें अस्पताल के रूप में कार्य करने वाले जहाजों के लिए विशेष सुरक्षा खर्च भी शामिल थे।
- **कन्वेंशन III:** इसने **'प्रिजनर ऑफ वॉर (युद्ध बंदी)'** को परिभाषित किया और उन्हें पहले सम्मेलन द्वारा निर्दिष्ट उचित और मानवीय उपचार प्रदान किये जाने का प्रावधान किया।
    - इसमें कहा गया है कि PoW (युद्धबंदी) को अपमान और सार्वजनिक जिज्ञासा के साथ-साथ हिंसा या धमकी के कार्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाना होगा। संभव है कि इस संदर्भ में पाकिस्तान ने इन संधियों का उल्लंघन किया हो क्योंकि उनके सैन्य प्रवक्ता ने कैद किए गए IAF पायलट की एक तस्वीर को ट्वीट किया था।

- ICRC के अनुसार "PoWs" सामान्यतः युद्ध अथवा संघर्ष में शामिल किसी एक पक्ष (देश या देशों के एकीकृत समूह) के सशस्त्र बलों के वे सदस्य होते हैं जो प्रतिद्वंदी के हाथों में आ जाते हैं।" ICRC सैन्य और नागरिक, दोनों प्रकार के कैदियों की देखभाल करता है।

- **कन्वेंशन IV:** इस कन्वेंशन के तहत **नागरिकों को भी समान सुरक्षा प्रदान की गई है।**

प्रोटोकॉल

- **प्रोटोकॉल I अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों** के दौरान नागरिक जनसंख्या के साथ-साथ सैन्य और नागरिक चिकित्सा श्रमिकों के लिए सुरक्षा का विस्तार करता है।
- **प्रोटोकॉल II** गृहयुद्ध जैसे **उच्च तीव्रता वाले आंतरिक संघर्षों** में पकड़े गए पीड़ितों के लिए सुरक्षा को विस्तृत करता है। यह गैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों की स्थितियों के लिए विशेष रूप से समर्पित पहली अंतरराष्ट्रीय संधि थी।
  - यह दंगों, प्रदर्शनों और हिंसा की छिटपुट घटनाओं जैसी आंतरिक अशांति पर लागू नहीं होता है।
- **तीसरा अतिरिक्त प्रोटोकॉल:** इसके तहत एक विशिष्ट प्रतीक **'रेड क्रिस्टल'** को अपनाया गया था जिसे रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट प्रतीकों के समान अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। इनमें से किसी भी सुरक्षात्मक प्रतीक को प्रदर्शित करने वाले लोग एक मानवीय सेवा कर रहे हैं और इन्हें संघर्ष के सभी पक्षों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रॉस आंदोलन

- यह एक मानवीय आंदोलन है जिसमें विश्व भर में लगभग 17 मिलियन स्वयंसेवक शामिल हैं।
- इसमें विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं जिनका उद्देश्य साझा है किन्तु वे कानूनी रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति:** 1863 में स्थापित ICRC सम्पूर्ण विश्व में संचालित है। इसका उद्देश्य संघर्ष और सशस्त्र हिंसा से प्रभावित लोगों की सहायता करना और युद्ध पीड़ितों की रक्षा करने वाले कानूनों को बढ़ावा देना है। यह स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है।
- **इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ़ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़:** इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। यह विश्व भर में 190 राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ के मध्य गतिविधियों का समन्वय करती है।
- **नेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसायटीज़:** वर्तमान में इनमें से 190 अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
- अंतरराष्ट्रीय महासंघ और इसकी राष्ट्रीय समितियों का सामूहिक ध्यान निम्नलिखित चार लक्ष्यों को प्राप्त करने पर है:
  - लक्ष्य 1: आपदाओं से होने वाली मौतों, चोटों और प्रभावों की संख्या को कम करना।
  - लक्ष्य 2: बीमारियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से होने वाली मौतों, बीमारियों और प्रभावों की संख्या को कम करना।
  - लक्ष्य 3: सुभेद्यता की सबसे आवश्यक स्थितियों को संबोधित करने के लिए स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज और रेड क्रॉस/रेड क्रीसेंट की क्षमता को बढ़ाना।
  - लक्ष्य 4: विविधता और मानव गरिमा के लिए सम्मान को बढ़ावा देना और असहिष्णुता, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को कम करना।

गंभीर उल्लंघन (Grave Breaches)

- इसमें निम्नलिखित में से कोई भी कार्य शामिल है, यदि वह कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध किया गया हो:
  - जैविक प्रयोगों सहित हत्या, यातना या अमानवीय व्यवहार,
  - शरीर या स्वास्थ्य को गंभीर रूप से पीड़ित करना या जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना
  - व्यापक विध्वंस और संपत्ति की ज़ब्ती, जिसे सैन्य आवश्यकता के आधार पर उचित न ठहराया जा सकता हो और जिसे अवैधानिक और निर्दयतापूर्ण ढंग से संचालित किया गया हो।
- गंभीर उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी की तलाश की जानी चाहिए या उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए या उसका प्रत्यर्पण (चाहे वह किसी भी देश का नागरिक क्यों न हो) किया जाना चाहिए।

2.4. मॉरीशस के विउपनिवेशीकरण पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का मत

(ICJ on Decolonization of Mauritius)

सुर्खियों में क्यों?

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने एक सलाहकारी राय के रूप में मॉरीशस के विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ब्रिटेन को चागोस द्वीप समूह उसे सौंपना के लिए कहा है।

VISION IAS

अन्य संबन्धित तथ्य

- ब्रिटिश सरकार ने इस राय को खारिज कर दिया क्योंकि उसका तर्क था कि ICJ के पास इस मामले पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।
- ब्रिटेन के अनुसार मॉरीशस सरकार द्वारा सलाहकार राय के लिए अनुरोध एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की अवहेलना करता है कि **'एक राज्य (राष्ट्र) अपने द्विपक्षीय विवादों को अपनी सहमति के बिना न्यायिक निपटान के लिए प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं है।'**
- मॉरीशस ने दृढ़ता से कहा है कि ब्रिटेन का चगोसियाइयों (अफ्रीकी जनजाति) की वापसी के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने और डिएगो गार्सिया (जो कि चागोस द्वीप समूह में से एक है) पर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे की लीज को नवीनीकृत करने का एकपक्षीय निर्णय अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है।
- मॉरीशस ने 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ब्रिटेन को चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता के विवाद में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। भारत ने इसका समर्थन किया था।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court Justice: ICJ) के बारे में

- यह 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जिसको परमानेंट कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (राष्ट्र संघ के तहत स्थापित) के स्थान पर स्थापित किया गया था।
- यह न्यायालय दो प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है:
  - **विवादास्पद मामले -** इसमें राष्ट्रों के मध्य के वे कानूनी विवाद शामिल हैं जो उनके द्वारा निपटान हेतु इसके समक्ष प्रस्तुत किये गये हों। केवल राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र के सदस्य और अन्य राष्ट्र जो न्यायालय के क़ानून के पक्षकार बन गए हैं या जिन्होंने कुछ शर्तों के तहत इसके क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया है) विवादास्पद मामलों में पक्षकार हो सकते हैं।
  - **सलाहकारी या परामर्शी कार्यवाही** - इसमें निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा किये गये परामर्श सम्बन्धी अनुरोध शामिल हैं। निर्णयों के विपरीत, न्यायालय का सलाहकारी मत बाध्यकारी नहीं है।
- इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों या निजी समूहों के आवेदनों के संबंध में नहीं है और यह केवल राष्ट्रों के अधिकारों और दायित्वों पर लागू होता है।
- इसमें **15 न्यायाधीश** सम्मिलित होते हैं, जो **9 वर्ष के कार्यकाल** के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित होते हैं। निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए **प्रत्येक 3 वर्ष में पांच न्यायाधीश निर्वाचित** किए जाते हैं।
- इसका मुख्यालय पीस पैलेस, **हेग, नीदरलैंड** में है और भारत ICJ का संस्थापक सदस्य है।

ICJ का महत्व

- **अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता पर प्रभाव:** इसके निर्णयों से राष्ट्रों पर एक नैतिक दबाव बना रहता है क्योंकि उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति का अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने के संदर्भ में राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही किसी भी संधि या समझौते में प्रवेश करते समय यह राष्ट्रों की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए - पाकिस्तान कुलभूषण जाधव की फांसी को रोकने के ICJ के प्रारंभिक आदेश की अनदेखी नहीं कर सका।
- **अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर प्रभाव:** न्यायालय का सलाहकार कार्य निवारक कूटनीति का एक प्रभावी साधन है और यह मौजूदा विवादों का समाधान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उदाहरण के लिए- ICJ को नरसंहार कन्वेंशन मामले में प्रतिबंधों पर एक सलाहकारी मत और परमाणु हथियार मामले के खतरे या उपयोग की वैधता पर अपना मत देने के लिए कहा गया था। इन मतों ने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण विधियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- **वैश्विक भूगोल और राष्ट्रीय संप्रभुता में योगदान:** आंकड़े दर्शाते हैं कि जो राष्ट्र अपने विवादों को ICJ में ले जाने के लिए सहमत होते हैं, वे इनका समाधान खोजने में सफल होते हैं। यद्यपि कई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय विद्यमान हैं जो अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटान करते हैं तथापि कोई भी न्यायालय विशेष रूप से भौगोलिक और संप्रभुता संबंधी मुद्दों में विशेषज्ञ नहीं है। इस संदर्भ में, ICJ विशेष समझौतों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कानून के संबंध में उल्लेखनीय योगदान देता है।
- **कमजोर राष्ट्रों के लिए मंच:** एक ऐसा राष्ट्र जिसकी आर्थिक और सैन्य स्थिति बेहतर नहीं है या जिसकी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है, वह ICJ से सहायता प्राप्त कर सकता है।

ICJ की सीमाएं

- **न्यायालय की संरचना:** ICJ में 15 न्यायाधीशों का एक न्यायिक पैनल होता है, जिसका वितरण क्षेत्रों पर आधारित होता है। पंद्रह न्यायाधीशों के बीच 191 देशों के लिए प्रतिनिधित्व का विभाजन असाधारण है। इसके अतिरिक्त, आंकड़े दर्शाते हैं कि 90% अवसरों पर न्यायाधीश अपने ही देश के पक्ष में मतदान करते हैं जो न्यायालय की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए- वर्तमान मॉरीशस मामले में असहमति वाला एकमात्र वोट एक अमेरिकी न्यायाधीश का था।

- **क्षेत्राधिकार:** ICJ का क्षेत्राधिकार सीमित है क्योंकि यह केवल विशेष समझौतों के मामलों को या किसी संधि द्वारा अधिकृत मामलों को या उन राष्ट्रों के बीच के मामलों को सम्मिलित करता है जो स्वयं को अदालत के अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अधीन घोषित करते हैं।
- **अनुपालन और प्रवर्तन का अभाव:** न्यायालय में अपने निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष शक्तियां निहित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, UNSC के स्थायी पांच सदस्यों को प्राप्त वीटो की अनन्य शक्ति ICJ के निर्णयों को लागू करना कठिन बना देती है और कुछ राष्ट्रों को दूसरों की तुलना में निर्णयों पर अधिक प्रभाव प्रदान करती है। उदाहरण के लिए- निकारागुआ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (1986) मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ICJ के निर्णय को वीटो कर दिया गया था।

विउपनिवेशीकरण की स्थिति का संक्षिप्त परिचय

- जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो विश्व की जनसंख्या के लगभग एक तिहाई (लगभग 750 मिलियन लोग) उन क्षेत्रों में रहते थे जो औपनिवेशिक शक्तियों पर निर्भर थे।
- विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के आगे बढ़ते रहने के साथ ही 1960 में **महासभा ने औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने की अपनी ऐतिहासिक घोषणा को अपनाया।**
- घोषणा ने **सभी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार** की पुष्टि की और उद्घोषित किया कि उपनिवेशवाद को त्वरित रूप से और बिना शर्त के समाप्त किया जाना चाहिए।
- दो वर्ष बाद इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विउपनिवेशीकरण पर एक विशेष समिति की स्थापना की गई, जो वर्तमान में शेष 16 गैर-स्वशासित प्रदेशों में स्थिति की निगरानी करती है।
- गैर-स्वशासित प्रदेशों को प्रशासित करने वाले देशों को **प्रशासकीय शक्तियाँ** कहा जाता है।

2.5. इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि

(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिका (और तत्पश्चात रूस) ने इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF) संधि के तहत अपने दायित्वों को निलंबित कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- USSR के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक **कॉम्प्रिहेंसिव इंटरमीडिएट-रेंज मिसाइल एलिमिनेशन एग्रीमेंट** पर हस्ताक्षर किये थे, जिसकी परिणति 1987 में INF संधि के रूप में हुई थी।
- **2013 से ही रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते रहे हैं।**
- अक्टूबर 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने **INF संधि से पीछे हटने के अपने मंतव्य की घोषणा कर दी।**

INF संधि क्या है?

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य एक **हथियार नियंत्रण संधि** है जो दोनों देशों को 500 से 5500 किलोमीटर के मध्य की मारक क्षमता वाली किसी भी सतह-आधारित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को विकसित, उत्पादित, रखने या तैनात करने से प्रतिबंधित करती है। हालांकि इसने समान मारक क्षमता वाली हवा से प्रक्षेपित और समुद्र आधारित मिसाइल प्रणालियों को छूट प्रदान की है।
- इसके अधिदेश के अनुसार सहमत दलों को संधि पर हस्ताक्षर करने के तीन वर्ष के भीतर ऐसे सभी मौजूदा हथियारों को नष्ट करना होगा। साथ ही इसने **यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी पक्ष छह माह के नोटिस के पश्चात् संधि से बाहर हो सकता है।**
- इसने एक **व्यापक निरीक्षण प्रोटोकॉल** तैयार किया है, जिससे प्रत्येक पक्ष एक-दूसरे के हथियारों को नष्ट करने की प्रक्रिया का निरीक्षण और निगरानी कर सकता है।
- रूस और पूर्व USSR के उत्तराधिकारी राज्यों को शामिल करने के लिए **1991 में संधि का विस्तार किया गया था।**
- हालांकि यह अमेरिका और USSR के बीच एक द्विपक्षीय समझौता था जिसने **अन्य परमाणु हथियार शक्तियों को सतह आधारित इंटरमीडिएट-रेंज मिसाइल विकसित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था।** इसके पश्चात् अपनी हथियार शक्ति का विस्तार करने वाले विभिन्न देशों में से चीन भी एक था, जो अमेरिका के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय बन गया है।

संधि का महत्व

- इसने शीत युद्ध के दौर में **यूरोप में एक आसन्न परमाणु युद्ध की आशंकाओं को संबोधित** करने में मदद की तथा वाशिंगटन और मॉस्को के मध्य विश्वास निर्माण में योगदान करते हुए **शीत युद्ध की समाप्ति में सहयोग दिया।**
- वर्तमान विश्व में **परमाणु युद्ध का खतरा** (विशेष रूप से दुर्घटना या गलतफहमी के माध्यम से) असहनीय रूप से उच्च बना हुआ है। ऐसे में दो सबसे बड़े परमाणु सक्षम राज्यों पर निरीक्षण रखने वाली इस संधि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत के लिए चिंता

- इससे नए हथियारों की दौड़ प्रारम्भ हो सकती है।
- जैसे-जैसे रूस के साथ अमेरिकी संघर्ष गहन होता जाएगा, भारत की रूस और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उन्नत सैन्य प्रणालियों पर साझेदारी समीक्षा और दबाव के अधीन होती जाएगी।

VISION IAS

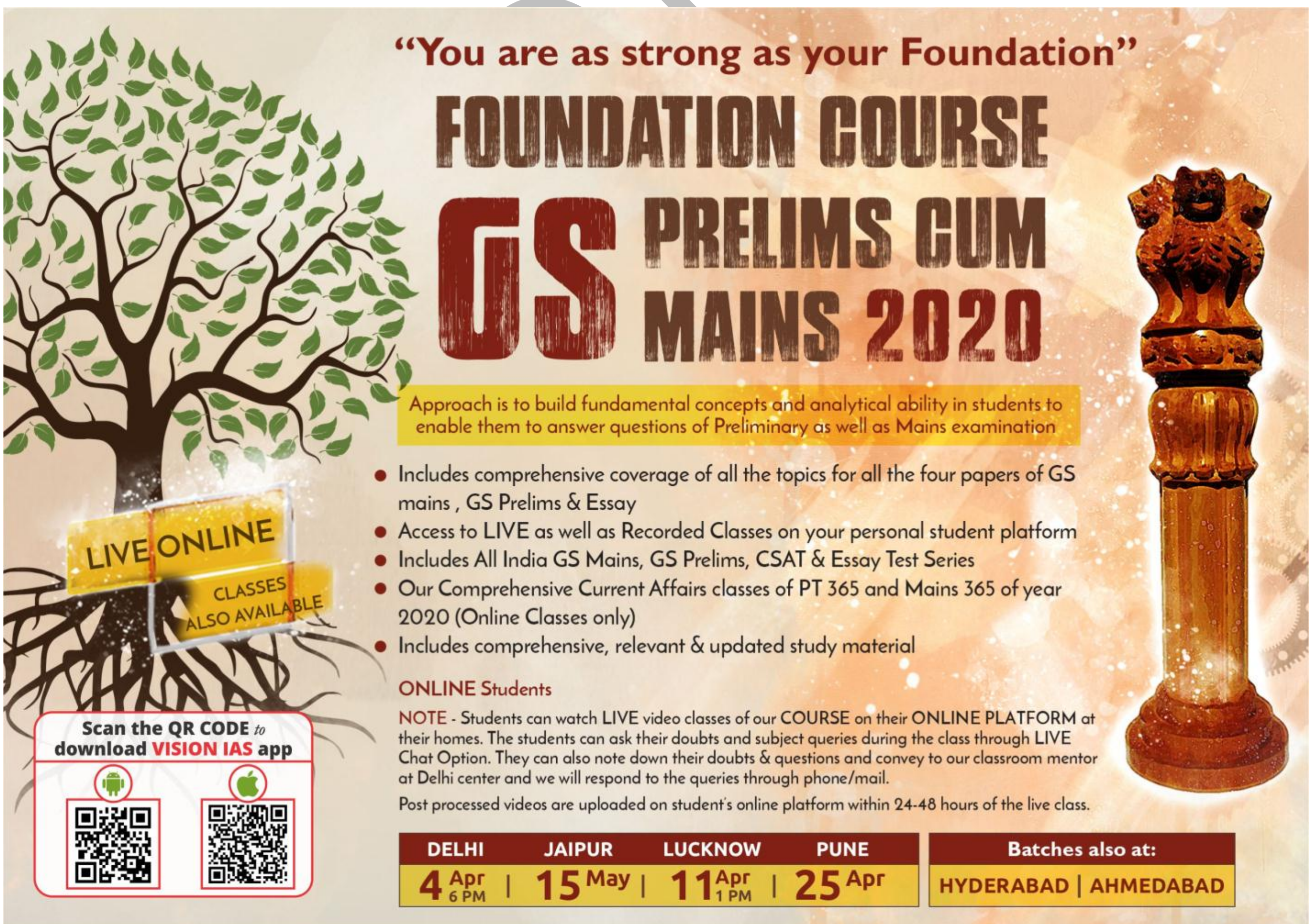

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

[Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)]

सुर्खियों में क्यों?

2019-20 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने **प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)** के शुभारंभ की घोषणा की।

पी.एम. किसान (PM-KISAN) योजना के बारे में

उद्देश्य:

- कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले सभी लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को **आय सहायता** प्रदान करना।
- अनुमानित कृषि आय के अनुरूप, बेहतर फसल और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कृषि संबंधी इनपुट्स (आदानों) को खरीदने में **किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरकता प्रदान करना।**

लघु एवं सीमांत भूमिधारक किसान की परिभाषा

- एक लघु एवं सीमांत भूमिधारक किसान परिवार "पति, पत्नी और अवयस्क बच्चों को सम्मिलित करने वाला वैसा परिवार है जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भू-अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि का संयुक्त रूप से स्वामित्व धारण करता हो।"
- लाभ के परिकलन हेतु लाभार्थियों की पहचान के लिए वर्तमान भूमि स्वामित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा।

लाभ: इस योजना के अंतर्गत, देश भर के सभी लघु एवं सीमांत भूमिधारक किसान परिवारों को निम्नलिखित वित्तीय लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे:

- **2 हेक्टेयर तक** कुल कृषियोग्य भूमि जोत वाले किसान परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष रु. **6,000 का लाभ** प्रदान किया जाएगा। यह लाभ तीन समान किस्तों में देय होगा जो प्रत्येक चार माह में प्रदान की जाएंगी।
- पात्रता निर्धारित करने के लिए एकल परिवार द्वारा धारित **कई भूमि खंडों** (चाहे प्रत्येक 2 हेक्टेयर से कम हो) को समग्र रूप से एक माना जाएगा।
- **यहां तक कि 10 हेक्टेयर से बड़ी जोतें** भी, यदि कई परिवारों के स्वामित्व में हों तो वे इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र होंगे (जैसे- यदि पांच भाई संयुक्त रूप से 10 हेक्टेयर की एक जोत के स्वामी हैं, तो उनमें से प्रत्येक योजना के लिए पात्र होगा)।
- योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र भूमिधारक किसान परिवार की पहचान करने का उत्तरदायित्व **राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का होगा।**
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए **ग्राम स्तर पर** पात्र लाभार्थियों की सूचियाँ प्रकाशित की जाएँगी।
- **अपवर्जन: उच्च आर्थिक स्थिति** वाले लाभार्थियों की कुछ श्रेणियाँ, जैसे- संस्थागत भूमि धारक, पूर्व और वर्तमान संवैधानिक पद धारक, विगत वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति आदि इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगें।
  - अपवर्जन के उद्देश्य से **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार लाभार्थियों द्वारा की गयी स्व-घोषणा के आधार पर** लाभार्थी की पात्रता को **प्रमाणित कर सकती** है।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए एक **समर्पित पी.एम. किसान पोर्टल** लॉन्च किया जाएगा।
- यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और इसे पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।**

आवश्यकता क्यों?

कृषि क्षेत्रक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50% से अधिक कार्यबल संलग्न है और यह क्षेत्रक 70% से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत भी है। इस प्रकार, भारत में कृषि का संधारणीय कायाकल्प किये बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है।

- **स्थिर कृषि आय:** भारतीय कृषि क्षेत्रक को सामान्यतया स्थिर और अनिश्चित कृषि आय के साथ संबद्ध कर देखा जाता है।
  - नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1993-94 और 2015-16 के मध्य, प्रति कृषक आय में मात्र 3.4% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है।
  - किसानों की वास्तविक आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 2015-16 और 2022-23 के मध्य इसमें 10.4% की दर से वार्षिक वृद्धि आवश्यक है। ऐसे में बिना किसी पूरक समर्थन के यह लक्ष्य प्राप्त करना लगभग असंभव है।
- **उच्च ऋणग्रस्तता:** भारत में आधे से अधिक कृषि परिवार ऋणग्रस्त हैं, जिनका औसत ऋण 47,000 रुपये है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के 2014 के एक रिपोर्ट के अनुसार किसान की औसत आय लगभग 3,081 रुपये प्रति माह थी।

VISION IAS

- **ग्रामीण संकट और किसान आत्महत्याएँ:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की एक रिपोर्ट (2015) के अनुसार, वर्ष 2015 में 8,000 से अधिक किसानों और 4,500 कृषि मजदूरों द्वारा आत्महत्या की गयी।
- **आपूर्ति पक्ष संबंधी बाधाएं:** घरेलू बाजार में नियमनों (उदाहरण के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आरोपित भण्डारण सीमाओं), निर्यात बाजार संबंधी प्रतिबंधों एवं संकटग्रस्त अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के कारण किसान अपनी उपज के लिए, विशेषकर गैर-न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली फसलों के लिए, लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
- **सार्वजनिक अशांति में वृद्धि:** 2018 में, किसानों द्वारा देशभर में 13 व्यापक विरोध प्रदर्शन किए गए, जिसने सरकार पर उचित अनुक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण दबाव डाला।

पी.एम. किसान के लाभ

- पहली बार, एक नीतिगत साधन के रूप में **मूल्य/कीमत** (इनपुट या आउटपुट) का उपयोग किए बिना **किसानों को प्रत्यक्षतः आय हस्तांतरित करने का प्रयास** किया गया है। इससे पहले, मुख्यतः कम कीमत युक्त आदान (इनपुट सब्सिडी) एवं उच्च उत्पादन (आउटपुट) मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के प्रावधानों पर ही बल दिया जाता रहा है।
- चूंकि ये लाभ किसी भी फसल के उत्पादन से संबद्ध नहीं हैं, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से भिन्न, **इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला आपूर्ति-मांग असंतुलन न्यूतनतम होगा।**
- यह **इनपुट सब्सिडी को प्रतिस्थापित कर सकता है।** उल्लेखनीय है कि अधिकांश इनपुट सब्सिडी (जैसे- पीड़कनाशियों पर सब्सिडी, निशुल्क विद्युत इत्यादि) के कारण संसाधनों का अति-उपयोग हुआ है, जिसके परिणामस्वरुप पंजाब जैसे राज्यों में मृदा निम्नीकरण हुआ है और भूजल में गिरावट आई है। किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण संभवत: अधिक उपयुक्त साधन हो सकता है।
- अधिकांश **किसान ऋण प्राप्त करने के लिए अभी भी अनौपचारिक स्रोतों (यथा- स्थानीय आढ़ती, साहूकार आदि) पर निर्भर हैं।** खरीद केंद्रों (जैसे- गन्ने के मामले में) द्वारा भुगतान में अत्यधिक देरी होती है, जिससे आपात बिक्री की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में सुभेद्य किसान परिवारों को **सुनिश्चित पूरक आय प्रदान करना उन्हें विशेष रूप से फसल कटाई के मौसम से पूर्व की आवश्यकताओं** को पूरा करने में सहयोग करेगा।
- यह **ऋण प्रक्रिया में सुधार** करेगा तथा **ग्रामीण उपभोग मांग को बढ़ावा देगा।**
- ऋण माफ़ी और सब्सिडी **की तुलना में नकद अंतरण की दक्षता अधिक है,** क्योंकि ये निर्धन परिवारों को आवश्यक वस्तुएँ एवं सेवाएँ सीधे क्रय करने में सक्षम बनाते हैं तथा साथ ही उनके बाजार विकल्पों में वृद्धि करते हैं।
- न्यूनतम आय समर्थन से, कृषि में संलग्न परिवारों से संबंधित युवा **उद्यम प्रारंभ करने** या उच्च प्रशिक्षण लेने या अधिक आय प्रदान करने वाले गैर-कृषि कार्य करने के लिए प्रयास करने हेतु **प्रेरित हो सकते हैं।**

संकल्पना और कार्यान्वयन में समस्याएं

अपर्याप्त राशि

- पी.एम. किसान के अंतर्गत वार्षिक प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण (DIT) किसानों के वर्तमान आय स्तरों (औसत) का लगभग 5-8% ही होगा। इसके अतिरिक्त, यह राशि तेलंगाना (रायतु बंधु) (Rythu Bandhu) और ओडिशा (कालिया) (KALIA) में आरम्भ की गई इसके समरूप योजनाओं की तुलना में कम है।

लाभार्थी चयन

- इस योजना के अंतर्गत, **परिवार (फैमिली) को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा रहा है,** जबकि अधिकांश अन्य सरकारी योजनाएं हॉउसहोल्ड (साझा रसोई का उपयोग करते हुए एक साथ रहने वाले लोगों का समूह) को इकाई मानती हैं। यह **पुनर्वर्गीकरण** एक प्रशासनिक बन चुनौती सकती है।
- इस योजना की प्रकृति सार्वभौमिक नहीं है। कठोर लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया नौकरशाही के विवेकाधिकार और राजनीति के कारण भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त, लक्षित योजनाओं में **अपवर्जन संबंधी त्रुटियां** अधिक सामान्य बात हैं।
- यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ऐसे लाभार्थी किसान भी नकद लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जो अपनी भूमि काश्तकार किसानों को पट्टे पर देना चाहते हैं या कुछ समय के लिए अपनी भूमि को परती रखना चाहते हैं।

कवरेज

- 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के अनुसार, लगभग 40% ग्रामीण परिवार (हॉउसहोल्ड) भूमिहीन हैं और मैनुअल (शारीरिक) श्रम पर निर्भर रहते हैं। यह योजना काश्तकारों, बंटाईदारों आदि **भूमिहीन किसानों को सम्मिलित नहीं करती है।** उच्च काश्तकारी वाले क्षेत्रों में, अनुपस्थित भू-स्वामियों को योजना के अंतर्गत अधिक लाभ प्राप्त होंगे।

- कई आदिवासी समुदाय भी **सामुदायिक किसानों** के रूप में और व्यक्तिगत अधिकारों के बिना भूमि पर खेती करते हैं, और वे योजना से लाभान्वित होने से वंचित हो सकते हैं, जबकि वे सर्वाधिक सुभेद्य किसानों में से हैं।

भू-अभिलेखों का निकृष्ट रखरखाव:

- कई राज्यों (जैसे- झारखंड, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) ने अभी भी डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत **भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकृत नहीं किया है।**
- देश के अधिकांश भागों में, विशेष रूप से विरासत में मिली भूमि के मामले में, **भूमि अभिलेख नियमित रूप से अद्यतित नहीं किए जाते,** जिसके कारण लाभार्थियों का अपवर्जन हो सकता है।
- **स्वामित्व के दावों को सत्यापित करना** एक कठिन काम हो सकता है, क्योंकि आवश्यक दस्तावेजों को कई सरकारी विभागों द्वारा रखा जाता है, जैसे- पंजीकरण विभाग द्वारा बिक्री विलेखों का, सर्वेक्षण विभाग द्वारा मानचित्रों का, जबकि राजस्व विभाग द्वारा संपत्ति कर की रसीदों का संग्रहण किया जाता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंधित मुद्दे:

- पूर्व में यह देखा गया है कि मजदूरी वितरण के मामले में खातों में प्रत्यक्ष नकद अंतरण की प्रक्रिया विलंब की समस्या से ग्रस्त रही है (जैसे- मनरेगा)। साथ ही, ग्रामीण बैंकिंग अवसंरचना की पहुँच कमजोर है और इसमें अंतिम बिंदु तक संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका है।
- **स्थानीय मूल्य वृद्धि के कारण** नकद अंतरण के प्रभाव क्षीण हो सकते हैं, भले ही उन्हें सामान्य मूल्य स्तर से अनुक्रमित किया गया हो।

प्रमाणन समस्याएं:

- इस योजना के अंतर्गत प्रथम भुगतान की तिथि 31 मार्च 2019 निर्धारित की गयी है। इस हेतु क्षेत्र (फील्ड) स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को कठिन लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कर्मचारियों की कमी और प्रशिक्षण की अपर्याप्तता के कारण भूमि अभिलेख मिलान में कई **तकनीकी और अप्रत्याशित त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं।**
- दूसरी किस्त से, लाभ प्राप्त करने हेतु आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। लेकिन, जैसा कि पिछली कल्याणकारी योजनाओं से स्पष्ट है, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

कृषि पर प्रभाव:

- नकद लाभ प्राप्ति का प्रलोभन, सदस्यों के मध्य परिवार के स्वामित्व वाली भूमि के विखंडन को और अधिक बढ़ा सकता है।
- वर्तमान में भारतीय कृषि विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही है, उदाहरणस्वरूप- पंजाब जल की कमी और बिहार निकृष्ट आपूर्ति श्रृंखलाओं एवं अवसंरचना की कमी का सामना कर रहा है। सभी के लिए एक ही समाधान लागू करने पर बल देने के स्थान पर नीति निर्माताओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों के मध्य समन्वय स्थापित करने और संरेखण के क्षेत्रों पर बल देना अधिक विवेकपूर्ण कदम होगा।

आगे की राह

- मौजूदा योजना में विद्यमान कमियों, जैसे- भूमिहीन किसानों के अपवर्जन की समस्या का समाधान करना। लाभार्थियों की सरल पहचान और भूमि अभिलेख मिलान के लिए पर्याप्त संस्थागत अवसंरचना का सृजन करना।
- चूंकि कृषि राज्य सूची का एक विषय है, इसलिए केंद्र को उत्तरदायी नौकरशाही, इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस, बाजार अवसंरचना और व्यापार सुगमता के माध्यम से **एक समर्थकारी परिवेश के निर्माण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना** चाहिए। फसली क्षेत्र निर्धारण से संबंधित प्रक्रियाओं एवं दावों के भुगतान पर राज्य सरकारों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।
- किसानों को एक **व्यापक सामाजिक सुरक्षा पैकेज** प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा भी शामिल हो। जीवन बीमा कवर एवं 2 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यक्तिगत दुर्घटना कवर वाली कालिया (KALIA) योजना इस संबंध में एक बेहतर उदाहरण है।
- इससे भविष्य में किसानों के लिए **न्यूनतम आधारभूत आय (MBI)** का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

3.2. वर्षा सिंचित कृषि के प्रति नीतिगत पूर्वाग्रह

(Policy Bias Against Rainfed Agriculture)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में वर्षा सिंचित कृषि एटलस जारी किया गया, जिसमें इंगित किया गया है कि सरकार की नीतियों में वर्षा सिंचित कृषि के प्रति पूर्वाग्रह व्याप्त है।

VISION IAS

वर्षा सिंचित कृषि के संबंध में

- यदि किसी क्षेत्र के अधिकांश शुद्ध बोए गए भाग में निश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र को वर्षा सिंचित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन प्रणालियों, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों की आजीविका के मध्य अंतर्संबंध स्थापित करता है।
- भारत के वर्षा सिंचित क्षेत्रों की प्रकृति अत्यधिक विविधतापूर्ण है, जिनमें उच्चभूमि क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, मरूस्थल और साथ ही चारागाह क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- यह भारत के लगभग 180 जिलों में विस्तारित है और मुख्य रूप से शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्र में केंद्रित होने के साथ ही सभी कृषि-जलवायविक क्षेत्रों में विद्यमान हैं। भारत के लगभग 61 प्रतिशत किसान वर्षा सिंचित कृषि पर निर्भर हैं और 55 प्रतिशत सकल फसली क्षेत्र वर्षा सिंचित खेती के अंतर्गत शामिल है।

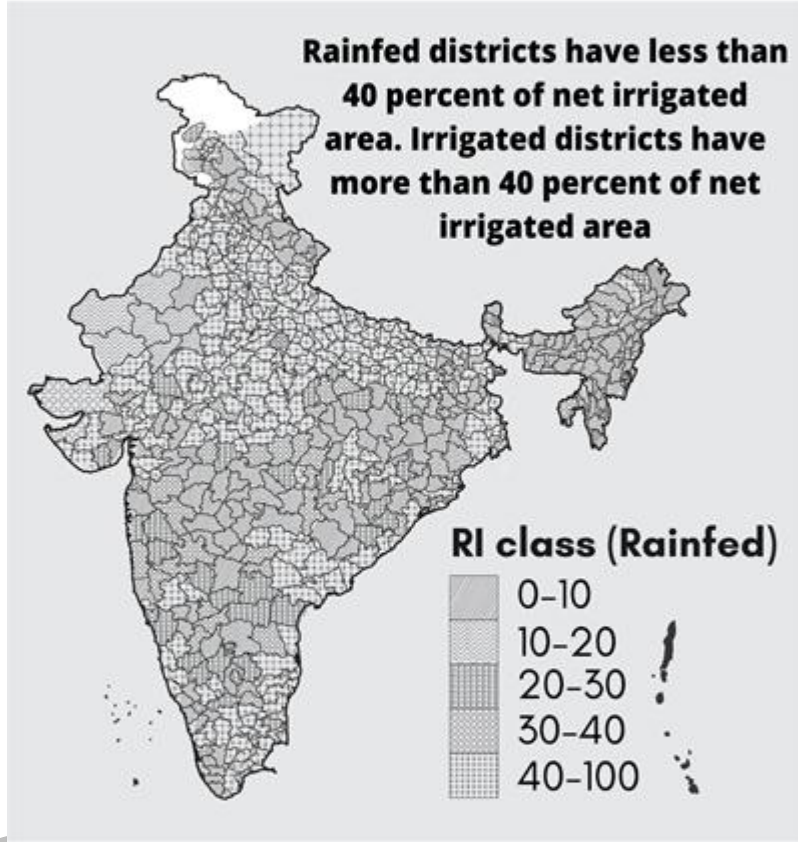

इन क्षेत्रों का महत्व

- देश के खाद्य उत्पादन में वर्षा सिंचित क्षेत्रों का योगदान महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में देश का **88 प्रतिशत दलहन और 40 प्रतिशत चावल** उत्पादित होता है।
- साथ ही ये क्षेत्र देश में **मवेशियों की 64 प्रतिशत आबादी** का भी भरण-पोषण करते हैं।
- यदि उचित रीति से प्रबंधन किया जाए, तो पठार तक विस्तारित सिंचित क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन और तीव्र कृषि संवृद्धि में विस्तृत योगदान करने की क्षमता निहित है।

संबंधित जानकारी

वर्षा सिंचित कृषि नेटवर्क का पुनरूद्धार

- 600 से अधिक सदस्यों के अखिल भारतीय नेटवर्क के रूप में इसका गठन वर्ष 2010 में किया गया था। इसमें प्रख्यात शिक्षाविद, नीति निर्माता, किसान और नागरिक समाज के संगठन सम्मिलित हैं जो उत्पादक, समृद्ध और लचीली वर्षा सिंचित कृषि के लिए सार्वजनिक प्रणालियों, नीति और निवेश को प्रभावित करने का कार्य करते हैं।
- यह **वर्षा सिंचित कृषि एटलस** प्रकाशित करता है।

वर्षा सिंचित कृषि के साथ अंतर्निहित समस्याएं

- **किसानों की निम्न आय-** जहां सिंचित क्षेत्रों में किसान अपनी 60 प्रतिशत आय कृषि से अर्जित करते हैं, वहीं वर्षा सिंचित क्षेत्रों के किसान कृषि से संबद्ध गतिविधियों से केवल **20-30** प्रतिशत की आय अर्जित करते हैं।
- **वर्षा सिंचित क्षेत्रों में अधिकांश लोग निर्धन हैं-** भारत के विभिन्न भागों में विस्तृत वर्षा सिंचित जिलों में सर्वाधिक निर्धन जिलें भी विद्यमान हैं।
- **निम्न फसल उपज-** जहां वर्षा सिंचित क्षेत्रों में औसत पैदावार लगभग **1.1** टन प्रति हेक्टेयर है, वहीं सिंचित क्षेत्रों में लगभग **2.8** टन प्रति हेक्टेयर है।
- **किसानों में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या-** विशेष रूप से शुष्क भूमि क्षेत्रों में।
- **पारिस्थितिकीय रूप से कमजोर-** शुष्क भूमि क्षेत्रों का एक तिहाई भाग अत्यधिक अवक्षयित है, जिसे खेती के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहां **500** mm से कम या **1,500** mm से अधिक वर्षा होती है और ये विभिन्न गंभीर जल प्रबंधन समस्याओं से ग्रसित हैं।
- **सरकारी नीतियां इन क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान हेतु पर्याप्त सहायक नहीं हैं।**

महत्वपूर्ण सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर: NMSA) -** इसकी परिकल्पना जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत उल्लिखित आठ में से एक मिशन के रूप में की गई है। इसके तहत मुख्य बल एकीकृत कृषि, मृदा स्वास्थ्य

प्रबंधन और संसाधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर है।

- **वर्षा सिंचति क्षेत्र का विकास-** यह उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से संबद्ध जोखिम को न्यून करने के लिए एकीकृत कृषि पद्धति पर केंद्रित है। इस प्रणाली के अंतर्गत, फसलों/सस्यन प्रणाली को बागवानी, पशुधन, मत्स्यपालन, कृषि-वानिकी, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसी गतिविधियों के साथ एकीकृत किया गया है ताकि किसानों को न केवल आजीविका बनाए रखने के लिए कृषि प्रतिफल अधिकतम करने, बल्कि फसल हानि के दौरान संबद्ध गतिविधियों से आय के अवसर के साथ सूखे, बाढ़ या अन्य चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों का शमन करने में सक्षम बनाया जा सके।

वर्षा सिंचित कृषि से संबंधित वर्तमान नीतियों के साथ समस्याएं

- **वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्र से संबद्ध विशिष्ट योजनाओं का अभाव:** प्रमुख सरकारी योजनाएँ, जैसे- बीज और उर्वरक सब्सिडी से जुड़ी योजनाएँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि सिंचित क्षेत्रों के लिए तैयार की गई हैं और वर्षा सिंचित क्षेत्र के किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना उन तक इनका विस्तार कर दिया गया है।
- **अन्य योजनाओं के विस्तार से वर्षा सिंचित खेतों पर नकारात्मक प्रभाव:** उदाहरण के लिए, सरकारी योजना द्वारा अधिसूचित कई संकर बीजों को उच्च उपज देने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी, उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार ये अधिकांश वर्षा सिंचित किसानों के लिए उपयोगी नहीं हैं। वाणिज्यिक उर्वरक पर्याप्त जल उपलब्धता के अभाव में मृदा को अक्रियाशील बना देते हैं।
- **अवसंरचना पर अपर्याप्त निवेश:** बड़े बांधों और नहरों के नेटवर्क के माध्यम से प्रति हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए **5** लाख रूपये के निवेश की आवश्यकता होती है। जबकि वर्षा सिंचित भूमि में वाटरशेड प्रबंधन व्यय मात्र रु. **18,000-25,000** प्रति हेक्टेयर है।
- **वर्षा सिंचित क्षेत्रों से फसलों की कम खरीद: 2001-02 से 2011-12 तक** सरकार द्वारा गेहूं और चावल (सिंचित क्षेत्रों) पर रू. **5.4 लाख करोड़** व्यय किया गया। जबकि वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उपजाए जाने वाले मोटे अनाजों की इसी अवधि के दौरान केवल रू. **3,200 करोड़** की खरीद की गई।
- **स्थानीय विशेषज्ञता के उपयोग का अभाव:** सरकार के पास देशज बीजों या सब्सिडी वाले जैविक खादों को समान क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए आवश्यक तंत्र उपलब्ध नहीं है।

आगे की राह

- **वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए पृथक नीति की आवश्यकता:** वर्षा सिंचित क्षेत्र के किसानों को वही अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन सहायता देने की आवश्यकता है, जो सिंचित क्षेत्रों के किसानों को विगत कुछ दशकों (हरित क्रांति) के दौरान प्रदान की गयी है।
- **वर्षा सिंचित क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता:** इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में दो फसल (एक वर्ष में) उगाई जा सकती हैं। इसलिए, **स्थानीय कृषि जलवायविक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त** फसलों का वैज्ञानिक चयन किया जाना चाहिए।
- वर्षा सिंचित फसलों के लिए **बाजार तक पहुंच** बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **'इनपुट-केन्द्रित' के बजाये 'आवश्यकता केन्द्रित' दृष्टिकोण को अपनाना:** दीर्घकाल में, प्रधानमंत्री-किसान योजना जैसी नकद प्रोत्साहन और आय सहायता योजनाएँ व्यापक खरीद की तुलना में बेहतर पहल हो सकती हैं।
- **पशुधन पर ध्यान देना:** पशुधन शुष्क पारितंत्रों का एक अनिवार्य घटक है। कृषि संबंधी अन्य कार्यों के लिए उपयोगी होने के अतिरिक्त पशुधन मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक खाद प्रदान करते हैं। संपूर्ण पशुधन सहायता प्रणाली **'दूध केंद्रित'** होती हैं। शुष्कभूमि क्षेत्रों के अधिकांश किसानों के लिए पशुधन पालन के लिए व्यावहारिक रूप से कोई सहायता प्रणाली उपलब्ध नहीं है।
- वर्षा सिंचित कृषि में पर्याप्त निवेश का यहां रहने वाली विशाल और विविधतापूर्ण आबादी के पारिस्थितिकीय, सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर अत्यधिक व्यापक प्रभाव होगा।

3.3. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019

(National Mineral Policy, 2019)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसका उद्देश्य खनन से प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए इस क्षेत्रक के लिए अधिक प्रभावी विनियमन के साथ-साथ अधिक संधारणीय दृष्टिकोण प्रदान करना है।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 वस्तुतः **कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य** वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए वर्तमान राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 को प्रतिस्थापित करेगी।
- खान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की समीक्षा करने के लिए डॉ. के. राजेश्वर राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
- इस समिति की रिपोर्ट और हितधारकों के साथ अनुवर्ती विचार-विमर्श के आधार पर, मंत्रालय ने इस नीति को अंतिम रूप प्रदान किया है।

VISION IAS

नीति की समीक्षा की आवश्यकता

- **भारतीय खनन क्षेत्रक की निम्न संवृद्धि दर-** पिछले दशक के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्रक का योगदान केवल **1-2** प्रतिशत (प्रमुख खनन अर्थव्यवस्थाओं में **5** से **6** प्रतिशत के विपरीत) रहा।
- **अन्वेषण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है-** भारत में खनिजों का उत्पादन बनाम आयात का अनुपात **1:10** है। उच्च आयात का मुख्य कारण उद्योगों के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता है। इसलिए, अन्वेषण को उद्योग के रूप में अपनाया जाना चाहिए और अन्वेषण हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर अवकाश, कर लाभ आदि के साथ इससे स्टार्ट-अप के रूप में प्रारंभ किया जाना चाहिए।
- **निवेश हेतु निजी क्षेत्रक को पर्याप्त समर्थन का अभाव-** कंपनियों द्वारा विभिन्न जोखिमों के कारण खनिजों के अन्वेषण में पर्याप्त निवेश नहीं किया जाता है।
- **अवैध खनन की समस्या के प्रभावी समाधान की आवश्यकता-** उल्लेखनीय है कि ओडिशा में **102** खनन पट्टों के पास वन अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान नहीं था।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान की आवश्यकता-** उदाहरण के लिए, खनन कार्य के कारण बेल्लारी में उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या, साथ ही खनन की गई भूमि का पुनरुद्धार और सुधार करने की आवश्यकता है।
- **अंतरपीढ़ीय अधिकारों से संबंधित समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है।**

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 की मुख्य विशेषताएं

- निजी क्षेत्रक को अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु **आवीक्षण अनुज्ञापत्र और पूर्वेक्षण लाइसेंस (RP/PL) धारकों के लिए राईट टू फर्स्ट रिफ्यूजल के अधिकार की शुरुआत।**
- खनन संस्थाओं के **विलय और अधिग्रहण को प्रोत्साहन** तथा खनन पट्टों का **हस्तांतरण।**
- निजी क्षेत्रक के खनन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए **समर्पित खनिज गलियारों का निर्माण।**
- निजी क्षेत्रक के लिए खनन के वित्तपोषण को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र द्वारा अन्य देशों में खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए यह **खनन गतिविधि को उद्योग दर्जा प्रदान करता है।**
- **खनिजों के लिए दीर्घकालिक आयात-निर्यात नीति** निजी क्षेत्र को बेहतर योजना बनाने और व्यवसाय में स्थिरता लाने में सहायता करेगी।
- **यह सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों को प्रदत्त आरक्षित क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाता है।** ऐसे **आरक्षित क्षेत्र** जिनका उपयोग नहीं किया गया है, उनकी नीलामी को संभव बनाया गया है। इससे निजी क्षेत्र को भागीदारी हेतु अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
- निजी क्षेत्रक की सहायता करने के लिए वैश्विक मानदंड के साथ **करों, उद्ग्रहणों और रॉयल्टी को सुसंगत बनाने का प्रयास करता है।**
- **इंटर जनरेशनल इक्विटी की अवधारणा को अपनाया गया है** जो न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि अगली पीढ़ियों के कल्याण से संबंधित है।
- खनन में संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि को संस्थागत बनाने के लिए **अंतर-मंत्रालयी निकाय का गठन संबंधी प्रावधान किया गया है।**
- **ई-शासन का समावेशन-** IT सक्षम प्रणालियों, जागरूकता और सूचना अभियान सम्मिलित किए गए हैं।
- **जलमार्गों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है-** खनिजों की निकासी और परिवहन के लिए तटीय जलमार्ग एवं अंतर्देशीय नौवहन का प्रयोग।
- परियोजना प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के समान विकास के लिए **जिला खनिज निधि का उपयोग।**

3.4. ड्राफ्ट ई-कॉमर्स नीति

(Draft E-Commerce Policy)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा ड्राफ्ट ई-कॉमर्स नीति जारी की गयी है।

ई-कॉमर्स नीति की आवश्यकता

- **डेटा स्वामित्व:** ई-कॉमर्स के युग में, कंपनियों द्वारा व्यापक मात्रा में ग्राहकों का डेटा संग्रहित किया जाता है। किसी व्यक्ति के डेटा पर उसका स्वयं का नियंत्रण होना चाहिए या अपने नागरिकों के डेटा तक सरकार की पहुंच होनी चाहिए, इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- **ई-कॉमर्स की तीव्र वृद्धि:** भारतीय B2C ई-कॉमर्स बाजार का मूल्य 2017 में 38.5 बिलियन डॉलर था और यह 2026 में बढ़कर 200 बिलियन डॉलर तक होने का अनुमान है, जबकि B2B ई-कॉमर्स के लगभग 300 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। इसकी निर्यात क्षमता का भी पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार, देश में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के नियमों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
- **कई नियामकों की उपस्थिति:** ई-कॉमर्स से संबद्ध विशिष्ट मुद्दे अलग-अलग क़ानूनों, यथा- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 आदि के तहत प्रावधानित हैं और इस कार्यप्रणाली में कई सरकारी विभाग भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार, एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति सभी हितधारकों को कवर करने के लिए विभिन्न मानदंडों और नियमों को समेकित करेगी।

- **अन्य नियामकीय मुद्दे:** डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न मुद्दों से निपटने के लिए वर्तमान नियम अपर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, प्राधिकारी डिजिटल लेनदेन पर 'सीमा शुल्क' आरोपित नहीं कर सकते हैं। साथ ही, नियामकों के लिए विदेशों में भौतिक उपस्थिति वाली संस्थाओं को उत्तरदायी ठहराना एक कठिन कार्य है।
- **उपभोक्ता संरक्षण:** सुदृढ़ नियामकीय व्यवस्था ऑनलाइन बिक्री में धोखाधड़ी के मुद्दों का समाधान और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगी।
- **डिजिटल अवसंरचना:** देश के कई भागों में ई-कॉमर्स के लिए आवश्यक कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी है। नई ई-कॉमर्स नीति ऐसे संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करेगी।
- **उद्योगों के मध्य अवसर में असमानता:** अधिक पूंजी वाले उद्यम घाटे पर स्थिर बिक्री का वित्तपोषण करने के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश कर रहे हैं। इससे छोटे उद्योगों के अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे में उपभोक्ताओं, सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यमों (MSMEs) और स्टार्ट-अप सहित सभी हितधारकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए एक उचित नीति की आवश्यकता है।
- **अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संभावना:** एक नई नीति WTO द्वारा ई-कॉमर्स पर आरोपित किए जाने वाले किसी भी संभावित दायित्व को समाप्त कर देगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क के आरोपण संबंधी स्थायी स्थगन जैसे बाध्यकारी दायित्वों से भारत जैसे विकासशील देशों के लिए राजस्व हानि होगी।

ड्राफ्ट नीति में प्रस्तावित रणनीति

- **डेटा:** यह नीति डेटा के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे **'राष्ट्रीय परिसंपत्ति'/'सामाजिक संपत्ति'** के रूप में स्वीकार करती है और भारत में उत्पन्न **डेटा के सीमा-पार प्रवाह को प्रतिबंधित** करने के लिए विधिक और तकनीकी ढांचा स्थापित करने का प्रावधान करती है। यह नीति पारस्परिकता में वृद्धि करने, डेटा सुरक्षा बढ़ाने और निजता के उल्लंघन को रोकने के लिए **उपकरणों** (जिनका डेटा भण्डारित, संसाधित और एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है) **के रूप में घरेलू मानकों का निर्माण करने** की मांग करती है।
- **अवसंरचना विकास:** यह डेटा के भंडारण के लिए डेटा सेंटर, सर्वर फ़ार्म आदि जैसी **सहायक डिजिटल अवसंरचना को 'अवसंरचना दर्जा'** प्रदान करने की मांग करती है। **प्राधिकृत कार्यान्वयन एजेंसियों** को आवश्यक भौतिक अवसंरचना (जैसे- ऊर्जा आपूर्ति, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि) स्थापित करने और **विदेश स्थित क्लाउड** एवं ईमेल सुविधाओं के लिए **घरेलू विकल्पों** को बढ़ावा देने की भी अनुशंसा की गयी है।

नई नीति से संबद्ध समस्याएं

- सरकार द्वारा अपने नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के साथ सामूहिक संपत्ति और राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में व्यवहार करने का तात्पर्य है कि सरकार अपने नागरिकों पर अपने व्यक्तिगत डेटा के संबंध में सही विकल्प चुनने के लिए विश्वास नहीं करती है। **यह न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति की अनुशंसाओं और SC के निजता के अधिकार पर दिए गए निर्णय के समक्ष विरोधाभास उत्पन्न करती है।**
- कई भारतीय कंपनियां अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) जैसे क्लाउड-बेस्ड स्टोरेज और सॉल्यूशंस की सुविधाओं का उपयोग करती हैं। **इन कंपनियों के लिए स्थानीय स्तर पर डेटा को भंडारित करने से संबद्ध नियम को अनिवार्य बनाने से उनकी परिचालन लागत और दक्षता प्रभावित होगी।**

- **ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस**
  - **FDI नीति:** इस नीति का उद्देश्य स्पष्ट रूप से **मार्केटप्लेस मॉडल और स्टॉक-आधारित मॉडल के मध्य सीमांकन** करना है। पुनः यह केवल 'मार्केटप्लेस' मॉडल में **FDI** को प्रोत्साहित करती है।
  - अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान जालसाजी विरोधी और पायरेसी विरोधी उपायों, शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित हैं।
- **विनियामकीय मुद्दे**
  - **ई-कॉमर्स की अंतर-अनुशासनात्मक प्रकृति:** ई-कॉमर्स पर सचिवों के स्थायी समूह (SGoS) को अलग-अलग संविधियों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विशिष्ट मुद्दों से निपटना चाहिए, नीतिगत चुनौतियों से निपटने के लिए सलाह देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नीति डिजिटल परिवेश के साथ समन्वय स्थापित करे।
  - **डेटा प्रवाह और नेटवर्क को नियंत्रित करना:** विशेष रूप से **MSMEs** और **स्टार्ट-अप** के लिए ई-कॉमर्स में विज्ञापन शुल्क का विनियमन करना चाहिए। **कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित** निर्णय निर्माण की परिस्थितियों में बेहतर जवाबदेही हेतु सरकार को **स्रोत कोड और अल्गोरिदम के प्रकटीकरण का अपना अधिकार** सुरक्षित रखना चाहिए।
  - **कानून और व्यवस्था:** कानून और व्यवस्था को बनाए रखने हेतु डेटा तक पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए।
  - **छोटे उद्यम और स्टार्ट-अप:** डिजिटल क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करने वाली छोटी फर्मों और स्टार्ट-अप को **'शिशु-उद्योग'** (infant-industry) का दर्जा दिया जा सकता है।
  - **कराधान संबंधी मुद्दे:** कराधान के उद्देश्य से **'स्थायी प्रतिष्ठान'** निर्धारित करने के आधार के रूप में **'महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति'** की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था के आलोक में इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क आरोपित न करने की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए।

VISION IAS

- **विषय सामग्री संबंधी दायित्व:** ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और सोशल मीडिया (मध्यवर्ती संस्थाओं) को अपनी वेबसाइटों पर प्रदत्त किसी भी जानकारी की वास्तविकता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण करना चाहिए।
- **घरेलू डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना:** इसका अभिप्राय दैनिक प्रशासन और अर्थव्यवस्था में **इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि करना** है, जैसे- ऑनलाइन सीमा शुल्क निर्गम के माध्यम से संभार तंत्र क्षेत्रक को स्वचालित बनाना और सीमा शुल्क से संबंधी इलेक्ट्रॉनिक डाटा आदान-प्रदान (EDI) प्लेटफॉर्म को अपनाना।
- **ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात संवर्धन:** ई-कॉमर्स निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए लेनदेन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए।

3.5. सॉफ्टवेयर उत्पाद पर राष्ट्रीय नीति

(National Policy for Software Products)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सॉफ्टवेयर उत्पादों पर एक राष्ट्रीय नीति को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसका उद्देश्य भारत को एक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के रूप में संस्थापित करना तथा वर्ष 2025 तक 65 लाख नौकरियों का सृजन करना है।

नई नीति की आवश्यकता

- भारतीय आईटी उद्योग मुख्य रूप से एक सेवा उद्योग है। हालांकि, प्रौद्योगिकी-उन्मुख उत्पादों एवं सेवाओं के माध्यम से मूल्य-श्रृंखला को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता निरंतर अनुभव की जा रही है।
- **NASSCOM रणनीतिक समीक्षा, 2017** के अनुसार, वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग (ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री) का कुल मूल्य **413 बिलियन अमरीकी डॉलर** आंका गया है। हालाँकि, भारतीय IT-ITES राजस्व में सॉफ्टवेयर उत्पादों का योगदान केवल 7.1 बिलियन अमरीकी डालर है, जिसमें से 2.3 बिलियन अमरीकी डालर राजस्व निर्यातों से प्राप्त होता है।
- दूसरी ओर, सॉफ्टवेयर उत्पादों के आयात का मूल्य लगभग 10 बिलियन अमरीकी डॉलर आंका गया है। वर्तमान में भारत **सॉफ्टवेयर उत्पादों का एक निवल आयातक देश** है।
- इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर, **प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर उद्योग में तीव्र परिवर्तन** के कारण इस क्षेत्र के विकास में गंभीर गिरावट देखी गई है।
- **प्रथम सॉफ्टवेयर नीति वर्ष 1986 में जारी की गयी थी।** इसके परिणामस्वरूप 1991 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STP) योजना प्रारंभ की गयी।
- हालांकि, एक परिपक्व उद्योग होने के कारण, एक विशिष्ट और सुदृढ़ विकास संबंधी चार्टर के साथ, इस क्षेत्र का पुनर्मूल्यांकन करने की और मध्यावधि से दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य वाली रणनीतियां तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इसकी **क्षमता का पूर्ण लाभ उठाने के लिए नवीन समाधानों को लागू करने की** भी आवश्यकता है।
- नवीन सॉफ्टवेयर उत्पादों को विकसित करने के संबंध में विभिन्न दोषों को दूर करने की आवश्यकता है। इसके फलस्वरूप डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी इत्यादि जैसे **महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।**
- 400 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और एक बिलियन से अधिक मोबाइल फोन कनेक्शनों के साथ, भारतीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नवीन IT समाधानों के निर्माण हेतु भारतीय IT पेशेवरों की सॉफ्ट पावर का लाभ प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं।

सॉफ्टवेयर उत्पादों हेतु राष्ट्रीय नीति की रणनीतियाँ

- **सॉफ्टवेयर उत्पाद व्यवसाय परिवेश को निम्नलिखित की सहायता से बढ़ावा देना**
  - उद्योग स्वामित्व के माध्यम से **भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद रजिस्ट्री का निर्माण करके** - यह भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के एक सामान्य पूल के रूप में कार्य करेगा, जिससे एक विश्वसनीय व्यापार परिवेश का निर्माण होगा।
  - **पूंजी बाजार में सॉफ्टवेयर कंपनियों की सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाकर**
  - **एकल विंडो प्लेटफॉर्म के निर्माण के माध्यम से**
  - **भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए एक श्रेणीबद्ध प्रणाली (Classification System) के विकास के माध्यम से**
- **रोजगार के लिए उद्यमवृत्ति एवं नवाचार को निम्नलिखित की सहायता से बढ़ावा देना**
  - **इन्क्यूबेशन कार्यक्रम की शुरूआत-** ताकि कम से कम 10000 सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप उद्योगों को विकसित करने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा सके।

VISION IAS

नीति के पाँच मिशन

- बौद्धिक संपदा (IP) द्वारा संचालित एक संधारणीय भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देना, जो वर्ष 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाज़ार की हिस्सेदारी में दस गुना वृद्धि करेगा।
- सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में 10000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का पोषण करना जिनमें द्विस्तरीय व त्रिस्तरीय शहरों एवं कस्बों के ऐसे 1000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप शामिल हैं। ये स्टार्टअप वर्ष 2025 तक 3.5 मिलियन लोगों के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करेंगे।
- निम्नलिखित के माध्यम से सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए एक प्रतिभा पूल का निर्माण करना
  - दस लाख IT पेशेवरों की अप-स्किलिंग करना।
  - स्कूलों और कॉलेजों के एक लाख छात्रों को प्रेरित करना।
  - ऐसे दस हज़ार नेतृत्वकर्ता पेशेवरों का तैयार करना।
- क्षेत्रीय एवं रणनीतिक रूप से स्थापित 20 सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास क्लस्टरों को विकसित करके क्लस्टर-आधारित नवाचारों से संचालित परिवेश का निर्माण करना जिनमें एकीकृत ICT अवसंरचना, विपणन, इन्क्यूबेशन, अनुसंधान एवं विकास/परीक्षण मंच और परामर्श समर्थन उपलब्ध हो।
- इस नीति के कार्यान्वयन के लिए योजनाओं तथा कार्यक्रमों को विकसित करने और उनकी देखरेख करने के लिए, सरकार, शिक्षा जगत एवं उद्योग जगत के परस्पर सहयोग से राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन की स्थापना की जाएगी।

- उद्योग-अकादमिक अनुसंधान में विद्यमान अंतराल को कम करने के लिए **उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों में सॉफ्टवेयर उत्पादों पर अनुसंधान तथा नवाचार का समर्थन करने के लिए एक कार्यक्रम के प्रारंभ के माध्यम से।**
- **20-क्षेत्र विशिष्ट भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद संकुलों (क्लस्टर) का निर्माण करना** जैसे ऑटोमोबाइल, टेक्स्टाइल इत्यादि।
- शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आदि जैसे क्षेत्रों में **चुनौतियों से संबंधित 20 समर्पित अनुदान प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करना।**
- **उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करना** – ताकि सॉफ्टवेयर उत्पादों के डिजाइन और विकास को उद्योग भागीदारी के साथ बढ़ावा दिया जा सके।
- **समर्पित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास फंड (SPDF) का निर्माण करना-** इसमें फंड ऑफ फंड्स के रूप में 1000 करोड़ रुपये के एक कोष का निर्माण किया जाएगा। यह बाजार में तैयार सॉफ्टवेयर उत्पादों के अनुपात को बढ़ाने हेतु जोखिम पूंजी प्रदान करने के लिए उद्यम पूंजी में सहयोग प्रदान करेगा।
- **निम्नलिखित के द्वारा कौशल और मानव संसाधन विकास**
  - **फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम के माध्यम से** – ताकि उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में 3 मिलियन IT पेशेवरों की अपस्किलिंग/रीस्किलिंग की जा सके।
  - स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को प्रेरित करने के लिए **एक राष्ट्रीय "प्रतिभा उत्प्रेरक" कार्यक्रम के प्रारंभ के माध्यम से।**
  - **10000 प्रतिबद्ध सॉफ्टवेयर उत्पादों वाले एक प्रतिभा पूल के निर्माण के माध्यम से।**
- **निम्नलिखित के माध्यम से घरेलू बाजार की पहुँच में सुधार और सीमा-पार व्यापार को प्रोत्साहन।**
  - **भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों का पंजीकरण सरकारी ई-बाजार (GeM) के साथ करने के माध्यम से।**
  - **हैकाथॉन के माध्यम से भारतीय उत्पाद स्टार्टअप/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को प्रोत्साहित करने के माध्यम से।**
  - सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में, वृद्धिशील नवाचार को बढ़ावा देने और भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद परिवेश में अंतर-संचालकता को प्रोत्साहित करने के लिए **ओपन एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफ़ेस (API) के कार्यान्वयन को अग्रसक्रिय रूप से बढ़ावा देना।**
  - **सरकारी खरीद में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के अधिमान्य समावेश को बढ़ावा देना-** सार्वजनिक खरीद नियम, 2017 के अनुरूप (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता)।
  - **अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास कार्यक्रमों में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के एकीकरण को बढ़ावा देना।**
  - **भाषागत अवरोधों का निवारण-** प्रमुख भारतीय भाषाओं में उत्पादों को विकसित करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने के माध्यम से।
- **कार्यान्वयन तंत्र जैसेः**
  - **"राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन (NSPM)" की स्थापना करना** - यह मिशन सॉफ्टवेयर उत्पादों के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यों को संचालित करेगा- उपयुक्त रणनीति निर्माण, विशिष्ट नीतिगत उपायों की अनुशंसा करना, विशिष्ट पहलों की अनुशंसा करना, विभिन्न पहलों की निगरानी करना और उन्हें समानुक्रमित करना।
  - **कार्यान्वयन में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभिन्न संगठनों को शामिल करना,** जैसे भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STPI), राष्ट्रीय आसूचना विज्ञान केंद्र (NIC) इत्यादि।

VISIONIAS

3.6. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, 2019

(National Policy on Electronics, 2019)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति, 2019 (NPE 2019) को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ESDM उद्योग की प्रस्थिति

- भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर उत्पादन में 2014-15 की 5.5% की वृद्धि दर के मुकाबले वर्ष **2017-18 में 26.7% की एक संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** दर्ज की गई है।
- **विश्व-स्तर पर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स** उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी **लगभग तीन प्रतिशत** है।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में **घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन** का हिस्सा **2.3 प्रतिशत** है।
- भारत के घरेलू उत्पादन के लगभग आधे से अधिक हिस्से के इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर का **आयात वर्ष 2014-15 में 37 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर** से बढ़कर **2017-18 में 53 बिलियन अमरीकी डॉलर** हो गया है।

इस नई नीति की आवश्यकता

- **भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की विकासशील प्रकृति- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012** (NPE 2012) के तत्वावधान में कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों ने एक प्रतिस्पर्द्धी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) वैल्यू चैन को सफलतापूर्वक सुदृढ़ किया है। NPE-2019 को देश में ESDM उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से NPE 2012 द्वारा स्थापित आधार पर कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
- **इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के परवर्ती प्रभाव-** जैसे बढ़ती सुरक्षा संबंधी चिंताएं, बढ़ती प्रतिलोमित शुल्क संरचनाएं, बड़ी शक्तियों पर निर्भरता और रोजगार सृजन की क्षमता।
- इस प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र केवल उपभोग्य वस्तु के रूप में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण का क्षेत्र नहीं है, अपितु इसका प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र के कार्य संचालन पर होता है।

NPE 2012 के अंतर्गत प्रारंभ पहलें

- NPE 2012 के पश्चात आरम्भ की गयी **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (M-SIPS),** के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हेतु सब्सिडी प्रस्तावित किया गया है। हालाँकि, उसके बाद जमा किए गए आवेदनों की स्वीकृति और किए गए निवेशों की दर कम ही रही है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) योजना,** वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना ने राज्य सरकार की संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं को एक क्लस्टर के भीतर बेहतर गुणवत्ता युक्त अवसंरचना प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। योजना के तहत, ग्रीनफील्ड EMC के लिए परियोजना लागत का 50% हिस्सा और ब्राउनफील्ड EMC के लिए 75% हिस्सा अनुदान के रूप में दिया जाता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विकास फंड (EDF) योजना,** स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। EDF निधियों का कोष है जो जोखिम पूंजी में निवेश करता है।

नीति के मिशन और उद्देश्य

- इस नीति का उद्देश्य भारत को **इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग - (ESDM) के एक वैश्विक केंद्र** के रूप में स्थापित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु घरेलू विनिर्माण, कौशल विकास, स्टार्ट-अप, निर्यात पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा और ESDM उद्योग की व्यवसाय करने की सुगमता (ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) में सुधार किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक 400 बिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबार करना और ESDM क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है।

NPE 2019 में रेखांकित रणनीति

- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धी ESDM क्षेत्र के लिए आवश्यक परिवेश का निर्माण –** कर प्रोत्साहनों, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना, डिफेंस ऑफसेट और सेमी-कंडक्टर फैसिलिटी, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स आदि जैसे उप-क्षेत्रों के प्रोत्साहन के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर वैश्विक प्रतिस्पर्द्धी ESDM क्षेत्र के लिए आवश्यक परिवेश का निर्माण किया जाएगा।
- **इस क्षेत्र से संबंधित मानकों का विकास करना और उन्हें अधिदेशित करना-** एक ऐसे मानक विकास ढांचे का प्रयोग करने के माध्यम से, जिसमें सभी हितधारकों (सरकार, उद्योग, शिक्षा, विशेषज्ञ) की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला संस्थागत तंत्र शामिल होगा और यह इनका अनुपालन साइबर सुरक्षा सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्षेत्र में अनिवार्य होगा।

VISION IAS

- **व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि- इन्वेस्ट इंडिया, राष्ट्रीय निवेश संवर्द्धन एवं सुविधा एजेंसी** जैसे मौजूदा तंत्रों के उपयोग के माध्यम से वैश्विक निवेशकों के लिए सिंगल विंडो तंत्र की सुविधा प्रदान करने के माध्यम से।
- इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप-क्षेत्रों में **उद्योग-आधारित अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना**। इसके अंतर्गत 5G, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स/सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादि क्षेत्रों की विभिन्न पहलों को प्रदत्त समर्थनों को शामिल किया जाएगा। इन समर्थनों में नए शैक्षिक पाठ्यक्रम, इन्क्यूबेशन सेंटर, **स्वतंत्र पेटेंट फंड** शामिल होंगे और यह इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के जीवन-चक्र के माध्यम से उनके **स्थिरता के सिद्धांतों** को समाहित करेगा।
- **मानव संसाधन विकास-** इसके अंतर्गत Ph.D स्तर पर एक अनुसंधान आधार का निर्माण किया जाएगा, विदेशी संस्थानों में भारतीय प्रत्याशियों को संयुक्त बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs) के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे, और उद्योग क्षेत्र के लिए पर्याप्त कुशल श्रमबल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों (केंद्र व राज्य) के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा।
- **निर्यात संवर्द्धन-** आकर्षक प्रोत्साहन किए जाएंगे ताकि निर्यातक वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।
- **विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य-श्रृंखला को प्रोत्साहित करना-** ताकि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रोफाइल में सुधार किया जा सके और साथ ही **राष्ट्रीय सुरक्षा एवं ऊर्जा ग्रिड, संचार नेटवर्क, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसी अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना** में इसकी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित किया जा सके।
- **साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना-** साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों व जोखिमों की **समझ** को बढ़ाना; स्टार्ट-अप व्यवसायों द्वारा परीक्षण सुविधाओं, फोटोनिक्स, नैनो-आधारित उपकरणों आदि के **विकास के माध्यम से साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना**। इसके अतिरिक्त, परीक्षित एवं सुरक्षित IT उत्पादों, सुरक्षित चिप्स के **उपयोग को प्रोत्साहन** देना आदि।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स के उप-क्षेत्रों में मुख्य दक्षताओं का विकास करना-** जैसे कि भारतीय फैब-लेस चिप डिजाइन उद्योग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, गतिशीलता के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग।
- **इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण परिवेश का संवर्द्धन-** लिथियम-आयन सेल, चिप घटकों, ईंधन सेल, ऑप्टिकल फाइबर, सौर सेल इत्यादि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण परिवेश का संवर्द्धन करना।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा (EMS) उद्योग को बढ़ावा देना-** जिसके अंतर्गत PCBs इंजीनियरिंग व डिजाइन, कार्यात्मक परीक्षण, वारंटी तथा मरम्मत सेवाएं आदि जैसी रखरखाव सेवाएं शामिल हैं।
- **मेगा परियोजनाएं-** विशेष पैकेज प्रदान करने के माध्यम से मेगा परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना जो सेमी-कंडक्टर फैसिलिटी, डिस्प्ले फैब्रिकेशन आदि जैसे क्षेत्रों में उच्च तकनीक और भारी निवेश को आकर्षित करेंगे (विशेष पैकेज)।
- **अधिमान्य बाजार पहुंच-** राज्यों को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 (**PPO 2017**) को अपनाने और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद में (साइबर सुरक्षा सहित) **सरकारी ई-बाजार क्षेत्र** (GeM) का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के माध्यम से।
- **अभिशासन संरचना-** इस नीति के तहत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण करना, जिसमें राज्य सरकारों का समर्थन भी सम्मिलित है।
- **अन्य उपाय-** ई-अवशेष प्रसंस्करण के लिए ईको-पार्क को बढ़ावा देना, कच्चे माल का भंडारण करना, विदेशों में (अफ्रीका,ऑस्ट्रेलिया) दुर्लभ मृदा धातुओं की खानों का अधिग्रहण करना और राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग की प्रस्थिति के आकलन के लिए एक सूचकांक को विकसित करना।

3.7. भुगतान बैंक के रूप में भारतीय डाक बैंक की स्थापना

(Setting up of India Post Bank as Payment Bank)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति द्वारा 'भुगतान बैंक के रूप में भारतीय डाक बैंक की स्थापना, कार्य क्षेत्र, उद्देश्य और सरंचना' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

भारतीय डाक भुगतान बैंक (IPPB)से संबंधित तथ्य

- यह एक वित्तीय सेवा प्रदाता है, जिसे **वित्तीय समावेशन** में सुधार के अधिदेश के साथ प्रारम्भ किया गया है।
- इसे **कम्पनी अधिनियम 2013** के अंतर्गत एक **पब्लिक लिमिटेड कंपनी** के रूप में भारत सरकार के **डाक विभाग (DoP)** की 100% भागीदारी के साथ निगमित किया गया है।

उद्देश्य:

- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) आदि और अन्य सभी गवर्नमेंट टू सिटीजन (G2C) लेनदेन के अंतर्गत सामजिक सुरक्षा भुगतान के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय माध्यम प्रदान करना।
- **सरकार** (केंद्र, राज्य और स्थानीय) **के लिए सेवा वितरण** के अधिमान्य भागीदार के रूप में कार्य करना।
- **ऋण, बीमा आदि जैसे थर्ड पार्टी उत्पादों के वितरण और ग्राहकों की संख्या बढ़ाने हेतु** विभिन्न अन्य बैंकों, बीमा कम्पनियों, म्युचुल फंड् प्रतिष्ठानों और अन्य वित्तीय संस्थानों एवं सेवा प्रदाताओं के साथ संबद्धता स्थापित करना।
- **प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए** एक सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय धन अंतरण की सुविधा प्रदान करना।
- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्धन और सीमांत वर्गों के आर्थिक उत्थान हेतु **सरकारी और निजी क्षेत्रक द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं को एकीकृत करने के लिए एक भुगतान मंच** प्रदान करना।
- **मोबाईल पॉइंट ऑफ़ सेल (MPoS), मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग जैसे विभिन्न चैनलों, डाक घर काउंटर के साथ-साथ ग्राहकों के डोरस्टेप पर** लेनदेन के माध्यमों से सबसे सुलभ भुगतान बैंक का निर्माण करना और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना।

IPPB की चुनौतियाँ

- **उच्चतम न्यायालय द्वारा आधार के कुछ प्रावधानों को निष्फल** करते हुए आधार आधारित KYC प्रमाणीकरण को अधिक कठिन बना दिया गया है। अंतिम बिंदु पर आवासित ग्रामीण जनसंख्या के लिए औपचारिक वित्तीय तंत्र का भाग बनने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रदान करना कठिन हो सकते हैं।
- **कर्मचारियों द्वारा IIPB के प्रोत्साहन के साथ-साथ DoP के कार्यों में संतुलन स्थापित करना:** यह सुनिश्चित करना होगा कि डाक विभाग का कार्य IIPB से सम्बन्धित गतिविधियों से प्रभावित न हो। इसके अतिरिक्त, DoP कर्मचारियों को डिजिटल संचालन में प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए, वे डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम जैसे NDLM/PMDISHA के अंतर्गत केन्द्रीय परियोजनाओं से सम्बद्ध हो सकते हैं।
- आदित्य बिरला, एयरटेल, जियो और पेटीएम जैसे **निजी भुगतान बैंकों से प्रतिस्पर्धा।** उदाहरण के लिए **4% की ब्याज दर में संशोधन** करने की आवश्यकता है, जो अन्य भुगतान बैंकों की तुलना में बहुत कम है।
- **IPPB की डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं का कम उपयोग:** ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों में IPPB की सेवाओं को अपनाने के लिए पर्याप्त इच्छा का अभाव है।
- **उत्तरजीविता का मुद्दा:** क्योंकि IPPB ऋण या क्रेडिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराता है अतः इनकी आय का एकमात्र स्रोत लेनदेन शुल्क होगा और ब्याज के रूप में प्राप्त आय नहीं। इसलिए यदि ये कम कीमत पर बेहतर सेवाओं को प्रभावी रूप से उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इनकी उत्तरजीविता के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो सकती है।
- **अन्य चुनौतियों** में: आवंटित धन का अपर्याप्त उपयोग और अपर्याप्त मानव संसाधन सम्मलित हैं।

भुगतान बैंकों के संबंध में:

- एक भुगतान बैंक सीमित सेवाएं प्रदान करने वाला एक विभेदित बैंक होता है।
- यह ग्राहकों को **ऋण प्रदान नहीं कर सकता।**
- यह **मांग जमा** स्वीकार नहीं कर सकता, **ATM/डेबिट कार्ड जारी कर सकता है परन्तु क्रेडिट कार्ड नहीं।**
- यह व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों से प्रति खाता 1 लाख रूपये तक की जमा राशि स्वीकार कर सकता है।
- रिजर्व बैंक के पास **नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बनाये रखने** के अतिरिक्त इसके लिए इन आवश्यकताओं को भी पूरा करना अनिवार्य होता है:
  - अपने "डिमांड डिपाजिट बैलेंस" का न्यूनतम 75% एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाली पात्र **सरकारी प्रतिभूतियों/ ट्रेजरी बिलों** के माध्यम से सांविधिक तरलता अनुपात (SLR)में निवेश करना।
  - अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समान परिचालन प्रयोजनों और तरलता प्रबन्धन के लिए अपनी चालू और टाइम डिपाजिट/सावधि जमा का अधिकतम 25% अपने पास रखना।
- **इसकी 25% शाखाएं गैर-बैंकीय** ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए।
- शेयर पूँजी में **संस्थापक का न्यूनतम प्रारंभिक योगदान प्रथम पांच वर्षों के लिए कम से कम 40% होना चाहिए।**

VISION IAS

3.8. डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल (ओम्बड्समैन) योजना

[Ombudsman Scheme for Digital Transactions (OSDT)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल (OSDT) योजना प्रारंभ की गयी है।

योजना के संबंध में

- इसे **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18** के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। यह धारा RBI द्वारा विनियमित गैर-बैंकीय संस्थाओं (जैसे मोबाइल वैलेट्स या भुगतान हेतु UPI का प्रयोग करने वाली टेक-इनेबल पेमेंट कम्पनियां) द्वारा प्रदत्त डिजिटल भुगतान संबंधी ग्राहक सेवाओं में कमी के निवारण हेतु एक **लागत-मुक्त और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र** का प्रावधान करती है।
- **डिजिटल लेनदेन के लिए RBI द्वारा नियुक्त लोकपाल एक वरिष्ठ अधिकारी होगा** (जिसकी नियुक्ति एक बार में अधिकतम तीन वर्ष के लिए की जाएगी)। यह लोकपाल इस योजना में परिभाषित किए गए शिकायत के आधार के तहत सम्मिलित कुछ सेवाओं में त्रुटि/दोष/कमी के लिए सिस्टम पार्टिसिपैंट्स (प्रतिभागियों) के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करेगा।
- योजना में **अपीलीय तन्त्र** का भी प्रावधान शामिल है जिसके अंतर्गत शिकायतकर्ता / व्यवस्था भागीदार के पास अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का विकल्प प्रदान किया गया है।
- बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए लेनदेन का प्रबन्धन अभी भी **बैंकिंग लोकपाल** द्वारा ही किया जाएगा।
- नया लोकपाल बैंकिंग लोकपाल के वर्तमान 21 कार्यालयों से और **वर्तमान क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत** ही कार्य करेगा।

ग्राहकों को मुआवजा:

- यह ग्राहक के समय, धन की क्षति और मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपयों तक का मुआवजे का आदेश पारित कर सकता है।
- डिजिटिल भुगतान संबंधी लोकपाल 20 लाख रुपयों तक का अधिकतम क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007:

यह भारत में **भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण** संबंधी प्रावधान करते हुए RBI को इन उद्देश्यों और अन्य सभी सम्बन्धित मामलों के प्रबंधन की अधिकारिता प्रदान करता है।

बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के संबंध में:

- बैंकिंग लोकपाल RBI द्वारा नियुक्त एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है।
- इसका उद्देश्य कुछ बैंकिंग सेवाओं में कमी के लिए ग्राहकों को लागत प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना है।
- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक इस योजना के अंतर्गत सम्मलित है।
- लोकपाल में शिकायत किए जाने से पूर्व, सम्बन्धित बैंक को शिकायत करना अनिवार्य है।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

- **देश में बड़े पैमाने पर डिजिटल भुगतान को अपनाये जाने और लेन-देन के दौरान होने वाली शिकायतों की संख्या** को ध्यान में रखते हुए डिजिटल भुगतान के शिकायत निपटानकर्ता या लोकपाल की आवश्यकता अत्यधिक प्रबल है। यह डिजिटल प्रक्रिया में सम्मलित जटिलताएं और चुनौतियाँ जैसे धोखाधड़ी के कारण भी आवश्यक है।
- व्यापक एवं सघन पहुंच युक्त सशक्त व्यवस्था में **ग्राहक का विश्वास और भरोसा बनाए रखने हेतु** समर्पित और सशक्त शिकायत निवारण तंत्र एक पूर्वापेक्षा है।

3.9. राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी

(National Minimum Wage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- डॉ. अनूप सतपथी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने **"राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (NMW) निर्धारण हेतु कार्य प्रणाली** के लिए एक तकनीकी रिपोर्ट जारी की है।
- एक समान न्यूनतम मजदूरी 9750 रुपये प्रति माह या पांच क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार 8892 से 11622 रुपये प्रतिमाह (जुलाई 2018 तक) की अनुशंसा की गयी है।

पृष्ठभूमि

- भारत में मजदूरी नीति और न्यूनतम मजदूरी काफी चर्चा का विषय रहे हैं।
- **मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948,** में न्यून मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियां प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

VISION IAS

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के मानदंडों की अनुपस्थिति को **भारतीय मजदूर कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसाओं** द्वारा सम्बोधित किया गया है और इस प्रयोजन के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गये हैं। अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजना आयोग ने भी भारत में मजदूरी से सम्बंधित मुद्दों को सम्बोधित करने में योगदान दिया है।
- कई वर्षों से न्यूनतम मजदूरी नीति में सुधार करने की मांग की जा रही है और यहाँ तक कि एक "राष्ट्रीय वेतन नीति" बनाने में भी रुचि ली गयी है।
- मजदूरी विधेयक 2017 सम्बंधी संहिता में एक वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया गया था। इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति को इसके लिए कार्यपद्धति निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया था।

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता:

- **देश भर में एक समान जीवन-निर्वाह मानदंडों को सुनिश्चित करना –** वर्तमान में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के मध्य न्यूनतम मजदूरी की राशि में अंतर है। इस प्रकार के अंतरों के लिए इस तथ्य को उत्तरदायी ठहराया जाता है कि केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों केवल अपने द्वारा कवर किए गये रोजगारों के लिए ही न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित, संशोधित और लागू करती हैं।
- **न्यूनतम मजदूरी कानून के सरल कार्यान्वयन और अनुपालन हेतु –** यह एक से अधिक मजदूरी कानूनों संबंधी अस्पष्टता और भ्रम को दूर करेगा।

न्यूनतम मजदूरी

- यह वह न्यूनतम राशि है जिसका नियोक्ता/उद्योग द्वारा अपने कार्मिकों को भुगतान किया जाता है तथा इस पर नियोक्ता/उद्योग की भुगतान क्षमता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- यह न केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रदान की जानी चाहिए बल्कि यह कार्मिकों की दक्षता को बनाये रखने के लिए भी पर्याप्त होनी चाहिए।

निर्वाह मजदूरी

- इसके द्वारा न केवल अर्जक के परिवार के लिए भोजन, वस्त्र और आश्रय की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण होनी चाहिए बल्कि उसके बच्चों के लिए शिक्षा, रोगों के विरुद्ध सुरक्षा, आवश्यक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और वृद्धावस्था सहित विपदा की स्थितियों के विरुद्ध बीमे की व्यवस्था के लिए भी इसे पर्याप्त होना चाहिए।

उचित मजदूरी

- यह उद्योग की भुगतान करने की क्षमता के साथ सम्बद्ध है। श्रम उत्पादकता, प्रचलित मजदूरी दर, राष्ट्रीय आय का स्तर और इसके वितरण जैसे कुछ चर हैं जो उचित मजदूरी के निर्धारण में योगदान करते हैं। यह न्यूनतम मजदूरी से अधिक परन्तु निर्वाह मजदूरी से कम होती है।

मजदूरी विधेयक 2017 सम्बंधी संहिता

- यह अधिनियम मजदूरी से सम्बन्धित **चार केन्द्रीय श्रम कानूनों को एकीकृत कर देगा। ये कानून हैं** -मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976।
- प्रस्तावित मजदूरी संहिता यह स्थापित करती है कि केंद्र सरकार सम्पूर्ण देश के लिए एक **वैधानिक राष्ट्रीय मजदूरी** को अधिसूचित कर सकती है। यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी राज्य सरकार, उस विशेष क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी निर्धारित न करे।
- मजदूरी संहिता के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने **सलाहकारी बोर्डों** का गठन किया जाएगा। ये बोर्ड सम्बन्धित सरकारों को जिन पहलुओं पर परामर्श देगा उनमें सम्मिलित हैं: (i) न्यूनतम मजदूरी निर्धारण; और (ii) महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
- केंद्र और राज्य सरकारें एक कार्य दिवस हेतु काम के घंटों और साथ ही प्रत्येक सप्ताह में विश्राम का दिन निर्धारित करेंगी। ओवरटाइम की राशि कर्मचारी की सामान्य मजदूरी से कम से कम दुगनी होगी।

न्यूनतम मजदूरी पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय:

- ILO न्यूनतम मजदूरी निर्धारण मशीनरी अभिसमय, 1928 (The ILO Minimum Wage Fixing Machinery Convention, 1928)
- न्यूनतम मजदूरी निर्धारण मशीनरी (कृषि) अभिसमय, 1951 (Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951)
- न्यूनतम मजदूरी निर्धारण अभिसमय, 1970 (Minimum Wage Fixing Convention, 1970)

समिति की संस्तुतियां:

- **न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के वर्तमान मानदंडों को अद्यतित करने की आवश्यकता:** घरेलू उपभोग इकाइयों, खाद्य पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं, परिवर्तित होते उपभोग पैटर्न और गैर-खाद्य व्यय की आवश्यकताओं के अनुसार नवीनतम उपलब्ध साक्ष्यों के प्रकाश में मानदंडों को अद्यतित करने की आवश्यकता है।
- **एक राष्ट्रीय रूप से प्रतिनिधित्वपूर्ण और सांस्कृतिक रूप में स्वीकार्य खाद्य बास्केट को विस्तार से स्पष्ट करने की आवश्यकता –**एक ऐसे दृष्टिकोण के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है जो केवल कैलोरी सेवन के स्थान पर संतुलित आहार पर ध्यान केन्द्रित करे। इसलिए

VISION IAS

समिति एक ऐसे स्तर पर न्यूनतम वेतन की सिफारिश करती है जो (प्रति वयस्क व्यक्ति के लिए प्रति दिन) 2400 कैलोरी, 50 ग्राम प्रोटीन और 30 ग्राम वसा प्रदान करे।

- **मुद्रास्फीति के लिए मध्यवर्ती समायोजन** – जिसमें CSO द्वारा उपलब्ध कराए गये CPI के आधार पर कम से कम हर छह महीने में परिवर्तन को समायोजित किया जा सके।
- **गैर-खाद्य वस्तुएं** – गैर-खाद्य पदार्थों पर आवश्यक व्यय का अनुमान लगाने के लिए समिति वस्तुओं के दो समूहों की पहचान करती है:
  - **आवश्यक गैर-खाद्य वस्तुएं,** जैसे- वस्त्र, ईंधन और प्रकाश, मकान किराया, शिक्षा, चिकित्सा, जूते, और परिवहन;
  - **अन्य गैर-खाद्य वस्तुएं,** जैसे- मनोरंजन, टिकाऊ वस्तुएं, सौन्दर्य प्रसाधन, अन्य घरेलू उपभोग्य वस्तुएं, किराये को छोड़कर उपभोक्ता सेवाएँ तथा उपभोक्ता कर।
  - **राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के लिए एकल मूल्य** –भारत के लिए यह जुलाई 2018 के आधार पर 375 रुपये प्रति दिन निर्धारित किया जाना चाहिए। यह किसी भी क्षेत्र, कौशल, व्यवसाय और ग्रामीण-शहरी स्थान से निरपेक्ष रहते हुए 9750 रूपये प्रति माह के बराबर होगा। इसने शहरी कर्मचारियों को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से 55 रुपए प्रतिदिन अर्थात् 1430 रुपये प्रति माह अधिक देने की भी सिफारिश की है। यह अतिरिक्त मजदूरी **अतिरिक्त मकान किराया भत्ते** (शहरी पूरक भत्ते) के रूप में होगी।
  - **क्षेत्रीय स्तर पर NMW के आकलन की विधि:** क्षेत्रीय स्तरों पर राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का आकलन करने के उद्देश्य से समिति ने राज्यों को एक समग्र सूचकांक के आधार पर **पांच क्षेत्रों** में बांटा है और क्षेत्र विशेष राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की सीमा के लिए प्रतिमाह 8892 से 11622 रुपयों के बीच की सिफारिश की है।
  - **न्यूनतम मजदूरी को राउंड नंबर्स में निर्धारित किया जाना चाहिए** –इनका भुगतान किया जाना सरल है। यह न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाएगा।
  - **श्रम और रोजगार मंत्रालय में एक अनुसन्धान इकाई का गठन** –यह न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और समायोजित करने के समय अनुशंसाओं को तैयार करने में केन्द्रीय सलाहकार और राज्य सलाहकार बोर्डों की सहायता करेगी।

3.10. प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना (PMSYM)

PM Shram-Yogi Maandhan Yojana (PMSYM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अनौपचारिक श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के रूप में एक पेंशन योजना प्रारम्भ की है।

योजना के बारे में

- **पात्रता:** असंगठित क्षेत्र के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम है और **जिनकी आयु प्रवेश के समय 18 से 40 वर्ष** है, इस योजना हेतु पात्र हैं।
  - वे **नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होने चाहिए।
  - इसके अतिरिक्त वह आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
- **पेंशन:** उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात **3000 रुपये प्रति माह** की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
  - **पेंशन प्राप्त करने के दौरान मृत्यु की स्थिति में,** उसके पति/पत्नी को लाभार्थी द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा।
  - **60 वर्ष से पहले मृत्यु की स्थिति में** उसके पति/पत्नी नियमित रूप से योगदान का भुगतान करते हुए योजना में सम्मिलित होकर उसे जारी रखने या प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने के अधिकारी होंगे। पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही लागू होगी।
- **अभिदाता द्वारा योगदान:** उसे PMSYM योजना में सम्मलित होने की आयु से लेकर 60 वर्ष तक की आयु तक निर्धारित योगदान राशि जमा कराना आवश्यक है।
- **केंद्र सरकार द्वारा समान राशि का योगदान:** PMSYM, 50:50 आधार पर एक स्वैच्छिक योगदान पेंशन योजना है जिसमें लाभार्थी द्वारा निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान किया जाएगा और उतना ही योगदान केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाएगा।
  - प्रति माह श्रमिकों से योगदान आवेदक की आयु के आधार पर बदल जाएगा, जैसे 18 वर्ष की आयु में 55 रुपयों का योगदान करना होगा जबकि 29 वर्ष से कम आयु के श्रमिकों को 100 रुपयों का भुगतान करना होगा। 40 वर्ष की आयु वाले श्रमिकों के लिए यह राशि 220 रुपए होगी।

VISION IAS

अटल पेंशन योजना और PMSYM की तुलना:

- APY भी असंगठित क्षेत्र को लक्षित करती है और इसकी प्रकृति भी सह-अंशदान की ही है किन्तु यह न्यूनतम **1000 से 5000 रुपये** के बीच पेंशन का वचन देती है, वहीं PMSYM में पेंशन सीमा मात्र 3000 रुपये प्रतिमाह की है।
- PMSYM केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी **मासिक आय 15000 रुपये तक है,** वहीं APY में ऐसी **कोई आय सीमा नहीं** है।
- APY में **मासिक, त्रैमासिक या अर्द्ध-वर्षीय** अंशदान का विकल्प चुना जा सकता है, जो असंगठित क्षेत्र के अनियमित आय वाले लोगों के लिए सहायक है। PMSYM केवल **मासिक** अंशदान की ही अनुमति देती है।
- APY में अंशदानकर्ता की मृत्यु पर उसके पति/पत्नी उसके द्वारा जमा राशि को एकमुश्त प्राप्त कर योजना से बाहर आ सकते हैं। PMYSM में कर्मचारी को केवल पेंशन ही प्राप्त होती है और उसके परिवार को उसकी जमा राशि प्राप्त नहीं होती है। PMSYM के अंतर्गत उसकी या उसके पति/पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी जमा राशि जब्त हो जाती है।
- PMSYM का प्रबन्धन प्रत्यक्ष रूप से **सरकार द्वारा** किया जाता है, जबकि APY को **पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण** (PFRDA) द्वारा विनियमित किया जाता है।

3.11. NSSO का आवधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (PLFS)

[Periodic Labour Force Survey (PLFS) of The NSSO]

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में आवधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (PLFS) की प्रथम मसौदा रिपोर्ट जारी की गयी है।

आवधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण ?

- PLFS का शुभारम्भ 2017 में NSSO द्वारा किया गया था। इसे पूर्ववर्ती प्रणाली को प्रतिस्थापित करते हुए आरंभ किया गया था, जिसमें ऐसे आंकड़े प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात ही उपलब्ध हो पाते थे।
- यह शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में त्रैमासिक आधार पर तथा राज्य/संघ शासित प्रदेश और अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आधार पर विभिन्न श्रमशक्ति संकेतकों का अनुमान संबंधी नियमित सर्वेक्षण है।
- इससे न केवल औपचारिक क्षेत्रकों बल्कि अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए भी आंकड़े उपलब्ध होंगे।
- PLFS को दो दृष्टिकोणों का उपयोग कर श्रम बाज़ार संबंधी परिचालनों के संकेतकों के सृजन हेतु डिज़ाइन किया गया है:
    - **सामान्य स्थिति दृष्टिकोण (Usual Status approach):** इस पद्धति में कार्य के इच्छुक एवं कार्य हेतु उपलब्ध केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार के रूप में दर्ज किया जाता है जो सर्वेक्षण की तिथि के पूर्व तक पूरे वर्ष के **365 दिनों** तक किसी भी लाभकारी रोज़गार से वंचित रहे हों। इस प्रकार, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के आधार पर प्राप्त बेरोज़गारी के आकलन के आधार पर **दीर्घकालीन सार्वजनिक बेरोजगारी** पर नियंत्रण करने की उम्मीद है।
    - **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) दृष्टिकोण:** इस पद्धति में सर्वेक्षण के पूर्व के सप्ताह से संबंधित वर्तमान क्रिया-कलाप से सम्बद्ध स्थिति को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें कार्य के इच्छुक या कार्य हेतु उपलब्ध उन व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है जिन्हें एक दिन में एक घंटे के लिए भी लाभप्रद रोज़गार उपलब्ध नहीं होता है। इस प्रकार, साप्ताहिक स्थिति प्रणाली के दायरे में केवल खुली दीर्घकालीन स्थायी बेरोजगारी नहीं आती है बल्कि सामयिक बेरोजगारी भी शामिल होती है।
- इस सर्वेक्षण में आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए टैबलेट का प्रयोग करते हुए क्षेत्र संबंधी परिचालनों के साथ कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यइंग (CAPI) प्रणाली को अपनाया गया है। इससे अधिक सटीक तथा समय-बद्ध सूचना प्राप्त होती है।

3.12. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

(Public Sector Undertaking)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 2017-18 के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सर्वेक्षण में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के प्रदर्शन को रेखांकित किया गया है।

CPSEs/PSE के प्रदर्शन

- 2017-18 में, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSE) की संख्या 184 थी।
- 10 सर्वाधिक लाभ अर्जक कंपनियों से प्राप्त कुल लाभ राशि, सभी लाभप्रद PSEs द्वारा अर्जित कुल लाभ का 61.8 प्रतिशत था। अर्थात, सार्वजनिक क्षेत्रक के अनेक उपक्रम इतना लाभार्जन नहीं कर रहे हैं कि उनमें निवेशित पूंजी का औचित्य सिद्ध हो सके।
- लाभ अर्जन के संदर्भ में कोयला कंपनियों के बाद तेल कंपनियों का स्थान है।

VISION IAS

PSU की आवश्यकता क्यों पड़ी?

क्षेत्रीय असमानताओं का उन्मूलन: आरंभिक अवधि में, PSU को उन अविकसित हिस्सों तथा राज्यों में स्थापित किया गया जहाँ स्थानीय सरकार के पास क्षेत्रीय विकास हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इस प्रकार PSU's की कल्पना क्षेत्रीय असमानताओं को हटाने वाले साधन के रूप में की गयी।

विकास हेतु निधि का स्रोत: अतिरिक्त PSU's को सरकारी विभागों यथा शिक्षा स्वास्थ्य के लिए पुनर्निवेश के अवसर के रूप में देखा गया।

समाज की समाजवादी संरचना: शासन की समाजवादी संरचना का पालन करते हुए यह आवश्यक हो गया था कि आधारभूत तथा रणनीतिक महत्व के क्षेत्रकों को सार्वजनिक नियंत्रण में रखा जाए।

एकाधिकार पर नियंत्रण: PSUs को भी सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में स्थापित तथा प्रयुक्त किया जाता है। उनका उद्देश्य एकाधिकार की वृद्धि को रोकना तथा प्रतिबन्धक व्यापार प्रणालियों पर नियंत्रण ही है।

निजी क्षेत्र की अपर्याप्त प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता: स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय निजी क्षेत्रक बड़े मामलों तथा दीर्घकालिक परिपक्वन अवधि को संभाल पाने में अक्षम था।

PSU के समक्ष व्याप्त चुनौतियां

- **पेशेवर प्रबंधन का अभाव:** यह रेखांकित करता है कि विभिन्न PSU में प्रमुख निर्णय लेने वाले या मुख्य कार्यकारी पदाधिकारियों में क्षेत्र संबंधी विशेषज्ञता का अभाव है। इसके अतिरिक्त, तदर्थ नियुक्ति की संस्कृति PSUs की कार्यात्मक साख को कम करती है।
- **अपर्याप्त स्वायत्तता:** PSUs के दैनिक प्रबन्धन में भी प्रायः राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहता है। इससे PSU की स्थिति केवल एक सरकारी विभाग की हो गयी है।
- **अति-अभिशासन:** सार्वजनिक क्षेत्रक के अधिकांश उपक्रमों में अत्यधिक नियंत्रण होता है। इसके इसकेकारण जवाबदेही, जाँच, RTI अधिनियम के प्रसार के विस्तार का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। इससे रुढ़िवादी, पूर्ण सावधानीयुक्त तथा जोखिम से दूर रहने वाली सांगठनिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
- **मानव संसाधनों का निम्न स्तरीय प्रबंधन:** आवश्यकता से अधिक कर्मचारी, अकुशल प्रशिक्षण, प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण संबंधी नीतियों के परिणामस्वरूप श्रमशक्ति की अधिकता तथा अनुपस्थिति की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
- **अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्द्धात्मक:** यह देखा जा रहा है कि अनेक PSU सीमित प्रतिस्पर्द्धात्मक परिवेश में ही लाभार्जन कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, 2005-2006 तक BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) दूसरा सर्वाधिक लाभअर्जक PSE था, किन्तु दूरसंचार क्षेत्र में निजी क्षेत्रक के प्रवेश और विस्तार तथा डाटा शुल्क में परिणामी गिरावट के पश्चात 7,993 करोड़ रुपए की हानि के साथ BSNL 2017-18 में सर्वाधिक घाटे वाला PSE बन कर रह गया।

कुछ PSU की उपलब्धियाँ

- विगत वर्ष सभी CPSEs के संचालन से प्राप्त **सकल राजस्व** में **10.24%** की वृद्धि देखी गयी है।।
- पेट्रोलियम, कोयला, ऊर्जा, इस्पात, खनन, तथा परिवहन एवं लॉजिस्टिक सेवाओं में कुछ PSUs महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, जिससे **ऊर्जा के आयात के भार को कम करने में सहायता मिली है।।**
- ONGC विदेश जैसी कम्पनियां वियतनाम, मोज़ाम्बिक, इत्यादि देशों में सफलतापूर्वक प्राकृतिक संसाधनों की खोज में संलग्न हैं। इससे रणनीतिक हितों में वृद्धि हुई है।
- भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड इत्यादि सरकार के दक्षिण आधारित नीति संबंधी दृष्टिकोण को बनाए रखने में सहायता करते है हैं।।

रणनीतिक विनिवेश

सार्वजनिक क्षेत्रक के किसी केन्द्रीय उपक्रम (CPSE) में पर्याप्त भाग अर्थात कम से कम 50% या उससे अधिक भाग *का प्रबंधन हस्तांतरण के साथ विक्रय करना*

क्या किया जाना चाहिए किया जाना चाहिए?

- **श्रमशक्ति नियोजन संबंधी रणनीति:** प्रत्येक CPSE के लिए यह आवश्यक है कि सभी स्तरों पर मुख्य कौशलों एवं प्रतिभा संबंधी आवश्यकता की पहचान करके एक व्यापक श्रमशक्ति नियोजन क्रियाओं का संचालन किया जाए।
- **युक्तिसंगत मूल्य-निर्धारण व्यवस्था:** हानि को कम करने हेतु PSU को बाज़ार की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए उत्पादों/सेवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए उत्पादन तथा आपूर्ति की लागत पर भी विचार करना चाहिए।

VISION IAS

- **स्वायत्तता में** वृद्धि: इसके लिए CPCU द्वारा बोर्ड को पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे वह साझेदारियों/संयुक्त उपक्रमों के गठन या विलयों/अधिप्राप्तियों/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति जैसे सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें (सार्वजनिक उपक्रम पर समिति की रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार)।
- **रणनीतिगत विनिवेश:** NITI आयोग के अनुसार सभी CPSE (रणनीतिक क्षेत्रक के PSE को छोड़ कर) रणनीतिक विनिवेश हेतु विचार किए जाने के पात्र हैं।
- **सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों की साझेदारी:** विभिन्न PSU द्वारा अपनाई गयी सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों की पहचान के साथ-साथ PSUs में परस्पर साझेदारी होनी चाहिए।
- **अन्य उपायों** में कंपनी द्वारा बाज़ार में उसके उत्पाद की मांग कम होते ही समय पर प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का उन्नयन तथा हानि में चल रहे PSU की **परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण सम्मिलित हैं।**

3.13. उद्योग तथा आतंरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT)

[Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग (DIPP) का नाम परिवर्तित करके उद्योग एवं आतंरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) कर दिया गया है। इस विभाग को स्टार्ट-अप्स से जुड़े मुद्दों से निपटने एवं अन्य अधिदेशों के साथ-साथ व्यवसायों के लिए कोव्यापार करने की सुगमता बढाने सम्बन्धी अधिदेश प्राप्त प्राप्त है।

संबंधित तथ्य

- DIPP (वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत) की स्थापना वर्ष 1955 में की गयी थी तथा वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के साथ विलय करके इसे पुनर्गठित किया गया।
- पूर्व में इसका दायित्व बाह्य व्यापार का नियंत्रण था तथा साथ ही विविध निकायों द्वारा आतंरिक व्यापार के लिए पृथक मंत्रालय के गठन की मांग उठ रही थी।
- आतंरिक व्यापार से संबंधित मामले **उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय** के अधीन थे।
- इस निर्णय के साथ, अब यह विभाग **खुदरा व्यापार** व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों के कल्याण सहित आतंरिक व्यापार संबंधी मामलों की भी निगरानी करेगा।
- इस प्रकार, इस कदम के साथ **इस विभाग के माध्यम से एक ही मंत्रालय, यथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय आतंरिक तथा बाह्य व्यापार दोनों का प्रबंधन करेगा।**
- इस निकाय के अन्य कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं
  - औद्योगिक विकास की निगरानी करना।
  - FDI संबंधी नीति का निर्माण तथा उसकी निगरानी।
  - विविध IPR's से संबंधित नीतियों का निर्माण।
  - UN औद्योगिक विकास संगठन के साथ समन्वय।
  - निम्नलिखित कानूनों का कार्यान्वयन– विस्फोटक अधिनियम, 1984; नमक उपकर अधनियम, 1953; पेटेंट अधनियम, 1970; बायलर अधिनियम, 1923 इत्यादि।

3.14. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का प्रारूप

(Draft National Logistics Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का प्रारूप जारी किया है।

लॉजिस्टिक्स क्या है?

- यह संसाधनों का प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला में उन्हें स्थानांतरित करने की समग्र कार्यपद्धति को संदर्भित करता है।
- यह परिवहन के अतिरिक्त, भंडारण, ब्रोकरेज, संसाधनों को त्वरित रूप से उपलब्ध कराने (एक्सप्रेस डिलीवरी), महत्वपूर्ण अवसंरचना सेवाओं आदि गतिविधियों के एक विन्यास का समावेश करता है।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक का महत्व

- **रोजगार:** उद्योग 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और यह प्रतिवर्ष 15% की दर से विकास कर रहा है और इसके उप-क्षेत्रक तो 30-40% तक की दर से विकास कर रहे हैं।

VISION IAS

- **सकल घरेलू उत्पाद:** भारत लॉजिस्टिक्स और परिवहन पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14.4% व्यय करता है। वित्तीय वर्ष 2016-2020 के मध्य इस क्षेत्रक के 15-20 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से विकसित होने की संभावना है।
- **किसान आय:** एक कुशल लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क में किसानों की आय में कई गुना वृद्धि करने की संभावना विद्यमान है, जिसके समग्र अर्थव्यवस्था पर **दूरगामी प्रभाव** हो सकते हैं।

नीति की आवश्यकता क्यों ?

- **विखंडित नीति दृष्टिकोण**: वर्तमान में अनेक मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला के विभिन्न भागों का प्रबंधन (सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन, डाक, वित्त, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन आदि) किया जा रहा है, जिससे समन्वित निरीक्षण नीति कार्रवाई बाधित हेाती है।
- **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत:** आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण प्रेरक होने के बाद भी संयुक्त राज्य अमेरिका 9-10%, यूरोप 10%, जापान 11% की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अत्यधिक उच्च अर्थात् 13 से 14% है।
- **परिवहन की विभिन्न विधाओं के बीच अनुपात की विषमता** जिसमें 60% माल का परिवहन सड़कों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में यह उल्लेखनीय रूप से अधिक है।
- **उभरती हुई नयी प्रवृत्तियाँ -** जैसे- विशिष्ट कौशल समुच्चयों के साथ डोमेन विशेषज्ञता, पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स एवं साइबर खतरों के प्रति लचीलापन आदि जैसी उभरती हुई नई प्रवृत्तियाँ, मानव शक्ति द्वारा संचालित असंगठित एवं खंडित लॉजिस्टिक क्षेत्र के पुनरुद्धार की मांग करती हैं।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक के लिए सरकार की पहलें

- लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को 2017 में अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया, जो निधि सम्बन्धी एवं लॉजिस्टिक्स संबंधी अन्य बाधाओं को दूर करेगा।
- सरकार ने **एशियाई विकास बैंक की सहायता से असम में एक लॉजिस्टिक्स हब** प्रस्तावित किया है।.
- सरकार ने राज्य स्तर पर लॉजिस्टिक्स के समक्ष विद्यमान बाधाओं पर ध्यान देने के लिए विभिन्न राज्यों के मध्य लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स"(LEADS) लॉन्च किया है।
- भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के लिए **लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्द्धन कार्यक्रम लॉन्च किया गया था।**
- वस्तु एवं सेवा कर (**GST**) लॉजिस्टिक्स के लिए जटिल कर संरचना की समस्या का समाधान करता है तथा इस प्रकार से लॉजिस्टिक्स कंपनियों द्वारा दक्ष निर्णय लेने में सहायता करता है।

लॉजिस्टिक नीति प्रारूप 2018 के मुख्य बिंदु

- **नीति के लक्ष्य**: **सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी**, प्रक्रियाओं और कुशल जनशक्ति का लाभ उठाते हुए वास्तव में एकीकृत, विश्वसनीय और लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक विकास एवं व्यापार प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रेरित करना ।

नीतिगत उद्देश्य	नीतिगत रूप से संबंधित क्षेत्र
लॉजिस्टिक्स के लिए ज्ञान और जानकारी साझा करने के प्लेटफार्म का **एकल संदर्भ बिंदु** निर्मित करना।	• वन स्टॉप ई-मार्केटप्लेस के रूप में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक ई-मार्केटप्लेस का निर्माण करना। • लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में प्रासंगिक प्रदर्शन मीट्रिक के लिए डेटा के एकल स्रोत के रूप में कार्य करने और डेटा चालित निर्णय निर्माण को सक्षम बनाने हेतु **लॉजिस्टिक डेटा और एनालिटिक्स सेंटर (LDAC)** स्थापित करना।
लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के अनुमानित वर्तमान लागत 13-14% से कम करके 10% तक लाने के लिए प्रेरित करना, और लॉजिस्टिक्स **के एकीकृत विकास को बढ़ावा देकर अधिक कुशल बनने हेतु क्षेत्रक को प्रोत्साहित करना।** • वर्तमान परिवहन विधाओं के मिश्रण को इष्टतम स्वरूप प्रदान करना और एकाधिक विधाओं वाली अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना। • किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और छोटे	• कुछ प्रमुख गलियारों जैसे प्रमुख क्लस्टरों को जोड़ने वाले '**मॉडल लॉजिस्टिक**' गलियारों का विकास करना। • निर्बाध और विश्व स्तरीय मल्टीमोडल माल-भाड़ा अंतरण संभव करने के लिए मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) के विकास को प्रेरित करना। • देश में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) के विकास के लिए **एकीकृत नीति एवं मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क प्राधिकरण** की स्थापना की जानी चाहिए। • लागतों को कम करने के लिए, परिवहन की विधाओं में परिवर्तन कर **सड़क**

VISION IAS

व्यवसायों को बाजार की उपलब्धता का विस्तार करने के लिए फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार करना। • डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी अपनाए जाने की प्रक्रिया बढ़ाकर लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में दक्षता को बढ़ाना। • लॉजिस्टिक्स (भण्डारण, पैकेजिंग आदि) में मानकीकरण सुनिश्चित करना	**से रेल, तटीय नौवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग की ओर अग्रसर** होना। • माल का निर्बाध प्रवाह सक्षम करके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देना। • **भण्डारण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने** में गोदाम प्रबंधन प्रणाली (WMS) और अन्य आईटी संचालित समाधान को अपनाने की प्रक्रिया प्रभावी होती जा रही है। एक कुशल गोदाम, संपूर्ण लॉजिस्टिक संचालनों में लागत को 15-20% तक कम कर सकता है। • लॉजिस्टिक विंग को भारत हेतु प्रासंगिक मानकों के विकास को सुगम बनाने के लिए भारत में लॉजिस्टिक हेतु **मानकों का निर्धारण करने वाले निकायों** जैसे भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ कार्य करना चाहिए। • **प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों** जैसे कि ई-टोलिंग, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रवाह, चौकियों का युक्तिकरण आदि कार्गो आवागमन में लगने वाले समय को कम करने के लिए प्रस्तावित कदम हैं।
लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार करना	लॉजिस्टिक्स डेटा और एनालिटिक्स सेंटर से प्राप्त डेटा की समीक्षा की जा सकती है और **विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) के छह संकेतकों** - सीमा शुल्क; अंतरराष्ट्रीय नौवहन; कंसाइनमेंट की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग; अवसंरचना; लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्द्धा; माल प्रेषण की समयबद्धता, पर कार्य किया जा सकता है।
कृषि अपव्यय के कारण होने वाली क्षतियों को कम करके 5% से कम के स्तर पर लाना और इस प्रकार कृषि से मूल्य प्राप्ति एवं किसान आय में वृद्धि करना।	**शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं** के पैकेजिंग, परिवहन और भंडारण के लिए **विशेष प्रकृति की आवश्यकताएं प्रदान करने पर** ध्यान केन्द्रित करना।
देश में **पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स** के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना।	यह नीति वैकल्पिक ईंधनों पर शुल्क युक्तिसंगत बनाने, बेहतर वाह डिजाइन आदि के माध्यम से **आपूर्ति श्रृंखला के कार्बन फुट प्रिंट** में कमी करने का विचार रखती है और साथ ही पैकेजिंग में 3 आर- रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल (कम उपयोग करना, पुनः प्रयोग करना और पुनर्चक्रित करना) पर भी ध्यान दिया जाएगा ।
कुछ अन्य उद्देश्य एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र	• एकीकृत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कार्य योजना का निर्माण करना जो लॉजिस्टिक्स संबंधी सभी विकास कार्यो के लिए मास्टर प्लान के रूप में कार्य करेगी और साथ ही इसे संबंधित राज्य विकास योजनाओं के साथ संरेखित करना। • उद्योग, शिक्षा और सरकार को लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता केंद्र का विकास करने और नवाचारों को प्रेरित करने हेतु एक साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। • 10 से 15 मिलियन अतिरिक्त रोजगारों का सृजन करके लॉजिस्टिक क्षेत्र में रोजगार को दोगुना करना और इस क्षेत्रक में कौशलों के विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना तथा लैंगिक विविधता को प्रोत्साहित करना।

इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- भारत एवं विदेशों में बृहत्तर दक्षता की प्राप्ति के लिए सामान्य सिद्धांतों का एक अति महत्वपूर्ण व्यापक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क प्रदान करने हेतु **एकीकृत लॉजिस्टिक्स के संबंध में एक फ्रेमवर्क कानून अधिनियमित करना।**
- **लॉजिस्टिक्स के लिए संस्थागत ढांचा और प्रशासन: वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत लॉजिस्टिक्स विंग** का प्राथमिक उत्तरदायित्व मुख्य उपर्युक्त नीतिगत क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स फोरम (जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव द्वारा की जाती है) को संचालित करने का होगा और साथ ही एक सशक्त कार्यबल एकीकृत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा करेगा।

VISION IAS

- मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल का वित्तपोषण करने, लॉजिस्टिक्स कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने, स्टार्ट-अप त्वरण निधि स्थापित करने, बिग डेटा सक्षम लॉजिस्टिक्स हब स्थापित करने आदि क्षेत्रों में प्रगति को गति प्रदान करने हेतु **अव्ययगत लॉजिस्टिक्स कोष की स्थापना करना।**

3.15. नदी सूचना प्रणाली

(River Information System)

सुर्खियों में क्यों ?

केंद्रीय नौवहन मंत्री ने हाल में ही फरक्का और पटना (410 किलोमीटर) के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग – 1 (गंगा नदी) पर नदी सूचना प्रणाली के दूसरे चरण का उद्घाटन किया।

नदी सूचना प्रणाली के विषय में

- यह अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से जहाज़ों का **यातायात प्रबंधन** करने का एक तरीका है। यह जहाजों से जहाजों के बीच में टक्कर, जहाजों की पुलों से टक्कर, जमीन में धंस जाने की घटनाओं आदि को रोककर संकट प्रबंधन और अंतर्देशीय नेविगेशन सुरक्षा को उन्नत करने में सहायता करेगी।
- यह अंतर्देशीय नौवहन में यातायात और परिवहन प्रक्रियाओं को इष्टतम स्वरूप प्रदान करने के लिए अभिकल्पित विशेष सॉफ्टवेयर सहित **ट्रैकिंग और मौसम विज्ञान उपकरण** का एक संयोजन है।
- यह प्रणाली गतिशील जलयानों और तट (बेस स्टेशनों) के बीच सूचना के उन्नत एवं रियल टाइम आदान-प्रदान के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक डाटा अंतरण को संभव बनाती है ताकि अंतर्देशीय जलमार्गों में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित हो सके।

- यह जलयानों को नेविगेशन के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वर्चुअल नौवहन सहायता भी प्रदान करती है।
- इन सेवाओं का उपयोग यूरोप, चीन और यूएसए के उन्नत जलमार्गों में किया जा रहा है। भारत में इस प्रणाली का संचालन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।
- यह **जल मार्ग विकास परियोजना** के अवयवों में से एक है।

संबंधित समाचार

- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने हाल ही में राष्ट्रीय जलमार्गों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक नया पोर्टल लेडिस (LADIS)– न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली **(लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इनफार्मेशन सिस्टम)** लॉन्च किया।
- यह सुनिश्चित करेगा कि जहाज/नौका और कार्गो मालिकों के लिए **न्यूनतम उपलब्ध गहराई पर रीयल-टाइम डेटा** प्रसारित किया जाए ताकि वे राष्ट्रीय जलमार्गों पर अधिक योजनाबद्ध तरीके से परिवहन का कार्य कर सकें। यह राष्ट्रीय जलमार्गों पर चलने वाले **अंतर्देशीय जलयानों के दिन-प्रतिदिन के संचालनों को सुगम करेगा** एवं सेवा और संचालन में किसी बाधा से बचाएगा।
- **जलयानों के निर्बाध संचलन** के लिए जलमार्ग की सुनिश्चित गहराई आवश्यक होती है। संबंधित सर्वेक्षकों और राष्ट्रीय जलमार्गों पर निरंतर चलने वाले भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण के सर्वेक्षण जलयानों में नियुक्त क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा पोर्टल में न्यूनतम उपलब्ध गहराई के विवरणों को भरा जाएगा।

वर्तमान स्थिति

- **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)** ने प्रारंभ में गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (NW-1) में तीन चरणों में **नदी सूचना प्रणाली** (RIS) की स्थापना का कार्य लिया है, अर्थात्
    - **हल्दिया-फरक्का खण्ड (पहले से ही प्रचालित)**
    - **फरक्का-पटना खण्ड** (चरण 2 के अंतर्गत अच्छादित)
    - **पटना-वाराणसी खण्ड**

VISION

जल मार्ग विकास परियोजना

- सरकार इस परियोजना को विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से 5,369.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के हल्दिया-वाराणसी खण्ड पर **नौवहन की क्षमता में वृद्धि** करने के लिए कार्यान्वित कर रही है।
- इस परियोजना के अंतर्गत, तीन मल्टीमोडल टर्मिनलों, दो इंटरमोडल टर्मिनलों, एक नए नौवहन जलपाश (नेविगेशनल लॉक) के निर्माण, एवं नाव्य जलपथ विकास हेतु संरचनाओं, नदी सूचना प्रणाली (RIS), पोत मरम्मत और अनुरक्षण सुविधाओं और रो-रो (रोल-ऑन/रोल-ऑफ) टर्मिनलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

3.16. नए एंजेल टैक्स नियम

(New Angel Tax Rules)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने एंजेल टैक्स से संबंधित नए नियमों को अधिसूचित किया है। ये नियम एक निर्दिष्ट आकार के पंजीकृत स्टार्ट-अप्स को कर से छूट प्रदान करते हैं।

उचित बाजार मूल्य (फेयर मार्किट वैल्यू: FMV): यह वह कीमत है जिस पर कोई संपत्ति खुले बाजार में बेची जाती है।

- यह कुछ सामान्य स्थितियों के अंतर्गत किसी संपत्ति की कीमत को दर्शाता है: जैसे कि जब संभावित क्रेता और विक्रेता को संपत्ति के संबंध में उचित रूप से जानकारी होती है।
- यह उसके मूल्य का परिशुद्ध मूल्यांकन या आकलन दर्शाता है।

एंजेल टैक्स

- यह गैर-सूचीबद्ध (अनलिस्टेड) स्टार्टअप या कंपनियों में बाहरी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर 30.9% कर की दर से लगाया जाने वाला **आयकर** है।
- यह तब लागू होता है जब कंपनियों द्वारा **शेयरों की उनके 'उचित बाजार मूल्य' से अधिक मूल्य पर बिक्री** के माध्यम से पूंजी जुटाई जाती है।'
- यह कर 2012 के वित्त बजट में लाया गया था। इसका उद्देश्य अत्यधिक कीमत पर निजी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की बिक्री के माध्यम से धन-शोधन पर अंकुश लगाना था।

नए नियम

- **स्टार्ट-अप की परिभाषा को व्यापक किया गया:** पात्र स्टार्ट-अप वह स्टार्ट-अप होगा जो औपचारिक रूप से पंजीकृत है और जिसे निगमित हुए 10 वर्षों (पिछले 7 वर्ष था) से कम समय हुआ है, और जिसका टर्नओवर उक्त अवधि के दौरान 100 करोड़ रूपए से अधिक नहीं रहा है।
- यदि स्टार्ट-अप की चुकता अंश पूंजी (पेड-अप शेयर कैपिटल) 25 करोड़ रूपए तक है तो स्टार्ट-अप छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सीमा पहले 10 करोड़ रूपए थी।
- स्टार्ट-अप निम्नानुसार किए गए निवेश से **कर मुक्त पूंजी जुटा** सकते हैं
  - अनिवासियों द्वारा
  - 100 करोड़ रूपए के नेट वर्थ या 250 करोड़ रूपए से कम टर्नओवर वाली सूचीबद्ध कंपनी द्वारा
- यह अधिसूचना स्टार्ट-अप द्वारा **निवेश पर कुछ प्रतिबंध आरोपित करती** है। ऐसे स्टार्ट-अप को यह तथ्य अनुप्रमाणित करना होगा कि उसने किसी भी भूमि (जिसका उसके व्यवसाय के सामान्य क्रम में उपयोग नहीं किया जा रहा है) में तथा 10 लाख रूपए मूल्य से अधिक के किसी भी वाहन, किसी भी आभूषण पर निवेश नहीं किया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ शर्तें हैं जो स्टार्ट अप को पूरी करनी होंगी।
- एक अपेक्षा यह भी है कि स्टार्ट-अप को **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग में पंजीकृत होना चाहिए**। कुछ आवेदकों ने दावा किया है कि यह प्रक्रिया जटिल और समयसाध्य है।
- इनमें से कुछ प्रतिबंध स्टार्ट-अप के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते हैं और यहां तक कि कुछ वास्तविक स्टार्ट-अप्स को इस छूट के लिए अयोग्य भी बना सकते हैं।

एंजेल टैक्स की आलोचना

- **उचित बाजार मूल्य स्थापित करने में समस्याएँ:** स्टार्ट-अप का प्राय: व्यक्तिनिष्ठ रूप से मूल्यांकन किया जाता है और कुछ लोगों को अत्यधिक प्रतीत होने वाला मूल्यांकन, अन्य लोगों के लिए उचित भी हो सकता है। स्टार्ट-अप का अकेले उनकी संपत्ति के आधार पर मूल्यांकन करना सरल नहीं है जबकि स्टार्ट-अप की ख्याति जैसे अमूर्त मूल्य भी देखने योग्य हैं। न ही उनके लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो के आधार पर 'उचित मूल्य' का पता लगाना आसान है।

VISION IAS

- उदाहरण के लिए, ओला का मूल्यांकन $4.3 बिलियन डॉलर किया गया है, किन्तु उसकी वास्तविक परिसंपत्तियां संभवत: एक मिलियन डॉलर से भी अधिक नहीं होंगी।

- **मनमानी शक्ति:** आयकर अधिनियम के अंतर्गत, IT विभाग किसी कंपनी के शेयर का उचित मूल्य और स्टार्ट-अप पर करारोपण मनमाने ढंग से तय करने के लिए स्वतंत्र है। यह वास्तविक स्टार्ट-अप के उत्पीड़न का एक साधन बन सकता है।
  - यह अधिसूचना उस मनमानी शक्ति की चर्चा नहीं करती है जो यह आयकर अधिकारियों के हाथों में निहित की गयी है।
- **निवेश में बाधक:** स्टार्टअप संस्थापकों के लिए, वेंचर कैपिटल फर्में और विदेशी निवेशक फंड का प्रमुख स्रोत हैं। एंजेल टैक्स जैसे कर इन निवेशों को हतोत्साहित करते हैं। अमेरिका जैसे देशों में छोटी कंपनियों का वित्तपोषण करने पर निवेशकों को कर लाभ प्रदान किया जाता है।

3.17. FAME इंडिया चरण II

(Fame India Phase II)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **10,000** करोड़ रूपए से अधिक के कुल परिव्यय के साथ **FAME-India** (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया) के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

द्वितीय चरण का मुख्य विवरण

इसे **2019-20** से लेकर **2021-22** तक **3** वर्षों की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य **बाजार निर्माण और स्वदेशीकरण** के माध्यम से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के तीव्र अंगीकरण प्रोत्साहित करना है।

- **सार्वजनिक और साझा परिवहन का विद्युतीकरण:** 10 लाख e-2W (इलेक्ट्रिक - दोपहिया), 5 लाख e-3W (इलेक्ट्रिक - तीनपहिया), 55000 4W (इलेक्ट्रिक - चारपहिया) और 7000 बसों हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने की योजना है।
  - राज्य/शहर परिवहन निगमों (STU) के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों के लिए परिचालन संबंधी व्यय की विधि पर मांग प्रोत्साहन (डिमांड इंसेंटिव) दिया जाएगा।
  - सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत 3-पहिया/4-पहिया वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  - e-2W खंड में, निजी वाहनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **स्थानीय विनिर्माण:** इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण घटकों, विशेष रूप से लीथियम आयन बैटरियों के स्थानीय विनिर्माण के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- **चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना:** सम्पूर्ण देश में महानगरों, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, स्मार्ट शहरों और पहाड़ी राज्यों के शहरों में लगभग 2700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
  - ये दिशा-निर्देश शहरों में 3 कि.मी. x 3 कि.मी. के ग्रिड में; और प्रत्येक 25 कि.मी. पर बड़े शहर समूहों को जोड़ने वाले राजमार्गों के दोनों किनारों पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना प्रस्तावित करते हैं।
  - तेल विपणन कंपनियों (OMC) के वर्तमान खुदरा आउटलेटों को सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।

योजना के द्वितीय चरण का महत्व

- FAME चरण 2 इस योजना के चरण 1 के आधार पर निर्मित है (जो 2015 में आरंभ हुआ था और जिसे मार्च, 2019 तक विस्तारित किया गया था)। इसमें उपभोक्ता खंड की तुलना में सार्वजनिक परिवहन/वाणिज्यिक खंड में EV को अपनाने पर बल देने के माध्यम से मांग-सृजन पर अधिक ध्यान दिया गया है।
- चरण 2 **अधिक समग्र दृष्टिकोण** प्रस्तुत करता है क्योंकि यह न केवल **महत्वपूर्ण तकनीकी मुद्दों** जैसे कि बैटरी की कीमत और दक्षता, चार्जिंग अवसंरचना आदि की बात करता है, बल्कि पूरी EV मूल्य श्रृंखला के **स्वदेशीकरण** पर भी बल देता है।
- **चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए** मूल उपकरण निर्माताओं (OIM) को **प्रोत्साहन** प्रदान करना, स्टेशन की आवश्यकताओं और स्थापना एवं परिचालन की प्रक्रिया का सरलीकरण सही दिशा में उठाए गए कदम सिद्ध होंगे।
- FAME-2 योजना के अंतर्गत, **लेड एसिड बैटरियों का उपयोग करने वाले** और कम गति वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर **सब्सिडी को वापस लेना** भारत में दक्ष EV को आगे और लोकप्रिय बनाएगा।
- **2030 तक 30% से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों** का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए FAME-चरण II आरंभ किया गया। यह पूर्व के 2030 तक 100% EV के लक्ष्य की तुलना में अधिक यथार्थवादी लक्ष्य है।

VISION IAS

3.18. सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा घोषित किए गए मुद्रण प्रेस

(Printing Presses Declared as Public Utility)

सुर्खियों में क्यों?

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947** के अंतर्गत मुद्रा मुद्रण प्रेसों और टकसालों का **'सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा'** के रूप में वर्गीकरण करने की अधिसूचना जारी की है।

सुर्खियों पर अधिक जानकारी

- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार, **सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति नियोक्ता को नोटिस दिए बिना अनुबंध का उल्लंघन करते हुए हड़ताल पर नहीं जाएगा।**
- इस अधिनियम के अंतर्गत यह अधिसूचना **छह महीने के लिए वैध** है और समाप्ति के बाद पुन: जारी की जा सकती है। वर्तमान अधिसूचना मुद्रा मुद्रण प्रेसों और टकसालों को 'सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा' घोषित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं की श्रृंखला का भाग है।'

भारत में हड़ताल का अधिकार

- भारत में, **विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार** भारत के संविधान के **अनुच्छेद 19** के अंतर्गत एक **मूल अधिकार** है।
- हालांकि, **हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं** है, बल्कि **कानूनी अधिकार** है और इस अधिकार के साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में सांविधिक प्रतिबंध जुड़ा हुआ है।
- **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947** के अंतर्गत **कानूनी हड़ताल के लिए आधार और शर्तें निर्धारित की गई है** और यदि उन प्रावधानों और शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो हड़ताल अवैध होगी।
- **आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम** आवश्यक सेवा के प्रमुख कर्मचारियों के लिए हड़ताल करना पूरी तरह से निषिद्ध करता है।

आवश्यक सेवाएं प्रबंधन अधिनियम, 1968

- **कुछ विशेष सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए** यह अधिनियम बनाया गया था, जिनके बाधित होने पर लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित होगा।
- इसके अपने चार्टर में **"आवश्यक सेवाओं" की एक लंबी सूची** सम्मिलित है – जिसमें डाक और तार से लेकर सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं आदि सम्मिलित हैं।
- यह राज्यों को **आवश्यक सेवाओं को चुनने** की भी अनुमति देता है जिन पर यह अधिनियम लागू होगा।
- इसलिए, भारत संघ में प्रत्येक राज्य में अलग-अलग राज्य आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम है जिनके प्रावधान केंद्रीय कानून से थोड़ी भिन्नता रखते हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

- यह **कुछ विशेष वस्तुओं या उत्पादों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए** अधिनियमित किया गया था, जिसकी आपूर्ति में जमाखोरी या कालाबाजारी के कारण बाधा पड़ने पर लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित होगा।
- इसमें खाद्य पदार्थ, दवाएं, पेट्रोलियम उत्पाद आदि सम्मिलित हैं।

जनोपयोगी सेवा क्या है?

- वे **व्यावसायिक उपक्रम** जनोपयोगी सेवाएँ हैं जो आम जनता के लिए दैनिक आवश्यकता की **आवश्यक वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए हैं।**
- सभी जनोपयोगी उपक्रमों का दायित्व है कि वे बिना किसी भेदभाव के उचित मूल्य पर समुदाय में सभी को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करें।
- उन्हें इस प्रकार भी परिभाषित किया गया है:
    - कोई भी रेलमार्ग सेवा (या वायुमार्ग से यात्रियों या माल की ढुलाई करने वाली कोई भी परिवहन सेवा) या किसी भी प्रमुख पत्तन या गोदी (डॉक) के कामकाज से संबंधित कोई भी सेवा।
    - औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई भी भाग जिसके कामकाज पर प्रतिष्ठान या उसमें कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा निर्भर करती है।
    - कोई भी डाक, टेलीग्राफ या दूरभाष सेवा।
    - आम जनता को विद्युत, प्रकाश या पानी की आपूर्ति करने वाला कोई भी उद्योग।
    - सार्वजनिक सफाई-व्यवस्था या स्वच्छता की कोई भी प्रणाली।
    - औद्योगिक विवाद अधिनियम की (पहली अनुसूची) में निर्दिष्ट कोई भी उद्योग।
- "सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा" में अस्पताल या औषधालय की और बीमा सेवाएं भी शामिल हैं।

VISION IAS

3.19. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक

(International Financial Services Center Authority Bill)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) प्राधिकरण विधेयक, 2019** को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

IFSC क्या है?

- SEZ अधिनियम भारत में SEZ के भीतर भारत में IFSC की स्थापना का प्रावधान करता है और केंद्र सरकार को IFSC गतिविधियों का विनियमन करने हेतु समर्थ बनाता है।
- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (GIFT) को देश के पहले IFSC के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- IFSC को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 'मानद विदेशी क्षेत्र' नामित किया गया है, जिसका अन्य अपतटीय स्थानों की भांति समान पारितंत्र होगा, लेकिन जो भौतिक रूप से भारत की धरती पर है।
- IFSC में स्थापित किसी भी वित्तीय संस्थान (या उसकी शाखा)
  - को भारत से बाहर स्थित अनिवासी भारतीय माना जाएगा;
  - से ऐसी विदेशी मुद्रा में और ऐसी संस्थाओं, चाहे निवासी हो या अनिवासी, के साथ व्यापार करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि नियामकीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;
  - कुछ प्रावधानों के अधीन किन्हीं अन्य प्रावधानों में निहित कुछ भी IFSC में स्थित इकाई पर लागू नहीं होगा।
- इसकी कुछ प्रमुख सेवाओं में शामिल हैं:
  - व्यक्तियों, निगमों और सरकारों के लिए फंड जुटाने की सेवाएं
  - पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियों और म्यूचुअल फंड द्वारा किया जाने वाला परिसंपत्ति प्रबंधन और वैश्विक पोर्टफोलियो विविधिकरण
  - संपत्ति प्रबंधन
  - वैश्विक कर प्रबंधन और सीमा पार कर देयता अनुकूलन
  - बीमा और पुनर्बीमा जैसे जोखिम प्रबंधन परिचालन
  - पार-राष्ट्रीय निगमों के बीच विलय और अधिग्रहण गतिविधियाँ आदि।

विधेयक की आवश्यकता

- वर्तमान में, IFSC में स्थित बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र का कई नियामकों – क्रमश: RBI, SEBI और IRDAI द्वारा विनियमन किया जाता है। हालांकि, IFSC में व्यापार की परिवर्तनशील प्रकृति कारणउच्च अंतर-नियामक समन्वय आवश्यक हो जाती है।
- IFSC के लिए एकीकृत वित्तीय नियामक की स्थापना बाजार सहभागियों को विश्व स्तरीय विनियामकीय वातावरण और भारत में IFSC के आगे विकास के लिए उत्प्रेरण प्रदान करेगी।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण:** यह विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवा बाजार विकसित और विनियमित करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।
- **प्राधिकरण की संरचना:** इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नौ सदस्य होंगे - **अध्यक्ष; RBI, SEBI, IRDAI** और **PFRDA से नामित किए जाने वाले** चार सदस्य; **वित्त मंत्रालय** के अधिकारियों में से दो सदस्य; **चयन समिति** की अनुशंसा पर दो सदस्यों की नियुक्ति की जानी है।
- **कार्य**: इसके प्रमुख कार्यों में IFSC में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों का विनियमन करना सम्मिलित है।
- **विदेशी मुद्रा में लेनदेन:** विधेयक के अनुसार, IFSC में वित्तीय सेवाओं के सभी लेनदेन केंद्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा यथा निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में होंगे।
- **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निधि की स्थापना:** केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार और विभिन्न स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशियां इस निधि में जमा की जाएंगी।

3.20. औषधियों की कीमत निर्धारण

(Pricing of Drugs)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की एक संसदीय स्थायी समिति ने "औषध (कीमत निर्धारण) आदेश, 2013 के संदर्भ में औषधियों का कीमत निर्धारण" विषय पर अपनी रिपोर्ट पर प्रस्तुत की।

VISION IAS

NPPP के सिद्धांत

- **औषधियों की अनिवार्यता**: औषधियों की कीमतों का विनियमन NLEM के अनुसार बताई गई औषधियों की अनिवार्यता के आधार पर होता है।
- **केवल फॉर्मूलेशन कीमतों पर नियंत्रण:** केवल फॉर्मूलेशन कीमतों (अर्थात्, केवल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली दवाएं, न कि अपस्ट्रीम उत्पाद, जैसे- थोक औषधियों या मध्यवर्ती औषधियां) को ही विनियमित किया जाना है, थोक औषधियों (1994 की ड्रग नीति के विपरीत) की कीमतों को नहीं।
- **बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण**: उच्चतम कीमत का निर्धारण 'बाजार के आंकड़ों' के आधार पर किया जाता है, जिनके अंतर्गत खुदरा व्यवसायी को दी गई औसत कीमत तथा स्थानीय करों को कीमत निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाता है।

NPPP की विशेषताएं

- **कीमत निर्धारण की पद्धति**: आवश्यक औषधियों की उच्चतम कीमतों का निर्धारण, दवा के उन सभी ब्रांडों (एक विशेष चिकित्सीय खंड) की कीमतों के सरल औसत के आधार पर किया जाता है, जिनकी बाजार में कम से कम 1 प्रतिशत की हिस्सेदारी होती है।
- **कीमतों में संशोधन**: अनुसूचित औषधियों की उच्चतम कीमतों में वार्षिक वृद्धि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के अनुसार की जाती है।
- **गैर-अनुसूचित निरूपण** : गैर-अनुसूचित औषधियों की कीमतों में प्रति वर्ष केवल 10% की वृद्धि की जाती है, ताकि औषधियों की समग्र कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।
- **आयातित औषधियों के लिए कोई अलग मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है** (यदि DPCO की पहली अनुसूची में उल्लिखित है)।

औषधियों की कीमतों को नियंत्रित करने की आवश्यकता

- NSSO के 71वें दौर के सर्वेक्षण (2014) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल चिकित्सा व्यय का लगभग 72% और शहरी क्षेत्रों में 68% औषधियों की खरीद पर व्यय किया गया था। इसलिए, सभी वर्गों के लोगों द्वारा चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने में **औषधियों की वहनीयता** एक महत्वपूर्ण तत्व है।
- बीमा में केवल अस्पताल में भर्ती होने वाले बिल सम्मिलित होते हैं, औषधियों की लागत को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। **जेब से किए जाने वाले व्यय का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा औषधियों पर खर्च किया जाता है।**
- लोगों के बीच सरकार द्वारा **आपूर्ति कराई जाने वाली नि:शुल्क औषधियों** और जेनेरिक औषधियों के बारे में **जागरूकता का अभाव** है। चिकित्सीय पेशेवरों, दवा विक्रेताओं और फॉर्मा कंपनियों के बीच एक सांठगांठ रहती है।

राष्ट्रीय औषध कीमत निर्धारण एजेंसी

- **यह 1997 में गठित रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र, कार्यकारी निकाय है।**
- इसका मुख्य कार्य ड्रग्स (कीमत नियंत्रण) आदेश (DPCO) के अंतर्गत अनुसूचित निरूपण की कीमतों को तय करना और उन्हें संशोधित करना है।
- यह बाजार की निगरानी के माध्यम से अनुसूचित दवाओं की कीमतों की जाँच और प्रवर्तन भी करती है।
  - अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में NPPA अधिकारियों द्वारा नमूनों की खरीद।
  - व्यक्तियों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा शिकायतों की जांच।
- कीमत की सीमाओं का पालन करने में विफल कंपनियां NPPA को अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होती है|
- NPPA दवाओं की वहनीयता, उपलब्धता और पहुंच से संबंधित औषध नीति व मुद्दों पर सरकार को निविष्टियाँ प्रदान करती है।

भारत में मूल्य नियंत्रण पद्धति का विकास

- **अनिवार्य उत्पाद अधिनियम 1955** के अंतर्गत विदित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश [DPCO] का उद्देश्य थोक औषधियों को और अधिक किफ़ायती बनाने के लिए उनकी कीमतों को और उनके निरूपण को विनियमित करना है।
- आरंभ में, **औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश** मुख्य रूप से लागत-आधारित कीमत निर्धारण के माध्यम से समग्र लाभप्रदता को सीमित करने पर केंद्रित थे।
- **राष्ट्रीय औषध (फार्मास्युटिकल) कीमत निर्धारण नीति 2012** ने औषधियों की कीमत निर्धारण के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया ताकि उचित मूल्य पर आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और साथ ही इस उद्योग-क्षेत्र की वृद्धि के लिए आवश्यक नवाचार व प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जा सके।
  - राष्ट्रीय औषध कीमत निर्धारण नीति (NPPP), कीमतों को नियंत्रित करने वाली नियामक नीति है और इस कीमत नियंत्रण को DPCO आदेश द्वारा प्रवर्तित किया जाता है।

VISION IAS

- NPPP को तहत **औषध कीमत नियंत्रण आदेश (DPCO) 2013** के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। आवश्यक औषधियों की सूची उनकी खुराक व क्षमता के साथ, DPCO की **अनुसूची-1** में सम्मिलित हैं और उच्चतम मूल्य के अधीन हैं।

- वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, स्वास्थ्य मंत्रालय **आवश्यक औषधियों की एक राष्ट्रीय सूची (NLEM)** तैयार करता है। **NLEM 2015** के अंतर्गत, कुल 376 दवाएं कीमत नियंत्रण के अधीन आती हैं।
- NLEM के आधार पर, **राष्ट्रीय औषध कीमत निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)** DPCO के प्रावधानों का उपयोग करके निरूपण की कीमतों का निर्धारण करता है और इसके अनुपालन की निगरानी करता है।
  - सभी आवश्यक औषधियों (NLEM के अंतर्गत परिभाषित) को अनुसूचित सूत्रीकरण (DPCO-2013 के अंतर्गत) के रूप में देखा जाता है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि कीमत नियंत्रण के अंतर्गत लाई गई सभी दवाएं आवश्यक दवाएं समझी जाएंगी।
- इसके अतिरिक्त, अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित औषधियों की कीमतों के उतार-चढ़ाव में और आवश्यक औषधियों की उपलब्धता में **प्रभावी नियंत्रण तथा विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए, औषधि कीमत नियंत्रण आदेश 2013** के अंतर्गत निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया था:
  - सरकार के पास सार्वजनिक हित के लिए किसी भी चिकित्सीय आवश्यकता को कीमत नियंत्रण के अंतर्गत लाने का अधिकार है। इस प्रावधान का उपयोग हृदय-संबंधी स्टंट और घुटना प्रत्यारोपण की कीमतों की उच्चतम सीमा को निश्चित करने हेतु किया गया है।
  - उच्चतम कीमत से कम कीमत पर अनुसूचित सूत्रीकरण (फॉर्मुलेशंस) को बेचने वाले निर्माता को उप-उच्चतम कीमत को बनाए रखना होगा।
  - पहली अनुसूची के अंतर्गत परिभाषित औषधियों के संयोजन/क्षमता/खुराक के नए रूपों का उत्पादन करने में इच्छुक विनिर्माताओं को इन औषधियों को बेचने से पूर्व इनकी कीमतों को अनुमोदित कराना होगा।
  - आवश्यक औषधियों के निर्माण को बंद करने से पूर्व विनिर्माताओं को सरकार से अनुमति लेनी होगी।
- यह ध्यान रखना उचित होगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित **औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940** के अंतर्गत औषधियों के कीमत निर्धारण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

थोक औषध या सक्रिय औषध सामग्री (API) का आशय किसी भी चिकित्सीय, रासायनिक, जैविक अथवा वनस्पति उत्पाद से है जिसमें उसके लवण, एस्टर्स, आइसोमर्स, एनालॉग और यौगिक शामिल होते हैं, और जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हैं तथा जिनका उपयोग इसी रूप में या किसी निरूपण के एक घटक के रूप में किया जाता है।

निरूपण या फार्मूलेशन – का आशय उस औषध से है जिसे एक या एक से अधिक औषधियों में से परिष्कृत किया जाता है या ऐसी औषध जो एक या अधिक औषधियों से युक्त है, तथा जिनका उपयोग किसी रोग के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए, आंतरिक या बाह्य रूप से, किसी चिकित्सीय सहायता के प्रयोग के साथ या उसके अतिरिक्त किया जाता है, लेकिन इसमें कोई आयुष (AYUSH) औषध को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

बाजार-आधारित कीमत निर्धारण प्रणाली को DPCO, 2013 में क्यों पेश किया गया था?

2013 से पहले, DPCO एक लागत-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली का पालन करता था, यह प्रणाली **उचित लाभांश के साथ किसी दवा के निर्माण में लगी लागतों पर आधारित** थी। लेकिन, ऐसी प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं:

- **लाभांश की उचित सीमा निर्धारण में कठिनाई**: फार्मा उद्योग में, एक नई दवा (औषधि) की खोज में संघर्ष की एक लंबी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, जिसमें सैकड़ों यौगिकोण के परीक्षण के बाद एक या दो औषधियां प्राप्त होती हैं।
- इस प्रकार, नई औषधियों के अनुसंधान एवं विकास में बहुत समय लगता है और इनमें लागत भी अत्यधिक आती है। इसलिए इसे उचित रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **निविष्टियों की अलग-अलग लागत**: एक ही औषधि का निर्माण अलग-अलग पैमाने की कई कंपनियों द्वारा किया जा सकता है और इस प्रकार, इनके निवेश की लागत भी अलग-अलग होगी। लागत-आधारित कीमत निर्धारण में एकरूपता बनाए रखना कठिन होगा।
- **अंकेक्षण लागत की समस्या**: कई कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक कारणों से विनिर्माण प्रक्रिया में लगने वाली वास्तविक लागतों का विभाजन नहीं करती हैं। सत्यापन की प्रक्रिया हस्तक्षेपी इंस्पेक्टर राज को जन्म दे सकती है और लालफीताशाही को बढ़ा सकती है।

इस प्रकार, सरकार ने इस क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने और नवाचार व अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार-आधारित कीमत निर्धारण नीति को अपनाने का निर्णय लिया है।

भारत में औषधियों के कीमत-नियंत्रण की व्यवस्था में आने वाले विवाद

- **आवश्यक औषधियों की आपूर्ति में कमी**: उच्चतम कीमत का निर्धारण अनुसूचित औषधियों के निर्माण को लाभहीन बना देता है, इसलिए कई दवा कंपनियां विशेषकर छोटी कंपनियां गैर-अनुसूचित औषधियों के निर्माण की ओर खिसक जाती हैं। इससे कई आवश्यक औषधियों की आपूर्ति बंद हो गई है। उदाहरण के लिए:
    - NPPA द्वारा फ्यूरोपेड (Furoped) (हृदय रोग वाले बच्चों के लिए एक जीवनरक्षक दवा) की उच्चतम कीमत निर्धारित करने के बाद इसकी आपूर्ति लगभग 40 प्रतिशत कम हो गई थी।
    - हृदय-संबंधी स्टंट और घुटना प्रत्यारोपण की कीमतों की उच्चतम सीमा के विरुद्ध भी इसी प्रकार के तर्क दिए गए हैं।
- **गैर-आवश्यक औषधियों पर नियंत्रण का अभाव**: NPPA के पास गैर-आवश्यक औषधियों के मामले में कीमत नियंत्रण का अधिकार नहीं है, जिसमें औषधियों की घरेलू बिक्री का लगभग 90 प्रतिशत सम्मिलित है। स्तन कैंसर जैसे जानलेवा रोगों के लिए आवश्यक कई औषधियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है।
- **फॉर्मा कंपनियों और अस्पतालों के बीच सांठ-गांठ**: अस्पताल अपनी सुविधाओं के भीतर उपचार के लिए अधिक शुल्क लेते हैं, और साथ ही रोगियों को वितरकों से स्वतंत्र रूप से दवाएं (औषधि) भी नहीं लेने देते हैं। फॉर्मा कंपनियां औषध की खुदरा कीमत अधिक रखती हैं, लेकिन उनके ब्रांडों को लिखने के लिए अस्पतालों को भारी कटौती देती हैं।

समिति द्वारा की गई अनुशंसाएँ

- **आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची:**
    - प्रत्येक दवा उस बीमारी के उपचार के संदर्भ में आवश्यक है जिसके लिए वह तैयार की गई है। NLEM की वर्तमान नामावली उचित नहीं है और इसकी समीक्षा की जा सकती है और उपयुक्त रूप से इसे संशोधित किया जा सकता है।
    - इसके अतिरिक्त, अनिवार्य एवं जीवनरक्षक औषधियों की वर्तमान सूची को बढ़ाया जाना चाहिए।
    - साथ ही, अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची (NLEM) की समीक्षा और संशोधन के लिए कोर समिति में NPPA को स्थायी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- **बाजार-आधारित कीमत-निर्धारण**: देश में दवा की कीमतों पर बाजार-आधारित और लागत-आधारित कीमत निर्धारण प्रणालियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए।
    - कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सुझाव है कि लागत-आधारित कीमत निर्धारण वास्तव में औषधियों को मितव्ययी बना देगा।
- **जन औषधि स्टोर**: सभी जिलों में अधिक कार्यात्मक जन औषधि स्टोर खोले जाने चाहिए और वितरकों तथा संवहन व प्रेषण अभिकर्ताओं (C&F) को नियुक्त करके आपूर्ति श्रृंखला में सुधार किया जाना चाहिए। लोगों में **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना (PMBJP)** के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।
- **जेनेरिक दवाइयाँ**: डॉक्टरों को ब्रांड का नाम देने के बजाय दवा का जेनेरिक नाम लिखने की सलाह देनी चाहिए।
- **कड़े दंड प्रावधान**: यदि कोई निर्माता NPPA द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अतिरिक्त राशि (उच्चतम कीमत से अधिक राशि) वापस नहीं करता है, तो ऐसी कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे खुदरा विक्रेता जो औषधियों/चिकित्सीय उपकरणों के लिए अधिक पैसा लेते हैं, उन पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है।
- **बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण**: अप्रामाणिक/अमानक गुणवत्ता वाली औषधियों की बेहतर पहचान के लिए और इन औषधियों की बिक्री/वितरण पर अंकुश लगाने के लिए औषधियों के नमूनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। अप्रामाणिक/अमानक गुणवत्ता वाली औषधियों के निर्माण, बिक्री और वितरण के विरुद्ध चलाये गए अभियोगों पर समयबद्ध निर्णय लेने की भी आवश्यकता है।
- **NPPA की संरचना**: NPPA की वर्तमान संरचना को अधिक पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए विस्तारित करने की आवश्यकता है ताकि संगठन की प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया जा सके।

VISION IAS

3.21. रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार

(Strategic Petroleum Reserve)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में विशाखापट्टनम अवस्थित रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार (स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व: SPR) सुविधा का संचालन आरंभ किया गया।

रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार के बारे में

- यह कच्चे तेल के भंडारण की एक व्यवस्था है, जो बाह्य आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने या आपूर्ति के बेमेल होने की दशा में आघात सहन करने में सक्षम बनाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) और भारत की एकीकृत ऊर्जा नीति, 2006 द्वारा रणनीतिक तेल भण्डार के सन्दर्भ में निर्धारित किए गए वैश्विक मानक यह अनुशंसा करते हैं कि **देश को 90 दिनों के तेल आयात के समतुल्य भंडार बनाए बनाए रखना चाहिए** जिसका उपयोग रणनीतिक-सह-बफर भंडार के रूप में किया जा सके।
- कच्चे तेल के भंडारण स्थलों का निर्माण **भूमिगत शैल कंदराओं** में किया जाता है और ये भारत के **पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर** अवस्थित हैं।
- उन्हें अधिक पर्यावरण अनुकूल माना जाता है और भूतल पर किए जाने वाले भंडारण की तुलना में उनमें वाष्पोत्सर्जन से होने वाली क्षति कम होती है।
- भंडारण सुविधाओं के निर्माण का रखरखाव **भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड,** (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड का एक स्पेशल पर्पज व्हिकल) द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में, ऐसे रणनीतिक भंडार विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश), मंगलौर (कर्नाटक), और पदुर (केरल) में अवस्थित हैं।
- इसके अतिरिक्त, चंडीखोल (उड़ीसा), बीकानेर (राजस्थान) और राजकोट (गुजरत) में तीन अतिरिक्त परियोजना पर कार्य जारी है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

- इसकी स्थापना वर्ष 1974 में तेल की आपूर्ति में व्युत्पन्न होने वाले व्यवधानों के प्रति देशों को सामूहिक रूप से अनुक्रिया करने में सहायता करने के लिए की गई थी।
- यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के ढांचे के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।
- केवल OECD के सदस्य राष्ट्र ही IEA के सदस्य हो सकते हैं।
- भारत इसका **सदस्य नहीं है** किन्तु यह IEA के साथ एक **एसोसिएशन कंट्री** के तौर पर जुड़ा हुआ है। यह **वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक (WEO)** का प्रकाशन करती है।
- IEA का सदस्य होने के लिए, किसी देश के पास पिछले वर्ष के निवल आयातों के 90 दिनों के समतुल्य पेट्रोलियम उत्पाद का अनिवार्य भंडार होना चाहिए।

3.22. वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक

(Global IP Index)

सुर्खियों में क्यों?

US चेंबर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में अपना वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया।

वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019

- यह वार्षिक **अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक** का **सातवाँ संस्करण** है, जो एक नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण 45 संकेतकों के आधार पर विश्व की 50 अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा संबंधी परिवेश का विश्लेषण करती है।

- इस सूचकांक के वर्ष **2018** के संस्करण में भारत को **44वां** स्थान प्राप्त हुआ था। इस वर्ष इसके रैंकिंग में 8 स्थानों का सुधार हुआ है और इसे 36वां स्थान प्राप्त हुआ।
- हालांकि, सुधारों के बावजूद कुछ **बाधाएं** अभी भी विद्यमान हैं, जैसे- लाइसेंस प्राप्त करने और प्रौद्योगिकी अंतरण से संबंधित बाधाएं, कठोर पंजीकरण आवश्यकताएं, बायोफार्मा बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीमित फ्रेमवर्क, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बाहर पेटेंट के लिए पात्र होने संबंधी आवश्यकताएं इत्यादि।

संबंधित जानकारी

- रक्षा क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **"बौद्धिक संपदा संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु"** रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन **बौद्धिक संपदा अधिकार सुविधा (IPF) प्रकोष्ठ** स्थापित किया गया है।
- साथ ही रक्षा उत्पादन विभाग ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति'** भी लॉन्च किया है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board) अपने संबंधित संगठन में बौद्धिक संपदा अधिकार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित हो सकें।

4. सुरक्षा (Security)

4.1. आतंकी गतिविधियां और भारत-पाकिस्तान संबंधों में परस्पर संशय की स्थिति

(Terror Activities and Mutual Distrust in India-Pakistan Relations)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले के कारण भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो विगत कुछ वर्षों के संदर्भ में सर्वाधिक तनावपूर्ण स्थिति है।

भारत-पाकिस्तान संबंधों में आतंकवाद की पृष्ठभूमि

- पाकिस्तान के **द्वि-राष्ट्र सिद्धांत** से उत्पन्न, जम्मू और कश्मीर (मुस्लिम बहुल राज्य) पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर दोनों देशों के मध्य कई युद्ध और संघर्ष की घटनाएँ हो चुकी हैं।
- किन्तु 1971 में बांग्ला भाषी मुस्लिम आबादी द्वारा एक नए देश बांग्लादेश के गठन के बाद इस द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का त्याग कर दिया गया था।
- 1971 के पश्चात् पाकिस्तान द्वारा अपनी इस नीति में परिवर्तन किया गया। पाकिस्तान की **सैन्य अक्षमता**, भारत के विरुद्ध **असममित युद्ध** (asymmetric warfare) लड़ने की स्वयं की नीति में परिवर्तन करने का कारण बनी। पाकिस्तानी डीप स्टेट (सेना और ISI) ने भारत से निपटने के लिए अपनी **राज्य नीति के रूप में आतंकवाद** को पोषित किया।
- इस नीति के कारण ही दोनों देशों के मध्य **परस्पर अविश्वास** उत्पन्न हुआ है।
- जब भी दोनों देशों की सरकारों ने विश्वास बहाली उपायों (जैसे- बस कूटनीति, खेल, शिखर सम्मेलन, करतारपुर कॉरिडोर) को स्वीकृति प्रदान करने का प्रयास किया, सीमा पार आतंकी गतिविधियों ने इस प्रकार के भारत-पाक संवाद के समक्ष बाधा उत्पन्न की है।

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **सैन्य प्रयास -** भारत द्वारा 2016 और 2019 में पाकिस्तानी आतंकी शिविरों पर हमला किया गया। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर में अभी आतंकवादियों को समाप्त करने हेतु **मिशन ऑल आउट** प्रारम्भ किया गया है।
- **आर्थिक प्रयास -** भारत सरकार ने पाकिस्तान से **"मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)"** का दर्जा वापस ले लिया है।
- **रणनीतिक परिवर्तन -** भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में **बलूच स्वतंत्रता संग्राम** का प्रत्यक्ष रूप से अभूतपूर्व संदर्भ दिया था।
- **कूटनीतिक प्रयास -**
  - अमेरिका, रूस, फ्रांस, यू.के. और ऑस्ट्रेलिया सहित सभी **प्रमुख देशों द्वारा** भारत की आतंकवाद विरोधी गतिविधियों का समर्थन किया गया है। हाल ही में, सऊदी अरब और इस्लामिक देशों के संगठन ने भी आतंक पर भारत के पक्ष का समर्थन किया है।
  - भारत ने जम्मू और कश्मीर में बांध बनाकर **सिंधु जल संधि** के तहत अपने हिस्से के जल का पूर्णतः उपयोग करना आरंभ कर दिया है।
  - 2016 में उरी हमले के पश्चात्, भारत ने पाकिस्तान को **19वें SAARC सम्मेलन** में सफलतापूर्वक अलग-थलग कर दिया था। तब से लेकर अब तक, SAARC के सम्मेलनों का आयोजन नहीं किया गया है।
- **आतंकवाद रोधी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास -** भारत द्वारा आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा को अपनाने और इससे निपटने हेतु **अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद रोधी-संधि पर व्यापक अभिसमय (CCIT)** के तहत आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया गया है।

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी गतिविधियों का प्रभाव

- **क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में बाधा -** जैसे भारत, अफगानिस्तान और ईरान में हुए हालिया हमले। इसके कारण पीपल-टू-पीपल संपर्क बहाली बाधित होती है। साथ ही यह क्षेत्र आज परमाणु शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा केंद्र (hotbed) बन गया है।
- **SAARC और व्यापार के समक्ष अवरोध -** संबंधों में अवरोध उत्पन्न करने की पाकिस्तान की नीति एवं आतंक की राजनीति के कारण, दक्षिण एशियाई उप-महाद्वीप यूरोपीय संघ और अन्य सगठनों के समान क्षेत्रीय व्यापार, बाजार पहुंच और समृद्धि से वंचित रह गया है।
- **संसाधनों का उपयोग हथियारों की खरीद के लिए -** दोनों देशों के मध्य बढ़ती हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा के कारण, संसाधनों का व्यय किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इन संसाधनों का उपयोग इस क्षेत्र में अन्य मानव जनसांख्यिकीय चुनौतियों, जैसे- निर्धनता, रोगों आदि का समाधान करने हेतु किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 2000-2016 की अवधि के दौरान, जम्मू और कश्मीर को 1.14 ट्रिलियन रुपये का अनुदान प्रदान किया जा चुका है और इसका अधिकांश भाग सुरक्षा पर व्यय किया गया है।
- **छोटे निर्वाचन क्षेत्र द्वारा बहुसंख्यक हितों के समक्ष अवरोध उत्पन्न करना -** इसके अंतर्गत, पाकिस्तान का डीप स्टेट और कश्मीर घाटी का एक छोटा क्षेत्र शामिल है जिनके द्वारा क्षेत्र में संचालित होने वाले समग्र संवादों को बाधित किया गया है।

VISION IAS

- **विकास के अभाव** के कारण इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति में वृद्धि हो रही है जो एक ऐसे दुष्चक्र का निर्माण करता है जिससे इस क्षेत्र के युवाओं का उग्रवादी गतिविधियों में शामिल होने का अंदेशा बना रहता है।

समग्र आतंकी अवसंरचना की समाप्ति हेतु बहु-आयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है

- **पाकिस्तान आधारित आतंक से निपटने हेतु -**
  - **आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही -** एक सुदृढ़ नीति विकसित की जानी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान के डीप स्टेट द्वारा भारत के विरुद्ध आतंक को प्रायोजित किए जाने पर कठोर कार्यवाही की जा सके, जैसे- हाल ही में बालाकोट पर किया गया हवाई हमला।
  - **रक्षा अवसंरचना को सतर्क बनाना -** भारतीय रक्षा बलों को सभी स्तरों (चाहे नियंत्रण रेखा हो या जम्मू और कश्मीर या कोई अन्य क्षेत्र) पर अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।
  - पाकिस्तान पर दबाव बनाने हेतु **उसे आतंकी राज्य घोषित करना**। इसके लिए यह आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत का समर्थन करे।
  - **आर्थिक उपाय -** पाकिस्तान के पास बहुत कम विदेशी मुद्रा भंडार है और साथ ही उस पर अत्यधिक विदेशी ऋणों का भार भी बना हुआ है। यदि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF) द्वारा पाकिस्तान को **ब्लैक लिस्ट** की सूची में शामिल कर दिया जाता है, तो उसके समक्ष गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार के दबाव को पाकिस्तान पर बनाए रखा जाना चाहिए।
  - **पाकिस्तान के निकट सहयोगी देशों के साथ वार्ता करना -** आतंकवाद (आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाना या आतंकवाद-विरोधी गतिविधियों पर कार्य करना) पर भारत के पक्ष का समर्थन करने हेतु चीन, सऊदी अरब, तुर्की जैसे देशों के साथ वार्ता करने की आवश्यकता है।
  - **सामूहिक बहिष्कार -** पाकिस्तान प्रायोजित किसी भी आतंकी गतिविधि का जवाब संपूर्ण देश को संगठित रूप में देना चाहिए। बॉलीवुड, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के माध्यम से भी पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का सॉफ्ट एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए।
- **भारत की आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु**
  - **कश्मीर आउटरीच-** लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, **उड़ान** जैसी योजनाओं के तहत रोजगार के अवसरों, उग्रवादी गतिविधियों में शामिल युवाओं के साथ वार्ता करना आदि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - **आसूचना का संग्रहण -** विभिन्न एजेंसियों, सुरक्षा बलों और लोगों के मध्य समन्वय स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ व्यापक आसूचना सुधारों की आवश्यकता है।
  - **राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (NCTC) -** NCTC पर आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। इसका प्रस्ताव 2008 के मुंबई हमलों के पश्चात् रखा गया था, जो कि एक संघीय आतंकवाद-रोधी एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
  - **डी-रेडिकलाइज़ेशन-** ISIS के खतरों को देखते हुए लोन वुल्फ अटैक एवं डी-रेडिकलाइज़ेशन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं।
  - **आतंकवाद के वित्तपोषण को समाप्त करना -** आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु उपयोग किए जाने वाले धन के सभी स्रोतों को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। हाल ही में जमात-ए-इस्लामी पर की गई कार्रवाई के समान इसी प्रकार के अन्य संगठनों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

पाकिस्तान की एक राजकीय नीति के रूप में आतंकवाद

- पाकिस्तान में डीप स्टेट द्वारा इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों **(मुजाहिदीन)** को, अपने विरोधियों के विरुद्ध प्रयोग किए जाने वाले रणनीतिक साधन के रूप में पोषित किया गया है।
- इस रणनीति को अफगानिस्तान में USSR के विरुद्ध अमेरिका द्वारा वित्त पोषित मुजाहिदीनों की सफलता के बाद तीव्रता से अपनाया गया था।
- ऐसे समूह मुख्यतः तीन प्रकार के हैं-
  - **भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले समूह -** उदाहरण के लिए, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आदि।
  - **अफगानिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले समूह -** उदाहरण के लिए, अल-कायदा और तालिबान।
  - **पाकिस्तानी तालिबान** (तहरीक-ए-तालिबान-पाकिस्तान) - यह समूह घातक रूप ले चुका है और इसके द्वारा स्वयं पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध ही संघर्ष किया जा रहा है।
- **आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का अभाव -** पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कठोर कार्रवाई का अनिच्छुक रहा है अर्थात् उदासीन बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय दबावों को कम करने हेतु आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध दिखावटी **कार्रवाई** की जाती है।
- इसके अतिरिक्त, यदि सशस्त्र विद्रोह होता है तो पाकिस्तान सैन्य रूप से आतंकवाद से निपट नहीं पाएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि इन समूहों का पाकिस्तान में कुछ क्षेत्रों पर भी प्रभाव है।

VISION IAS

पाकिस्तान-आधारित आतंकवाद के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में परिवर्तन

- 14 फरवरी 2019 को **जम्मू-कश्मीर के पुलवामा** में एक वाहन के माध्यम से आत्मघाती हमला किया गया **जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे।**
- इस हमले का संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह **जैश-ए-मोहम्मद** से था।
- 26 फरवरी को, भारतीय वायुसेना द्वारा **पाकिस्तान के बालाकोट** स्थित प्रशिक्षण शिविर केन्द्रों के समूह पर वायु हमला किया गया।
- यह भारत द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया से संबंधित दृष्टिकोण में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह आतंक से लड़ने के लिए **गैर-सैन्य, गैर-नागरिक लक्ष्य आधारित एक प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक (निवारक कार्रवाई)** थी।
- यह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ ही तत्कालीन दशाओं को युद्ध में परिणत होने से रोकने के लिए लिया गया एक परिपक्व निर्णय था।

पाकिस्तान स्थित आतंकवाद की अवसंरचना से निपटने से जुड़े मुद्दे

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लंबे समय तक पाकिस्तान को पूर्णतः अलग-थलग करना कठिन है, क्योंकि इसके पास -
  - बृहत् जनसंख्या है;
  - परमाणु क्षमता है; तथा
  - पाकिस्तान का समर्थन करने वाले इस्लामिक राष्ट्र हैं।
- पाकिस्तानी राज्य के अंगों (चाहे वह कार्यपालिका हो या न्यायपालिका या सिविल सोसाइटी) को उसके डीप स्टेट द्वारा निष्प्रभावी बना दिया गया है। अतीत में भी जब कभी किसी अन्य अंग द्वारा आवाज उठाने का प्रयास किया गया है, उनकी शक्ति को डीप स्टेट द्वारा निष्प्रभावी बना दिया गया है।
- पाकिस्तान में डीप स्टेट उस रोग के समान बन गया है, जिसका उपचार करना संभव नहीं है। यदि परमाणु हथियार आतंकवादी समूहों के नियंत्रण में आ जाते हैं, तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बन सकता है।

4.2. प्रोजेक्ट 75-I

(PROJECT 75-I)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत प्रोजेक्ट 75 (I) के **छह** पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई।

विवरण

- प्रोजेक्ट 75 इंडिया (P-75I) भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बियों का ही उत्तरवर्ती चरण है।
- इस परियोजना के तहत, भारतीय नौसेना ने छह डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है, जिसमें उन्नत **एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम** की सुविधा भी विद्यमान होगी ताकि पनडुब्बियां अधिक समय तक जलमग्न रह सकें तथा साथ ही इनकी परिचालन सीमा में पर्याप्त वृद्धि की जा सके।
- स्कॉर्पीन श्रेणी की ये छह पनडुब्बियां वर्तमान में भारतीय नौसेना के **'प्रोजेक्ट 75'** के तहत निर्मित की जा रही हैं।
- **फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप** द्वारा डिजाइन की गई पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
- इनमें से **पहली पनडुब्बी, INS कलवरी** को दिसंबर 2017 में शामिल किया गया था और दूसरी पनडुब्बी, **INS खंडेरी** का समुद्री परीक्षण किया जा रहा है जबकि तीसरी पनडुब्बी **INS करंज** निर्माणाधीन है।
- P-75I परियोजना 30-वर्षीय पनडुब्बी निर्माण परियोजना (2030 में समाप्त) का भाग है। इसके अंतर्गत, भारत द्वारा 24 पनडुब्बियों अर्थात् 18 पारंपरिक पनडुब्बियों और छह परमाणु-चलित पनडुब्बियों (SSNs) का निर्माण किया जाएगा।

रणनीतिक साझेदारी मॉडल (Strategic Partnership Model: SPM)

- **SPM मॉडल के तहत चार खंड हैं** - पनडुब्बियाँ, एकल इंजन युक्त लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद वाहन/मुख्य युद्धक टैंक। इनके लिए विशेष रूप से **निजी क्षेत्र की भागीदारी** को बढ़ाया जाएगा।
- इस नीति के तहत प्रत्येक खंड के लिए एक भारतीय निजी कंपनी का चयन किया जाएगा जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत भारत में प्लेटफॉर्मों का निर्माण करने हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) के साथ साझेदारी करेगी।
- इसकी अनुशंसा पहली बार 2015 में **धीरेंद्र सिंह समिति** द्वारा की गई थी और इसे **रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016** द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

- इसके तहत रक्षा प्लेटफॉर्मों के निर्माण के लिए उद्यम स्थापित करने हेतु **49 प्रतिशत FDI** सीमा निर्धारित की गई है और इन कंपनियों पर भारतीय संस्थाओं का नियंत्रण होगा।

संभावित लाभ

- यदि रणनीतिक साझेदारी मॉडल को बेहतर तरीके से लागू किया जाता है, तो इसके माध्यम से निजी क्षेत्र और बड़े भारतीय रक्षा उद्योग दोनों लाभान्वित हो सकते हैं।
- निजी क्षेत्रों को बड़े अनुबंधों (जिनका मूल्य निष्पादन के प्रारंभिक चरण में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक है) में सहभागिता का अवसर प्राप्त होगा, जो अब तक DPSUs (रक्षा क्षेत्र वाले सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम) और OFs (आयुध कारखानों) के लिए ही आरक्षित थे।
- यह मॉडल भारतीय निजी क्षेत्र और रक्षा मंत्रालय के मध्य लम्बे समय से व्याप्त अविश्वास को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्रालय से सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किए जाने की अपेक्षा की गई है।
- इसके अतिरिक्त, भविष्य में निजी क्षेत्र की कंपनियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे इस प्रक्रिया में विकसित होने वाली प्रौद्योगिकी, जनशक्ति और अवसंरचना के कुशल उपयोग के लिए अपनी गतिशीलता, प्रतिस्पर्द्धात्मकता एवं लाभ-केन्द्रित प्रकृति का पूर्ण दोहन करें और साथ ही असैनिक क्षेत्र के साथ संपर्क स्थापित करें।

चिंताएं

- जमीनी स्तर पर इसे लागू करने हेतु संस्थागत क्षमता और अभिशासन तथा नीति के अभाव के साथ-साथ कुछ कानूनी मुद्दे भी विद्यमान हैं।
- दूसरा मुद्दा, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को प्राप्त विशेषाधिकार स्थिति के कारण SPs की दीर्घकालिक व्यवहार्यता है क्योंकि सरकार द्वारा प्रायः बड़े अनुबंधों को सार्वजनिक क्षेत्र को ही प्रदान किया जाता है।
- निजी कंपनियों द्वारा प्रत्येक सैन्य खंड में केवल एक रणनीतिक भागीदार होने के प्रावधान का विरोध किया गया है। इस क्षेत्र में बहुत कम कंपनियाँ होने के कारण प्रतिस्पर्द्धा में कमी हो सकती है।

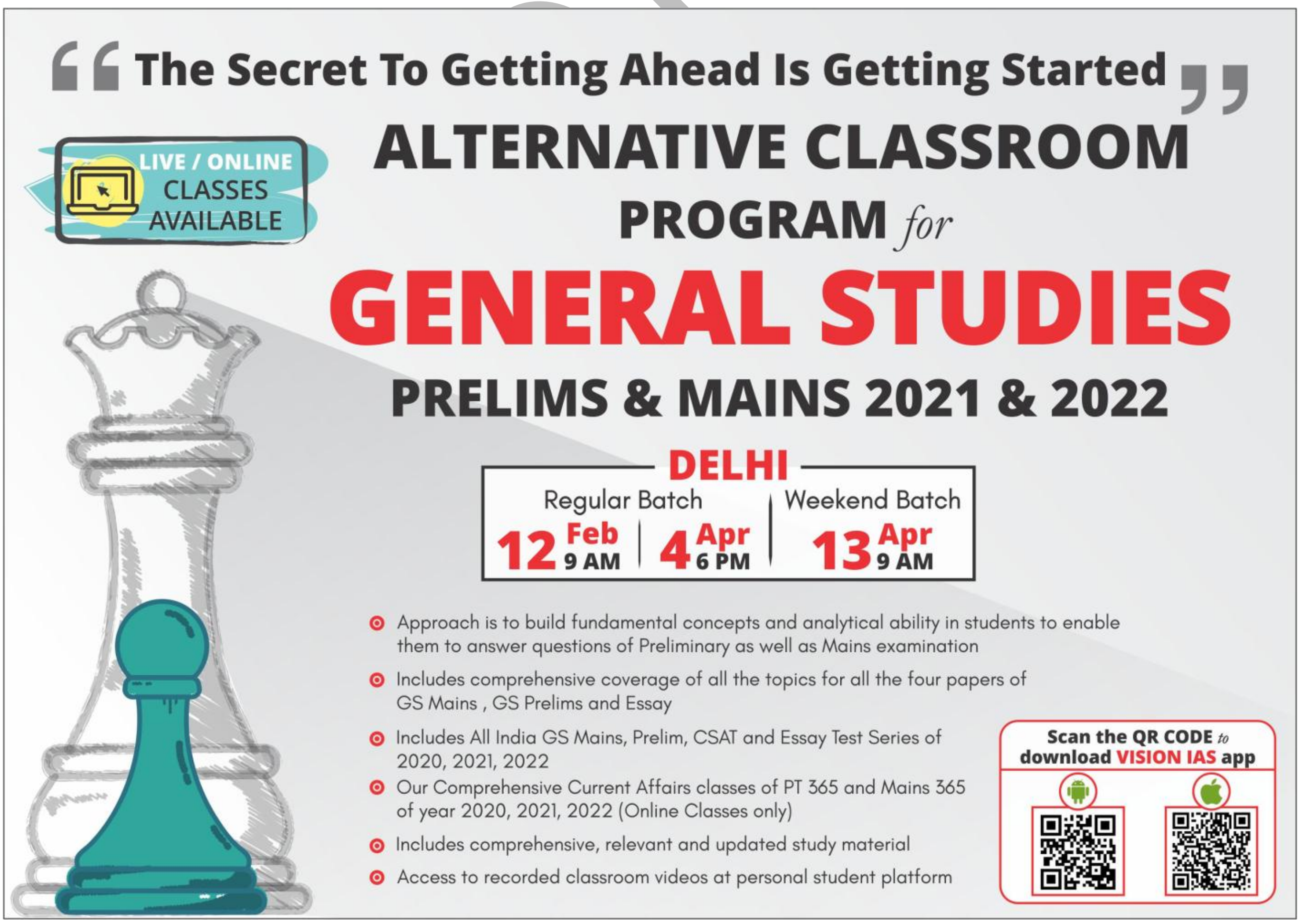

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. हिन्दुकुश हिमालय आकलन रिपोर्ट

(Hindu Kush Himalaya Assessment Report)

सुर्खियों में क्यों ?

काठमांडू स्थित **इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD)** द्वारा जारी "हिन्दूकुश हिमालय आकलन" रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि भले ही वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित कर दिया जाए तथापि 21वीं सदी तक इस क्षेत्र में स्थित एक तिहाई से अधिक हिमनद पिघल सकते हैं।

हिमनदों के संबंध में इस आकलन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

हिंदू कुश-हिमालय-काराकोरम हिमनद: 18वीं सदी के मध्य से ही, विस्तृत हिंदुकुश-काराकोरम-हिमालय क्षेत्र में स्थित हिमनद औसत रूप से पिघल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 1950 के दशक के बाद से इस हिमनद क्षेत्र में केवल कमी (या संकुचन) ही देखी गयी है।

क्षेत्र में परिवर्तन

- 1970 के दशक के बाद से, हिंदुकुश-काराकोरम-हिमालय क्षेत्र में लगभग 15% हिमनद विलुप्त हो चुके हैं। मध्य या पश्चिमी हिमालय के हिमनदों की तुलना में **पूर्वी हिमालय के हिमनद तेजी से संकुचित हुए हैं।**
- हिमालय स्थित हिमनदों के विपरीत, काराकोरम स्थित हिमनद क्षेत्र में औसत रूप से उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है। विस्तृत हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के शेष भाग में हिमनदों के पिघलने की स्थिति को देखते हुए, इस व्यवहार को **'काराकोरम विसंगति (Karakoram anomaly)'** का नाम दिया गया है।
- **इस क्षेत्र में हो रही कमी के परिणामस्वरूप हिमनद विखंडन की स्थित उत्पन्न हो सकती है।** ज्ञातव्य है कि विगत 5 दशकों में हिमालय क्षेत्र के हिमनदों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- **व्यापक परिवर्तन:** 1977 के दशक से ही विस्तृत हिंदुकुश-काराकोरम-हिमालय क्षेत्र में स्थित हिमनदों में व्यापक स्तर पर कमी देखी गई है।

MAY DAY IN THE WORLD'S THIRD POLE

Hindu Kush Himalayas, along with the Tien Shan mountains in Central Asia, represents the largest area of permanent ice coveroutside the two poles of our globe, and is thus also referred to as the 'third pole'.

The Climate Prognosis

Best Case Scenario	Limited Public Action	Business as Usual
If Emissions are:		
Slashed	Contained	Not Checked
1.5°C Global average surface warming	**2°C** Global average warming	**4-5°C** Global average warming
2.1°C temperature rise in Hindu Kush Himalaya	**2.7°C** temperature rise in Hindu Kush Himalaya	**5-6°C** temperature rise in Hindu Kush Himalaya
A third of ice lost by 2100	**Half** of the ice lost by 2100	At least **2/3** of ice lost by 2100

River Basin Population (in million)

580 Ganga | 268 Indus
68 Brahmaputra

Biodiversity

4 Global hotspots
35,000+ plant species | 200+ animal species

Overview of The Hindu Kush Himalaya

Total Area	4.2 Million Sq. km
Countries	Afghanistan, Pakistan, India, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh
Major River Basins	Amu Darya, Indus, Brahmaputra, Irrawaddy, Ganga Salween, Tarim, Yangtze, Yellow River, Mekong

Estimated number of People at disaster risk in India
337.8 Million

हिमनद संबंधी पूर्वानुमान

- 21वीं शताब्दी के दौरान **हिमपात में कमी, हिमरेखा की ऊंचाई बढ़ने और हिम के पिघलने के मौसम के अपेक्षाकृत दीर्घ होने के कारण** हिमनदों के क्षेत्र में 90% तक की कमी होने का अनुमान किया गया हैं।
- यदि वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि को सीमित करके +1.5 डिग्री सेल्सियस के महत्वाकांक्षी लक्ष्य (पेरिस जलवायु समझौता) तक स्थिर कर दिया जाए, तो भी **एलिवेशन-डिपेंडेंट वार्मिंग (EDM)** के कारण हिंदुकुश-काराकोरम-हिमालय के तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप पूर्वी-हिमालय स्थित 50 प्रतिशत से भी अधिक हिमनदों के विलुप्त होने के साथ-साथ इस क्षेत्र के 36% हिमनद भी विलुप्त हो सकते हैं।

NIAS

एलिवेशन-डिपेंडेंट वार्मिंग (EDW)

- यह वैश्विक तापन वृद्धि की अभिव्यक्तियों में से एक है जिसमें उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों की तापन दरों में वृद्धि होती है।
- इसके संभावित कारणों में से एक यह हो सकता है कि पर्वतीय हिमावरण में होने वाली कमी के परिणामस्वरूप पृथ्वी की हिमाच्छादित गहरे रंग की सतह अनावृत हो जाती है। इससे सतह का एल्बिडो कम हो जाता है और अवशोषित सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप **स्नो एल्बिडो फीडबैक (SAF)** के माध्यम से तापन के एलिवेशन-डिपेंडेंट एम्प्लीफिकेशन (तुंगता-निर्भर प्रसार) को बढ़ावा मिल सकता है।

हिंदुकुश-काराकोरम-हिमालय (HKH) तापन के प्रभाव

- **नदी प्रवाह एवं जल की उपलब्धता:** हिमनदों के पिघलने से नदियों के प्रवाह में वृद्धि हो सकती है। **इसके परिणामस्वरूप ऊँचाई पर स्थित झीलों में जल की मात्रा में वृद्धि होगी। इसके फलस्वरूप झीलों के तटबंधों के टूटने का जोखिम बढ़ जाएगा जो बाढ़ (ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड) का कारण बन सकता है। किन्तु 2060 के दशक से नदियों के प्रवाह में कमी आने लगेगी।**
- **पश्चिमी विक्षोभ:** इनकी परिवर्तनीयता में वृद्धि होने की भी संभावना है।
- **झरनों का सूख जाना:** नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय हिमालय क्षेत्र में हिमनदों के पिघलने के कारण 30% झरने सूख चुके हैं।
- **मानसून पर प्रभाव:** HKH क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानसून प्रणाली को नियंत्रित करता है, जिस पर दक्षिण एशिया का क्षेत्र वर्षा के लिए अधिकांशतः निर्भर रहता है। मानसून प्रतिरूप में होने वाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप वर्षण की तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी जिससे बाढ़, भूस्खलन और मृदा अपरदन के जोखिम में वृद्धि होगी।
- इसके कारण समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि हो सकती है जिसके अन्य दुष्परिणाम होंगे।

आकलन रिपोर्ट के अन्य मुख्य निष्कर्ष: HKH पर्वतीय क्षेत्र 2 बिलियन लोगों को भोजन के लिए जल (विशेषतः सिंचाई), ऊर्जा के लिए जल (जल विद्युत) और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए जल (नदियों के तट पर स्थित पर्यावास, पर्यावरणीय प्रवाह और समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक मूल्य) के माध्यम से **जीवन के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।**

- **अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (International Centre for Integrated Mountain Development: ICIMOD):** काठमांडू (नेपाल) स्थित यह हिन्दूकुश हिमालय के आठ क्षेत्रीय सदस्य देशों - अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान को सेवा प्रदान करने वाला एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी अधिगम और ज्ञान साझाकरण केंद्र है।
  - यह क्षेत्रीय भागीदार संस्थाओं के साथ भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय सीमा-पार कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करता है और अनुभव के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने के साथ ही क्षेत्रीय ज्ञान केन्द्र के रूप में कार्य करता है।
  - इसका उद्देश्य उत्कृष्टता के क्षेत्रीय और वैश्विक केंद्रों के मध्य नेटवर्किंग को सुदृढ़ करना है।
  - समग्र रूप से, यह पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने और निचले क्षेत्रों (downstream) में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को वर्तमान एवं भविष्य हेतु बनाये रखने के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से स्वस्थ पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है।
- **हिंदुकुश हिमालय निगरानी और आकलन कार्यक्रम (Hindu Kush Himalayan Monitoring and Assessment Programme: HIMAP)** एक दीर्घकालिक, एकीकृत विज्ञान-नीति पहल है जिसे **अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD)** द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य पर्वतीय पर्यावरण और आजीविकाओं को बनाए रखने हेतु HKH क्षेत्र में समर्थकारी नीतियों, संधारणीय समाधानों और अधिकाधिक सुदृढ़ सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

- **वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन:** HKH क्षेत्र में चरम उष्ण घटनाओं **में वृद्धि की प्रवृत्ति;** चरम शीत घटनाओं के कम होने की प्रवृत्ति; और तापमान आधारित सूचकांकों के चरम मूल्यों और आवृत्तियों के बढ़ने की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है।
  - जलवायु परिवर्तन में अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों जैसे ब्लैक कार्बन द्वारा वृद्धि की जाती है। जिन्हें HKH क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने वाली वायु (विशेष रूप से भारत और चीन से) के द्वारा बड़ी मात्रा में प्रसारित किया जाता है। ध्यातव्य है कि ये क्षेत्र ब्लैक कार्बन का बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं।
- **घटती जैव-विविधता:** इस क्षेत्र के मूल पर्यावास का 70-80% समाप्त हो चुका है और 21वीं सदी तक यह हानि बढ़कर 80 - 87% हो सकती है। केवल भारतीय हिमालय क्षेत्र में ही 21वीं सदी तक एक चौथाई स्थानिक प्रजातियाँ विलुप्त हो सकती हैं।
- **ऊर्जा असुरक्षा:** 80% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या खाना पकाने के लिए परंपरागत बायोमास ईंधन पर निर्भर है तथा लगभग 400 मिलियन लोगों को अभी भी बिजली उपलब्ध नहीं है। लगभग 500 गीगाबाइट की जल विद्युत क्षमता का अभी तक दोहन नहीं किया जा सका है।

VISION IAS

आगे की राह

- **अंतरराष्ट्रीय समझौतों** को क्रायोस्फेरिक परिवर्तन को कम करने और इसे धीमा करने हेतु उत्सर्जन में कमी के माध्यम से **जलवायु परिवर्तन के शमन की दिशा में कार्य करना चाहिए।**
- क्रायोस्फेरिक परिवर्तन की बेहतर रूप से निगरानी और मॉडल हेतु तथा स्थानगत प्रतिमान और प्रवृत्तियों का आकलन करने हेतु, शोधकर्ताओं को विस्तृत HKH क्षेत्र में **विस्तारित प्रेक्षण नेटवर्कों और आंकड़ों के साझाकरण संबंधी समझौतों की** तत्काल आवश्यकता है। इसके अंतर्गत चयनित हिमनदों के लिए स्व-स्थाने और विस्तृत रिमोट सेंसिंग ऑब्जरवेशन, हाई-रेज़लूशन सैटेलाइट इमेजरी आदि का समावेश किया जाना चाहिए।
- **क्रायोस्फेरिक परिवर्तन और उसके प्रेरक तत्वों के विषय में उन्नत समझ,** उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित जोखिमों को कम करने में सहायता करेगी।

5.2. ध्रुवीय भंवर

(Polar Vortex)

सुर्खियों में क्यों?

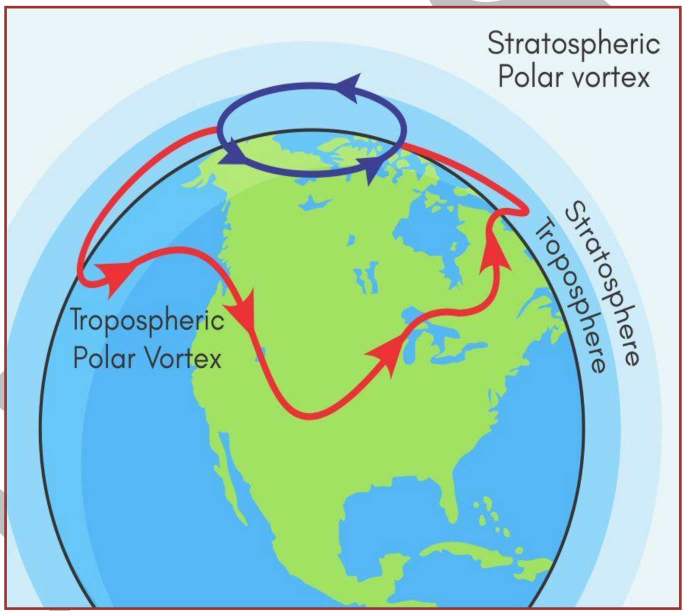

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिमी भाग का तापमान ध्रुवीय भंवर के विभाजन के कारण शून्य से नीचे (sub-zero) पहुँच गया था।

ध्रुवीय भंवर क्या है?

- **यह पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुव के परिवृत निम्न दाब और ठंडी वायु का** एक विस्तृत क्षेत्र है।
- इस शब्द का आशय वायु के **वामावर्त प्रवाह (दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणावर्त)** से है जो ठंडी वायु को ध्रुवों के निकट बनाए रखने में सहायता करती है।
- **प्रत्येक गोलार्द्ध में एक नहीं अपितु दो ध्रुवीय भंवर** होते हैं।
    - एक ध्रुवीय भंवर वायुमंडल की निचली परत **(क्षोभमंडल)** में विद्यमान होता है। क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर हमारे मौसम को प्रभावित करता है।
    - दूसरा ध्रुवीय भंवर दूसरी निम्नतम परत **(समतापमंडल)** में विद्यमान होता है। क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर की तुलना में यह अधिक सुगठित होता है।
    - यदि दोनों ध्रुवीय भंवर परस्पर एक ही दिशा (सीधी रेखा में) व्यवस्थित हो जाते हैं, तो तीव्र हिमीकरण प्रभाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।
- ध्रुवीय भंवर की सीमा रेखा वास्तव में उत्तर दिशा में विद्यमान ठंडी ध्रुवीय वायु और उष्ण उपोष्ण वायु (उत्तरी गोलार्द्ध के परिप्रेक्ष्य में) के मध्य स्थित होती है। इस सीमा रेखा को वास्तविक रूप में **ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम** द्वारा निर्धारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि **जेट स्ट्रीम** अत्यधिक तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली वायु की एक संकीर्ण धारा होती है।
- किन्तु इस सीमा रेखा में सदैव परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में यह ध्रुवों की ओर संकुचित हो जाती है जबकि **शीत ऋतु में ध्रुवीय भंवर** अस्थिर हो जाता है और विस्तारित होता रहता है। इसके कारण ही जेट स्ट्रीम के साथ-साथ ठंडी वायु दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे **ध्रुवीय भंवर परिघटना** (भंवर के एक भाग का "पृथक होना") कहा जाता है।
- यह परिघटना इस वर्ष उत्तरी भारत में दीर्घ और अत्यधिक ठंडी शीतऋतु का कारण प्रतीत होती है।

The Science Behind the Polar Vortex

The Polar Vortex is a large area of low pressure and cold air surrounding the Earth's North and South Poles. The term refers to the counterclockwise flow of air that helps keep the colder air close to the poles (left globe). Often during winter in the Northern Hemisphere, the polar vortex will become less stable and expand, sending cold Arctic air southward over the United States with the jet stream (right globe).

The Polar Vortex is nothing new – In fact it's thought that the term first appeared in an 1853 issue of E. Littell's Living Age.

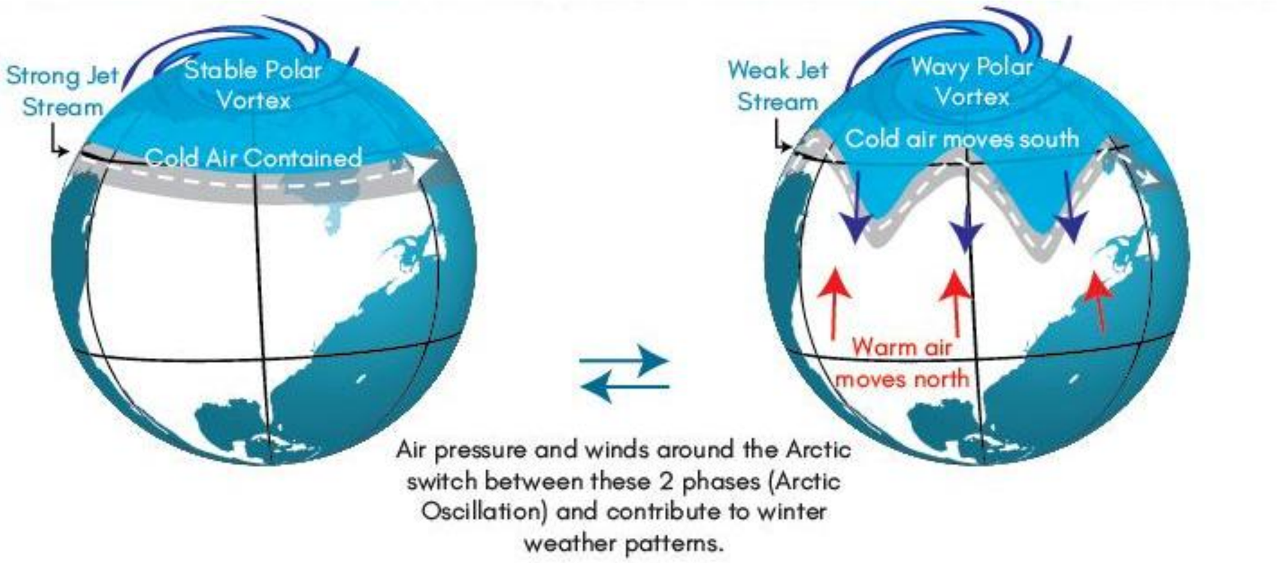

ठंडी वायु, दक्षिण की ओर (उत्तरी गोलार्द्ध में) क्यों प्रवाहित होती है?

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण आर्कटिक क्षेत्र के तापन में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप हाल के दशकों में हिम और बर्फ के पिघलने की दर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जिसके कारण अधिक गहरी समुद्री और स्थलीय सतह अनावृत हुई हैं जो सूर्यताप की अत्यधिक मात्रा को अवशोषित करती हैं।
- तीव्र आर्कटिक तापन के कारण, उत्तर-दक्षिण के तापमान अंतर में कमी हुई है। यह स्थिति **आर्कटिक** और **मध्य अक्षांशों के मध्य दाब-अंतर को कम** करती है तथा जेट स्ट्रीम को कमजोर बना देती है जिसके कारण जेट स्ट्रीम में विसर्पों का निर्माण हो जाता है।
- जेट स्ट्रीम का विशाल उत्तर-दक्षिण दोलन वायुमंडल में तरंग ऊर्जा उत्पन्न करता है। यदि ये निरंतर तरंगित और पर्याप्त रूप से स्थायी बनी रहती हैं तो यह ऊर्जा उत्तर की ओर प्रवाहित हो सकती है और समतापमंडलीय ध्रुवीय भंवर में विक्षोभ उत्पन्न कर सकती है। कभी-कभी यह ऊपरी भंवर इतना अधिक विकृत हो जाता है कि यह दो या दो से अधिक चक्राकार भंवरों में विभाजित हो जाता है।
- मुख्य भंवर से उत्पन्न इन चक्राकार "उप-भंवरों" में दक्षिण की ओर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति होती है जिसके साथ-साथ अत्यधिक ठंडी वायु भी प्रवाहित होती है। इसके परिणामस्वरूप उत्तरी ध्रुव का तापमान सामान्य स्थिति की तुलना में अधिक हो जाता है।

5.3. भारतीय सुंदरबन–अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि

(Indian Sundarbans- A Wetland of International Importance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने सुंदरबन आरक्षित वनों को अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया है। यह भारत का 27वां आर्द्रभूमि स्थल है।

सुंदरबन से संबंधित अन्य तथ्य:

- भारतीय सुंदरबन में 2114 वर्ग कि.मी. मैन्ग्रोव वन फैले हुए हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2017 के अनुसार, यह क्षेत्र देश के मैन्ग्रोव वनों का लगभग **43%** है। यह विश्व का **सबसे बड़ा ज्वारीय लवणमृदोद्भिद** (tidal halophytic) **मैन्ग्रोव वन** है।
- यह **पद्मा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदी** घाटी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है।
- सुन्दरबन अब भारत का **सबसे बड़ा रामसर स्थल** बन गया है।

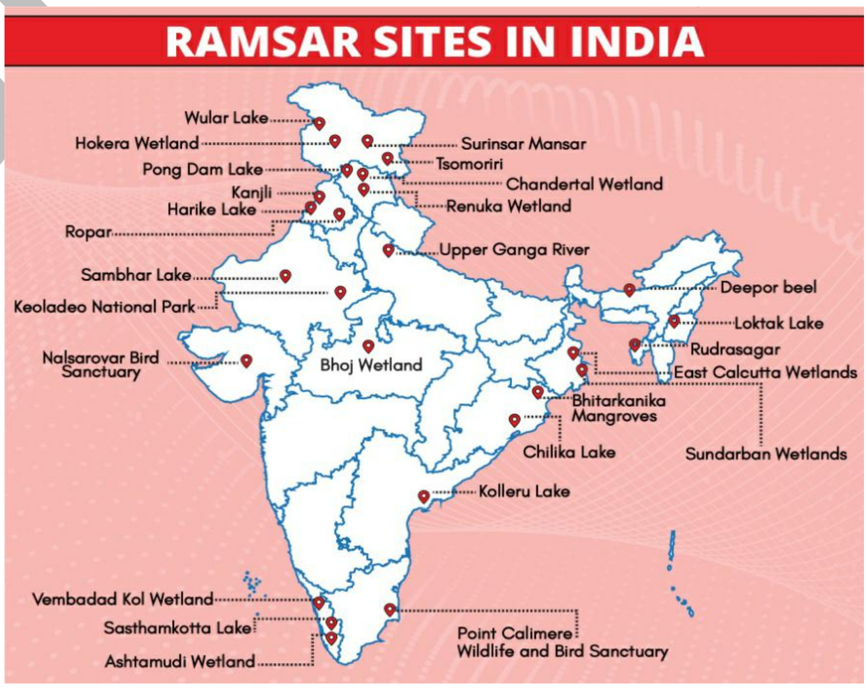

- 1987 में सुंदरबन को **यूनेस्को विश्व विरासत स्थल** के रूप में घोषित किया गया था।

- यह **एकमात्र मैन्ग्रोव** पर्यावास हैं जिनमें **बाघों (रायल बंगाल टाईगर) की महत्त्वपूर्ण आबादी निवास करती है।** ज्ञातव्य है कि इन बाघों के पास जल में शिकार करने का विशिष्ट कौशल होता है।
- यह स्थल बड़ी संख्या में दुर्लभ और वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों, जैसे **क्रिटिकली इंडेंजर्ड नॉर्दन रिवर टेरापिन, इंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन और इंडेंजर्ड फिशिंग कैट** का आवास है।
- **संरक्षण के समक्ष खतरा:** जलवायु परिवर्तन, समुद्र जलस्तर में वृद्धि, व्यापक स्तर पर निर्माण गतिविधियां, मत्स्यन हेतु मैन्ग्रोव की कटाई और बंगलादेश में आरक्षित वन क्षेत्र के निकट उत्तर में कुछ ही कि.मी. की दूरी पर कोयला-आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इत्यादि।

मोंट्रेक्स रिकॉर्ड (Montreux Record)

- यह आर्द्रभूमि स्थलों का एक रजिस्टर है जिसके अंतर्गत उन **अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है, जिनमें** तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण **पारिस्थितिकी परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है।**
- इसे **रामसर सूची** के एक भाग के रूप में बनाए रखा गया है।
- इसके अंतर्गत भारत के **केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) और लोकटक झील (मणिपुर)** स्थलों को शामिल किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों के बारे में

- इन्हें **अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों (रामसर अभिसमय)** के अंतर्गत घोषित किया जाता है। यह एक अंतर-शासकीय संधि है जो आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमता पूर्वक उपयोग हेतु फ्रेमवर्क प्रदान करती है।
- इसे 1971 में **रामसर शहर (ईरान) में** अपनाया गया था और 1975 से यह प्रभावी हुई थी।
- **इसके अंतर्गत शामिल होने से रामसर स्थल को** नई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति प्राप्त हो जाती है। उन्हें न केवल उनकी अवस्थिति वाले देश या देशों में बल्कि समस्त मानवता के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है।
- वर्तमान समय में विश्व में **2200 से अधिक रामसर स्थल विद्यमान हैं। इनके अंतर्गत** लगभग 2.1 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र शामिल है, जो मैक्सिकों के क्षेत्रफल से भी बड़ा है।
- अब भारत में सुंदरबन सहित 27 रामसर स्थल हैं।
- 1981 में **चिल्का झील** को भारत का **प्रथम रामसर स्थल** घोषित किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों की पहचान करने हेतु निर्धारित मानदंडों में से कुछ मानदंड निम्नलिखित हैं:
  - **वह स्थल प्रतिनिधिक, दुर्लभ या विशिष्ट प्रकार की आर्द्रभूमियों वाला होना चाहिए।**
  - **जैविक-विविधता के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के स्थल (प्रजातियों तथा पारिस्थितिकी समुदायों पर आधारित मानदंड)।**
  - ***जलीय पक्षियों (waterbirds) पर आधारित विशिष्ट मानदंड।***
  - ***मछलियों आदि पर आधारित विशिष्ट मानदंड।***

5.4.केल्प वन

(Kelp Forests)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, **जलवायु परिवर्तन के कारण अंतर्जलीय केल्प वनों में कमी आ सकती है।**

केल्प के बारे में:

- ये विशाल भूरे रंग के समुद्री शैवाल (seaweeds) होते हैं। ये उथले महासागरों में "अन्तर्जलीय वनों" (केल्प वन) के रूप में उगते हैं।
- सामान्य रूप से कहा जाए तो **केल्प वन** प्रवाल भित्तियों, मैन्ग्रोव वनों और उष्ण जलीय समुद्री घास के स्तर **की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से दूर स्थित होते हैं।**
  - यद्यपि केल्प वन के उष्णकटिबंधीय जलीय सतह पर उगने के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तथापि कुछ प्रजातियां **अनन्य रूप से उष्णकटिबंधीय गहरे जल में ही पाई जाती हैं।**
  - केल्प और प्रवाल भित्ति ऐसे शैवालों से बनी होती है जो महासागरों के उष्ण और धूप वाले उथले सागरों में उगते हैं। हालाँकि, केल्प वन पोषक तत्वों से समृद्ध सागरों में विकसित होते हैं, जबकि प्रवाल कम पोषक तत्वों से युक्त सागरों में भी विकसित हो जाते हैं।

- **केल्प के जीवित रहने हेतु आवश्यक पर्यावरणीय कारकों में** कठोर अधस्तर (प्रायः चट्टानें) उच्च पोषक तत्व, स्वच्छ उथला तटीय जल और प्रकाश सम्मलित हैं।
- उत्पादक केल्प वन **समुद्र के अपवेलिंग (upwelling)** क्षेत्रों से सम्बद्ध होते हैं।
- इनमें **उच्च वृद्धि दर** पाई जाती है। कुछ प्रजातियाँ तो आधा मीटर प्रतिदिन की गति से वृद्धि करती हैं और इनकी लम्बाई 30 से 80 मीटर तक हो सकती हैं।
- केल्प वनों को पृथ्वी पर स्थित **सर्वाधिक उत्पादक और गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में** जाना जाता है। केल्प के लटकते (तैरते) छोटे भागों को **केल्प बेड** कहा जाता है।

जलवायु परिवर्तन और केल्प वन

- **महासागरीय तापन और अम्लीकरण के परिणामस्वरूप केल्प वनों की सतह पर उपस्थित माइक्रोबायोम** में परिवर्तन हो सकता है, जिसके कारण ब्लिस्टरिंग (blistering), विरंजन और अंततः **केल्प वनों की सतह का क्षरण जैसे रोगों के लक्षण प्रकट हो सकते हैं।**
- इससे **केल्प वनों के प्रकाश संश्लेषण और संभवतः जीवित** रहने की क्षमता समाप्त हो जाती है।
- इससे विश्व भर के केल्प वन प्रभावित हो सकते हैं और संभावित रूप से समुद्री जैव-विविधता के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है, जो इन वनों पर ही निर्भर है।

केल्प वनों का महत्त्व:

- इन्हें **कीस्टोन प्रजातियों** के रूप में जाना जाता है और इनके समाप्त होने से समुदाय की संरचना में अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण परिवर्तन और संभवतः पर्यावरण की भौतिक सरंचना में भी परिवर्तन हो सकता है।
- यह कई समुद्री प्रजातियों के लिए **भोजन का महत्त्वपूर्ण स्रोत है।** कुछ मामलों में, तटीय अकशेरुकी जीवों (Invertebrate) में पाए जाने वाले 60% तक कार्बन की मात्रा के लिए केल्प उत्पादकता जिम्मेदार है। इनका प्रत्यक्ष रूप से भी उपभोग किया जा सकता है या बैक्टीरिया द्वारा कोलोनाइज़ (colonize) किया जा सकता है जिन्हें आगे चलकर उपभोक्ता द्वारा अपना आहार बनाया जाता है।
  - इसके अतिरिक्त, केल्प बेड पर स्थित समृद्ध गतिशील अकशेरुकी जीवों की उपस्थिति, इसे मत्स्य प्रजातियों की भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एक महत्त्वपूर्ण पर्यावास बना देता है। विभिन्न अकशेरुकी और मत्स्य प्रजातियों की उपस्थिति के कारण ये पक्षियों के लिए भोजन प्राप्त करने के स्थल बन जाते हैं।
- यह आसपास के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं और इस पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा कार्बन को अवशोषित (डंप) कर लिए जाता है। केल्प के प्राथमिक उत्पादन के परिणामस्वरूप **नए जैवभार, अपरद सामग्री आदि का निर्माण** होता है।
- **यह जल के प्रवाह को मंद करता है,** जो उन परिस्थितियों में महत्त्वपूर्ण होता है जब वे अंडे देते है या लार्वा उत्पन्न करते हैं।
- ये **प्राकृतिक जल-अवरोध (breakwaters) होते हैं जो तटीय अपरदन को रोकते** हैं।
- ये **तटीय महासागरीय पैटर्न को प्रभावित कर सकते** हैं और अनेक प्रकार की **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं** प्रदान करते हैं।
- ये **पोटाश और आयोडीन** का महत्त्वपूर्ण स्रोत होते हैं। कई केल्प वनों द्वारा **एल्गिन (algin)** उत्पन्न किया जाता हैं, जो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है और **टायर विनिर्माण, आईसक्रीम उद्योग जैसे** कई उद्योगों के लिए उपयोगी होता है।

5.5. हाथियों और मनुष्यों के बीच टकराव को टालने के लिए परिदृश्य-स्तरीय दृष्टिकोण

(Landscape-Level Approach to Address Human-Elephant Conflicts)

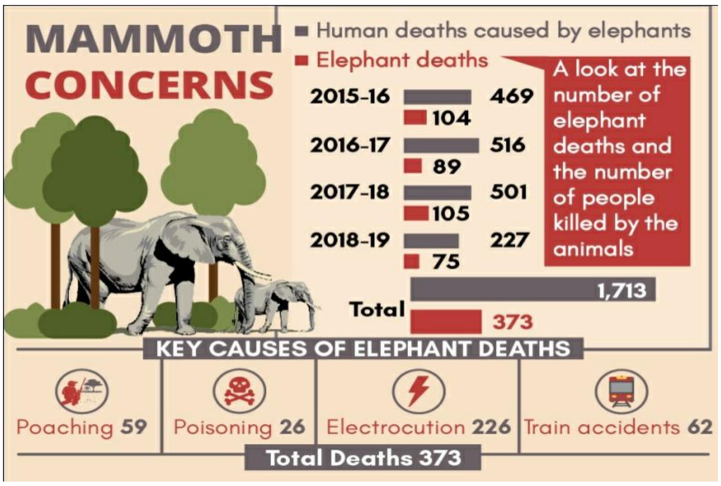

सुर्ख़ियों में क्यों?

कर्नाटक में दो वर्षों तक दैनिक आधार पर हाथियों की सूक्ष्म निगरानी से जुड़े एक अध्ययन के अनुसार हाथियों और मनुष्यों के परस्पर टकराव को कम करने के लिए परिदृश्य-स्तरीय (लैन्ड्स्केप-लेवल) प्रबन्धन की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

- **बढ़ती मानव जनसंख्या ने काफी हद तक प्राकृतिक वन पारिस्थितिकी को परिवर्तित कर दिया है।** बहुत बड़ी संख्या में **"संरक्षित क्षेत्रों" से लगे हुए कॉफ़ी बागानों, चाय बागानों, एकल कृषि बागानों** में वृद्धि हो रही है।
- हाथी अपने भोजन और जनन के लिए प्राय: विभिन्न पर्यावासों में विचरण करते हैं। वे इस दौरान इन मानव-संशोधित परिदृश्यों से गुजरते हैं, जो अंततः **मानव-वन्य जीव संघर्ष** को जन्म देता है।

VISION IAS

- शोधकर्ताओं ने 2015-2017 की आर्द्र एवं शुष्क ऋतु में इन पर्यावासों में **हाथियों के आवागमन पर नजर रखी थी** और इस सम्बन्ध में **GPS रीडिंग का संकलन किया था।**
- एक सामान्य मान्यता यह है कि शुष्क ऋतु में चारे और जल की तलाश में हाथी विशेष रूप से कृषि भूमियों की ओर विचरण करते हैं।

आर्द्र और शुष्क ऋतु के दौरान हाथियों के आवागमन का प्रतिरूप (जैसा देखा गया है)

- अपेक्षाकृत गर्म महीनों/शुष्क अवधि के दौरान, **एकल कृषि बागानों** और **वन-भूखंड जैसे** प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र महत्त्वपूर्ण संसाधन क्षेत्र हैं जो हाथियों को आश्रय प्रदान करते हैं।
- हाथियों द्वारा शुष्क मौसम में **कॉफ़ी बागानों का उपयोग अपेक्षाकृत** अधिक किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा शुष्क मौसम में प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र का भी उपयोग किया गया।
- हालाँकि, हाथी अधिकांश हानि **धान के खेतों को पहुंचाते हैं** और ऐसी घटनाएं आर्द्र ऋतु के पश्चात और शुष्क ऋतु से पहले देखी जा सकती हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि हाथियों द्वारा आर्द्र ऋतु के दौरान कृषि पर्यावास का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक बार किया गया था।

सम्बन्धित समाचार

एशियन एलीफैंट अलायन्स आगामी 12 राज्यों में हाथियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 96 वर्तमान गलियारों को सुरक्षित करने हेतु एकजुट हुआ है। इस उद्देश्य के लिए अलायंस द्वारा आगामी 10 वर्षों में 20 मिलियन यूरो की धनराशि एकत्रित की जाएगी।

एशियन एलीफैंट अलायन्स:

- इसे जुलाई 2015 में **लन्दन, यूनाइटेड किंगडम** में प्रारम्भ किया गया था।
- यह पांच NGOs अर्थात एलीफैंट फैमिली, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर (IFAW), IUCN नीदरलैंड, वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट (WLT) और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (WTI) की अम्ब्रेला संस्था है।
- **इसका उद्देश्य भारत के जंगली हाथियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना है जो विश्व के जंगली एशियाई हाथियों की आबादी की लगभग आधी है।**

परिदृश्य-स्तरीय दृष्टिकोण क्या है?

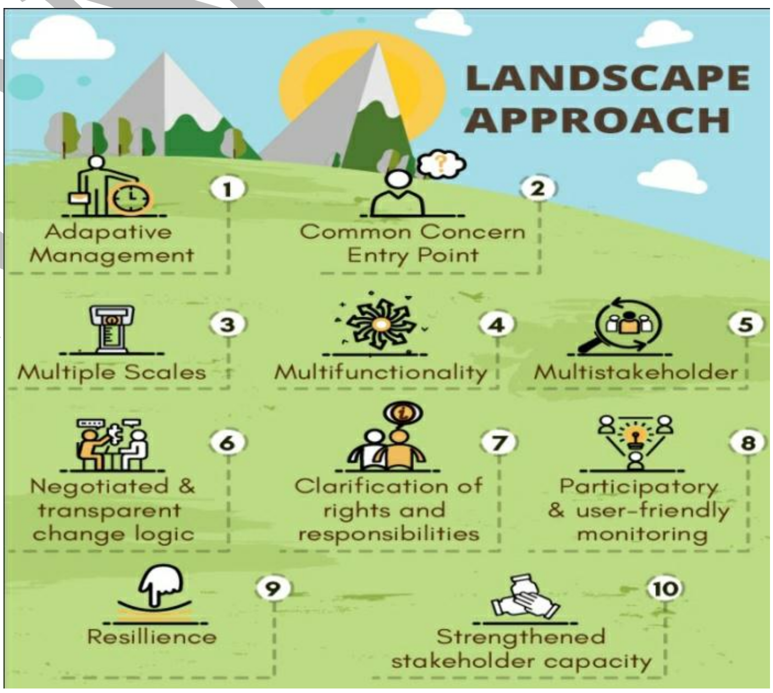

- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, परिदृश्य-स्तरीय रणनीति वस्तुतः पर्यावरण एवं आजीविका संबंधी चिन्ताओं के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन को जोड़ते हुए समेकित तथा बहु-विषयक रूप में संपन्न की जाने वाली एक बृहत्-स्तरीय प्रक्रिया से सम्बन्धित है।
- इसका उपयोग मानव-हाथी टकराव को कम करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान के रूप में किया जा सकता है।

परिदृश्य-स्तरीय रणनीति किस प्रकार मानव-हाथी संघर्ष को कम करने में सहायक है?

'परिदृश्य-स्तरीय दृष्टिकोण' को पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और मानव-जंतु संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में अत्यावश्यक कदम के रूप में देखा जाता है। इसमें सम्मिलित हैं:

- **एकल-शस्यन बागानों का वैज्ञानिक प्रबन्धन:** चूंकि हाथी प्रायः एकल-शस्यन बागानों (जैसे **बबूल, यूकेलिप्टस के एकल-शस्यन बागान)** में रहना पसंद करते हैं, इसलिए वन विभाग को इन वृक्षों की कटाई के समय पर रणनीतिक रूप से विचार करना चाहिए। यदि ये स्थान उपलब्ध नहीं होंगे, तो हाथी **कृषि पर्यावासों** का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग प्रारम्भ कर देंगे जिससे मानव-हाथी टकराव में वृद्धि होगी।
- **भू-उपयोग पद्धति की नियमित निगरानी:** भू-उपयोग पद्धति (जैसे- कॉफ़ी, कृषि या वानिकी क्षेत्रों आदि जैसे पर्यावासों में) में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पूर्व उचित निगरानी की आवश्यकता है क्योंकि इससे **हाथी-संरक्षण के प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है या मानव-हाथी संघर्ष में वृद्धि हो सकती है।**
- **अवशिष्ट वनों और एकल कृषि बागानों के आश्रय स्थलों का संरक्षण:** ये आश्रय-स्थल हाथियों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं और संघर्ष को कम करने में सहायक हैं क्योंकि अधिकाँश वन खंडित रूप में हैं।

VISION IAS

5.6. भारतीय वन्य जीवन में चीता का पुनः प्रवेश

(Cheetah Reintroduction)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने सर्वोच्च न्यायालय को यह सूचना दी कि नामीबिया से भारत लाए जाने वाले अफ्रीकी चीतों को **मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य में रखा जाएगा।**

पृष्ठभूमि

- भारत ने 2000 के आरम्भ से ही चीता की वापसी के प्रयास किए हैं। किन्तु ईरान ने एशियाई चीतों का क्लोन तैयार करने या चीतों के एक जोड़े को जीवित भारत लाए जाने से साफ़ मना कर दिया था। इसलिए अफ्रीकी चीतों को ही भारत में लाने का निश्चय किया गया।
- **प्रोजेक्ट चीता** का शुभारम्भ 2009 में ही कर दिया गया था, तथा विशेषज्ञ समिति ने कुछ उन स्थानों को तय भी कर लिया था जहाँ चीतों को पुनः लाया जा सकता था। ये स्थान थेः मध्य प्रदेश में कुनो-पालपुर तथा नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात में वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान तथा राजस्थान में शाहगढ़ बल्ज।

भारतीय वन्य जीवन में चीते का पुनः प्रवेश भारत हेतु किस प्रकार सहायक होगा ?

- **शुष्क भूमि पारितंत्र की पुनर्स्थापना में सहायक** - इससे **शुष्क भूमि पारितंत्र को पुनःस्थापित करने** में सहायता मिलेगी चूँकि चीता घासभूमि, गुल्म भूमि तथा खुले वनों की **मुख्य प्रजाति** है। शीर्ष स्तर का मांसाहारी प्राणी होने के कारण चीता **विकास का एक मुख्य कारक** बन जाता है जो पारितंत्र के संचालन-व्यवस्था को व्यवस्थित बनाता है।
- **प्रजातियों की विविधता में वृद्धि करता है** – अत्यधिक गति तथा तीव्रता के कारण चीता को एक शानदार शिकारी माना जाता है। इसके शिकार के कारण उसके पारितंत्र में बहुत से अन्य जानवरों को भोजन प्राप्त होता है। इससे बहुत-सी प्रजातियाँ अपना अस्तित्व बनाए रख पाती हैं।
- **पशुधन पर बेहतर नियंत्रण** – भारत मुक्त विचरण करने वाले पशुधन की विशालतम संख्या का निवास स्थल है। चीता को वापस लाने से पशुचारण पर पुनः ध्यान केन्द्रित होगा तथा भारत के प्राकृतिक विरासत को पूर्ववत बनाने में सहायता मिलेगी।
- **पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा** – इससे चीतों को बसाए जाने वाले स्थानों पर स्थानीय समुदायों के बीच आजीविका के विकल्पों में वृद्धि होगी और उनकी जीवन दशा सुधरेगी।
- इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जो विश्व की आठ बड़ी विडाल (बिल्ली) प्रजातियों में से छः यथा- शेर, बाघ, जगुआर, तेंदुओं एवं चीतों का निवास स्थल होगा।

पारिस्थितिकीय अनुक्रमण से चिंकारा की आबादी पर क्या प्रभाव पड़ता है?

चूँकि मनुष्य तृणभूमि पर कब्ज़ा कर उसका उपयोग कृषि के लिए करने लगते हैं और समय के साथ ऐसे भूमि प्रदेशों में अधिक वनभूमि विकसित हो जाती है जिसमें चीतल, जंगली सुअर तथा साम्भर प्रवेश कर जाते हैं तथा चिंकारा जैसी प्रजातियाँ समाप्त होने लगती हैं।

चीता की वापसी संबंधी योजना से जुड़े मुद्दे

- **वर्तमान प्रजातियों के लिए हानिप्रद** – कुछ वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि अफ्रीकी चीते स्थानीय पारितंत्र में एक अपरिचित (बाह्य) प्रजाति के रूप में कार्य कर सकते हैं जिससे स्वदेशी वन्य जीव प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **आवश्यक पर्यावास की कमी** – चीते को स्वयं के लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। भारत में बहुत कम प्राकृतिक घासभूमियां बची हैं।
- **शिकार आधार का अभाव** – पूर्व में भारत में चीतों का मुख्य शिकार भारतीय मृग या चिंकारा थे, किन्तु **पारिस्थितिक अनुक्रमण** के कारण इनकी संख्या कम हो रही है।
- **मानव-जंतु संघर्ष** – मनुष्यों ने घासभूमि पर कब्ज़ा कर उनका कृषि के लिए उपयोग करना आरम्भ कर दिया है।
- **निवासियों का पुनर्वास** – चीतों का पर्यावास तैयार करने हेतु बहुत से गाँवों को विस्थापित करना पड़ेगा।

अफ्रीकी चीतों का परिचय

- यह एक विशाल बिल्ली है जो दक्षिणी, उत्तरी तथा पूर्वी अफ़्रीका तथा ईरान के कुछ स्थानों में निवास करती है।
- यह शुष्क वनों, गुल्मभूमि, तथा सवाना जैसे वास स्थलों में निवास करता है।
- **IUCN स्थिति**: वल्नरेबल (**एशियाई चीते** – क्रिटिकली इंडेन्जर्ड)
- कभी भारत में बहुत से चीते पाए जाते थे किन्तु 1952 में इसे भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया तथा अंतिम बार इसे 1947 में छत्तीसगढ़ में देखा गया था।
- यह पिछले 1000 वर्ष में भारत से विलुप्त होने वाला एकमात्र स्तनपायी प्राणी है।

VISIONIAS

आगे की राह

- स्थानीय समुदायों के वन्य जीवों के साथ समरसता से निवास करने हेतु उन्हें परामर्श दिया जाना चाहिए।
- चीतों पर शोध तथा उनके संरक्षण के लिए वैश्विक विशेषज्ञता यथा- **चीता कंज़र्वेशन फंड (CCF)** का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। CCF एक अंतरराष्ट्रीय अलाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय नामीबिया में है तथा चीतों एवं उनके परितंत्र के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह एक मान्य उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर फ़ॉर एक्सीलेंस) है।

5.7. सिन्धु नदी डॉल्फिन

(Indus Dolphin)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पंजाब सरकार ने सिन्धु नदी डॉल्फिन को पंजाब का **'राजकीय जलीय जंतु'** घोषित किया है।

संबंधित सुर्खियाँ

पंजाब सरकार ने **कंजलि आर्द्रभूमि तथा काली बेन** को वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र घोषित किया है।

सिन्धु नदी डॉल्फिन का परिचय

- IUCN **संरक्षण स्थिति** – इंडेंजर्ड।
- विशेषताएं- ये **मीठे जल की दृष्टिहीन डॉल्फिन** प्रजाति हैं जो एक से दूसरे स्थान पर जाने, संवाद करने तथा झींगा, कैटफिश एवं कार्प मछली का शिकार करने के लिए इकोलोकेशन (प्रतिध्वनि के आधार पर अवस्थिति निर्धारण) पर निर्भर हैं।
- **वितरण**
  - **भारत की ब्यास नदी** (तलवारा तथा हरिके के बीच 185 किलोमीटर के विस्तार में) केवल 30 की विलगित और छोटी सी आबादी को छोड़ कर सिन्धु नदी डॉल्फिन विशेषतः पाकिस्तान में प्रवाहित होने वाली सिन्धु नदी में पायी जाती हैं।
- पंजाब सरकार के अनुसार ब्यास पारितंत्र के संरक्षण हेतु यह एक महत्वपूर्ण प्रजाति सिद्ध होगी।

सिन्धु नदी की डॉल्फिन के समक्ष व्याप्त ख़तरे

- अन्य मछलियाँ पकड़ने के बड़े जालों के व्यापक प्रयोग के कारण उन्हीं जालों में फंस कर अनजाने में इनका शिकार, **इनका आहार बनने वाली मत्स्य प्रजातियों का अति दोहन तथा मत्स्य क्षेत्र का अनावश्यक दोहन।**
- डॉल्फिन के तेल तथा मांस के लिए जानबूझ कर शिकार, डॉल्फिन के तेल का उपयोग मछलियों को आकर्षित करने में तथा औषधि के रूप में होता है।
- **जल विकास परियोजनाओं** (यथा- जल निष्कासन तथा बांधों का निर्माण, ऊंचे बाँध तथा तटबंध) का परिणाम डॉल्फिनों की आबादी के आनुवंशिक पृथक्करण के रूप में सामने आया है।
- **नदी प्रदूषण** – ब्यास में शीरे के बहाव के कारण आज तक का सर्वाधिक गंभीर संदूषण देखने को मिला।

अतिरिक्त जानकारी

- **पंजाबः** काला हिरण (राजकीय पशु), उत्तरी गोशॉक (राजकीय पक्षी), शीशम (राजकीय वृक्ष), ग्लैडियोलस (राजकीय पुष्प)।

5.8. एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019

(The New Delhi Declaration on Asian Rhinos 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, द्वितीय एशियन राइनो रेंज कन्ट्रीज **(यथा- भारत, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया तथा मलेशिया)** बैठक में **एशियाई गैंडों पर जारी, नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019** पर हस्ताक्षर किए गए।

इस घोषणा का परिचय

- इसका उद्देश्य ग्रेटर वन हॉर्न्ड (एक सींग वाले गैंडे), जावाई तथा सुमात्राई गैंडों **(एशियाई गैंडों की तीन प्रजातियों)** के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु प्रत्येक चार वर्ष पर संयुक्त कार्यनीति की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करने हेतु इनकी आबादी की समीक्षा एवं संरक्षण करना है।
- इस घोषणा में महत्वपूर्ण कदमों की श्रृंखला को रेखांकित किया गया है। इसमें भारत नेपाल, भूटान के बीच एक सींग वाले गैंडे के लिए **सीमा-पारीय सहयोग**; स्थानीय समुदायों की संलग्नता; **जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रतिकूल प्रभाव की अग्रसक्रिय निगरानी आरम्भ करना, सुमात्राई गैंडों के प्राकृतिक जनन तथा संरक्षण के अंतर्गत जनन को तीव्रता प्रदान करना सम्मिलित है।**

VISION IAS

संबंधित तथ्य

- जावाई तथा सुमात्राई गैंडों को वर्तमान में क्रिटिकली इंडेन्जर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- गैंडों की सभी प्रजातियों में सबसे छोटे तथा **दो सींग वाले एक मात्र एशियाई गैंडे,** सुमात्राई गैंडे मलेशिया के जंगलों से लुप्त हो चुके हैं।

एक सींग वाले गैंडे (ग्रेट वन-हॉर्न्ड राइनो)

- एक सींग वाले गैंडे या भारतीय गैंडे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान तथा भारत में पाए जाने वाले गैंडों की प्रजातियों में सबसे बड़े होते हैं।
- भारत में, यह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, पोबितोरा आरक्षित वन, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, लाओखोवा आरक्षित वन में पाए जाते हैं।
- **इसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल** के रूप में अनुसूचित किया गया है तथा साथ ही इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संरक्षित किया गया है। इसे अवैध शिकार, आवास विखंडन तथा बाढ़ आदि से ख़तरा है।
- **इंडियन राइनो विज़न 2020** – इसे असम की राज्य सरकार द्वारा बोडो स्वायत्तशासी परिषद् के साथ सक्रिय भागीदारी में WWF भारत के सहयोग से कार्यान्वित किया गया है। इसका लक्ष्य गैंडों की संख्या में वृद्धि करना तथा एक सींग वाले गैंडों की संख्या को दीर्घकालीन व्यवहार्यता प्रदान करना है।
- **असम सरकार** ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच से एक **स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फार्ॅस का** गठन किया है।

5.9. नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन हेतु निम्न कार्बन रणनीति

(Low Carbon Strategy For Renewable Energy Integration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, NITI आयोग, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने **"नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन हेतु निम्न कार्बन रणनीति"** नामक एक रिपोर्ट जारी की।

नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन की आवश्यकता क्यों है?

- यद्यपि आर्थिक, पर्यावरणीय तथा ऊर्जा सुरक्षा संबंधी मुद्दे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवर्द्धन और विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं,तथापि इन स्रोतों को अन्तर्निहित मुद्दों यथा- परिवर्तनीयता, आंतरायिकता (intermittency) इत्यादि के आधार पर चिन्हित किया जाता हैं। जो **प्रणाली के संचालन तथा प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन में अवरोध उत्पन्न करते हैं।**
- ग्रिड में वृहद स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा को **प्रभावी ढंग से समेकित करने की आवश्यकता** नीति निर्माताओं, योजनाकारों तथा नियामकों जैसे सभी हितधारकों के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक है।
- वर्तमान में, भारत का ऊर्जा ग्रिड विश्व के सबसे बड़े ऑपरेशनल सिंक्रोनाइज़्ड नेटवर्कों में से एक है। इसकी कुल स्थापित क्षमता का **लगभग 334 गीगावाट (GW) है। इसमें परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 63 GW** (19.5 GW सौर फोटोवोल्टिक [PV] तथा 32.95 GW पवन ऊर्जा) है।

परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के रूप में, जल-विद्युत् ऊर्जा अथवा जैव ईंधन जैसे नियंत्रणीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के विपरीत **अपनी अस्थिर प्रवृत्ति के कारण मांग आधारित त्वरित समायोजन करने में असमर्थ हैं।**

परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के समक्ष चुनौतियाँ

- **तकनीकी चुनौतियाँ**
  - **परंपरागत संयंत्रों की समायोजन क्षमता में वृद्धि करना:** वर्तमान पारंपरिक स्रोत पुराने हैं तथा वे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुरूप अपने उत्पादन में त्वरित वृद्धि और कमी करने में तकनीकी रूप से अक्षम हैं।
  - **पूर्वानुमान तथा शेड्यूलिंग:** सौर तथा पवन ऊर्जा अत्यंत परिवर्तनशील मौसम की स्थिति पर निर्भर होती है तथा उनसे उत्पन्न विद्युत में उच्च उतार-चढ़ाव होता रहता है। परिचालन और ग्रिड सुरक्षा व्यवस्था के दौरान संसाधनों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए पूर्वानुमान (दोनों ही लोड – नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा नेट लोड के सन्दर्भ में) अनिवार्य होता है। इन उतार-चढ़ावों का पूर्वानुमान केवल कुछ ही दिन पूर्व तक सटीक रूप से किया जा सकता है तथा कुछ घंटों पूर्व किए जाने पर अधिक सटीकता प्राप्त होती है।
  - **बेहतर बाजार परिचालन:** चूँकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कुछ ही राज्यों में केन्द्रित हैं अतः नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए पर्याप्त बाजार परिचालन और समर्थन सेवाओं की आवश्यकता होती है। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा के इस प्रकार के

VISION IAS

अंतर्राज्यीय व्यापार के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण अवरोध उपस्थित हैं। जिनमें नियंत्रण क्षेत्रों/राज्यों के मध्य संचित ऊर्जा साझेदारी का अभाव, सहायक सेवाओं के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक अनुक्रिया हेतु उत्पादों, बाज़ारों का अभाव इत्यादि शामिल हैं।

- **विनियामक और नीतिगत ढाँचे का अभाव:** परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती पहुंच के साथ प्रणाली में परिचालन संबंधी दक्षता लाने के लिए बाज़ार के वर्तमान नियमों में संशोधन की आवश्यकता है। विद्युत के समवर्ती सूची का विषय होने के कारण राज्य स्तर पर सीमित पहल की गई है। अनेक राज्यों ने केंद्रीय नियमों के साथ राज्य के नियमों को संरेखित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं।
- **अन्य चुनौतियाँ:** वे अधिक मॉड्यूलर (modular) हैं तथा अधिक **वितरित ढंग** से नियोजित हैं। जीवाश्म ईंधन, पवन तथा सूर्य के प्रकाश को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता तथा सर्वोत्तम संसाधनों वाले स्थान **लोड केन्द्रों से बहुधा अत्यधिक दूरी पर अवस्थित होते हैं।**

सिंक्रोनाइज्ड भारतीय ग्रिडों में नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन हेतु उठाए जाने वाले कदम

- **ग्रिड प्रौद्योगिकी का उन्नयन**
    - राज्य स्तर पर सभी राज्यों में प्रभावी शेड्यूलिंग (अर्थात व्यवस्था, नियंत्रण तथा इष्टतमीकरण करना) और संप्रेषण सुनिश्चित करना तथा पड़ोसी राज्यों के साथ लागत निर्माण तक बेहतर पहुँच के लिए ऊर्जा के आदान-प्रदान में वृद्धि करना।
    - ग्रिड परिचालन हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ ग्रिड स्थितियों के संबंध में वास्तविक समय सबंधी आंकड़ों के लिए सेंसरों का परिनियोजन करना।
    - स्वचालित उत्पादन नियंत्रण तथा परिचालन संबंधी आंकड़ों संबंधी ग्रिड सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक यंत्र।
- **ग्रिड परिचालन संबंधी प्रोटोकॉल**
    - वर्तमान के 15 मिनट आधार वाले शेड्यूलिंग तथा संप्रेषण का उन्नयन कर 5 मिनट करना।
    - राज्य नियामकों को अपने ग्रिड कोड का उन्नयन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नवीकरणीय ऊर्जा का समेकन ग्रिड को प्रभावित नहीं करे तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की विशिष्ट विशेषताओं को स्वीकार करे।
- **उन्नत बाजार डिजाइन तथा नवीकरणीय ऊर्जा खरीद**
    - नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मॉडल ऊर्जा खरीद अनुबंध का निर्माण करना जिसमें अनिवार्य रूप से परिचालन में होने की शर्त न रखी गयी हो तथा वित्तीय जोखिम को कम करने हेतु वैकल्पिक दृष्टिकोणों का उपयोग करना।
    - आकस्मिक उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए ऊर्जा विनिमय केंद्रों को त्वरित ऊर्जा के क्रय-विक्रय की अनुमति प्रदान करना।
    - उचित मूल्य का निर्धारण करने तथा समायोजनशील संसाधन प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की प्रक्रिया को सक्षम बनाना।
- **नवीकरणीय ऊर्जा उच्च हिस्सेदारी के साथ एक प्रत्यास्थ मांग तथा संतुलन संसाधन प्रणाली को बढ़ावा देना। इसके लिए पर्याप्त लचीले संसाधनों तक पहुंच की आवश्यकता होती है।**
    - वर्तमान में विद्यमान कोयला, गैस टर्बाइन, हाइड्रो और पंप स्टोरेज जनरेटर की कुल क्षमताओं के उपयोग के लिए नीति तथा नियामक संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करना।
    - नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में व्याप्त परिवर्तनीयता एवं अनिश्चितता को समायोजित करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन इकाइयों से संबद्ध लचीलेपन में सुधार करना।
    - वितरण ग्रिड के साथ-साथ रूफटॉप PV तथा उपयोगिता स्तर पर निम्न वोल्टेज लाइन से संबद्ध पवन एवं सौर ऊर्जा से जुड़े समेकन से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।

5.10. महानगरों में वर्षा जल संचयन

(Rainwater Harvesting in Metropolitan Cities)

सुर्खियों में क्यों?

शहरी विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने **"महानगरों में वर्षा जल संचयन"** पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

वर्षा जल संचयन की सर्वोत्तम प्रथाएं

चेन्नई

- चेन्नई में RWH को अनिवार्य बनाने के लिए एक अलग कानून है।
- व्यापक जागरूकता अभियान "कंज़र्व वॉटर वेयर इट फाल्स"।
- समर्पित RWH प्रकोष्ठ - "वर्षा केंद्र"।
- वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का 100% अनुपालन करने वाला पहला शहर।

दिल्ली

- दिल्ली जल बोर्ड घर में RWH प्रदान करने के लिए पानी के बिल पर 10% की छूट देता है।
- निवासी कल्याण संघों (RWA) और अड़ोस-पड़ोस की सोसायटियों द्वारा वर्षा जल संचयन अपनाने के लिए कुल लागत की 50% वित्तीय सहायता।

वर्षा जल संचयन की आवश्यकता

- **तीव्र शहरीकरण के कारण बढ़ती मांग-** 2011 की जनगणना के अनुसार, 37.7 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं, यह आबादी 2030 तक बढ़कर 57.5 करोड़ तक हो सकती है। इस परिघटना के परिणामस्वरूप, शहरी क्षेत्रों में पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है।
- **शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट का बढ़ता उपयोग-** भूमि में जल अंत:स्रवण और पुनर्भरण के लिए अपेक्षाकृत कम स्थान की उपलब्धता।
- **जल संसाधनों का अकुशल उपयोग-** सतह पर गिरने वाला वर्षा जल बह जाता है अतः जल संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से 85,565 MCM तक के अधिशेष अपवाह का भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हेतु दोहन किया जा सकता है।
- **भूमिगत जल पर अतिनिर्भरता-** लगभग **30%** शहरी जल आपूर्ति और 70% ग्रामीण जल आपूर्ति भूमिगत जल से होती है।

शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की तकनीक- नीति आयोग ने निम्नलिखित तकनीकों को रेखांकित किया है-

- **रूफ टॉप वर्षा जल संचयन-** छत के स्तर के नीचे एक कंटेनर बनाने या रखने की आवश्यकता होती है। यह रोके गए और लकड़ी, बांस या PVC से बनी पाइपों के माध्यम से अपनी ओर मोड़े गए वर्षाजल का भण्डारण करता है।
- ड्राइववे रेन ऑफ़ हार्वेस्टिंग-यह तकनीक वहाँ उपयोगी होती है जहाँ निर्मित क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जैसे- कार्यालय परिसर। प्रवेशद्वार के निकट उथले गटर या उभार की सहायता से वर्षाजल को रोककर जल संचयन किया जाता है और इस जल को पुनर्भरण कुएं की ओर मोड़ दिया जाता है।

राज्यों में वर्षा जल संचयन की कुछ पारंपरिक विधियां- भारत में, वर्षा जल संचयन **4000** से अधिक वर्षों से चलन में रहा है।

- हिमाचल प्रदेश- **कुल, कुही**
- राजस्थान- **बावड़ी, झालरा, जोहड़, नदी**
- महाराष्ट्र- **भंडारा**
- बिहार- **आहार-पाइन**
- कर्नाटक- **केरे**
- मध्य प्रदेश- **बुंदेला टैंक, चंदेला टैंक, कटा, पाट**
- तमिलनाडु- **एरी, ऊरानिस**
- नागालैंड- **चेओ-ओजिही (cheo-ozihi)**
- आंध्र प्रदेश- **चेरुवु**
- पश्चिम बंगाल- **दोंग**

अनुशंसाएँ

- सभी सरकारी और सार्वजनिक परिसरों में **वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ अनिवार्य रूप से संस्थापित की जाएं -** जैसा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु द्वारा किया गया है।
- 'स्वच्छ भारत मिशन' की तर्ज पर **वर्षा जल संचयन पर मेगा कार्यक्रम आरंभ किया जाए।**
- **पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिकाधिक अनुपालन-** जिसमें कोई भी स्वीकृति देने से पहले वर्षा जल संचयन हेतु किए जाने वाले उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
- **शहरी कस्बों की जल आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए भूमिगत जल के मानचित्रण हेतु उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग।**
- **भूमिगत जल उपयोग से संबंधित कानूनों का कठोर प्रवर्तन-** वर्तमान में, **70-80%** राज्यों ने नीति आयोग के अनुसार जल निकायों की रक्षा करने और वर्षा जल संचयन अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाया है।
- वर्षा जल संग्रहण और स्टॉर्म वाटर (चक्रवातीय जल) के संबंध में एक **राष्ट्र स्तरीय कानून तैयार करना।**
- वर्षा जल संचयन के लिए विभिन्न शहरों में नालों में **अप्रयुक्त स्थान के उपयोग की आवश्यकता।**
- रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की **पारंपरिक प्रथाओं** और सरल तकनीकों **को बढ़ावा दिया जाए।**
- **वर्षा जल संचयन को बड़े पैमाने पर जन आंदोलन में परिवर्तित किया जाए-** जैसा कि मंत्रालय ने पानी से संबंधित मुद्दों का समाधान करने और जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने हेतु 2012, 2013 और 2015 में '**इंडिया वाटर वीक्स**' का आयोजन किया था। इसी प्रकार से, **जल बचाओ, वीडियो बनाओ, पुरस्कार पाओ अभियान** चलाया गया है।

5.11. प्रधानमंत्री JI-VAN (जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना

(Pradhan Mantri Ji-Van (Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool Fasal Awashesh Nivaran) Yojana)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री JI-VAN योजना को स्वीकृति प्रदान की।

VISION IAS

योजना का विवरण

- **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG) के अधीन** यह योजना, लिग्नोसेलुलोसिक (lignocellulosic biomass) बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करने **वाली एकीकृत जैवएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता** प्रदान करेगी।
- 12 वाणिज्यिक पैमाने और 10 प्रदर्शन पैमाने की दूसरी पीढ़ी (2G) की एथेनॉल परियोजनाओं को दो चरणों में **अगले छह वर्षों के दौरान व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण सहायता** प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देना है।
- इस योजना के लाभार्थियों द्वारा उत्पादित एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिश्रण के प्रतिशत में और वृद्धि करने हेतु **अनिवार्य रूप से तेल विपणन कंपनियों (OMC) को** एथेनॉल की **आपूर्ति** की जाएगी।
- MoP&NG के तत्वावधान में तकनीकी संस्था, **सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (CHT),** इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

जैव एथेनॉल: यह कार्बोहाइड्रेट और फसलों एवं अन्य पौधों और घास की सेल्युलोसिक सामग्री के किण्वन से निर्मित अल्कोहल है। सामान्यत: ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए इसका एक योजक के रूप में उपयोग किया जाता है।

जैव ईंधन का उत्पादन

- **पहली पीढ़ी के जैव ईंधन:** इसमें किण्वन की पारंपरिक विधि से एथेनॉल बनाने के लिए गेहूं और चीनी जैसी खाद्य फसलों और बायो डीजल के लिए तिलहन का उपयोग किया जाता है।
- **दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन:** इसमें गैर-खाद्य फसलों और फीडस्टॉक जैसे लकड़ी, घास, बीज फसलों, जैविक अपशिष्ट का ईंधन तैयार करने हेतु उपयोग किया जाता है।
- **तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन:** इसमें विशेष रूप से इंजीनियर्ड शैवाल का उपयोग किया जाता है। ऐसे शैवाल के बायोमास को जैव ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। इसमें ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन अन्य की तुलना में कम होता है।
- **चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन:** इसका उद्देश्य न केवल संधारणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है बल्कि यह CO_2 के प्रग्रहण और भंडारण का भी एक तरीका है।

लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास: यह संयंत्र बायोमास को संदर्भित करता है जो सेल्युलोज, हेमीसेल्युलोज और लिग्निन से बना होता है। कृषि अपशिष्ट, वानिकी अवशेष, घास और काष्ठ सामग्री सहित लिग्नोसेलुलोसिक सामग्री में जैव-ईंधन उत्पादन के लिए काफी संभावनाएं विद्यमान हैं।

योजना के लाभ

- जीवाश्म ईंधन को जैव ईंधन से प्रतिस्थापित कर **आयात निर्भरता को कम करना।**
- प्रगतिशील सम्मिश्रण/जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन के माध्यम से **GHG उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य प्राप्त करना।**
- बायोमास/फसल अवशेषों को जलाने के कारण उत्पन्न **पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संबोधित करना।**
- किसानों को उनके अन्यथा व्यर्थ कृषि अवशेषों के लिए लाभप्रद आय प्रदान करके **किसानों की आय में सुधार करना।**
- 2G एथेनॉल परियोजनाओं और बायोमास आपूर्ति श्रृंखला में **ग्रामीण और शहरी रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।**
- अपशिष्ट बायोमास और शहरी कचरे जैसे गैर-खाद्य जैव ईंधन फीडस्टॉक के एकत्रीकरण में सहायता कर **स्वच्छ भारत मिशन में योगदान देना।**

भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण

- सरकार ने 2003 में एथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम आरंभ किया था। इसके अंतर्गत OMC को पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाना होता है।
- सरकार के प्रयासों के बावजूद, 2017-18 के दौरान एथेनॉल की उच्चतम खरीद लगभग 150 करोड़ लीटर थी। यह केवल अखिल भारत स्तर पर लगभग 4.22% सम्मिश्रण के लिए ही पर्याप्त था।
- क्रय मूल्य में भिन्नता, आसवनियों (distilleries) की कमी, सीमित फीडस्टॉक उपलब्धता और एकीकृत और समर्पित आपूर्ति श्रृंखला की कमी, एथेनॉल की उपलब्धता को बाधित करते हैं।

5.12. वनवासियों के निष्कासन का आदेश

(Eviction Order of Forest Dwellers)

सुर्खियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 16 से अधिक राज्यों में वनवासियों को निष्कासित करने के अपने पिछले आदेश को स्थगित कर दिया।

VISIONIAS

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न वन्यजीव समूहों द्वारा एक वाद दायर किया गया था। इसमें कहा गया था कि 2006 के वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिन समस्त वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन वासियों का वन भूमि पर दावा अस्वीकृत कर दिया गया था, उन्हें राज्य सरकारों द्वारा निष्कासित कर दिया जाना चाहिए।
- इस कानून के तहत, केवल भूमि पर प्रामाणिक स्वामित्व वाले अधिसूचित अनुसूचित जनजातियां और पारंपरिक वनवासी, भूमि पर कृषि करने और भूमि धारण के अधिकारी हैं।
- किन्तु समय के साथ, अनेक गैर-आदिवासियों और पारंपरिक वनवासियों ने अवैध रूप से वनभूमि पर कब्जा कर लिया तथा बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई।
- 13 फरवरी को, सर्वोच्च न्यायालय ने 16 राज्यों के वनों से लगभग 1.89 मिलियन आदिवासी और अन्य वनवासी परिवारों को बलपूर्वक निष्कासित करने का आदेश दिया।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

- यह वनों की अधिकार आधारित, लोकतांत्रिक और विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार हैं:
  - **स्वत्वाधिकार** - अर्थात स्वामित्व - अधिकतम 4 हेक्टेयर के अंतर्गत **13** दिसंबर **2005** को आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर; स्वामित्व वास्तव में केवल संबंधित परिवार द्वारा उक्त तिथि को खेती की जा रही भूमि के लिए है। इसका अर्थ है कि कोई नई भूमि प्रदान नहीं की गई है।
  - **उपयोग अधिकार** - लघु वनोपज (स्वामित्व सहित), चराई क्षेत्र, चरवाहा मार्गों, आदि के लिए।
  - **राहत और विकास अधिकार** - वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के अधीन अवैध निष्कासन या बलात विस्थापन की स्थिति में पुनर्वास के लिए; और मूलभूत सुविधाओं के लिए ।
  - **वन प्रबंधन अधिकार** - वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने के लिए।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकार प्राप्त करने की पात्रता **"मुख्य रूप से वनों में निवास करने वाले"** और आजीविका के लिए वन और वन भूमि पर निर्भर लोगों तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, दावेदार या तो उक्त क्षेत्र में अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए या 75 वर्षों से उस वन का निवासी होना चाहिए।
- **यह अधिनियम प्रावधान करता है कि ग्राम सभा, प्रारंभ में एक प्रस्ताव पारित करेगी**, जिसमें यह अनुशंसा की जाएगी कि किन संसाधनों पर किसके अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए।
- तत्पश्चात इस प्रस्ताव को उप-संभाग स्तर पर और उसके बाद जिला स्तर पर अनुवीक्षित और अनुमोदित किया जाएगा।
- अनुवीक्षण समितियों में तीन सरकारी अधिकारी और उक्त स्तर पर स्थानीय निकाय के तीन निर्वाचित सदस्य होते हैं।

वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों की अस्वीकृति से संबंधित मुद्दे

- **वामपंथी चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रकरण-** इन क्षेत्रों में आदिवासी आबादी अधिक है। इन जनजातियों और वनवासियों के वन भूमि दावों को अधिकांशतया राज्यों द्वारा सुरक्षा चिंताओं के चलते ठुकरा दिया जाता है।
- **वनवासियों में जागरूकता की कमी-** गरीब और निरक्षर, दूरदराज के इलाकों के निवासी होने के कारण उन्हें दावों को दायर करने की उचित प्रक्रिया ज्ञात नहीं हो पाती है।
- **ग्राम सभा की अपर्याप्तता-** उनके दावों का सत्यापन आरंभ करने वाली ग्राम सभाओं में इस संबंध में जागरूकता का अभाव है कि इन दावों से कैसे निपटा जाए। छत्तीसगढ़ में आधे से अधिक अस्वीकृतियां ग्राम सभा स्तर पर पाई गईं थीं।
- **प्रशासनिक निष्क्रियता-**
  - कई राज्यों में यहां तक कि समुदाय-स्तर के दावों को स्वीकार करने पर भी विशेष रूप से धीमी गति से चल रहे प्रशासन की सूचना प्राप्त हुई है।
  - जिला प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वन और राजस्व मानचित्र प्रदान करके ग्राम सभाओं की सहायता करेंगे। किन्तु अपेक्षानुसार ऐसा नहीं हुआ है।
  - कुछ प्रकरणों में, प्रक्रिया का पालन किए बिना एक-पंक्ति के आदेश पारित किए जा रहे हैं।
- **जल्दबाजी में अस्वीकृति** - साक्ष्यों की कमी या अधूरे साक्ष्य के कारण बड़ी संख्या में मामलें अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। अधिकारी आदिवासियों से उपग्रहों से लिए गए चित्र (सेटेलाइट इमेजरी) और **75** वर्ष पुराने अभिलेख (जो अब अस्तित्व में ही नहीं हैं) प्रस्तुत करने की मांग करते हैं।

VISION IAS

- अधिकारियों द्वारा की गई अन्य अवैधताएं, जिनका याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया/दावा किया गया है- जैसे कि -
    - तुच्छ आपत्तियां करना। उदाहरण के लिए 2002 में वन भूमि पर अतिक्रमण के लिए 60 भील आदिवासियों को जारी किए गए सम्मन और नोटिस का उन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निष्काषित करने के लिए साक्ष्य के रूप में उपयोग किया गया था।
    - रेंज अधिकारी FRA दावों को अस्वीकृत करने के लिए अधिकृत नहीं हैं; वे केवल दावा समितियों को अनुशंसाएं प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, कई प्रकरण वन रक्षकों या पटवारियों द्वारा तय किए जाते हैं।

आगे की राह

- **उचित आंकड़ों का मिलान करने** की आवश्यकता है जो किसी दावे की स्थिति सटीक रूप से इंगित करते हों।
- कोई भी अस्वीकृति आदेश **विधि की सम्यक प्रक्रिया के पालन** के बाद पारित किया जाना चाहिए। अस्वीकृति आदेश यह देखने के बाद ही दिया जाना चाहिए कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन हुआ है या नहीं और क्या अपील तंत्र का उचित रूप से उपयोग किया गया है अथवा नहीं।
- प्रशासनिक मशीनरी को आदिवासियों की **जागरूकता बढ़ाने** और इन समूहों की उपेक्षा करने के बजाय साक्ष्य तलाशने में इनकी सहायता करने पर ध्यान देना चाहिए।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय को इस अभियान का समन्वय करना चाहिए और अन्य गैर-राज्य कर्ताओं की सहायता लेनी चाहिए जैसे- कैंपेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी (CSD)। यह कई आदिवासी और वनवासी आंदोलनों का राष्ट्रीय संगठन है।

5.13. पर्यावरणीय विधि का शासन

(Environmental Rule of Law)

सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने **"पर्यावरणीय विधि का शासन" नामक शीर्षक से पर्यावरण कानूनों का अपना पहला वैश्विक आकलन** जारी किया है।

पर्यावरणीय विधि का शासन क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र तीन संबंधित घटकों के रूप में विधि के शासन को परिभाषित करता है -
    - विधि मूल अधिकारों से सुसंगत होनी चाहिए;
    - विधि समावेशी रूप से विकसित और निष्पक्ष रूप से कार्यान्वित की जानी चाहिए;
    - विधि को न केवल कागज पर, बल्कि व्यवहार में भी जवाबदेही लानी चाहिए। यह इस प्रकार होना चाहिए कि विधि, विधि के पालन या अनुपालन के माध्यम से प्रवर्तनशील बन जाए।
- पर्यावरणीय विधि का शासन उपर्युक्त घटकों का समावेश करता है तथा उन्हें पर्यावरणीय संदर्भ में लागू करता है।
- यह **सुस्पष्ट रूप से बहुआयामी** है। यह गांवों के सामाजिक और प्रथागत मानदंडों से लेकर देशों के सांविधिक कानूनों के लिए कंपनियों द्वारा अपनाए गए स्वैच्छिक मानकों तक विधि और मानदंडों के विभिन्न रूपों से जुड़ता है।
- वर्ष 1992 के पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (रियो अर्थ शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है) के पश्चात, अनेक देशों ने पर्यावरणीय कानून को अधिनियमित करने के लिए अनुकूल प्रयास किए।
- वर्ष 2012 के सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पश्चात, पर्यावरणीय कानूनों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया किन्तु इस दिशा में अल्प प्रगति हुई है।

रिपोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां और अनुशंसाएं

- **कानूनों का निम्नस्तरीय कार्यान्वयन:** पिछले चार दशकों के दौरान 38 गुना अधिक ग्रीन लॉज़ तैयार और अनुमोदित किए गए हैं। इसके बावजूद विश्व में पर्यावरणीय कानूनों और विनियमों का निम्नस्तरीय कार्यान्वयन हो रहा है।
    - नीति निर्माता नियामकीय ओवरलैप या अंडरलैप की पहचान करने के लिए पर्यावरणीय संस्थानों के **वर्तमान अधिदेश और प्रशासनिक संरचना का मूल्यांकन** कर सकते हैं।
    - रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में 'अत्यधिक संधियां' विद्यमान हैं। विश्व के नेताओं ने पिछले 50 वर्षों के दौरान 500 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। **अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को** पर्यावरणीय विधि के शासन के बेहतर कार्यान्वयन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
    - आगे चलकर, पर्यावरणीय विधि के शासन के **नियमित वैश्विक मूल्यांकन** और सुसंगत संकेतकों का उपयोग करते हुए इस दिशा में होने वाली प्रगति पर निगरानी रखने की आवश्यकता होगी।

VISION IAS

निम्नस्तरीय कार्यान्वयन के पीछे उत्तरदायी कारण

- पर्यावरण से संबंधित अनेक समझौते कार्यान्वयन में इसलिए विफल होते हैं क्योंकि सरकारें व्यापार अथवा अर्थव्यवस्था पर अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर करती हैं, जिनमें निरंतर पर्यावरण की उपेक्षा की जाती है।
- **शक्तिशाली कंपनियों द्वारा लॉबिंग** जो न्यायसंगत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानूनों और समझौतों की उपेक्षा करती है।
- **हस्ताक्षरित समझौतों की पुष्टि करने में विफलता:** अनेक देश अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं, परंतु वे उन्हें अनुसमर्थित करने अथवा घरेलू कानून में पारित करने में विफल रहते हैं।
- **विकसित देशों द्वारा उपेक्षा:** जलवायु परिवर्तन की मामले में, कनाडा ने क्योटो प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि की किन्तु उसके मंत्रिमंडल ने "राष्ट्रीय हित में" उत्सर्जन कम करने के लिए सहमति प्रदान नहीं की। विकसित देशों द्वारा संधियों में सम्मिलित होने में विफलता अथवा उनकी उपेक्षा वैश्विक पर्यावरण संरक्षण को कमजोर करती है।
- **सुधारों की आवश्यकता:** कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि अत्यधिक समझौते करने वाले अनेक निकाय विद्यमान हैं तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार किए जाने आवश्यकता है।
- **न्यायिक निर्णयों का अपर्याप्त कार्यान्वयन:** उदाहरण के लिए भारत में, न्यायपालिका का निर्णय अवैध रैटहोल खनन पर अंकुश लगाने में विफल रहा है जिसके कारण मेघालय में खनिकों की मृत्यु हुई।

पर्यावरणीय विधि का शासन और सतत विकास लक्ष्य (SDG)

- पर्यावरणीय विधि का शासन और सतत विकास लक्ष्य परस्पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं।
- SDGs ऐसे मानदंडों और फ्रेमवर्क को प्रोत्साहित करते हैं जो पर्यावरणीय विधि के शासन के लिए आवश्यक हैं; इस दौरान, प्रभावी पर्यावरणीय विधि के शासन की स्थिति में ही विभिन्न लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।

- **अपरिपक्व संस्थाएँ:** हालांकि पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित कानूनों और संस्थानों का विस्तार हुआ है, किन्तु वे अभी भी परिपक्व नहीं हुए हैं।
  - सुदृढ़ संस्थानों के निर्माण के लिए सूचना संग्रह एवं प्रबंधन प्रणालियों में निवेश करना महत्वपूर्ण है।
  - प्रथागत संस्थानों के साथ संलग्नता: समुदाय के पास अत्यधिक ज्ञान उपलब्ध हैं और उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए सदियों से रीति-रिवाजों का विकास किया है।
- **लोगों की भागीदारी:** सार्वजनिक और सामुदायिक समूहों को पर्यावरणीय संरक्षण में महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में देखा जाना चाहिए।
  - सरकारें **नागरिक संलग्नता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर** ध्यान केंद्रित कर सकती हैं जैसे कि वेबसाइट पर आसानी से जानकारी उपलब्ध कराना, नागरिक निगरानी आंकड़े और शिकायतें एकत्रित करना, त्वरित और दक्षतापूर्ण तरीके से नागरिक पूछताछ के प्रति अनुक्रिया करना आदि।
- **पर्यावरणीय कानूनों का ध्यान अधिकारों के बजाय पर्यावरणीय कर्तव्यों पर अधिक है:** अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर्यावरणीय संरक्षण के महत्व को बढ़ाकर पर्यावरणीय विधि के शासन को सुदृढ़ कर सकता है।
  - सरकारों को उत्पीड़न और हमले से **पर्यावरण संरक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता** प्रदान करनी चाहिए तथा संरक्षकों को इस संबंध में त्वरित न्याय प्रदान किया जाना चाहिए।
  - सरकारों को जनता के लिए उपलब्ध **अधिकारों को प्रचारित करना** चाहिए तथा इन अधिकारों को सक्रिय करने में नागरिकों की सहायता करने में सक्षम सशक्त, स्वतंत्र नागरिक समाज की स्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **अंतर-सम्बद्धता की समझ:** कानून का सर्वोत्तम कार्यान्वयन वहां हुआ है, जहां देशों ने पर्यावरण, आर्थिक विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सामंजस्य और सुरक्षा के मध्य अंतर्संबंधों को समझा है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** आजीविका, भूमि, संपत्ति और लाभ पर संभावित प्रभाव के कारण इन कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी रही है।

5.14. लघु अनुदान कार्यक्रम (SGP)

(Small Grants Programme: SGP)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वैश्विक पर्यावरण सुविधा (MoEFCC-GEF), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के लघु अनुदान कार्यक्रम (SGP) पर नई दिल्ली में एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया।

कार्यक्रम की कुछ उपलब्धियां

- जैविक खेती और गैर-काष्ठ वनोत्पादों के लिए समुदाय प्रबंधित उद्यम आदि जैसे संधारणीय उपायों के माध्यम से पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में 110,000 हेक्टेयर भूमि संधारणीय भूमि और संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत लाई गई है।
- वैकल्पिक ऊर्जा और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों जैसे कि दक्ष चूल्हों, सोलर ड्रायर्स आदि की श्रृंखला के माध्यम से 85,000 मीट्रिक टन CO_2 उत्सर्जन कम हुआ। इसके परिणामस्वरूप निर्धन और हाशिए पर स्थित समुदायों की आजीविका में संवर्द्धन हुआ है।

पृष्ठभूमि

- यह कार्यक्रम वर्ष 1992 में **रियो अर्थ शिखर सम्मेलन** के साथ आरंभ किया गया।
- यह पहल विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऐसे समुदायों और सिविल सोसायटी संगठनों को प्रत्यक्ष **वित्तीय और तकनीकी सहायता** प्रदान करती है जो लोगों के कल्याण और आजीविका का संवर्द्धन करते हुए पर्यावरण का संरक्षण और पुनरुद्धार करते हैं।
- यह कार्यक्रम **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)** द्वारा वित्त पोषित और **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा निष्पादित किया जाता है।
- GEF UNDP / SGP कार्यक्रम भारत में वर्ष 1996-1997 से आरंभ हुआ था। अब तक इसने भारत में विभिन्न भौगोलिक स्थानों और सभी पांच विषयगत क्षेत्रों यथा - जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का संरक्षण, भूमि निम्नीकरण, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPS) और अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में 331 परियोजनाओं की सहायता की है।
- GEF लघु अनुदान कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी पक्षकार के रूप में भारत में इस कार्यक्रम की मेजबानी नेशनल होस्ट इंस्टीट्यूशन (NHI) अर्थात - सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन (CEE) के माध्यम से की जाती है।

पर्यावरण शिक्षा केंद्र (Centre for Environment Education)

- यह **"उत्कृष्टता केंद्र"** के रूप में पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित राष्ट्रीय स्तर की संस्था है तथा यह अहमदाबाद स्थित नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट से संबद्ध है।

5.15. पालघर में भूकंप की पुनरावृत्ति

(Repeated Earthquakes in Palghar)

सुर्खियों में क्यों?

उत्तरी महाराष्ट्र में पालघर जिले में नवंबर, 2018 से भूकंप की असामान्य आवृत्ति देखी जा रही है।

ार भूकंप अथवा भूकंप के झुंड **(Earthquake swarm)**

- यह एक स्थानीय क्षेत्र में तथा दिन, सप्ताह से लेकर महीनों तक की समयावधि के दौरान आने वाले कम परिमाण के भूकंपों की श्रृंखला है।
- जब भूकंपीय ऊर्जा क्रमशः संचित होती है और कुछ निश्चित बिंदुओं से अल्प मात्रा में निर्मुक्त होती है, तो इस प्रकार की श्रृंखला में भूकंप आ सकते हैं।
- वर्ष 2003 में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने यह पता लगाया कि इस प्रकार की गतिविधि क्षेत्र में 30 स्थानों पर अवलोकित की गई जबकि दक्कन का पठार भूकंप-प्रवण क्षेत्र नहीं है।
- किन्तु भूकंप के झुंड प्रायद्वीप तक सीमित नहीं हैं। वर्ष 2016 में, हिमाचल प्रदेश के रामपुर क्षेत्र में 58 भूकंपों की श्रृंखला दर्ज की गई। हिमालयी क्षेत्र में ये भूकंप के झुंड उस क्षेत्र में भू-पर्पटी की कम सुदृढ़ता के कारण आए थे, जो विवर्तनिक ऊर्जा का धारण करने में सक्षम नहीं है।
- इस स्थिति को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि दक्कन क्षेत्र में अनेक बड़े भूकंपों से पूर्व भूकंप के झुंड की गतिविधि दर्ज की गयी थी। इस प्रकार के दो उदाहरण क्रमशः वर्ष 1993 और वर्ष 1967 में लातूर और कोयना के भूकंप थे।

अन्य संबंधित जानकारी

- पालघर **भूकंपीय जोन III** के अंतर्गत आता है।
  - भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को चार भूकंपीय जोन में विभाजित किया है, अर्थात, जोन II, III, IV और V। इनमें क्षेत्र V भूकंपीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है, जबकि क्षेत्र II निम्नतम सक्रिय क्षेत्र है।
- नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने असामान्य झटकों को **'भूकंप के झुंड'** के रूप में वर्गीकृत किया है।

VISION IAS

- भूकंप के झुंड **जलाशय प्रेरित भूकंपीयता (RIS)** की प्रक्रिया के माध्यम से हो सकते हैं। जब विशाल संरचना और उसमें भंडारित जल के भार कारण एक छोटे से क्षेत्र में बड़ी मात्रा में भूकंपीय ऊर्जा केंद्रित हो जाती है।
- हालांकि, वैज्ञानिकों ने निकट एक छोटे जलाशय की उपस्थिति को कारण के रूप में अस्वीकृत कर दिया है तथा कोई भी खनन गतिविधि भूकंपों की व्याख्या नहीं कर पाई है।
- प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप के झुंड के कारण के रूप में हाइड्रो-सिस्मीसिटी की परिकल्पना की जा रही है।
  - अत्यधिक वर्षा से जल चट्टानों में छोटे रंध्रों में प्रवेश कर जाता है और उनके मध्य दबाव उत्पन्न करता है।
  - भूजल में प्रत्येक 10 मीटर की वृद्धि के साथ, रंध्र दबाव 1 बार बढ़ जाता है। यह दबाव भूकंप के झुंड रूप में निर्मुक्त होता है।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

6.1. अंतरिक्षीय मलबे की सफाई

(Cleaning Up Space Debris)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्पेस जंक क्लीनअप के भाग के रूप में, एक नए उपकरण **स्पेस हार्पून** (जो स्पेस जंक को कैप्चर करता है) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह **रिमूव डेब्रिस (RemoveDEBRIS) परियोजना** का एक भाग है, जो अंतरिक्ष में फैले मलबे को कम करने के तरीके निकालने और परीक्षण करने के लिए एक बहु-संगठनात्मक यूरोपीय प्रयास है।

अंतरिक्षीय मलबे (स्पेस डेब्रिस) के बारे में

- अंतरिक्षीय मलबे में **प्राकृतिक (उल्कापिंड) और कृत्रिम (मानव निर्मित) दोनों** प्रकार के पदार्थ शामिल हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में विद्यमान हैं, जबकि अधिकांश कृत्रिम मलबा पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में विद्यमान है। इसलिए, कृत्रिम मलबे को सामान्यतः कक्षीय मलबे के रूप में जाना जाता है।
- **केसलर सिंड्रोम** शब्द अंतरिक्ष में मौजूद मलबे से संबंधित है, जिसका उपयोग LEO (लो अर्थ ऑर्बिट) में अंतरिक्ष में मौजूद मलबे की सेल्फ-सस्टेनिंग कैस्केडिंग टक्कर का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

अंतरिक्षीय मलबा चिंता का विषय क्यों है?

- **विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों में अवरोध**
    - नासा का अनुमान है कि निम्न भू-कक्षा में आधे इंच से बड़े मलबे के लगभग 500,000 टुकड़े विद्यमान हैं, जो इस क्षेत्र में चक्कर लगा रहे लगभग 780 उपग्रहों के लिए संभावित खतरा उत्पन्न करते हैं।
    - अंतरिक्षीय मलबा **30,000 किमी प्रति घंटे की गति** से चक्कर लगा रहा है, यह कक्षीय मलबे के छोटे टुकड़ों को घातक छर्रों के रूप में परिवर्तित करता है जो उपग्रहों, अंतरिक्ष शटल, अंतरिक्ष स्टेशनों और मानव अंतरिक्ष यान को क्षति पहुंचा सकते हैं।
- **मिशन की लागत में वृद्धि-** विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों को अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि के आलोक में अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना पड़ रहा है तथा इस प्रकार अंतरिक्ष कार्यक्रम के संचालन के लिए अतिरिक्त आर्थिक और मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- **अंतरिक्षीय मलबे में निरंतर वृद्धि होगी-** अंतरिक्ष-वैज्ञानिकों को क्यूबसैट कहे जाने वाले सस्ते, छोटे उपग्रहों के संबंध में चिंता है, जो अगले 10 वर्षों में अंतरिक्षीय मलबे की मात्रा में लगभग 15% की वृद्धि करेंगे।

अंतरिक्ष में मौजूद मलबे को हटाने की दिशा में की गई पहलें

- **कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेज ऑफ़ आउटर स्पेस** और **इंटर-एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी (IADC)** अंतरिक्ष में नवीन मलबों के सृजन पर रोक, छोटे आकार के मलबे की टक्कर को सहन करने के लिए उपग्रहों की डिजाइन को बेहतर बनाने तथा परिचालन प्रक्रियाओं में सुधार करने (जैसे कि उन कक्षाओं का उपयोग करना जिनमें मलबे के संभावना कम हो) तथा पूर्वानुमान के द्वारा टकराव से बचने आदि जैसे वैश्विक शमन उपायों का समर्थन करती है। हालाँकि, ये दिशा-निर्देश स्वैच्छिक प्रकृति के हैं तथा वर्तमान में अंतरिक्ष मलबे के संबंध में कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि अस्तित्व में नहीं है।
- **यूके (UK)-** रिमूव डेब्रिस मिशन का वित्तपोषण यूरोपीय संघ और सरे विश्वविद्यालय के सरे स्पेस सेंटर (SSC) के नेतृत्व में परियोजना भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
- **यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी- ई. डिऑर्बिट मिशन**, जो निम्न भू कक्षा में ESA के स्वामित्व वाले पथभ्रमित सैटेलाइट को लक्षित करेगा, उसे कैप्चर करेगा और फिर नियंत्रित वायुमंडलीय पुनः प्रवेश के दौरान इसे सुरक्षित रूप से नष्ट करेगा।
- **जापान-** इसके द्वारा **कॉनोतोरि 6 (Kounotori 6) उपग्रह** प्रक्षेपित किया गया है, जो पृथ्वी की कक्षा से कुछ मलबे को हटाने के लिए एक आधा मील लंबे टीथर का उपयोग करता है। टीथर एल्यूमीनियम स्ट्रैंड और स्टील वायर से निर्मित होता है, जिसे मलबे की गति को कम करने और उसे कक्षा से बाहर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **भारत -**
    - स्पेस जंक को ट्रैक करने के लिए इसरो की एक टीम और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला एक वेधशाला स्थापित करने की दिशा में कार्यरत हैं।
    - सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित एक मल्टी-ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार (MOTR) इसरो को एक-साथ 10 वस्तुओं की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। यह भारत के अंतरिक्ष उपकरणों और अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करता है, जिसके लिए वर्ष 2016 तक भारत पूरी तहत अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा पर निर्भर था।

VISION IAS

रिमूव डेब्रिस मिशन (The Remove Debris Mission)

रिमूव डेब्रिस सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म चार प्रक्रियाओं के द्वारा DebriSATs नामक दो स्पेस डेब्रिस टारगेट्स को रिलीज़ (मुक्त करना) कैप्चर (अभिग्रहण) तथा डीऑर्बिट (कक्षा से बाहर) करेगा:

- **नेट कैप्चर:** इसमें एक नेट (जाल) का प्रयोग होगा जिसे लक्षित क्यूबसैट के लिए परिनियोजित किया जाएगा।
- **हार्पून कैप्चर**: जिसे "प्रतिनिधि उपग्रह पैनल पदार्थों"(representative satellite panel materials) से निर्मित एक टारगेट प्लेट पर प्रक्षेपित किया जाएगा।
- **विज़न-बेस्ड नेविगेशन:** यह प्लेटफ़ॉर्म, कैमरा तथा LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) का उपयोग करके अंतरिक्षीय मलबे से संबंधित डेटा को संगृहीत करेगा और इस डेटा को प्रोसेसिंग हेतु ग्राउंड स्टेशन पर प्रेषित करेगा।
- **डी-ऑर्बिटिंग प्रोसेस:** जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा अंतरिक्ष यान जलकर नष्ट हो जाएगा, तथा कोई मलबा शेष नहीं रहेगा।

यह मिशन कक्षा में महत्वपूर्ण एक्टिव डेब्री रिमूवल (ADR) प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा, जिनका भावी अभियानों के लिए भी महत्व होगा।

स्पेस हार्पून (Space Harpoon)

हार्पून बड़े टारगेट के लिए होता है, उदाहरण के लिए बड़े आकार के उपग्रह जिनमें खराबी आ गयी है या जो अपनी कक्षा से बाहर आ गए हैं। एक सामान्य मास ड्राइवर उन्हें पृथ्वी की ओर धकेल सकता है, लेकिन उन्हें कैप्चर करना और निर्देशित तरीके से नीचे उतारना एक अधिक नियंत्रित तकनीक है।

इंटर-एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee: IADC) के बारे में

- यह मानव निर्मित तथा प्राकृतिक अंतरिक्षीय मलबे के मुद्दों से संबंधित गतिविधियों के विश्वव्यापी समन्वय के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी मंच है।
- इसका उद्देश्य सदस्य अंतरिक्ष एजेंसियों के मध्य अंतरिक्षीय मलबे से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों पर जानकारी का आदान-प्रदान करना, अंतरिक्षीय मलबे से संबंधित अनुसंधान में सहयोग के अवसरों को सुविधाजनक बनाना, वर्तमान में संचालित सहयोगात्मक गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना और मलबे को कम करने के विकल्पों की पहचान करना है।
- इसरो भी इस समिति का सदस्य है।

6.2. भारत में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की प्रगति

(Progress of Digital Literacy Programs in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति द्वारा संसद में राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की समीक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

डिजिटल साक्षरता के बारे में

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, डिजिटल साक्षरता को व्यक्तियों और समुदायों द्वारा आम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सार्थक कार्यों के लिए डिजिटल प्रोद्योगिकी का उपयोग करके की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर/लैपटॉप/टैबलेट/स्मार्ट फोन का संचालन तथा अन्य IT संबंधित उपकरणों का उपयोग कर सकता है, उसे डिजिटल रूप से साक्षर माना जाता है।
- डिजिटल साक्षरता सरकारी योजनाओं के उपयोग, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है।

भारत में डिजिटल साक्षरता की वर्तमान स्थिति

- **निम्न डिजिटल साक्षरता-** 14-29 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में, शहरी क्षेत्रों में 48.9% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 18.3% लोग ही कंप्यूटर संचालित करने में सक्षम थे।
- **डिजिटल साक्षरता का अप्रभावी उपयोग-** IIT दिल्ली द्वारा किये गए एक अध्ययन में यह ज्ञात हुआ कि यद्यपि लाभार्थी वर्तमान में सोशल मीडिया का उपयोग करने में सहज थे, परंतु वे शैक्षिक अवसरों और रोजगार लिस्टिंग जैसे कार्यों के लिए इंटरनेट ब्राउजिंग करने में निपुण नहीं थे।

VISIONIAS

सरकारी पहलों की पृष्ठभूमि

- भारत सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरण करने के लिए **'डिजिटल इंडिया' अभियान** आरंभ किया।
- इस अभियान का एक लक्ष्य **IT-निरक्षर लोगों को सशक्त** बनाना है, ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में प्रभावी रूप से भाग लेने और अपनी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए IT और संबंधित अनुप्रयोगों का उपयोग करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हो सकें।
- इस संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'डिजिटल इंडिया' के विज़न को साकार करने के एक साधन के रूप में **राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (NDLM)** आरंभ किया।
- इस मिशन के तहत, लाभार्थियों को कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने, इंटरनेट ब्राउज़ करने और ईमेल भेजने और प्राप्त करना सिखाने के लिए 20 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के लिए मूल समय सीमा 18 माह थी लेकिन जून 2016 में बंद करने पूर्व इसे 27 माह के लिए बढ़ाया गया था। यद्यपि कार्यक्रम अभी भी चल रहा था, सरकार ने जनवरी 2015 में **डिजिटल साक्षरता अभियान अथवा दिशा (DISHA)** का शुभारंभ किया।
- इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत, कुल 53.67 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से लगभग 42% ग्रामीण क्षेत्र से थे।
- वर्ष 2017 में, सरकार ने पिछली दो योजनाओं में सुधार करके **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)** की शुरुआत की।

'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (PMGDISHA)

- **उद्देश्य:** सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में छह करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना, प्रत्येक पात्र परिवार से एक सदस्य को सम्मिलित करके लगभग 40% ग्रामीण परिवारों तक पहुंच स्थापित करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस योजना को सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के सक्रिय सहयोग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की समग्र देखरेख में CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) है।
- **योजना की अवधि:** योजना की अवधि 31 मार्च, 2019 तक है।
- **योजना का कवरेज:** यह योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।

IIT दिल्ली और कौंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट, दिल्ली द्वारा स्वतंत्र अध्ययन पर आधारित पिछली योजनाओं की उपलब्धियां

अधिकांश लाभार्थीयों ने -

- नई चीजों को आसानी से सीखने के लिए आत्मविश्वास हासिल करने का दावा किया।
- अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं के संबंध में अधिक जागरूकता का अनुभव किया।
- कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किसी तक पहुंच स्थापित करने में खुशी प्राप्त हुई।

सरकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दे

- **योजनाओं के समेकन का अभाव-** समानांतर योजनाएँ इच्छित लाभार्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती हैं और मूल्यांकन को कठिन बनाती हैं।
- **प्रशिक्षण की गुणवत्ता के बजाय मात्रात्मक मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करना-** विभिन्न पक्षों से संबंधित आंकड़ों, जैसे- डिजिटल डिवाइस के उपयोग, आत्मविश्वास के स्तर आदि के संबंध में स्वतंत्र अध्ययन के निष्कर्षों में असंगतता और भिन्नता है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित व्यक्तियों में हुए व्यवहारगत परिवर्तन की निगरानी हेतु NDLM, DISHA और PMGDISHA जैसी योजनाओं में कोई ठोस प्रावधान नहीं है, जो यह सुनिश्चित कर सके कि प्रशिक्षुओं में व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं तथा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी डिजिटल/IT उपकरणों का उपयोग करना जारी रखा जा रहा है अथवा नहीं।
- **अवास्तविक डेटा-** NDLM योजना के तहत, कुल 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 16 ने नामांकित उम्मीदवारों में से सभी (100%) को प्रमाणीकृत किया है। समिति के द्वारा इन्हें अवास्तविक पाया गया है।
- **लाभार्थियों का दोहराव-** अनुसंधान और परामर्शकारी समूह 'कौंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट' द्वारा प्रथम प्रभाव आकलन अध्ययन में यह ज्ञात हुआ है कि योजना के लाभार्थियों में से दो-तिहाई इस योजना हेतु पात्र नहीं थे।

VISION IAS

भारत में डिजिटल साक्षरता के प्रसार के समक्ष चुनौतियां

- जनता के मध्य डिजिटल साक्षरता के लाभों के संबंध में **जागरूकता का अभाव।**
- **देश में विभिन्न स्थानों पर अपेक्षित प्रशिक्षण अवसंरचना और संसाधनों की उपलब्धता का अभाव-** राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) की शिक्षा से संबंधित सामाजिक उपभोग पर 71वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 में देश में कंप्यूटर रखने वाले परिवारों का अनुपात लगभग 14% था (ग्रामीण परिवारों में केवल 6% और शहरी परिवारों में 29% के पास कंप्यूटर था)।
- **इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीयकरण/भाषा संबंधी मुद्दे।**
- **राज्य सरकार और अन्य हितधारकों से पर्याप्त समर्थन का अभाव-** जैसे कि उत्तर-पूर्वी राज्यों द्वारा।
- **योजना के लिए अपर्याप्त वित्तपोषण-** केवल 500 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं जो आवंटित परिव्यय से अत्यधिक कम है।

संसदीय स्थायी समिति की अनुसंशाएं

- सरकारी योजनाओं को अलग-अलग नामों से जारी अल्पकालिक समानांतर योजनाओं के क्रियान्वयन के स्थान पर **दीर्घकालिक योजना और सुस्पष्ट परिणामों की आवश्यकता पर ध्यान** देना चाहिए।
- **कवरेज बढ़ाने के लिए मापदंडों में परिवर्तन-** मौजूदा योजनाओं में प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति को सम्मिलित करने संबंधी वर्तमान सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए।
- **गुणात्मक प्रभाव आकलन की आवश्यकता-** निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाकर और निरंतर फीडबैक तंत्र के माध्यम से गुणात्मक मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करके यह सुनिश्चित करना कि सफल प्रशिक्षुओं में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन हो तथा वे अपने प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद भी डिजिटल/IT उपकरणों का उपयोग करना जारी रखें।
- **ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल वित्तीयन जैसी योजनाओं के माध्यम से डिजिटल वित्त को प्रोत्साहित करना-** सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) के माध्यम से जागरूकता और पहुंच स्थापित करना।
- **प्रशिक्षण भागीदारों के नामांकन में वृद्धि:** निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए IT डोमेन में प्रमाणित विशेषज्ञता वाले प्रशिक्षण भागीदारों के नामांकन में वृद्धि करना।
- **शिकायत निवारण और फीडबैक तंत्र-** योजना को सभी लाभार्थियों के लिए समान रूप से सुलभ बनाने और किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए शिकायत निवारण और फीडबैक तंत्र को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **कम लागत, उपयोग में आसान-** जैसे कि फीचर/स्मार्ट फोन और संबंधित ऐप, जो पारंपरिक IT हार्डवेयर और संबद्ध सॉफ़्टवेयर की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। यह सामग्री सभी आयु वर्ग के उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल और उपयुक्त हो सकती है।
- **पिछड़े राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर ध्यान केंद्रित करना-** कुछ राज्यों की अच्छी प्रथाओं को अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता है तथा अत्यधिक सहयोग प्रदान करने वाले और बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ताकि स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित हो सके।
- **विभिन्न केंद्रीय/राज्य एजेंसियों और संस्थाओं के मध्य घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना।**

6.3. सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट

(Solid Fuel Ducted Ramjet: SFDR)

सुखियों में क्यों?

हाल ही में, DRDO ने दूसरे स्वदेशी रूप से विकसित **'सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR)'** प्रणोदन-आधारित मिसाइल प्रणाली का दूसरी बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका प्रथम परीक्षण मई 2018 में किया गया था।

SFDR के बारे में

- SFDR **भारत-रूस की एक संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजना** है, जिसे निकट भविष्य में लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का विकास करने के लिए स्थापित किया गया है। 5 वर्षों में प्रौद्योगिकी का विकास और उसका प्रदर्शन करने के उद्देश्य से इस परियोजना को वर्ष 2013 में आरंभ किया गया था।
- **हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL)** संयुक्त मिशन परियोजना की नेतृत्वकर्ता एजेंसी है।
- वर्तमान में, पारंपरिक मिसाइलें ठोस या तरल प्रणोदक के साथ सस्टेनर कॉन्फ़िगरेशन (sustainer configuration) अथवा बूस्टर का उपयोग करते हैं। वे मिसाइल को अपनी गति बनाए रखने और किसी किसी मैन्यूवरिंग टार्गेट(ऐसा लक्ष्य जिसकी गति और दिशा को नियंत्रित किया जा रहा हो) को भेदने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते हैं।
- SFDR प्रौद्योगिकी, **रैमजेट प्रणोदन प्रणाली** पर आधारित है। यह प्रणाली अंतःग्रहित वायु के संपीड़न के लिए केवल सुपरसोनिक गति से आगे बढ़ने पर निर्भर है। इसमें इंजन के प्रवाह-पथ (flow-path) के घटकों में कोई भी घटक गतिशील नहीं होता है।
- ठोस रॉकेट प्रणोदक जो लगभग 20% ईंधन और 80% ऑक्सीकारक से निर्मित होता है, के विपरीत ठोस रैमजेट ईंधन **100% ईंधन है तथा वायु से ऑक्सीकारक प्राप्त करता है,** जिसके परिणामस्वरूप लगभग ठोस रॉकेट प्रणोदक की तुलना में **चार गुना विशिष्ट आवेग** (थ्रस्ट और समय के गुणनफल को प्रणोदक भार से विभाजित करने पर प्राप्त) प्राप्त होता है।

- इसलिए यह **एयर ब्रीदिंग रैमजेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी** उच्च सुपरसोनिक गति (2 मैक से ऊपर) पर लंबी दूरी के लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए मिसाइल का प्रणोदन करने में सहायता प्रदान करती है।
- परिणामतः इसमें सरलता, विश्वसनीयता, हल्का वजन और उच्च गति वाली उड़ान क्षमता अंतर्निहित है जो अन्य एयर ब्रीदिंग इंजनों में संभव नहीं है।

रैमजेट और स्क्रैमजेट के मध्य अंतर

- **रैमजेट इंजन:** एक रैमजेट इंजन में टर्बोजेट इंजन के विपरीत किसी प्रकार का टर्बाइन नहीं होता है। यह केवल वायु यान की अग्र गति के माध्यम से अंतःग्रहित वायु को संपीडित करता है।
- **स्क्रैमजेट इंजन:** यह रैमजेट इंजन में एक सुधार है क्योंकि यह दक्षतापूर्वक हाइपरसोनिक गति से संचालित होता है तथा सुपरसोनिक दहन को सक्षम बनाता है। इस प्रकार, इसे सुपरसोनिक कंबस्शन (combustion) रैमजेट अथवा स्क्रैमजेट के रूप में जाना जाता है।

6.4. परम शिवाय

(Param Shivay)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, C-DAC (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग) द्वारा राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत डिज़ाइन और निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर **'परम शिवाय'** का लोकार्पण IIT-BHU में किया गया।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के बारे में

- यह मिशन **वर्ष 2015** में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य **70 से अधिक हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज** से संबद्ध एक विशाल सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करके पूरे देश में विस्तृत राष्ट्रीय अकादमिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सुदृढ़ करना है।
- इन सुपर कंप्यूटरों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) पर **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड** से भी संबद्ध किया जाएगा।
- मिशन सात वर्ष की अवधि के लिए **C-DAC और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु** के माध्यम से **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** और **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY)** द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
- मिशन इन अनुप्रयोगों के विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए **हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग (HPC) की जानकारी रखने वाले उच्च पेशेवर मानव संसाधन** के विकास को भी सम्मिलित करता है।
  - **परम शावक** इस प्रकार की एक मशीन है जो प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
- **अनुप्रयोग क्षेत्र:** क्लाइमेट मॉडलिंग, कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी सिमुलेशन, नेशनल सिक्योरिटी/डिफेन्स एप्लिकेशन्स, डिजास्टर सिमुलेशन एंड मैनेजमेंट, कम्प्यूटेशनल मटेरियल साइंस एंड नैनोमटेरियल, साइबर फिजिकल सिस्टम, बिग डेटा एनालिटिक्स आदि।

टॉप-500 प्रोजेक्ट

- इसे वर्ष 1993 में आरंभ किया गया, यह विश्व में 500 सबसे शक्तिशाली **नॉन-डिस्ट्रिब्यूटेड कंप्यूटरों** को रैंक प्रदान करता है।
- यह वर्ष में दो बार सुपर कंप्यूटरों की एक अपडेटेड सूची का प्रकाशन करता है।
- वर्तमान में, **चीन** 229 सुपर कंप्यूटरों के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका 121 के रिकॉर्ड अंतर के साथ दूसरे स्थान पर है।
- जून 2018 से, **अमेरिका** का **"समिट (Summit)"** सुपर कंप्यूटर **लिनपैक (LINPACK) बेंचमार्क** के आधार पर विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है।
- लिनपैक बेंचमार्क सिस्टम के फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटर पावर का एक मापक है। यह एक कंप्यूटर द्वारा nxn रैखिक समीकरणों को हल किए जाने की क्षमता का मापना करता है।
- विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की टॉप-500 सूची में **भारत के 4 सुपर कंप्यूटर** हैं तथा **प्रत्यूष एवं मिहिर** भारत के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर हैं।

C-DAC के बारे में

- यह IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है।
- भारत के पहले सुपर कंप्यूटर **परम 8000** का निर्माण C-DAC ने किया गया था।

VISION IAS

6.5. खसरा-रूबेला

(Measles-Rubella)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ग्लोबल मीज़ल्स एंड रूबेला अपडेट में यह निर्दिष्ट किया गया है कि भारत में वर्ष 2018 में 56,399 खसरे के मामलों और 1,066 रूबेला के मामलों की पुष्टि हुई।

खसरा-रूबेला के बारे में

- खसरा और रूबेला **विषाणु-जनित अत्यधिक संक्रामक रोग** हैं जो **खांसी और छींकने के माध्यम** से एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से प्रसारित होते हैं।
- खसरा **प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर** करता है और द्वितीयक स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे कि निमोनिया, अंधापन, अतिसार आदि का कारण बनता है। यह विषाणु एक विशिष्ट मानव रोगजनक है और इसका कोई **जंतु संग्राहक या वाहक नहीं** है।
- **रूबेला**, जिसे **जर्मन मीसल्स** के रूप में भी जाना जाता है, सामान्यतः एक कम घातक रोग है, लेकिन इसके गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं क्योंकि यह भ्रूण में जन्मजात रूबेला सिंड्रोम का कारण बन सकता है। विश्व में जन्मजात रूबेला सिंड्रोम (CRS) के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की लगभग एक-तिहाई संख्या भारत में है।
- खसरा-रूबेला (MR) वैक्सीन बच्चे में खसरा और रूबेला दोनों रोगों की रोकथाम के लिए **9-12 माह और 16-24 माह** की आयु में लगाया जाता है क्योंकि इस रोग का **कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं** है।
- खसरा को समाप्त करने और रूबेला को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों के 95% से अधिक टीकाकरण की अथवा **समूह प्रतिरक्षा (Herd Immunity)** को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
    - यह प्रतिरक्षा का एक रूप है जो तब उत्पन्न होता है जब जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण भाग (अथवा समूह) का टीकाकरण उन व्यक्तियों के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जिनमें प्रतिरक्षा विकसित नहीं हुई है।

मीजल्स-रूबेला (MR) को नियंत्रित करने के सरकारी प्रयास

- **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, 1985** के एक भाग के रूप में MR टीकाकरण का आरंभ किया गया।
- MR टीकाकरण अभियान को वर्ष 2017 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक खसरा को समाप्त करना और रूबेला/जन्मजात रूबेला सिंड्रोम (CRS) को नियंत्रित करना था।

6.6. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम

(National Action Plan For Viral Hepatitis Control)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में

- कार्यक्रम एक रणनीतिक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसके आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2018 में **राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम** आरंभ किया गया।
- यह कार्यक्रम भारत सरकार की **वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन** के प्रति गहन प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

हेपेटाइटिस के बारे में

- यह प्रायः **वायरस और अन्य संक्रमणों, विषाक्त पदार्थों** (जैसे शराब, कुछ दवाओं) के कारण होने वाला **यकृत शोथ** है।
- हेपेटाइटिस वायरस के **5 मुख्य प्रकार** हैं, जिन्हें **A, B, C, D और E** के रूप में संदर्भित किया जाता है।
    - वायरल **हेपेटाइटिस टाइप B और C क्रोनिक हेपेटाइटिस** का कारण बन सकते हैं और हेपेटाइटिस के कारण होने वाली कुल मृत्यु दर के 96% भाग के लिए उत्तरदायी हैं जबकि **हेपेटाइटिस A और E प्रायः एक्यूट हेपेटाइटिस** का कारण बनते हैं।
    - **हेपेटाइटिस A और E** आमतौर पर संदूषित भोजन अथवा जल के अंतर्ग्रहण के कारण होते हैं।
    - **हेपेटाइटिस B, C और D** प्रायः संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने के परिणामस्वरूप होते हैं, जैसे कि रक्त आदान के दौरान, ऑपरेशन के दौरान चिकित्सा प्रक्रियाओं में संदूषित उपकरणों का प्रयोग, जन्म के समय माता से बच्चे में संचरण, लैंगिक संबंध आदि के द्वारा।
    - हेपेटाइटिस A, B और E से बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं। हालांकि, **हेपेटाइटिस C के लिए किसी प्रकार का टीका उपलब्ध नहीं है।**
    - इसके अतिरिक्त, **हेपेटाइटिस D वायरस** (HDV) संक्रमण केवल **हेपेटाइटिस B** वायरस से संक्रमित व्यक्तियों में ही होता है।

VISION IAS

- संक्रमण **यकृत कैंसर और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं** में वृद्धि कर सकता है।
- क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करने में प्रमुख चुनौती **संक्रमित व्यक्ति के अपने हेपेटाइटिस वाहक होने की स्थिति से अनभिज्ञ होने** और दशकों तक अन्यों को संक्रमित करने की उनकी क्षमता के कारण है।

राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में

- इसका लक्ष्य **वर्ष 2030** तक देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में **वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त** करना है।
- इसका उद्देश्य वायरल हेपेटाइटिस के कारण **रुग्णता और मृत्यु दर (morbidity and mortality) को कम** करना है।
- इसकी प्रमुख रणनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - जागरूकता सृजन, सुरक्षित इंजेक्शन देने की प्रक्रियाओं और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति, संक्रमण नियंत्रण और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ **निवारक और प्रोत्साहन संबंधी उपाय।**
  - विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ **सहयोग और समन्वय स्थापित करना।**
  - हेपेटाइटिस B और C के रोगियों के लिए **रोग की पहचान और उपचार हेतु समर्थन प्रदान करना।**
  - **राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर और उप-जिला स्तर से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की क्षमताओं का विकास करना** ताकि कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य सुविधा के निचले स्तर तक बढ़ाया जा सके।

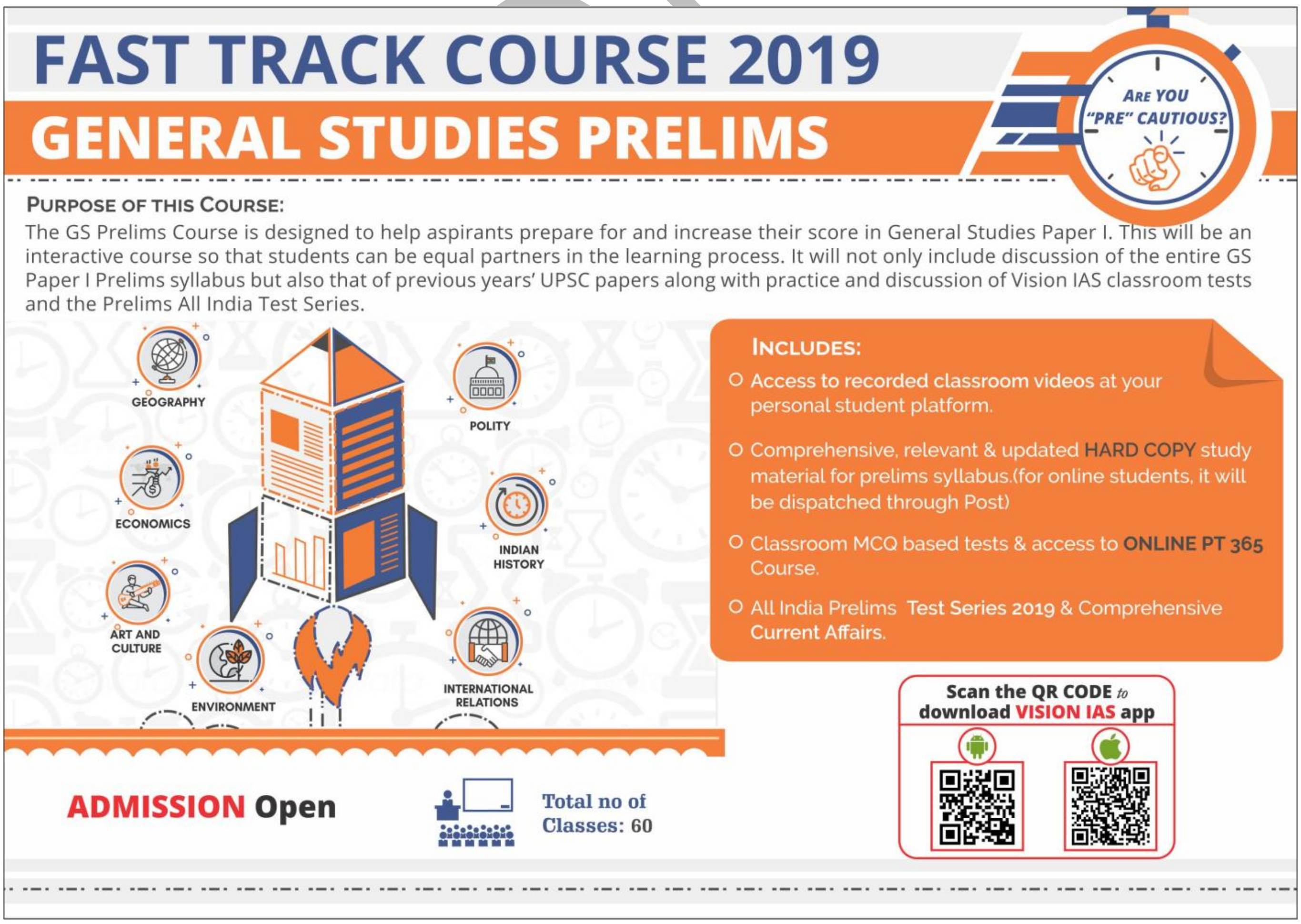

7. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

7.1 भारत में अल्पसंख्यकों का निर्धारण

(Defining Minorities in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित करने और राज्यवार उनकी पहचान करने के सन्दर्भ में निर्णय लेने के लिए कहा है।

अन्य सम्बन्धित तथ्य

- इस जनहित याचिका में लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई है।
- इस याचिका के तहत उच्चतम न्यायालय से निम्नलिखित राहत अपेक्षित है:
  - यह घोषित करना कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अधिनियम 1992 की धारा 2 (c) तथा 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाली NCM अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21, 29 और 30 के अनुसार शून्य है;
  - सरकार को "अल्पसंख्यकों" को परिभाषित करने के लिए निर्देशित करे जिसमें निर्धारक इकाई राज्य को माना जाए।

भारत में अल्पसंख्यक समुदाय

- भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे **अनुच्छेद 29,30,350A और 350 B** में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है।
- यह धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान करता है।
- लेकिन यह **न तो 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित करता है और न ही अल्पसंख्यकों के निर्धारण सम्बन्धी मानदंड को रेखांकित करता है।**
- NCM अधिनियम 1992 की धारा 2 (c) के अनुसार, 'अल्पसंख्यक' से अभिप्राय इस सन्दर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय से है।
- छह धार्मिक समुदायों, अर्थात; मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जोरोस्ट्रियन (पारसी) और जैन को केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
  - ये अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदाय देश की लगभग 19% आबादी का गठन करते हैं।
  - ग्रामीण और शहरी, दोनों प्रकार के क्षेत्रों में 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के महिला एवं पुरुष दोनों की साक्षरता दर ईसाइयों में सर्वाधिक है।
  - सभी धार्मिक समुदायों में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) महिलाओं की तुलना में काफी अधिक है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में, 2009-10 के दौरान, पुरुषों (3 प्रतिशत) और महिलाओं (6 प्रतिशत) के लिए बेरोजगारी दर ईसाइयों में सर्वाधिक थी। शहरी क्षेत्रों में, पुरुषों (6 प्रतिशत) और महिलाओं (8 प्रतिशत) दोनों के लिए बेरोजगारी दर सिखों में सर्वाधिक थी।
- **राज्य सरकारों को राज्य में अल्पसंख्यकों को नामित करने और राज्य अल्पसंख्यक आयोगों को स्थापित करने का भी अधिकार है।** उदाहरण के लिए 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होने से पहले जैन समुदाय को 11 राज्यों द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया था।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के बारे में

- इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी।
- यह **सिविल न्यायालय की शक्तियों के साथ एक अर्द्ध -न्यायिक निकाय** है।
- इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है; साथ ही सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होते हैं।
- इसके अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए पद धारण करते हैं।
- केंद्र सरकार इसकी रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है।

कार्य

- संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन;
- संविधान और संसद एवं राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के कार्यपद्धति की निगरानी

VISION IAS

करना;

- केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुशंसा करना;
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचनाओं की विशिष्ट शिकायतों पर ध्यान देते हुए ऐसे मामलों को सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष उठाना ;
- अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी भी भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना और उनके निवारण हेतु उपायों की सिफारिश करना;
- अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना;
- केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के अंतर्गत किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में उचित उपाय सुझाना;
- अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले पर और उनके द्वारा सामना की जाने वाली विशेष कठिनाइयों पर केंद्र सरकार को समय-समय पर या विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा
- कोई अन्य मामला, जो केंद्र सरकार द्वारा NMC को संदर्भित किया जा सकता है।

अल्पसंख्यकों को राज्यवार परिभाषित करने सम्बन्धी मामले

- **बढ़ती असमानता :** अखिल भारतीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के वर्गीकरण ने न केवल विभिन्न राज्यों में असमानता उत्पन्न कर दी है, बल्कि अल्पसंख्यकों को उपलब्ध सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लाभ लेने के लिए यह धर्म परिवर्तन को भी प्रोत्साहित कर रहा है। छह अधिसूचित अल्पसंख्यकों को केंद्रीय स्तर पर विभिन्न लाभ प्राप्त हैं, जैसे:
    - अनुच्छेद 30 की अनुपालना में, संस्थाओं और समुदायों के ट्रस्टों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा।
    - उनके द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में सम्बंधित समुदाय को 50% आरक्षण की अनुमति दी जाएगी।
    - उन्हें अपने संस्थानों में संस्कृति और धार्मिक शिक्षा देने और भूमि के लिए सरकार से वित्त प्राप्त करने की अनुमति होगी।
    - वे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित विशेष योजनाओं जैसे जियो पारसी, नई रोशनी, नई मंजिल, हमारी धरोहर इत्यादि का लाभ उठाने के पात्र होंगे ।
- **विभिन्न वर्गों का अपवर्जन:** अल्पसंख्यकों की पहचान करने और उन्हें मान्यता देने में विफलता से अल्पसंख्यक लाभों का अनुचित वितरण होता है जैसे कि जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम 68.30% हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है और इसलिए उन्हें लाभों का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। इसी प्रकार मिजोरम, मेघालय में ईसाई बहुसंख्यक हैं और वहां उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है।
- **इसी तरह के प्रावधान:** 'अनुसूचित जाति' और 'अनुसूचित जनजाति' की पहचान राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर की जाती है। अनुच्छेद 341 और 342 के संदर्भ में राष्ट्रपति को संसद के संशोधन के अधीन प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके एक सूची तैयार करने का अधिकार है।
- **उच्चतम न्यायालय के निर्णय: उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के प्रयास किए है:**
    - ***केरल शिक्षा विधेयक वाद 1958* :** इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया कि अल्पसंख्यक ऐसे लोगों का समुदाय होना चाहिए जो 'राज्य में संख्यात्मक रूप से समग्र स्तर पर अल्पसंख्यक हो', न कि किसी विशेष क्षेत्र या स्थान के आधार पर।
    - **बाल पाटिल और अन्य बनाम भारत संघ, 1999 और TMA Pai फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002:** यह कहा गया कि राज्य विधि के संबंध में, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण करने की इकाई राज्य होना चाहिए।

निष्कर्ष

सामाजिक संदर्भ में अल्पसंख्यक की अवधारणा अत्यंत जटिल है। अल्पसंख्यक शब्द की कोई भी एक सर्व स्वीकार्य परिभाषा नहीं है और न ही यह आलोचना से मुक्त है। हालाँकि, उनकी पहचान के लिए दिशानिर्देश तय किये जाने की आवश्यकता है और साथ ही यह सुनिश्चित किये जाने की जरुरत है कि केवल उन्हीं धार्मिक और भाषाई समूहों को संविधान के अनुच्छेद 20-30 के तहत प्रदत्त अधिकारों एवं सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो जो सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक रूप से गैर-प्रभावी और संख्यात्मक रूप से कम हैं।

VISION IAS

7.2. विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू समुदायों (DNCs) के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड

(Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा "विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू समुदायों (DNCs) के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड" के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

विवरण

- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, यदि स्थानीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता था कि एक गिरोह या जनजाति "गैर-जमानती अपराधों में संलग्न" है, तो उन्हें **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871** के तहत आपराधिक जनजाति के रूप में पंजीकृत किया जाता था।
- इसके बाद **आपराधिक जनजाति अधिनियम (CTA), 1924** प्रभाव में आया। इस अधिनियम के तहत, स्थानीय सरकार सुधार-गृह स्थापित कर सकती थी और आपराधिक जनजाति के बच्चों को उनके माता-पिता और अभिभावकों से अलग कर उन्हें इन सुधार गृहों में रखा जाता था।
- CTA के तहत **घुमंतू और विमुक्त जनजाति** दोनों को ही आपराधिक जनजातियां माना गया था। अधिकांश विमुक्त जनजातियां अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।
- **अनंथसायनम अय्यंगर समिति** (इसके द्वारा संपूर्ण भारत में CTA के संचालन के संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई) के बाद, इस अधिनियम को 1949 में निरस्त कर दिया गया और इसे आदतन अपराधी अधिनियम, 1952 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- 2002 में, **न्यायमूर्ति वेंकटचलैया आयोग** द्वारा विमुक्त और घुमंतू जनजातियों (DNTs) के आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने की अनुशंसा की गई। साथ ही इसके द्वारा DNTs की आवश्यकताओं और शिकायतों के निवारण हेतु एक **विशेष आयोग** के गठन की भी अनुशंसा की गई।
- इसके परिणामस्वरूप, 2005 में इन समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने हेतु **बालकृष्ण सिडके रेनके** की अध्यक्षता में **एक राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग का गठन** किया गया था।
- 2015 में **भिकू रामजी इदाते** की अध्यक्षता में एक अन्य राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। इसने 2018 में **"विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति की आवाज"** नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इदाते आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** के तत्वावधान में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्थायी विकास और कल्याण बोर्ड को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य विमुक्त घुमंतू और अर्द्ध -घुमंतू समुदाय के लिए विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करना है।

DNTs के समक्ष चुनौतियां

- **इनके द्वारा अभी तक सामाजिक उपेक्षा का सामना किया जा रहा है -** इन समुदायों के लोग रूढ़िवादी बने हुए हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या को पूर्व-आपराधिक जनजातियों के रूप में जाना जाता है।
- **अलगाव और कमजोर आर्थिक स्थिति -** इनके अधिकांश पारंपरिक व्यवसायों, जैसे- सर्प के जादू का प्रदर्शन, सड़कों पर कलाबाजी का प्रदर्शन और जानवरों के खेलों का प्रदर्शन आदि को आपराधिक गतिविधि के रूप में अधिसूचित किया गया है, इस कारण से इनके समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है।
- **व्यापक स्तर पर बहिष्करण -** अधिकांश विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध -घुमंतू जनजातियाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं, लेकिन अभी भी इन्हें इन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है और ये शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास या अन्य सामाजिक-आर्थिक लाभों से वंचित हैं। साथ ही, इन समुदायों के संबंध में विभिन्न आंकड़ों का भी अभाव है।
- **खराब शिकायत निवारण-** इन समुदायों की समस्याएं भोजन, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खराब अवसंरचना आदि से संबंधित हैं। कई लोगों द्वारा जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि से संबंधित शिकायतें भी की जाती हैं।
- **एक समान दृष्टिकोण का अभाव -** एक राज्य से दूसरे राज्य में इन समुदायों की पहचान के संबंध में कई विसंगतियां मौजूद हैं। इन जनजातियों और इनकी शिकायतों का निवारण करने वाले प्राधिकरण के संबंध में जागरूकता का अभाव है। साथ ही, अब तक किसी स्थायी आयोग का गठन भी नहीं किया गया था।
- **जनसंख्या में कमी -** उपर्युक्त सभी समस्याओं के परिणामस्वरूप कई समुदायों की जनसंख्या में कमी हो रही है।

VISION IAS

भिकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में गठित **राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग द्वारा की गई अन्य अनुशंसाएं:**

- चूंकि इन जनजातियों/समुदायों से संबंधित बुनियादी जनगणना आंकड़ों का अभाव है, इसलिए **सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण** कराए जाने की आवश्यकता है।
- केंद्र को इन्हें DNT-SC, DNT-ST और DNT-OBC के रूप में उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करना चाहिए तथा इनके लिए समर्पित उप-कोटे का निर्धारण करना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उप-वर्गीकरण जटिल सिद्ध हो सकता है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत इसे शीघ्र ही किया जा सकता है क्योंकि केंद्र ने पहले ही समुदायों के लोगों के विकास स्थिति के अनुरूप OBCs की केंद्रीय सूची को उप-विभाजित करने के लिए **न्यायमूर्ति रोहिणी कुमार** की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है।
- विमुक्त जनजातियों के प्रति " नकारात्मक दृष्टिकोण को समाप्त करने" की मांग करते हुए, पैनल नेने अनुशंसा की है कि केंद्र सरकार को आदतन अपराधी अधिनियम, 1952 को निरस्त कर देना चाहिए।

निष्कर्ष

- **नीति आयोग** के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसके द्वारा विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध -घुमंतू समुदायों (DNCs) की पहचान का कार्य पूर्ण किया जाएगा, जिन्हें अभी तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है।
- इन समुदायों को **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** के तहत शामिल किया जा सकता है।

7.3. ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड

(Operation Digital Board)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ODB) को प्रारंभ किया है।

ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के बारे में

- इसका लक्ष्य **2022 तक सरकारी एवं सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूलों में** प्रति कक्षा एक डिजिटल और इंटरैक्टिव बोर्ड स्थापित करना है।
- **स्कूलों में** इसकी शुरुआत **9वीं कक्षा से की जाएगी तथा साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों** में भी इसे आरम्भ किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य शिक्षण के साथ-साथ शिक्षण प्रक्रिया को संवादात्मक बनाना है और एक शिक्षण दृष्टिकोण के रूप में फ़्लिप्ड लर्निंग को लोकप्रिय बनाना है।
- **उच्च शिक्षा** के लिए **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** (UGC) ODB की कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

फ़्लिप्ड लर्निंग (Flipped Learning)

- यह एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है, जिसमें **कक्षा-आधारित सीखने** की पारंपरिक धारणा में परिवर्तन किया जाता है, जिसके अंतर्गत छात्रों को कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही **सीखने** संबंधी सामग्री प्रदान की जाती है, उसके पश्चात **कक्षा** का समय विषय-संबंधी समझ को गहन करने के लिए अपने सहपाठियों के साथ चर्चा तथा समस्याओं का समाधान करने इत्यादि गतिविधियों हेतु उपयोग किया जा सकता है।

शिक्षा हेतु अन्य डिजिटल पहलें

- **स्वयं (SWAYAM):** यह एक वेब पोर्टल है, जहाँ सभी प्रकार के विषयों से संबंधित मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOCs) निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, साथ ही इनमें सर्टिफिकेट / क्रेडिट-ट्रांसफर इत्यादि भी प्रदान किये जाते हैं।
- **स्वयं प्रभा (SWAYAM PRABHA):** यह 32 DTH चैनलों का एक समूह है, जो GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके 24X7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित हैं।
- **दीक्षा (DIKSHA):** नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स पोर्टल का उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री, प्रोफाइल, कक्षा में उपलब्ध संसाधन, मूल्यांकन संबंधी सहायता, समाचार एवं घोषणा तैयार करने और शिक्षक समुदाय के साथ जुड़ने में सहायता प्रदान करना है।

VISION IAS

8. संस्कृति (Culture)

8.1. भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक

(India's National War Memorial)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के इंडिया गेट परिसर में भारत के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (प्रथम बार वर्ष 1960 में प्रस्तावित) का उद्घाटन किया गया।

स्मारक से संबंधित तथ्य

- यह 40 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है, **इसे स्वतंत्रता पश्चात् राष्ट्र की सुरक्षा में शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में निर्मित किया गया है।**
- यह संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापना अभियानों, मानवीय सहायता आपदा राहत (HADR) और उपद्रव-रोधी कार्रवाइयों में भेजे गए भारतीय सैनिकों के बलिदान को भी श्रद्धांजलि देता है।
- स्मारक की संरचना में चार संकेंद्री वृत्त, एक केन्द्रीय प्रस्तर स्मारक स्तम्भ (15.5 मी.) तथा एक अमर ज्योति शामिल है। स्मारक की कुल लागत 176 करोड़ रूपए है।
- संकेंद्री वृत्तों को एक चक्रव्यूह (प्राचीन भारतीय युद्ध रचना) के रूप में डिजाइन किया गया है तथा इन्हें निम्नलिखित उपनाम प्रदान किए गए हैं:
  - **अमर चक्र अथवा अमरत्व का वृत्त:** अंतरतम वृत्त, इसके केंद्र में स्मारक स्तम्भ स्थापित किया गया है, जिसके शीर्ष पर एक कांस्य सिंह प्रतिमा निर्मित की गई है। **इसमें एक कोटर (hollow) बना हुआ है, जहां अमर ज्योति स्थित है।**
  - **वीरता चक्र अथवा शौर्य का वृत्त:** गंगासागर, लोंगेवाला, टिथवाल, रिज़ंगला के युद्धों और ऑपरेशन मेघदूत (1984), ट्राइडेंट (1971) को दर्शाती कांस्य भित्ति चित्रों के साथ एक आवृत दीर्घा (covered gallery) है।
  - **त्याग चक्र अथवा बलिदान का वृत्त:** रक्षा चक्र के भीतर दो वृत्त (25,942 ग्रेनाइट पट्टिकाओं से निर्मित) 16 भित्तियों से बने हैं। यह चक्र चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों में तथा श्रीलंका में भारतीय शान्ति स्थापक बल जैसी कार्रवाइयों में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को समर्पित है।
  - **रक्षा चक्र अथवा सुरक्षा का वृत्त:** 600 वृक्षों से युक्त बाह्यतम वृत्त जो अनवरत (दिन-रात) राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करने वाले सैनिकों का प्रतीक है।
- परम योद्धा स्थल में भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के 21 प्राप्तकर्ताओं की अर्द्धप्रतिमाएं निर्मित की गई हैं तथा उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लघु विवरण दिए गए हैं।

8.2. मैथिली भाषा

(Maithili Language)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मैथिली भाषा और उसकी लिपि के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु एक समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का निर्णय लिया है।

मैथिली से संबंधित तथ्य

- मिथिलाक्षर या तिरहुता मैथिली भाषा की लिपि है।
- यह मुख्यतः भारत (बिहार, झारखण्ड इत्यादि) और नेपाल में बोली जाती है।
- मिथिलाक्षर का प्राचीनतम स्वरूप 950 ईस्वी के सहोदरा प्रस्तर लेख में प्राप्त हुआ था।
- **विद्यापति ठाकुर** साहित्यिक भाषा के रूप में मैथिली का प्रयोग करने वाले प्रथम लेखक थे। उनकी काव्यात्मक कृतियाँ और गीत पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित हैं।
- 14वीं शताब्दी में **ज्योतिश्वर** ने साहित्य को समग्र रूप से समृद्ध किया। मैथिली में उनकी कृति **धूर्त समागम** बहुत प्रसिद्ध है।
- 20वीं शताब्दी में गद्य लेखन के क्षेत्र में **बाबा नागार्जुन, रामानंद रेणु** आदि ने योगदान दिया।
- **वर्ष 1910 में मैथिली और मैथिल लोगों के विकास हेतु प्रथम मैथिली संगठन (मैथिली महासभा)** अस्तित्व में आया।
- मैथिली भाषा को संविधान की **आठवीं अनुसूची** में एक संवैधानिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है।
- मिथिलाक्षर लिपि के उपयोग में कमी मैथिली भाषा के पतन हेतु उत्तरदायी कारण था।
- समिति ने मिथिलाक्षर लिपि हेतु **दरभंगा में एक लिपि और पांडुलिपि केंद्र** की स्थापना करने तथा दृश्य-श्रव्य शिक्षण सामग्री के सृजन की अनुशंसा की है।

VISION IAS

संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 प्रमुख भाषाएँ शामिल हैं:

- असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली और उड़िया।

8.3. बगरू ठप्पा छपाई

(Bagru Block Printing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, पारंपरिक बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग कला को संरक्षित करने हेतु बगरू, (राजस्थान) में तीतानवाला संग्रहालय' का उद्घाटन किया गया था।

बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग से संबंधित तथ्य

- यह **राजस्थान के बगरू गाँव में** प्राकृतिक रंगों के साथ **छिप्पा समुदाय** द्वारा की जाने वाली छपाई की एक पारम्परिक तकनीक है।
- परंपरागत रूप से, बगरू पर मुद्रित **रूपांकनों** को गहरी रेखाओं के साथ बड़ा किया जाता है। रूपांकनों **में वन्य पुष्प, कलियाँ, पत्ते और मुद्रित ज्यामितीय प्रतिरूप शामिल हैं।**
- बगरू में मुख्यतः **लाल और काले** रंग का प्रयोग किया जाता है।

भारत की कुछ अन्य महत्वपूर्ण परम्परागत ठप्पा छपाई तकनीकें निम्नलिखित हैं:

- **गुजरात:** अजरक छपाई
- **राजस्थान:** सांगानेरी, अजरक, दाबू
- **मध्य प्रदेश:** बाघ प्रिंट, भैरवगढ़ प्रिंट (बटीक)
- **आंध्र प्रदेश:** कलमकारी
- कोलकाता, सेरामपुर (पश्चिम बंगाल), वाराणसी और फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश) भी भारत में ठप्पा छपाई के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं।

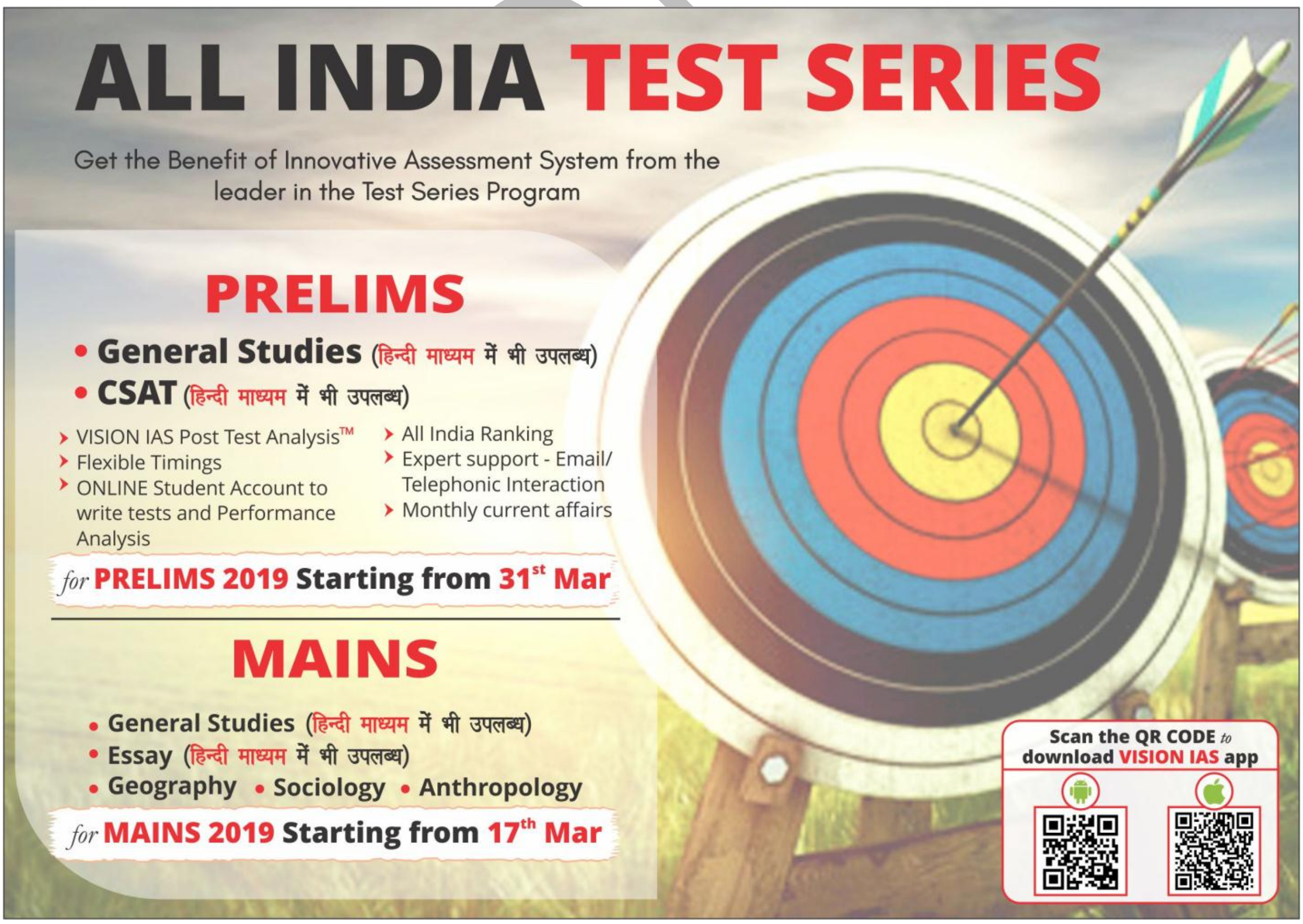

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. सामाजिक जवाबदेही

(Social Accountability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राजस्थान सरकार** द्वारा सामाजिक जवाबदेही पर कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है।

सामाजिक जवाबदेही क्या है?

- सार्वजनिक सेवा वितरण के मामले में सामाजिक जवाबदेही को उस **जवाबदेही को सुनिश्चित करने के एक दृष्टिकोण** के रूप में परिभाषित किया जाता है जो **नागरिक संलग्नता** पर निर्भर होती है।
- यह एक साथ मिलजुल कर कार्य करने वाली निम्नलिखित दो चीजों का परिणाम होती है: (i) **संस्थानों की एक प्रणाली** जो जवाबदेही को संरचनात्मक रूप से संभव बनाती है और (ii) **सूचित एवं संगठित नागरिक वर्ग** जो इस प्रणाली से जवाबदेही की मांग करने हेतु एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होते हैं।
- राज्य के लिए अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह होने की आवश्यकता वस्तुतः नागरिकों द्वारा **राज्य के साथ साझा किए गए 'सामाजिक अनुबंध' (Social Contract) से उत्पन्न हुई है।** लोकतंत्र में, यह अनुबंध तब संचालित होता है जब नागरिकों द्वारा एक सरकार का चुनाव किया जाता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्वयं पर शासन करने की शक्ति प्रदान की जाती है।
- सामाजिक जवाबदेही **विकास की प्रभावशीलता में वृद्धि, बेहतर गवर्नेंस और जन सशक्तिकरण सुनिश्चित कर सकती है।**

सामाजिक जवाबदेही को वास्तविक रूप में क्रियान्वित करना:

- **बाह्य जवाबदेही** (नागरिकों के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही) के लिए तंत्र विद्यमान हैं, जैसे- समय-समय पर चुनाव और राज्य की सेवाओं की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं निगरानी के संबंध में नागरिकों से परामर्श और नागरिक भागीदारी।
- इसके अतिरिक्त, **आंतरिक जवाबदेही** के संबंध में भी विभिन्न प्रावधान विद्यमान हैं, यथा- संस्थागत नियंत्रण एवं संतुलन जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य संवैधानिक आधार पर शक्तियों का पृथक्करण; कार्यों और उत्तरदायित्वों का तर्कसंगत प्रत्यायोजन; आंतरिक प्रदर्शन की निगरानी; तथा महालेखापरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व सतर्कता आयोग जैसे निकायों के माध्यम से आधिकारिक निगरानी।
- **जवाबदेही के इन दो पहलुओं को एक साथ कार्यान्वित कर सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।**

सामाजिक जवाबदेही के उद्देश्य

- **पारदर्शिता,** सूचना के मुक्त प्रवाह और जनता के साथ सूचनाओं के साझाकरण को सुनिश्चित करना।
- सामुदायिक स्कोर कार्ड, नागरिक रिपोर्ट कार्ड, व्यय पर निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से **कार्यक्रमों एवं नीतियों की निगरानी करना।**
- नागरिकों की पात्रता और कार्यकारी संस्थाओं के जॉब चार्ट के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करने हेतु **लोक कार्यकारी संस्थाओं और प्राधिकरणों की जवाबदेही तय करना।**
- ग्राम पंचायतों से आरंभ करते हुए एक बेहतर रूप से संरचित **फीडबैक और शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करना।**
- जहाँ तक संभव हो वितरण प्रणाली से संबंधित व्यापक **जन सुनवाई को सक्षम बनाना** ताकि राज्य द्वारा न केवल कल्याणकारी उपायों और नीतियों को कवर किया जा सके, बल्कि जमीनी स्तर पर राज्य के विनियामक, सांकेतिक और निष्कर्षी कार्यों का संचालन भी किया जा सके।

चुनौतियां

- **सुधारों के प्रति प्रतिरोध तथा सांठगांठ और सहयोजन का जोखिम:** उल्लेखनीय है कि सामाजिक जवाबदेही संबंधी पहल निहित स्वार्थों के समक्ष बाधा उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि इनके पास यथास्थिति को बनाए रखने हेतु पर्याप्त कारण मौजूद होते हैं। अत: इनके द्वारा सुधारों का अत्यधिक प्रतिरोध किया जा सकता है।
  - नौकरशाही द्वारा **आंकड़ों को प्रकट न करना या सामाजिक अंकेक्षण के संचालन को बाधित करने के उद्देश्य से अपर्याप्त जानकारी** प्रदान करना।
  - गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और सरकारी एजेंसियों के मध्य **सांठगांठ**, जो सामाजिक जवाबदेही संबंधी पहल को धोखाधड़ी एवं दोषपूर्ण अभ्यास की ओर ले जा सकती है।

VISION IAS

- **अपर्याप्त अवसंरचना,** जैसे- जन सुनवाई के लिए स्थान का अभाव, सामान्य सेवा केंद्र/सूचना और सुविधा केंद्र आदि पर डिजिटल कनेक्टिविटी का अभाव तथा **कुशल कार्यबल** की अनुपस्थिति।
- **विविध हितधारकों का समावेश:** कई विकासशील देशों में सार्वजनिक सेवा वितरण हेतु प्राय: विविध संस्थाएँ शामिल होती हैं, जैसे- सरकारी निकाय, परोपकारी या अन्य सहायक संगठन, निजी क्षेत्रक और नागरिक। ऐसे में यहां यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के अपरंपरागत लेकिन ऐसी व्यापक संगठनात्मक व्यवस्था के लिए सामाजिक जवाबदेही दृष्टिकोण को किस सीमा तक लागू किया जाए।

आगे की राह

- **नीति-निर्माण में सामाजिक जवाबदेही को अनिवार्य बनाना:** नागरिकों द्वारा की जाने वाली भागीदारी और सामूहिक कार्रवाई विशेष रूप से तब आवश्यक होती है जब लोगों को भागीदारी का विधिक अधिकार प्राप्त होता है। यह उनके कार्यों को अत्यधिक वैधता प्रदान करता है।
  - **'नागरिकों हेतु वस्तुओं और सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी एवं उनकी शिकायतों का निवारण विधेयक, 2011'** पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिए।
- **सामाजिक जवाबदेही पहलों से संबंधित मानदंडों एवं दिशानिर्देशों का विकास और निगरानी करना:** सामाजिक जवाबदेही पहलों के संचालन से संबंधित स्पष्ट और सटीक दिशानिर्देशों को दोषपूर्ण कृत्यों और मिलीभगत को पूर्णत: रोकने में अभी और समय लग सकता है। स्वतंत्र एजेंसियों/NGOs को इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने की आवश्यकता है।
- **RTI (सूचना का अधिकार) की धारा 4 को सुदृढ़ करना:** किसी भी सामाजिक जवाबदेही पहल की सफलता हेतु सूचना तक पहुंच एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त होती है।
  - RTI अधिनियम की धारा 4 का अनुपालन, जो सूचना के अग्रसक्रिय प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाती है। इसे रैंकिंग के माध्यम से प्रोत्साहित करने और इसके अनुपालन हेतु आकस्मिक फंड की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। CAG जिस प्रकार विभिन्न विभागों का नियमित वित्तीय लेखा परीक्षण करता है, उसी प्रकार इसके द्वारा इस बात का **लेखा परीक्षण** किया जाना चाहिए कि कोई विभाग **RTI की धारा 4 का कितना अनुपालन कर रहा है।**
  - इसके अतिरिक्त, सूचित सूचना की गुणवत्ता में भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह प्रासंगिक और विश्वसनीय बन सके।
- **क्षमता निर्माण:** सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के संबंध में लोगों एवं समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) को प्रशिक्षित करना, जो उनकी भागीदारी को और अधिक सार्थकता प्रदान कर सकता है।
  - प्रत्येक लोक प्राधिकरण को एक **शीर्ष शिकायत निवारण निकाय** के रूप में **राष्ट्रीय सामाजिक जवाबदेही आयोग** (National Social Accountability Commission) के गठन के साथ-साथ एक **शिकायत निवारण अधिकारी** (Grievance Redressal Officers: GRO) की नियुक्ति करनी चाहिए।
- सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में संलग्न प्रत्येक लोक प्राधिकरण को **सिटीजन चार्टर का प्रकाशन और अनुपालन करना चाहिए।**

"सिटीजन चार्टर" वस्तुतः एक दस्तावेज होता है जिसमें निम्नलिखित घोषणाएं की जाती हैं:

- किसी विशिष्ट सेवा के लिए नागरिकों के **अधिकार;**
- प्रदत्त सेवा और समय-सीमा संबंधी **मानक;**
- उपयोगकर्ताओं द्वारा पूरी की जाने वाली **शर्तें;**
- गैर-अनुपालन की स्थिति में उपलब्ध **उपाय;**
- वस्तुओं और सेवाओं की प्रभावी व दक्ष प्रदायगी हेतु एक लोक प्राधिकरण से संबंधित **कार्य, दायित्व, कर्तव्य और प्रतिबद्धताएं; तथा**
- वितरण और शिकायत निवारण से संबद्ध लोक सेवकों के **विशिष्ट पदनाम।**

VISION IAS

10. संक्षिप्त सुर्खियाँ (News In Short)

10.1. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

(National Commission for Safai Karamcharis)

- हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल को आगामी तीन वर्षों तक बढ़ाने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
- NCSK का **गठन** रष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के अधीन एक **सांविधिक निकाय** के रूप में वर्ष 1994 में किया गया था।
- वर्ष 2004 से इस अधिनियम के निष्प्रभावी होने के पश्चात् यह आयोग **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है।** वर्तमान में सरकार के संकल्पों के माध्यम से समय-समय पर इसके कार्यकाल में विस्तार किया जाता है।
- यह सफाई कर्मचारियों की प्रस्थिति में व्याप्त समानताओं के उन्मूलन की दिशा में और उनके लिए बेहतर अवसरों हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों अथवा कार्यवाहियों के संदर्भ में **केंद्र सरकार के एक अनुशंसाकारी निकाय** के रूप में कार्य करता है।
- यह आयोग **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013** के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है।

10.2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

(National Productivity Council)

- हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) ने अपने 61वें स्थापना दिवस का आयोजन किया था।
- यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत एक स्वायत्त पंजीकृत सोसाइटी है।
- इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों में उत्पादकता के कारकों को प्रोत्साहित करना है।
- यह तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों और अन्य हितों के अतिरिक्त, 'नियोक्ता एवं श्रमिक' संगठनों और सरकार के समान प्रतिनिधित्व वाला एक बहुपक्षीय संगठन है।
- यह टोक्यो स्थित **एशियाई उत्पादकता संगठन (APO)** का एक घटक है। APO एक अंतर-सरकारी निकाय है। भारत APO का एक संस्थापक सदस्य है।

10.3. समाधान पोर्टल

(Samadhan Portal)

- हाल ही में **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** ने समाधान (**सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल, हैंडलिंग ऑफ़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स**) पोर्टल लॉन्च किया है।
- यह औद्योगिक विवादों के समाधान, मध्यस्थता और अधिनिर्णयन हेतु एक समर्पित वेब पोर्टल है।
- यह सरकार, उद्योग और श्रमिकों तथा औद्योगिक विवाद में शामिल सभी हितधारकों को एक एकल एकीकृत मंच प्रदान करता है।
- यदि ऑनलाइन किसी विवाद को उठाने के 45 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई आरंभ नहीं की जाती है, तो श्रमिकों के पास सीधे श्रम न्यायालय में जाने का विकल्प होता है। इस प्रकार, यह विवाद निपटान की प्रकिया के संबंध में समय-सीमा अधिरोपित करता है जो कि वर्तमान तक नहीं थी।

10.4. न्याय बंधु

(Nyaya Bandhu)

- हाल ही में केन्द्रीय विधि और न्याय तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने 'टेली-लॉ' सेवा और इसके डैशबोर्ड (ऐप के प्रयोग की निगरानी हेतु) के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
- टेली-लॉ ऐप का उद्देश्य सामान्य सेवा केन्द्रों (CSCs) के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान करना है।
- यह देश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के 73,000 पैरा लीगल वालंटियर्स (PLVs) को लाभान्वित करेगा जो टेली-लॉ सेवा के तहत संबद्ध होंगें।
- यह CSC में ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLE) के साथ समन्वय में पैनल विधिवक्ता से अधिमान्य तिथि और समय पर अपॉइंटमेंट प्राप्त करने की एक सुविधा के साथ मामलों के ऑन फील्ड पूर्व-पंजीकरण के निष्पादन में PLVs को सक्षम बनाएगा।
- उन्होंने देश में बिना शुल्क के विधिक सेवा प्रदान करने की संस्कृति को सुदृढ़ करने हेतु एक न्याय बंधु ऐप भी लॉन्च किया है।

- यह उन पेशेवर वकीलों जो लोक कल्याणार्थ (pro bono) अपनी सेवाएं प्रदान करने में अपने समय और धन को स्वेच्छा से समर्पित करने के अभिलाषी हैं एवं साथ-साथ पंजीकृत योग्य लाभार्थियों को जोड़ने हेतु एक मंच भी उपलब्ध करवाता है।
- दोनों पहलें अनुच्छेद 39A के तहत संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुसरण में प्रारम्भ की गई हैं।

10.5. इन्स्टेक्स एस.ए.एस.

(Instex SAS)

- हाल ही में **फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम (E3)** ने इन्स्टेक्स एस.ए.एस. (इंस्ट्रूमेंट फॉर सपॉर्टिंग ट्रेड एक्सचेंज्स: INSTEX SAS) के सृजन की घोषणा की है।
- यह एक **स्पेशल पर्पस व्हीकल** है जिसका लक्ष्य **यूरोपीय आर्थिक परिचालकों और ईरान के मध्य वैध व्यापार** को सुविधाजनक बनाना है।
- ध्यातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त व्यापक कार्यवाही योजना (JCPOA) या ईरान परमाणु समझौते 2015 से बाहर निकल गया है तथा वर्ष 2018 में इसने ईरान पर पुन: प्रतिबंध आरोपित कर दिए हैं। हालांकि, E3 ने इस समझौते के परिरक्षण हेतु अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में इस तंत्र को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
- यह एक **गैर-डॉलर, यूरो-नामित समाशोधन गृह अथवा भुगतान चैनल** के तौर पर कार्य करेगा तथा E3 इसके शेयरधारक होंगे। यह यूरोपीय संघ तथा ईरान के मध्य डॉलर में होने वाले मौद्रिक अंतरण से बचता है।
- इसे फ्रांस में स्थापित किया जाएगा तथा एक जर्मन बैंकर इसका अध्यक्ष होगा। यूनाइटेड किंगडम सलाहकारी बोर्ड का प्रमुख होगा।
- यह शुरू में औषध उद्योग, चिकित्सा उपकरण और कृषि-खाद्य पदार्थों जैसे उन क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो अमेरिका के प्रतिबंधों के लक्ष्य नहीं हैं।
- इससे **तेल संबंधी लेनदेनों के समाधान की अपेक्षा नहीं की गई है,** जो ईरान के विदेशी मुद्रा के प्राथमिक स्रोत हैं।

10.6. नॉर्थ मैसेडोनिया ने नाटो में शामिल होने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

(North Macedonia Signs Accord to Join NATO)

- हाल ही में नॉर्थ मैसेडोनिया नार्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गेनाईजेशन (NATO) का **30वां सदस्य** बन गया है।
- यह **दक्षिण-पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप** में स्थित एक देश है।
- यह भूतपूर्व यूगोस्लाविया के उत्तरवर्ती राज्यों में से एक है।
- मैसेडोनिया को इसके नाम के कारण NATO या EU में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि ग्रीस (यूनान) ने ऐतिहासिक प्रसंगों को उद्धृत किया था तथा सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट उपयोग के कारण "मैसेडोनिया" नाम के प्रयोग का विरोध किया था।
- **ग्रीस और मैसेडोनिया के मध्य प्रेस्पा एग्रीमेंट, 2018 के तहत** परिवर्तित नाम 'नॉर्थ मैसेडोनिया' को अपनाया गया था।

नाटो (NATO)

- यह एक शांतिकालीन सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना वर्ष **1949** में की गई थी। इसमें **उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देश** शामिल हैं।
- 12 देश नाटो के संस्थापक सदस्य के रूप में इसके भाग बने यथा- बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- संधि का अनुच्छेद पांच यह प्रावधान करता है कि यदि सदस्य देशों में से किसी के भी विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण किया जाता है तो इसे सभी देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा, जो आक्रमणकारी देश के विरुद्ध सैन्य बल का प्रयोग कर सकते हैं।

10.7. वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट

(World Government Summit)

- हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट (विश्व सरकार शिखर सम्मेलन) का आयोजन किया गया था।
- यह एक वैश्विक मंच है जो विश्वव्यापी सरकारों के भविष्य को आकार प्रदान करने हेतु समर्पित है।
- यह सम्मेलन प्रत्येक वर्ष, सरकारों की अगली पीढ़ी हेतु एजेंडे का निर्धारण करता है। यह इस विषय पर ध्यान केन्द्रित करता है कि सरकारें किस प्रकार मानवता द्वारा सामना की जाने वाली सार्वभौमिक चुनौतियों को हल करने हेतु नवाचार और प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकती हैं।
- यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के नेतृत्व वाले एक व्यापक नेटवर्क को शामिल करता है तथा उन्हें सरकार और नवाचार के मध्य उपस्थित अवरोधों के संबंध में सामूहिक और रचनात्मक रूप से विचार करने हेतु प्रेरित भी करता है।

10.8. अबू धाबी में न्यायालय की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी

(Hindi as Official Court Language in Abu Dhabi)

- हाल ही में अबू धाबी ने हिंदी को अरबी और अंग्रेजी के साथ न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है।

VISION IAS

- इसका उद्देश्य संयुक्त प्रपत्रों के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के अतिरिक्त मुकदमेबाजी की प्रक्रियाओं, अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी हेतु हिंदी भाषियों की सहायता करना है।
- आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में लगभग 2.6 मिलियन भारतीय निवास करते हैं, जो UAE की कुल जनसंख्या का 30% है तथा देश में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।
- UAE के अतिरिक्त, **फिजी में भी हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है।**

10.9. महिलाओं का वैश्विक विकास और समृद्धि (W-GDP) पहल

(Women's Global Development and Prosperity (W-GDP) Initiative)

- हाल ही में **व्हाइट हाउस ने इवांका ट्रम्प के नेतृत्व में एक सरकारी परियोजना** W-GDP पहल प्रारम्भ की है।
- इसका उद्देश्य **रोजगार प्रशिक्षण, वित्तीय समर्थन और विधिक या विनियामकीय सुधारों जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की सहायता करने हेतु** वर्तमान कार्यक्रमों का समन्वय तथा नए कार्यक्रमों का विकास करना है।
- इसका लक्ष्य **वर्ष 2025 तक विकासशील देशों में 50 मिलियन महिलाओं** तक पहुंच स्थापित करना है।
- इस पहल के लिए यू.एस.एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने प्रारंभ में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक कोष की स्थापना की है। इसके साथ-साथ यह प्रयास सार्वजनिक और निजी संसाधनों पर आधारित होगा।

10.10. राष्ट्रीय आवास बैंक

(National Housing Bank: NHB)

- हाल ही में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आवास बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की हिस्सेदारी के अधिग्रहण हेतु 1,450 करोड़ रूपए के भुगतान को अनुमोदन प्रदान किया है।
- NHB में RBI की 100% अंशधारिता है। NHB में RBI की अंशधारिता के सरकार को हस्तांतरण हेतु वित्त विधेयक 2018 ने राष्ट्रीय आवास बैंक,1987 में संशोधन किया है।
- **RBI से सरकार को स्वामित्व में परिवर्तन** बैंकिंग विनियामक और NHB के स्वामी के रूप में RBI की भूमिका को पृथक कर देगा।
- सरकार को इसके स्वामित्व के हस्तांतरण के साथ NHB की वित्तीय भूमिका में व्यापक सुधार आएगा जिससे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को संवर्धित निधियन सहायता प्रदान करना संभव हो जाएगा।

NHB

- यह एक **सांविधिक निकाय** है, जिसकी स्थापना स्थानीय और प्रादेशिक दोनों स्तरों पर भारत में **आवास वित्तीयन संस्थाओं के संवर्धन एवं विनियमन हेतु प्रमुख अभिकरण के रूप में** परिचालन हेतु की गई है।
- **इसने वर्ष 2007 में एक NHB रेसिडेक्स (Residex) भी लॉन्च किया था।** यह प्रथम आवासीय आवास मूल्य सूचकांक है।

10.11 कृषि-बाज़ार अवसंरचना कोष

(Agri-Market Infrastructure Fund)

- हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण कृषि बाजारों के विकास एवं उन्नयन हेतु 2000 करोड़ रूपये के कृषि-बाज़ार अवसंरचना कोष (AMIF) के सृजन की अनुमति प्रदान की है।
- इसे NABARD के साथ सृजित किया जाएगा तथा 585 कृषि उपज बाजार समितियों (APMC) और 10,000 गांवों में विपणन अवसंरचना के विकास संबंधी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रस्ताव के लिए इनको रियायती ऋण प्रदान करेगा।
- राज्य नवीन एकीकृत बाजार अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित AMIF से धन प्राप्त कर सकते हैं।

10.12. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना

(Establishment of Rashtriya Kamdhenu Aayog)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गायों के प्रजनन, पालन, जैविक खाद और बॉयोगैस आदि के क्षेत्र में **कार्यरत केंद्र और राज्य सरकार के विभागो और संगठनो तथा पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान और कृषि विश्वविद्यालयो के साथ मिलकर कार्य करेगा।**
- यह **देसी गाय की नस्लों के संरक्षण** के लिए एक नीतिगत रूपरेखा तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा। इसके परिणामस्वरूप देश में पशुधन क्षेत्र का तीव्र विकास होगा, जिसका लाभ विशेष रूप से महिलाओ और छोटे एवं सीमांत किसानो को मिलेगा।

VISION IAS

10.13. खादी एवं ग्रामोद्योगों हेतु नयी पहलें

(New Initiatives for Khadi and Village Industries)

- हाल ही में, खादी और ग्रामोद्योग की 8 विभिन्न योजनाओं को 2 प्रमुख योजनाओं अर्थात **'खादी विकास योजना'** और **'ग्रामोद्योग विकास योजना'** के तहत सम्मिलित किया गया।
  - खादी विकास योजना में विपणन संवर्धन और विकास सहायता (MPDA), ब्याज सब्सिडी योग्यता प्रमाण-पत्र (ISEC), वर्कशेड, कमजोर ढांचे को मजबूत बनाना, आम आदमी बीमा योजना, खादी अनुदान और खादी एवं VI एस एंड टी को सम्मिलित किया गया है।
  - ग्रामोद्योग विकास योजना में ग्रामोद्योग अनुदान को शामिल किया गया है।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने खादी क्षेत्र में उद्यम आधारित संचालन शुरू करने और चालू एवं अगले वित्तीय वर्ष (2018-19 और 2019-20) में हजारों नए कारीगरों हेतु रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए **रोजगार युक्त गांव** के एक नए घटक की भी शुरुआत की है।
  - इसका उद्देश्य खादी उद्योगों के लिए परंपरागत **'सब्सिडी-संचालित मॉडल'** के स्थान पर **'उद्यम-संचालित व्यवसाय मॉडल'** शुरू करना है।
  - इसे **50 गांवों** में शुरू किया जाएगा तथा **कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा तथा मिट्टी के बर्तन उद्योग** पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  - इसके लिए, विभिन्न उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नत **कौशल विकास कार्यक्रम** शुरू किए जाएंगे।

10.14. स्वायत्त एवं स्टार्ट-अप रनवे (SWAYATT & START-UP RUNWAY)

- हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने **'स्वायत्त' पहल** और **गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) स्टार्ट-अप रनवे** पहल का शुभारंभ किया।
- **'स्वायत्त'** गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर ई-लेन-देन के माध्यम से **स्टार्ट-अप्स, महिलाओं और युवाओं के लाभ को** बढ़ावा देने की एक पहल है।
  - यह भारतीय उद्यमशीलता परिवेश के भीतर प्रमुख हितधारकों को राष्ट्रीय खरीद पोर्टल **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लस** पर एक साथ लाएगा।
- **GeM स्टार्ट-अप रनवे**, स्टार्ट-अप इंडिया के साथ मिलकर गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लस (GeM) की एक पहल है, जो स्टार्ट-अप इंडिया के साथ पंजीकृत स्टार्ट-अप्स को सार्वजनिक खरीद बाजार तक पहुँच प्राप्त करने तथा सरकारी खरीदारों को नवीन उत्पादों और सेवाओं की बिक्री करने में सहायता करती है।
  - यह स्टार्ट-अप्स बाजार परीक्षण (मार्केट ट्रायल) करने, समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त करने, वास्तविक उत्पाद प्राप्त करने, मूल्यों की तुलना और बाजार मूल्यांकन का अवसर प्रदान करेगा।

10.15. महिला आजीविका बॉन्ड

(Women's Livelihood Bond)

- विश्व बैंक, यू एन वुमेन, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने 300 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ महिला आजीविका बांड (WLB) के शुभारंभ करने के लिए सम्मिलित रूप से सहयोग किया है।
- यह खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, सेवाओं और लघु इकाइयों जैसे क्षेत्रकों में व्यक्तिगत महिला उद्यमियों को लगभग 13-14 प्रतिशत या इससे कम वार्षिक ब्याज दर पर **50,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक का ऋण लेने** में सक्षम बनाएगा।
- इसकी अवधि पांच वर्ष की होगी। SIDBI वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा तथा बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) आदि जैसे वित्तीय मध्यस्थों की भागीदारी के माध्यम से फण्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- यह असुरक्षित, गैर-सूचीबद्ध बॉन्ड होगा और बॉन्ड निवेशकों को प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की निश्चित कूपन दर का प्रस्ताव करेगा। इन्हें कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) योगदानों तथा UK के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (DFID) से प्राप्त अनुदान सहायता के माध्यम से जुटाए गए कार्पस फण्ड के द्वारा समर्थन प्रदान किया जाएगा।

10.16. ई-औषधि पोर्टल

(E-Aushadhi Portal)

- हाल ही में **आयुष मंत्रालय** ने आयुष औषधि की ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली हेतु ई-औषधि पोर्टल लॉन्च किया है।
- यह लाइसेंस प्राप्त विनिर्माताओं और उनके उत्पादों, निरस्त एवं अप्रामाणिक औषधियों तथा विशिष्ट शिकायतों हेतु संबंधित प्राधिकरणों के सम्पर्क विवरण के संबंध में रियल टाइम सूचना प्रदान करेगा।

VISION IAS

10.17. सेला सुरंग

(SELA Tunnel)

- हाल ही में सेला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है। इसका निर्माण **अरुणाचल प्रदेश के तवांग और अन्य अग्रस्थ क्षेत्रों हेतु सभी मौसम में कनेक्टिविटी** प्रदान करने हेतु **सीमा सड़क संगठन** द्वारा किया जा रहा है।

10.18. अरुण-3 जल विद्युत परियोजना

(ARUN-3 Hydro Project)

- हाल ही में मंत्रिमंडल ने नेपाल में अरुण-3 जल विद्युत परियोजना (900 मेगावाट) हेतु 1236 करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति प्रदान की है।
- यह परियोजना नेपाल के संखुवासभा जिले में अरुण नदी पर स्थापित की गई है। यह एक 'रन ऑफ़ द रिवर' परियोजना है।

10.19. पेट्रोटेक-2019

(Petrotech-2019)

- हाल ही में **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय** के तत्वाधान में भारत के फ्लैगशिप हाइड्रोकार्बन सम्मेलन के 13वें संस्करण **पेट्रोटेक-2019** का आयोजन किया गया था।
- पेट्रोटेक (PETROTECH) सम्मेलन एक द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय तेल एवं गैस सम्मेलन है। यह तेल और गैस उद्योग के राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को विचारों के आदान-प्रदान तथा ज्ञान, विशेषज्ञता एवं अनुभव को साझा करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।

10.20. सैन्य अभ्यास

(Military Exercises)

अभ्यास	**भारतीय सशस्त्र बल**	**शामिल देश**	**विवरण**
कटलैस एक्सप्रेस 2019	भारतीय नौसेना	पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी हिंद महासागरीय देशों, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाएं	• इसका उद्देश्य **पश्चिमी हिन्द महासागर** में अवैध सागरीय गतिविधियों को रोकने हेतु क्षमता का सृजन करना है। • यह अमेरिकी अफ्रीका कमान (AFRICOM) द्वारा प्रायोजित है और अमेरिकी नौसैन्य बल अफ्रीका द्वारा संचालित है। • भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी के एक युद्ध-पोत **INS त्रिकंद** ने इस अभ्यास में भाग लिया था।
कोबरा गोल्ड अभ्यास	भारतीय सेना	थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, जापान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण कोरिया	• यह प्रत्येक वर्ष **थाईलैंड** में अयोजित होने वाला एक **एशिया-प्रशांत सैन्य अभ्यास है।** • इसके तीन प्रमुख घटक हैं- **सैन्य क्षेत्र प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रशिक्षण।**
अभ्यास तोपची	भारतीय सेना		• यह अभ्यास महाराष्ट्र के नासिक के निकट देवलाली कैंप में आयोजित हुआ था। • इस अभ्यास में **अल्ट्रा लाइट होवित्जर M-777**, स्व-चालित गन **K-9 वज्र** और स्वदेशी रूप से निर्मित **वेपन लोकेटिंग स्वाति रडार** का उपयोग करके आर्टिलरी (तोपखाने की) गोलाबारी का प्रदर्शन किया गया।
अभ्यास राहत	भारतीय सेना		• NDMA के समन्वय में एक संयुक्त अभ्यास है। इसका आयोजन **मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन** के प्रयासों के मध्य सहक्रियता बढ़ाने के लिए किया जाता है।

10.21. मिलान-2T एंटी-टैंक मिसाइल

(MILAN-2T Anti-Tank Missiles)

- **रक्षा अधिग्रहण परिषद** (Defence Acquisition Council) ने फ्रांस से 5,000 मिलान-2T **एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल** (ATGM) के अधिग्रहण हेतु स्वीकृति प्रदान की।
- मिलान-2 दूसरी पीढ़ी की एक फ्रांसीसी मैन-पोर्टेबल ATGM है, जिसका निर्माण **भारत डायनामिक्स लिमिटेड** (BDL) द्वारा एक फ्रांसीसी फर्म के साथ साझेदारी में किया गया है।
- इसकी रेंज **2 किलोमीटर** है।
- कुछ स्वदेशी एंटी-टैंक मिसाइलों में शामिल हैं: नाग (NAG), हेलिना, सैंट (स्टैंड-ऑफ एंटी-टैंक: SANT) मिसाइल, कैनन-लॉन्च्ड लेजर गाइडेड मिसाइल (CLGM), SAMHO, अमोघ-1,अमोघ-2, अमोघ-3।

10.22. LCA तेजस

(LCA Tejas)

- हाल ही में, भारत के **हल्के लड़ाकू विमान** (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट: LCA) तेजस को भारतीय वायु सेना (IAF) में एक सशस्त्र लड़ाकू विमान के रूप में शामिल होने हेतु अंतिम परिचालन मंजूरी प्रदान की गई।
- यह **स्वदेश** निर्मित लड़ाकू विमान है और इसे **एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी** (ADA) द्वारा डिजाइन किया गया है तथा **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड** (HAL) द्वारा निर्मित किया गया है।
- यह **एक सीट** वाला मल्टी-रोल जेट लड़ाकू विमान है जो **एक इंजन** द्वारा संचालित है और मिड-एयर रीफ्यूलिंग (आकाश में ही पुनः ईंधन भरने) में भी सक्षम है। यह अपनी श्रेणी में **विश्व का सबसे छोटा और सबसे हल्का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान** है।
- यह **400-किमी से कुछ अधिक** ऊँचाई तक पहुँच सकता है और इसका उपयोग मुख्यतः **कम ऊँचाई के हवा से सतह वाले ऑपरेशन** के लिए किया जाएगा (इसके विपरीत रूस का सुखोई-30 MKI या फ्रांस का राफेल अपनी लंबी दूरी तय करने की क्षमता के कारण शत्रु के क्षेत्र में काफी भीतर तक घुसकर हमला करने में सक्षम हैं)।
- यह अत्याधुनिक **सैटेलाइट एडेड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम** से लैस है।
- यह भारतीय वायुसेना में सम्मिलित होने वाला **प्रथम स्वदेशी लड़ाकू विमान नहीं** है। अप्रैल 1967 में, IAF ने स्वदेशी HF-24 मारुत लड़ाकू विमान की प्रथम ऑपरेशनल स्क्वाड्रन को शामिल किया था।

10.23. आर्टिलरी गन 'धनुष'

(Artillery Gun 'Dhanush')

- यह भारत में निर्मित **लंबी दूरी की प्रथम आर्टिलरी गन** है।
- यह स्वीडिश 155-mm बोफोर्स हॉवित्ज़र की मूल डिज़ाइन पर आधारित एक उन्नत संस्करण है, जिसे भारत ने 1980 के दशक के मध्य में खरीदा था।
- इसका निर्माण अनुसन्धान एवं विकास संगठन (DRDO), गुणता आश्वासन महानिदेशालय (DGQA) तथा कई निजी उद्यमों के योगदान से **ऑर्डनेन्स फैक्ट्री बोर्ड तथा सेना** के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया गया है।

10.24. चिनूक हेलीकॉप्टर

(Chinook Helicopters)

- भारत ने बोइंग कंपनी के चिनूक हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। ऐसा अनुमान है कि इससे **भारतीय वायु सेना की उच्च भार वहन क्षमताओं में वृद्धि होगी** तथा अमेरिका के साथ तेजी से विकसित हो रहे रक्षा संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
- यह एक मल्टी-रोल, वर्टीकल-लिफ्ट प्लेटफार्म हेलीकॉप्टर हैं, जिनका उपयोग **सैनिकों, तोपों, विभिन्न उपकरणों तथा ईंधन के परिवहन** के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग **मानवीय तथा आपदा राहत कार्यों**, और साथ ही राहत आपूर्ति के परिवहन और बड़े पैमाने पर शरणार्थियों की निकासी जैसे मिशनों के लिए भी किया जा सकता है।
- चिनूक की **कठिन भू-भाग में सड़क निर्माण संबंधी उपकरणों जैसी भारी सामग्री को वहन करने की क्षमता** के कारण, ऐसा अनुमान है कि इससे **भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास में उल्लेखनीय प्रगति होगी**।

10.25. अपॉर्च्युनिटी रोवर मिशन

(Opportunity Rover Mission)

- हाल ही में, **नासा ने अपने अपॉर्च्युनिटी रोवर मिशन** की समाप्ति की घोषणा की।
- विगत वर्ष जून माह में आए डस्ट स्टॉर्म (धूल के बवंडर) के पश्चात् यू.एस. स्पेस एजेंसी का रोबोट से संपर्क टूट गया था।
- यह 14 वर्षों तक **मंगल ग्रह** पर परिचालित रहा, इसने इस बात की भी पुष्टि की कि **लाल ग्रह पर कभी जल पाया जाता था**।

10.26. स्फेरेक्स

(SPHEREX)

- NASA ने वर्ष 2023 में एक नए टेलीस्कोप **"स्पेक्ट्रो-फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, ईपक ऑफ रिआयोनाइजेशन एंड आईसेज एक्सप्लोरर (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer: SPHEREx)** के लॉन्च की घोषणा की है।
- यह **NASA के एक्सप्लोरर प्रोग्राम** का भाग है और इसे दो वर्ष के एक मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। इसके निम्नलिखित दो उद्देश्य होंगे: ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना और हमारी गैलेक्सी (आकाशगंगा) में जीवन के संघटक कितने सामान्य हैं।
- यह ग्रहीय प्रणाली में जल और कार्बनिक अणुओं की उत्पत्ति का भी अध्ययन करेगा।
- अवरक्त तरंगदैर्ध्य पर प्रथम स्पेक्ट्रल ऑल-स्काई सर्वे का सृजन करते हुए, यह **ऑप्टिकल के साथ-साथ नियर-इंफ्रारेड लाइट** में प्रत्येक 6 महीने में संपूर्ण आकाश का सर्वेक्षण करेगा।
- यह मिशन 96 विभिन्न कलर बैंड्स में संपूर्ण आकाश का एक मानचित्र तैयार करेगा, जो पूर्व के ऑल-स्काई मानचित्रों के कलर रिज़ॉल्यूशन से काफी विस्तृत होगा।
- यह एक **लो-अर्थ पोलर ऑर्बिट** (निम्न-भू-ध्रुवीय कक्षा) से अपने मिशन को पूरा करेगा। **लो-अर्थ पोलर ऑर्बिट** को **सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट** (सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा) के रूप में भी जाना जाता है।
- यह **भविष्य के मिशनों** (जैसे- NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और वाइड फील्ड इन्फ्रारेड सर्वे टेलिस्कोप) के द्वारा अधिक विस्तृत अध्ययनों के लिए **लक्ष्य-निर्धारण** की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करेगा।

10.27. वरुण का चंद्रमा - हिप्पोकैम्प

(Neptune's Moon – Hippocamp)

- अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ (International Astronomical Union: IAU) ने हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा वर्ष 2013 में खोजे गए वरुण के सबसे छोटे चंद्रमा **S/2004 N1** का नाम **हिप्पोकैम्प** रखा है।
- ग्रीक पौराणिक कथाओं में "हिप्पोकैम्प" वस्तुतः **अश्व के मस्तक व मछली के पूंछ** के सदृश आकृति वाला एक प्राणी है।
- IAU वस्तुतः खगोल विज्ञान में पेशेवर अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय तौर पर संलग्न पेशेवर खगोलविदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- उल्लेखनीय है कि पृथ्वी को छोड़कर, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम ग्रीक या रोमन पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं।
- इसी प्रकार, ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रहों के नाम अधिकांशतः ग्रीक या रोमन पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। हालांकि, यूरेनस के उपग्रह इस मामले में अपवाद हैं क्योंकि उनके नाम साहित्यिक पात्रों के नाम पर रखे गए हैं न कि पौराणिक पात्रों के नाम पर।

10.28. भारतीय वायु सेना ने हाइपर स्पेक्ट्रल कार्यक्रम का शुभारंभ किया

(IAF Commissions Hyper Spectral Programme)

- भारतीय वायु सेना (IAF) ने **अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ देश के कुछ अंदरूनी हिस्सों में संदिग्ध हलचलों (मोमेंट्स) की निगरानी के लिए एक हाइपर स्पेक्ट्रल कार्यक्रम के विकास कार्य का शुभारंभ किया है।**
- यह हाइपर स्पेक्ट्रल कार्यक्रम वृक्षों, घने पत्तियों, झाड़ियों के नीचे या किसी संरचना के अंदर मानव की उपस्थिति का पता लगाने या उसे पहचानने में सहायता करेगा। दिन या रात के बंधन को तोड़ते हुए यह कार्यक्रम भारत में पहली बार ऐसी निगरानी को संभव बनाएगा।
- यह बादलों के आवरण, घने कोहरे या बर्फ से आच्छादन के बावजूद वायुमंडल से ही मानवीय उपस्थिति का पता लगा सकता है।
- डेटा/इमेज को ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा। इस प्रकार यह एक मानव रहित एरियल व्हीकल पर सवार होने के समान है। इसके अतिरिक्त ऐसे डेटा/इमेज को गहन लर्निंग एल्गोरिदम के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।
- **हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग (HSI)** वस्तुतः किसी वस्तु के माध्यम से स्थानिक और स्पेक्ट्रल सूचना दोनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजिटल इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्षमता के संयोजन को संदर्भित करता है। इसके इमेज के प्रत्येक पिक्सेल में एक सतत स्पेक्ट्रम (रैडीअंस या रिफ्लेक्टन्स में) निहित होता है। इसका उपयोग घटनास्थल पर स्पष्ट सटीकता और विस्तार के साथ वस्तुओं को चिह्नित करने के लिए किया जा सकता है।

नोट: हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग पर अधिक जानकारी के लिए नवंबर 2018 के विजन IAS के समसामयिकी का संदर्भ ले सकते हैं।

VISION IAS

10.29. आईप्रिज्म

(IPrism)

- हाल ही में, IPR संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (CIPAM) ने एसोचैम एवं एरिक्सन इंडिया के सहयोग से **'आईप्रिज्म' (IPrism)** के दूसरे संस्करण की शुरूआत की।
- IPrism विद्यालयों, पॉलीटेक्निक संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों हेतु बौद्धिक संपदा (IP) संबंधी एक प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता **केवल भारत के निवासियों के लिए है।**
- इस वर्ष, IPrism में प्रविष्टियां निम्नलिखित दो श्रेणियों के अंतर्गत **दैनिक जीवन में IP** पर आधारित होंगी- **फिल्म निर्माण** और **कॉमिक बुक निर्माण**।
- IPrism के पूर्व के संस्करण फिल्म पाइरेसी एंड काउंटरफिटिंग और मोबाइल गेमिंग ऐप पर आधारित थे।

CIPAM के बारे में

- यह 'वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय' के **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** के अंतर्गत कार्यरत एक पेशेवर निकाय है, जिसे **राष्ट्रीय IPR नीति, 2016** के कार्यान्वयन को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गठित किया गया है।
- यह IPR जागरूकता, व्यवसायीकरण और प्रवर्तन संबंधी पहलों को आगे बढ़ाने के अतिरिक्त IP प्रक्रियाओं को सरल एवं सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है।

10.30. समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019

(Inclusive Internet Index 2019)

- हाल ही में, **समावेशी इंटरनेट सूचकांक, 2019** में भारत को 47वां रैंक प्रदान किया गया।
- यह **द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट** द्वारा तैयार समावेशी इंटरनेट इंडेक्स का तीसरा संस्करण है।
- इसमें 100 देशों को शामिल किया गया है, जो विश्व की जनसंख्या का 94 प्रतिशत और वैश्विक GDP का 96 प्रतिशत है। **स्वीडन** इस रैंकिंग में शीर्ष पर है और **कांगो** आखिरी स्थान पर है।
- यह निम्नलिखित चार श्रेणियों के आधार पर समावेशन को मापता है: **सुलभता/सुगम्यता** (नेटवर्क कवरेज), **वहनीयता** (मूल्य निर्धारण), **प्रासंगिकता** (स्थानीय भाषा में सामग्री की उपलब्धता) और **तत्परता** (इंटरनेट तक पहुंचने की क्षमता)।

10.31. डिजिटल स्वास्थ्य पर 'दिल्ली घोषणा-पत्र'

(Delhi Declaration' on Digital Health)

- हाल ही में, चौथे वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के लिए डिजिटल स्वास्थ्य पर दिल्ली घोषणा-पत्र को अपनाया गया।
- इस घोषणा-पत्र में डिजिटल स्वास्थ्य के मामले में **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नेतृत्व का आह्वान किया गया** और इस हेतु सदस्य राष्ट्रों की सहायता के लिए केंद्रीय रूप से समन्वित डिजिटल स्वास्थ्य की विशेष व्यवस्था स्थापित करनी है।
- इस घोषणा-पत्र में वर्ष 2023 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार हेतु उपयुक्त **डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप** को तीव्र करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
- डिजिटल स्वास्थ्य पर इस वैश्विक अंतर-सरकारी बैठक का आयोजन **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** ने WHO तथा **ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप** (GDHP) के सहयोग से किया।
    - GDHP वस्तुतः डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए सरकारों और क्षेत्रों, सरकारी एजेंसियों एवं WHO की सहकार्यता में गठित एक साझेदारी है।
    - GDHP वस्तुतः सरकारों और क्षेत्रों, सरकारी एजेंसियों एवं WHO का एक संयुक्त प्रयास है तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए इसका गठन किया गया है।

10.32. स्टार्स योजना

(Stars Scheme)

- हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर **STARS योजना (स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस)** की शुरुआत की।
    - इसके तहत, 500 विज्ञान परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाएगा।
    - इस परियोजना का समन्वय **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बैंगलोर** द्वारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

- यह प्रत्येक वर्ष **28 फरवरी** को भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन **(भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार और लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित)** द्वारा **रमन प्रभाव की खोज** को चिह्नित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- **थीम:** इस वर्ष का थीम 'लोगों के लिए विज्ञान, विज्ञान के लिए लोग' ('Science for the People and the People for Science) था।

10.33. भारत का पहला ESG फंड

(India's First ESG Fund)

एवेंडस कैपिटल पब्लिक मार्केट्स ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज द्वारा भारत के **पहले ESG (एनवायरनमेंट, सोशल, और गवर्नेंस) आधारित कोष - एवेंडस इंडिया ESG फंड** की शुरुआत की गयी।

- यह एक **ओपन एंडेड फंड** है तथा इसके माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से 1 अरब डॉलर जुटाने का प्रयास किया जाएगा। यह पूर्व-निर्धारित ESG कारकों के आधार पर सूचीबद्ध भारतीय इक्विटी में निवेश करेगा।
- ESG निवेश उन निवेशों के लिए एक **सामूहिक शब्द** है जो उस दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार और मूल्यांकन करते हैं जिन व्यवसाय प्रथाओं का समाज और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है।

10.34. सुपर एफिशियंट एयर कंडीशनिंग कार्यक्रम

(Super-Efficient Air Conditioning Programme)

- हाल ही में, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) ने आवासीय और संस्थागत ग्राहकों के लिए अपने **सुपर-एफिशियंट एयर कंडीशनिंग कार्यक्रम** की शुरुआत की है।
- प्रारंभ में EESL, निजी डिस्कॉम BSES राजधानी दिल्ली के सहयोग से, संयुक्त रूप से 12 माह के कार्यक्रम को लागू करेगा
- कार्यक्रम के तहत सुपर-एफिशियंट एयर कंडीशनर का वितरण किया जाता है जो वर्तमान में बाज़ार में उपलब्ध 3-स्टार एयर कंडीशनर की तुलना में **40% से अधिक दक्ष हैं**, लेकिन कीमत में लगभग इनके समान मूल्य के हैं।
- यह ऊर्जा की खपत को कम करने में मदद करेगा। इसके साथ-साथ यह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में भी मदद करेगा जैसा कि किगाली समझौते में परिकल्पित किया गया है।
- यह **इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP)** के अनुसार प्रशीतक की मांग को भी कम करेगा।
- EESL निवेश आंशिक रूप से वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) से प्राप्त अनुदान द्वारा समर्थित है।
- **एशियाई विकास बैंक** (ADB) आवश्यक अनुदान सहायता और ऋण भी प्रदान कर रहा है जबकि **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** (UNEP) इसे तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

EESL के बारे में

- यह चार राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अर्थात् NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (Rural Electrification Corporation: REC) और पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक **संयुक्त उपक्रम** है। इसे विद्युत मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया था।।
- यह **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना** के तहत आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक, **बढ़ी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMEEE)** की बाज़ार-संबंधी गतिविधियों का नेतृत्व करता है।
- इसका उद्देश्य **स्वच्छ विकास तंत्र (CDM)** परियोजनाओं, कार्बन बाजारों, मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, जलवायु परिवर्तन और संबंधित क्षेत्रों में **परामर्श सेवाएं** प्रदान करना है।
- इसके अन्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **सभी के लिए किफायती LEDs के जरिये उन्नत ज्योति (उजाला योजना)**
  - **स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम (SNLP)**
  - **कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (AgDSM) कार्यक्रम**
  - **ऊर्जा कुशल भवन कार्यक्रम**
  - **स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम**

VISION IAS

10.35. भारत की प्रथम जिला शीतलन प्रणाली

(India's First District Cooling System)

- संयुक्त अरब अमीरात स्थित अंतरराष्ट्रीय शीतलन प्रदाता ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी **अमरावती** में **भारत के प्रथम जिला शीतलन प्रणाली** (20,000 प्रशीतन टन की शीतलन क्षमता वाली) के निर्माण, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण के लिए **आंध्र प्रदेश** सरकार के साथ 30 वर्ष के रियायत अनुबंध में प्रवेश किया है।
- जिला शीतलन प्रणाली एक केंद्रीय संयंत्र में ठंडा जल, भाप या गर्म जल का उत्पादन करती है और फिर एयर कंडीशनिंग, स्पेस हीटिंग और वॉटर हीटिंग के लिए इमारतों को ऊर्जा स्थान्तरित (या तो भूमिगत या छतों पर) करती है। परिणामस्वरूप, इन इमारतों को अपने स्वयं के चिलर, एयर कंडीशनर, बॉयलर या भट्टियों की आवश्यकता नहीं होती है।
- अन्य शीतलन प्रणालियों की तुलना में जिला शीतलन शहरी भवन को ठंडा करने के लिए प्राथमिक ऊर्जा खपत का केवल 50% उपयोग करता है। यह पारंपरिक एयर कंडीशनिंग प्रणाली की तुलना में **कार्बन उत्सर्जन को कम करता है और कम शोर उत्पन्न करता है।**

10.36. जैव-ऊर्जा पर प्रौद्योगिकी गठबंधन कार्यक्रम

(Technology Collaboration Programme on Bioenergy)

- हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के जैव-ऊर्जा पर प्रौद्योगिकी गठबंधन कार्यक्रम (Bioenergy TCP) में 25वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ।
- यह एक **अंतरराष्ट्रीय मंच है, जिसका उद्देश्य** जैव-ऊर्जा अनुसंधान, विकास और परिनियोजन में राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाने वाले **देशों के मध्य सहयोग और सूचना आदान-प्रदान में सुधार करना है।**
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 'IEA Bioenergy TCP' में शामिल होने का प्रमुख उद्देश्य उत्सर्जन कटौती और कच्चे तेल के आयात में कमी करने के लक्ष्य के साथ उन्नत जैव-ईंधन के बाजार प्रवेश को सुविधाजनक बनाना है।
- IEA बायो एनर्जी TCP में अनसंधान एवं विकास को "टास्क्स (Tasks)" नामक एक सुपरिभाषित तीन वर्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पादित किया जाता है।

10.37. ब्रम्बल केई मेलोमिस

(Bramble Cay Melomys)

- हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह पुष्टि की है कि ब्रम्बल केई मेलोमिस, जो कि एक द्वीपीय कृंतक है, **मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप आधिकारिक रूप से विलुप्त होने वाला प्रथम स्तनपायी है।**
- इसे ऑस्ट्रेलिया की **ग्रेट बैरियर रीफ का एकमात्र स्थानिक स्तनपायी** माना जाता था।

10.38. वैलेस जायंट बी की पुनर्खोज

(Wallace's Giant Bee- Rediscovered)

- हाल ही में मधुमक्खी की इस प्रजाति की इंडोनेशिया के एक सुदूर हिस्से में पुनर्खोज की गई है। ज्ञातव्य है कि 40 वर्षों के पश्चात् यह पुन: देखी गई है।
- यह मधुमक्खी (मेगाकाइल प्लूटो) जिसे 'फ्लाइंग बुलडॉग' भी कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ी मधुमक्खी है, जिसके पंखों का फैलाव 6 सेंटीमीटर (2.5 इंच) से भी अधिक है।
- इसका नामकरण चार्ल्स डार्विन के साथ विकास के सिद्धांत के सह-खोजकर्ता **अल्फ्रेड रसेल वैलेस** के नाम पर किया गया है।
- ये **रेज़िन मधुमक्खियाँ** हैं, ये शहद का निर्माण नहीं करतीं।
- ये अपने छत्तों का निर्माण दीमक के टीलों में करती हैं।
- IUCN दर्जा - **वल्नरेबल।**

10.39. घुमोट: गोवा का धरोहर वाद्ययंत्र

(Ghumot: Goa's Heritage Instrument)

- घुमोट ढोलक की भांति एक आघात-वाद्ययंत्र है, जिसे गोवा के एक धरोहर वाद्ययंत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- इसे **घुमट, डक्की या बुडिके** के नाम से भी जाना जाता है।
- यह **गोवा कैथोलिक्स की एक संगीत शैली 'मांडो'** का एक भाग है जिसमें भारतीय और पश्चिमी संगीत दोनों के तत्वों का समावेश है। यह **जागोर लोक नृत्य और डलपोड** (गोवा का नृत्य गीत) का **भी एक भाग है।**
- घुमोट के एक लघु रूप का सामान्यतया **आंध्रप्रदेश की एक लोक कथावाचन परम्परा 'बर्राकथा'** में मुख्य संगत के रूप में प्रयोग किया जाता है।

10.40. अट्टुकल पोंगल

(Attukal Pongala)

- हाल ही में, तिरुवनंतपुरम (केरल) के अट्टुकल मंदिर में एक **वार्षिक 10 दिवसीय** अट्टुकल पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया था।
- पोंगल (अर्थ- **'अच्छी तरह उबलना'**) एक अनुष्ठान है जिसमें महिलाएं **मीठा पायसम** (चावल, गुड़, नारियल और केले से निर्मित एक व्यंजन) तैयार करती हैं तथा देवी को इसका भोग लगाती हैं।
- देवी को प्रेमपूर्वक 'अट्टुकलम्मा' कहा जाता है
- अट्टुकल मंदिर **महिलाओं का सबरीमाला** के नाम से विख्यात है, जहां केवल महिलाओं को ही अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति प्राप्त है।
- **एक एकल दिवस पर महिलाओं के विशालतम धार्मिक एकत्रण** के कारण इसे **वर्ष 2009 में गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स** में सूचीबद्ध किया गया था।

10.41. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

(Indian Council of Historical Research)

- हाल ही में सरकार ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (ICHR) का पुनर्गठन किया है। यह **सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम,1972** के तहत पंजीकृत तथा **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** के अधीन एक **स्वायत्त संगठन है।**
- इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना एवं उसे दिशा-निर्देशन प्रदान करना तथा इतिहास के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देना है।
- यह महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में युवा अध्यापकों को **फेलोशिप और वित्तीय सहायता** भी प्रदान करती है तथा भारत और विदेश में इतिहास के वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु भी सहायता करती है।
- **परिषद की संरचना:**
    - अध्यक्ष - सरकार द्वारा मनोनीत एक प्रतिष्ठित इतिहासकार।
    - सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट 18 इतिहासकार।
    - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक प्रतिनिधि।
    - पुरातत्व महानिदेशक।
    - अभिलेख महानिदेशक।
    - भारत सरकार द्वारा मनोनीत चार व्यक्ति, जिनमें से शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति विभाग और वित्त मंत्रालय में से प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि और सदस्य सचिव।

10.42. सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम

(Cultural Heritage Youth Leadership Programme: CHYLP)

- इसका उद्देश्य युवाओं में उपयुक्त नेतृत्व के गुणों के विकास के दृष्टिकोण से **युवाओं के मध्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति अनुराग को प्रोत्साहित करना, समझना तथा उसका विकास करना है।**
- यह पिछड़े क्षेत्रों में निवास करने वाले अल्प विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों की बेहतर समझ विकसित करने हेतु उनकी स्थानीय भाषा में उनसे अंतर-सम्पर्क स्थापित करते हुए उन पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- **संस्कृति मंत्रालय** के अधीन एक स्वायत्त संगठन **सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (CCRT)** इस कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी है।

10.43. भारत को जानो कार्यक्रम

(Know India Programme)

- हाल ही में 8 देशों के 40 भारतीय मूल के युवाओं ने "भारत को जानो कार्यक्रम" के 53वें संस्करण के तहत देश की यात्रा की। इस संस्करण के भागीदार राज्य महाराष्ट्र और दमन एवं दीव हैं।
- यह एक तीन सप्ताह के ओरिएंटेशन के माध्यम से एक डायस्पोरा सहभागिता कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के **विदेश मंत्रालय** द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य **18-30** आयु वर्ग के भारतीय डायस्पोरा युवाओं को देश के विकास और प्राप्त उपलब्धियों से परिचित करवाना तथा उन्हें उनके पूर्वजों की भूमि से जोड़ना है।

10.44. स्वच्छ शक्ति-2019 कार्यक्रम

(Swachh Shakti-2019 Programme)

- यह **महिला सरपंचों का एक सम्मेलन** है, जिसका उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। इस सम्मेलन का आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ था।
- इसका लक्ष्य **स्वच्छ भारत अभियान में ग्रामीण महिलाओं द्वारा निभाई गई नेतृत्त्वकारी भूमिका** को केंद्र में लाना है।
- इसका आयोजन **हरियाणा सरकार** के सहयोग से **पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय** द्वारा किया गया था।
- **प्रथम** स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम का **आयोजन** वर्ष 2017 में **गुजरात के गांधीनगर** में हुआ था।

VISION IAS

10.45. दरवाज़ा बंद अभियान

(Darwaza Band Campaign)

- हाल ही में **पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय** ने **शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहन तथा खुले में शौच से मुक्ति** हेतु दरवाजा बंध नामक एक देश व्यापी अभियान का दूसरा भाग आरम्भ किया है।
- इसे **स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)** के तत्वाधान में प्रोत्साहित किया गया है तथा इसके माध्यम से घरों में शौचालय के होते हुए भी उनका उपयोग न करने वाले पुरुषों में स्वभावजन्य परिवर्तन लाने की परिकल्पना की गई है।
- इस भाग के तहत अभियान का लक्ष्य शौचालयों के उपयोग को और अधिक बढ़ावा देना तथा सम्पूर्ण भारत में गाँवों के खुले में शौच से मुक्त दर्जे को बनाए रखना है।
- **विश्व बैंक (World Bank)** दरवाजा बंद अभियान के दूसरे भाग को समर्थन प्रदान कर रहा है।

10.46. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना

(National Rural Economic Transformation Project)

- हाल ही में विश्व बैंक और भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना हेतु 250 मिलियन डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह परियोजना जुलाई 2011 में विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित 500 मिलियन डॉलर की **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना** (NRLP) हेतु एक **अतिरिक्त वित्तपोषण** है।
- यह **ग्रामीण निर्धन महिलाओं और युवाओं** हेतु उनके व्यक्तिगत और/या सामूहिक रूप से स्वामित्व के तहत और प्रबंधित उद्यमों के निर्माण के लिए स्टार्ट-अप निधियन विकल्पों को शामिल करते हुए उनके लिए **उद्यम विकास कार्यक्रमों** को सर्मथन प्रदान करेगा।
- इसमें छोटे उत्पादकों का उत्थान करने तथा बाजार के साथ उन्हें संलग्न करने में उनकी सहायता करने हेतु डिजिटल वित्तीय सेवाओं का प्रयोग करते हुए वित्तीय उत्पादों का विकास करना शामिल है।
- यह दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के साथ समन्वय में **युवाओं के कौशल विकास** को समर्थन भी प्रदान करेगा। NRLP के तहत एक सफल रणनीति **पीयर-टू-पीयर लर्निंग** का भी इस परियोजना में उपयोग जारी रहेगा।

11. सुर्खियों में रही सरकारी योजनाएं (Government Schemes in News)

11.1. मध्याह्न भोजन योजना

(Mid-Day Meal Scheme)

हाल ही में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने **मध्याह्न भोजन (MDM) योजना** के तहत मानदंडों को संशोधित करने के लिए मंजूरी दी है।

MDM के उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं

• स्कूल जाने वाले बच्चों के **नामांकन, प्रतिधारण एवं उपस्थिति** को बढ़ाना तथा साथ ही साथ उनके **पोषण स्तर में सुधार** करना।	• **सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (STC) और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं तक** के स्कूली बच्चे।
	• **शिक्षा गारंटी स्कीम (EGS) और वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा** (AIE) के तहत चालित केन्द्र **एवं देश भर के सभी क्षेत्रों के राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)** स्कूल MDM के तहत सम्मिलित हैं।
		• इसके तहत प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन के साथ और उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के साथ पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है।
		• इसमें गर्मी की छुट्टी के दौरान **सूखा प्रभावित क्षेत्र में** प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना भी सम्मिलित है।
		• यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है और इसकी लागत केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य साझा की जाती है।
		  ○ केंद्र सरकार राज्यों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
		  ○ खाना पकाने, अवसंरचना विकास, खाद्यान्नों के परिवहन और रसोइयों एवं सहायकों को पारिश्रमिक का भुगतान केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य साझा किया जाता है। केंद्र सरकार इस राशि का अधिकतम हिस्सा वहन करती है।
		  ○ राज्य सरकारों के योगदान में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता होती है।
		• **राष्ट्रीय स्तर पर,** मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली एक **उच्चाधिकार समिति** और एक **राष्ट्रीय स्तर की संचालन-सह-निगरानी समिति (NSMC)** के साथ-साथ **कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (PAB)** द्वारा इस योजना की निगरानी की जाती है और साथ ही ये इसके सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपाय सुझाते हैं।
		• राज्य स्तर पर **राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति** और जिला स्तर पर **लोकसभा के वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति,** योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करती है।

हाल में संशोधित किए गए मानदंड

- मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाद्य पदार्थों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने हेतु **मुद्रास्फीति सूचकांक से संबद्ध कुकिंग लागत** में वार्षिक वृद्धि।
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिए परिवहन दर को पहले के 75 रुपये प्रति क्विंटल से संशोधित कर PDS दर से संबद्ध किया गया है (अधिकतम 150 रूपये प्रति क्विंटल तक)।
- **प्रबंधन निगरानी और मूल्यांकन (MME)** की दर को संशोधित करके कुल ग्राह्य पुनरावर्ती केन्द्रीय सहायता के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया गया है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को योजना के बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए सक्षम बनाएगा।
- रसोई उपकरणों के लिए प्रदत्त सहायता को छात्रों की संख्या के आधार पर 5,000 रूपये की निश्चित दर से बढ़ाकर 10 हजार से 25 हजार रूपये किया गया है। इससे स्कूल, रसोई उपकरणों की खरीदारी/ बदलाव करने में समर्थ होंगे।
- **दो नए घटकों** को भी स्वीकृति प्रदान की गई है:
  - **रसोई-सह-भंडार घर की मरम्मत:** केंद्र और राज्यों के मध्य साझाकरण के आधार पर दस वर्ष पूर्व निर्मित रसोई-सह-भंडार घर की मरम्मत के लिए 10,000 रुपये की सहायता।
  - भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से फ़ूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्कूलों में किचन गार्डनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति को मौजूदा दिशा-निर्देशों में छोटे मोटे बदलाव के साथ योजना को क्रियान्वित करने का अधिकार सौंपा गया है।

VISION IAS

- राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) की पूर्व अनुमति से, अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट का 5 प्रतिशत हिस्सा नए हस्तक्षेपों में उपयोग करने का अधिकार दिया गया है।

- अन्य मानदंडों में सम्मिलित हैं:
  - **बफर स्टॉक से दालों का प्रयोग:** राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश भारत सरकार द्वारा सृजित केन्द्रीय बफर स्टाफ से अपने स्थानीय स्वाद के अनुसार MDM के लिए दाल खरीद सकते हैं।
  - **उपस्थिति की निगरानी:** सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि 100% स्कूलों के दैनिक डेटा को स्वचालित निगरानी प्रणाली (AMS) के माध्यम से अपलोड किया जाए।
  - **MDM के तहत मेन्यू:** राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक मेन्यू विकसित करने के उपाय को अपनाने की आवश्यकता है जिसमें स्थानीय स्वाद और स्थानीय उपज प्रतिबिंबित होती हो तथा जो प्रतिदिन के लिए अलग-अलग हो।
- **तिथि भोजन:** समुदाय के लोगों को महत्वपूर्ण दिनों, जैसे- बच्चे का जन्म, विवाह, जन्मदिन आदि जैसे विशेष अवसरों को MDM योजना में योगदान करके मनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तिथि भोजन, MDM का प्रतिस्थापक नहीं है, बल्कि यह MDM का पूरक या अनुपूरक है।
- **MDM के लिए जेलों, मंदिरों, गुरुद्वारों आदि का उपयोग:** सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मध्याह्न भोजन योजना में समुदाय और अन्य एजेंसियों, जैसे- जेलों, मंदिरों, गुरुद्वारों आदि को सम्मिलित करने की सलाह दी जा रही है।

11.2. प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण

(Pradhan Mantri Awaas Yojana- Gramin: PMAY-G)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2019 के आगे भी प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले सभी आवासहीन लोगों और परिवारों को आधारभूत सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना। • इस योजना का **तात्कालिक उद्देश्य** 2016-17 से 2018-19 तक के तीन वर्षों की अवधि में आवासहीन या कच्चे मकान/जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे **1 करोड़ परिवारों** को कवर करना था। • PMAY-G के चरण-II के तहत वर्ष 2022 तक कुल 1.95 करोड़ घरों के **निर्माण का एक समग्र लक्ष्य** निर्धारित किया गया है। • यह योजना मूलतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं है) और निम्न आय समूह (जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं है) के लोगों को कवर करने के लिए लायी गयी थी, किन्तु अब इसमें मध्यम आय समूह (MIG) के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है।	• **लाभार्थियों की पहचान:** 13 बिंदु वाले बहिष्करण मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) से प्राप्त सूचना का उपयोग किया गया है। • **ग्राम सभा की भूमिका:** उन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ग्राम सभा को सूची प्रस्तुत की जाएगी जिन्हें पूर्व में सहायता प्रदान की गयी हो या जो अन्य कारणों से अयोग्य हो गए हों। • **लागत साझाकरण:** प्रति यूनिट सहायता की लागत को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अनुपात में साझा किया जायेगा। • **तकनीक का प्रयोग:** भू-संदर्भित तस्वीरों के निरीक्षण और अपलोडिंग का कार्य एक मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। • यह स्थानीय सामग्री और गृह डिजाइन की स्थानीय विधि का उपयोग कर निर्माण की अनुमति प्रदान करती है। • प्रति यूनिट सहायता राशि मैदानी क्षेत्रों के लिए 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं IAP वाले जिलों के लिए 1.30 लाख रुपये निर्धारित की गयी है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी, वित्तीय संस्थानों से 7,000 रुपये तक का ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। • स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, मनरेगा या अन्य किसी समर्पित वित्तपोषण के स्रोत के अभिसरण के साथ शौचालय के निर्माण **हेतु 12,000 रुपये की सहायता राशि का प्रावधान** किया गया है। • लाभार्थी मनरेगा के माध्यम से 90/95 रोजगार दिनों (पर्सन डे) के अकुशल श्रम हेतु हकदार होंगे। • राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में राजमिस्त्री के लिए **एक अखिल भारतीय प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम** शुरू किया गया है। • इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी सामुदायिक भागीदारी (सामाजिक लेखांकन), संसद सदस्य (DISHA समिति), केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तर के

	निगरानीकर्ताओं आदि के माध्यम से किया जाना है। • **इस कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक व्ययों के वित्तपोषण में कटौती की गई है तथा इसे योजना निधि के 4% से घटाकर 2% कर दिया गया है।**

11.3. श्रेयस योजना

(SHREYAS Scheme)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा श्रेयस अर्थात् उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल की योजना (Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills: SHREYAS) की शुरुआत की गयी है।

उद्देश्य	विशेषताएं

• उच्च शिक्षा प्रणाली की सीखने की प्रक्रिया में रोजगार प्रासंगिकता की शुरुआत करके छात्रों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में सुधार करना।
• संधारणीय आधार पर शिक्षा और उद्योग / सेवा क्षेत्रकों के मध्य सन्निकट कार्यात्मक लिंक बनाना।
• छात्रों को प्रगतिशील तरीके से समय की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करना।
• उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 'सीखने के दौरान अर्जन' (अर्न व्हाइल यू लर्न) की शुरुआत करना।
• अच्छी गुणवत्ता के श्रमबलों की सुनिश्चितता में व्यवसाय/उद्योग की सहायता करना।
• सरकार के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के साथ छात्र समुदाय को रोजगार से संबद्ध करना।
	• यह एक **प्रोग्राम बास्केट** (कार्यक्रमों का एक समूह) है जिसमें **तीन केंद्रीय मंत्रालयों की पहलों को एकीकृत** किया गया है, ये हैं:
	  ○ **मानव संसाधन विकास मंत्रालय:** उच्च शिक्षण संस्थानों में BA/B.Sc/B.Com (प्रोफेशनल) पाठ्यक्रमों की शुरुआत;
	  ○ **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय:** राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप संवर्धन योजना (NAPS); एवं
	  ○ **श्रम और रोजगार मंत्रालय:** राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS)।
	• इसे **सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCs) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।**
	• इसमें वर्ष 2022 तक 50 लाख छात्रों को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है।
	• इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित तीन ट्रैक के साथ किया जाएगा:
	  ○ **ऐड-ऑन अप्रेंटिसशिप:** ऐसे छात्र जो वर्तमान में अपना डिग्री प्रोग्राम पूर्ण करने वाले हैं, उन्हें सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा प्रदत्त अप्रेंटिसशिप जॉब रोल्स की चयनित सूची में से अपनी पसंद की रोजगार भूमिका के चयन हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
	  ○ **एंबेडेड अप्रेंटिसशिप:** कौशल की आवश्यकता के आधार पर 6 से 10 महीने तक की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप को सम्मिलित करने हेतु निवर्तमान B.Voc कार्यक्रमों को पुनर्संरचित किया जाएगा।
	  ○ **कॉलेजों के साथ राष्ट्रीय करियर सेवा को संबद्ध करना:** श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल को उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ संबद्ध किया जाएगा।
	• **वित्त पोषण:** NAPS योजना के तहत, केंद्र सरकार अप्रेंटिसशिप की अवधि के दौरान प्रति माह स्टाइपेंड का 25% (अधिकतम 1,500 रूपये प्रति माह) हिस्सा साझा करती है। इसके अतिरिक्त, जहाँ आवश्यक होगा, वहां आधारभूत प्रशिक्षण लागत के लिए 7,500 रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी।

11.4. पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना

(North East Special Infrastructure Development Scheme: NESIDS)

हाल ही में इस योजना के लिए दिशा-निर्देश प्रकाशित किए गए।

उद्देश्य	विशेषताएं
इसका उद्देश्य निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के केंद्रित विकास को सुनिश्चित करना है: • जलापूर्ति, विद्युत और कनेक्टिविटी तथा पर्यटन को बढ़ाने वाली परियोजनाओं से संबंधित **भौतिक अवसंरचना**	यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की एक योजना है। • इस योजना के तहत निधियों को कुछ निश्चित मापदंडों पर आधारित एक सुपरिभाषित पैरामीटर, जैसे- क्षेत्र, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, सड़क घनत्व आदि के आधार पर पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। • इस योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है।

VISION IAS

परियोजनाएं। • शिक्षा और स्वास्थ्य के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों में अवसंरचना के निर्माण के लिए **सामाजिक क्षेत्रक की परियोजनाएं।**	• यह भारत सरकार और उत्तर पूर्व (NE) क्षेत्र की राज्य सरकारों की विद्यमान योजनाओं के अतिरिक्त होगा। • NLCPR सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं को इस योजना के अंतर्गत पुनर्संरचित किया गया है।

11.5. अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन- राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उपक्रम

(Atal Jaianusandhan Biotech Mission- Undertaking Nationally Relevant Technology Innovation: UNATI)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अटल जय अनुसंधान बायोटैक मिशन- राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उपक्रम का शुभारम्भ किया है।

उद्देश्य	विशेषताएं
• अगले 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रक को रूपांतरित करना।	• इस मिशन में शामिल हैं: ○ **गर्भिणी (GARBH-ini):**मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और प्री-टर्म बर्थ के लिए पूर्वानुमान उपकरण विकसित करने के लिए एक मिशन। ○ **इंडसेपी (IndCEPI):** स्थानिक रोगों के लिए वहनीय टीका विकसित करने हेतु एक मिशन। ○ **पोषण अभियान** में योगदान हेतु बायोफोर्टिफाइड और प्रोटीन समृद्ध गेहूं का विकास। ○ **अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स और थेरप्यूटिक्स के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मिशन।** ○ **स्वच्छ ऊर्जा मिशन:** स्वच्छ भारत के लिए नवाचारी प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप।

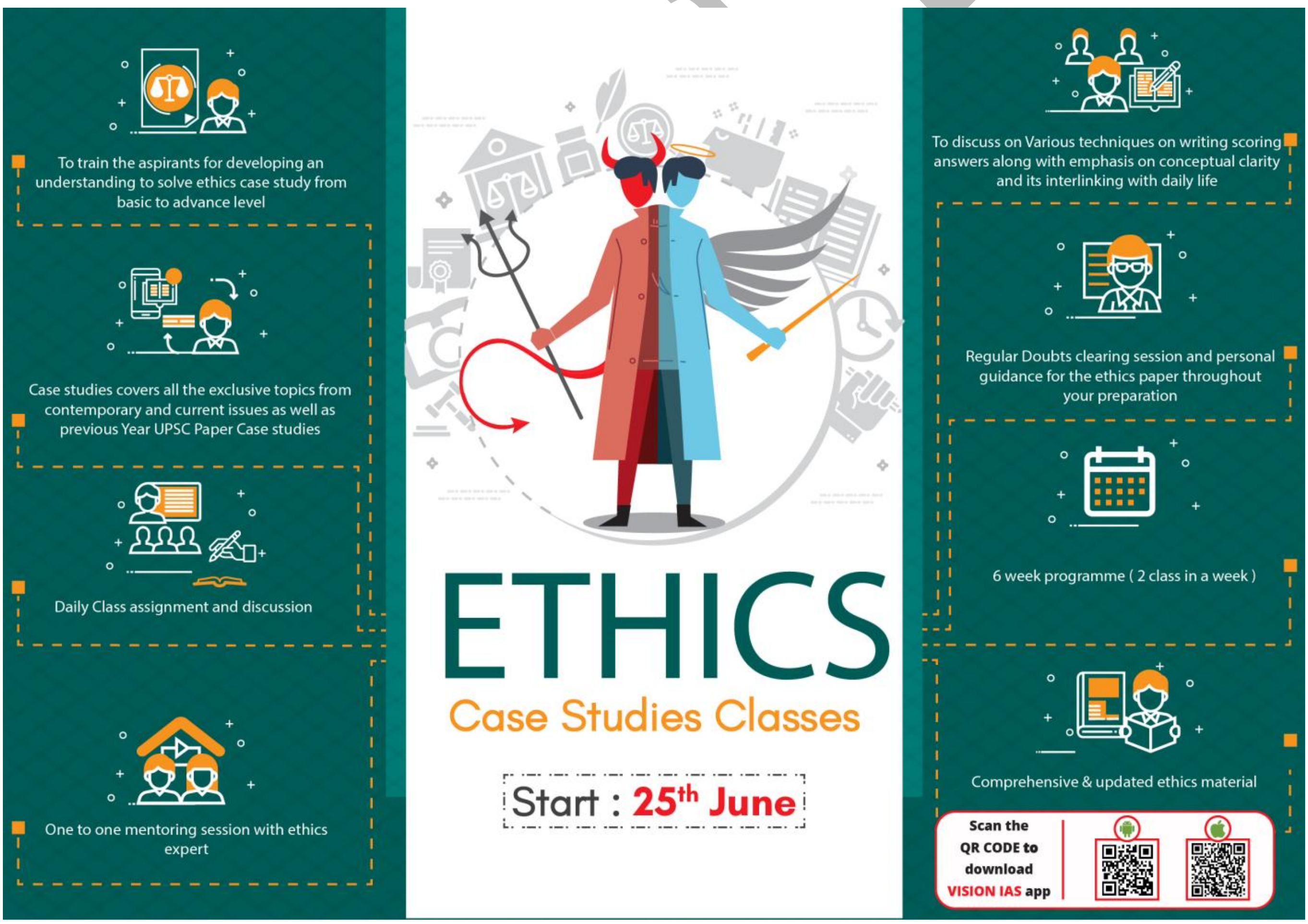

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS